खण्ड-435, अंक-2
मंगलवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1922
(9 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा सांसद और विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	1
प्रश्नकाल बाधित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1-7
मा0 सदस्यों की गरिमा एवं सदन की मर्यादा से सम्बन्धित विषय को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ...	7
पूर्व निर्णय पर टिप्पणी के सम्बन्ध में निर्णय	7
मा0 सदस्यों की गरिमा एवं सदन की मर्यादा से सम्बन्धित विषय को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	7-9
प्रश्नोत्तर	9-81
मा0 सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था विधान भवन स्थित केन्द्रीय कक्ष में किये जाने की सूचना	81
प्रश्नकाल में अन्य विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने के कारण प्रश्न का समय बढ़ाये जाने की मांग	81
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांधला में श्री मुनव्वर हसन सांसद तथा श्री संजय सिंह एवं श्री जगत सिंह सदस्यगण, विधान सभा को पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी से पीटे जाने सम्बन्धी प्रकरण ....(जारी)	81-100
डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदयराज यादव, श्री राम विशुन आजाद तथा फ्लोर में खड़े अन्य सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	100 101
निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिये जाने की मांग	102-105
मा0 सदस्यों के निलम्बन वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत ...	105-106
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	106
जनपद बांदा के तिन्दवारी इण्टरमीडिएट कालेज में प्रबन्धक द्वारा की गई अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निसम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत भीमवर बाजार से ग्राम वर्नापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निसम-301 के अन्तर्गत सूचना	106 107
लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों की संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी कराने के सम्बन्ध में लोक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के ग्राम कटहट गढ़ाकोला में उल्टी, दस्त एवं भयंकर ज्वर की महामारी की रोकथाम करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	107
लखनऊ के प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत सई नदी के किनारे बसे ग्रामों में पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद आजमगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109
राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना	109-110
राज्य में मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110-111
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांधला में श्री मुनव्वर हसन सांसद तथा श्री संजय सिंह एवं श्री जगत सिंह सदस्यगण विधान सभा को पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी से पीटे जाने सम्बन्धी प्रकरण ....(क्रमागत)	111-117
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	117
उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	118
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	119
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	119
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	119
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टुण्डला में कन्या विद्यालय खोले जाने विषयक श्री कमल किशोर बहोरे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	119
मेरठ नगर में घण्टाघर पर कोटला को जाने वाले नाले पर स्थापित बिजलीघर को टाउन हाल में स्थापित कराये जाने विषयक श्री राजीव जग्गी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	120
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत रामनगर अन्नापुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुरुचरण यादव उर्फ फौजी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	120
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर में 30 शैय्या वाला महिला अस्पताल खुलवाये जाने विषयक श्री ज्वाला प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	120
जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	120
जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टेशन स्थापित करने एवं रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हरीश कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	120-121
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृत सूचनाओं को अगले दिन लिये जाने की घोषणा	121
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटें कम करने विषयक श्री विनोदमणि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना का स्थगन ...	121
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) तथा अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	121-122

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	122-145
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	145
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन (स्वीकृत) ...	145
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ...	145
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	145-177
प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्याचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर तथा डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	177
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	177-179
प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रबन्धतंत्रों को अवैधानिक ढंग से भंग करने तथा खाते का एकल संचालन किये जाने से शिक्षा जगत में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	179
जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर द्वारा मनमाने ढंग से विद्युत शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	179
जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत इनारगांव रजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य	179-180
जनपद आगरा के लेडी लायल, महिला चिकित्सालय के स्टाफ नर्स द्वारा पड़ोसी स्टाफ नर्स की पुत्री को धर्म परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	180
प्रदेश में पूर्व मुख्य मंत्रियों को एक-एक आवास आवंटित किये जाने तथा उनके परिजनों द्वारा उन आवासों में समितियां/न्यास बना कर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	180-181

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना से विगत वर्षों से स्वीकृत अधूरे पड़े मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	181
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा पुलिस पत्रिका के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की अनावश्यक एवं फिजूल खर्ची एवं अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में, श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181-182
प्रदेश के ऊर्जा विभाग विशेषतः लखनऊ महानगर अन्तर्गत मीटर रीडिंग अनुभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा श्री देवनाथ (टी0 जी-11) द्वारा की जा रही मनमानी व उच्च अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे प्रश्रय के सम्बन्ध में श्री रमेश राही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182
प्रदेश के नोयडा व ग्रेटर नोयडा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिये पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें न लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182-183
ताज ट्रिपेजियम योजना के अन्तर्गत मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	183-184
लखनऊ, आगरा तथा कानपुर में वायु प्रदूषण रोकने हेतु उपाय किये जाने विषयक दि0 24-4-2000 के तारांकित प्रश्न संख्या-3 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन तथा, ...	184
प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाये जाने विषयक दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को तारांकित प्रश्न सं0-1 के नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री नरेन्द्र सिंह, डा0 सरजीत सिंह डंग आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	184
नत्थियां	185-192

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 9 मई , 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोंडा	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
ओइमवेश स्वामी, श्री	बिजनौर	महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
काजिम अली खां उर्फ		मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
नवेद मियां, श्री	रामपुर	रतनजीत प्रताप नारायण	
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	सिंह, कुंवर	पडरौना
के0सी0 सिंह बाबा, श्री	उधम सिंह नगर	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
गंगा सिंह चौहान, श्री	हरदोई	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0	कानपुर नगर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया	राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
जय नारायण तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	विनय कुमार पाण्डेय बिन्नू, श्री	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

विरेन्द्र कुमार, श्री	वाराणसी	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
श्रीराम, श्री	[illegible]	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद	हीरालाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक 9 मई, 2000

विधान सभा की कार्यवाही सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा सांसद और विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहनें लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विपक्ष खड़े हैं इसलिए आप सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मौर्या जी आपकी सूचना नियम-56 में चयनित की गई है मेरा अनुरोध है कि आप उसी समय अपनी बात कह लें।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

श्रीमन् मुजफ्फरनगर में जिस तरह पुलिस ने हमारे निर्दोष सांसद श्री हसन, विधायक श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह, श्री रतन लाल, श्री मलिक जी.....

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि इस विषय को प्रश्नकाल के बाद शून्य प्रहर में उठा दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री धनीराम वर्मा-

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, यह सरकार विधायकों और सांसदों को [xxxxx] करने का काम कर रही है इससे ज्यादा गंभीर और लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है। पहले इस पर हम सभी लोगों को सुन लिया जाय और उसके बाद अन्य कार्यवाही की जाय। इस फासिस्टवादी सरकार के रहते आज हम विधायक अपमानित हो रहे हैं। ए0डी0एम0 को पीटा जायगा, एस0डी0एम0 को पीटा जायगा तो फिर कैसे चलेगा। पहले हम सभी विधायकों की बात सुन ली जाय।

प्रश्नकाल बाधित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि प्रतिपक्ष जब कोई विषय को उठाता है और यह उनका अधिकार है और जब शासन की ओर से उसका उत्तर आने लगता है तो सदन में अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी जाती है एक तो इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और दूसरा बिन्दु मैं उठाना चाहता हूं कि इससे प्रश्न काल बाधित हो जाता है जिसमें कि सभी सत्ता और प्रतिपक्ष के विधायकों का हित रहता है। प्रश्नकाल बाधित होने के बाद या तो सदन स्थगित हो जाता है या फिर सब ठीक हो जाता है जिससे जो माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते है उनका हनन हो रहा है। मेरा सभी विपक्ष के नेताओं से निवेदन है कि किसी भी विषय पर सत्तारुढ़ दलों के सदस्यों की बात भी आने दिया करें फिर सदन का जो भी निर्णय होगा उसे शिरोधार्य किया जायगा। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रतिपक्ष भी जिम्मेदारी पूर्वक सदन को चलाना चाहता है।

कल जरुर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ.गई थी जिसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ परन्तु मैं समझता हूं कि आज तो ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री बाजपेयी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। एक पक्ष जब अपनी बात कहे तो दूसरे पक्ष का भी उत्तर सुन ले और सदन की कार्यवाही भी चलती रहे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय श्री बाजपेयी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि जबसे यह बजट सत्र चल रहा है, विपक्षी संयमित तरीके से पूरा सहयोग देकर विधान सभा चलाना चाहता है परन्तु कभी-कभी ऐसी घटनायें घट जाती है, हम रोज तो 311 देते नहीं है, आपने कृपापूर्वक आदेश कर दिया और हम लोगों ने उसे शिरोधार्य कर लिया, 311 में हमने एक नोटिस दी। यह प्रश्न काफी गंभीर है, 311 में इसे नहीं सुना जायेगा तो किसे सुना जायेगा। एक सांसद, दो वर्तमान विधायक, दो पूर्व विधायक और प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थाने में जो व्यवहार हुआ, यदि थाने के बाहर हुआ होता तो हम मान लेते कि उत्तेजना की बात थी और उत्तेजना में ये लोग भी साथ थें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थाने में दो घंटे से वार्ता चल रही थी और इन लोगों की निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई1

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, वैसे बीच में बोलना उचित नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष-

मेरी अनुमति से खड़े हुए हैं और श्री रेवती रमण सिंह जी अपनी बात को कहने में सक्षम हैं। ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसके बाद अपनी बात कह लेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यदि नियम 311 के अन्दर इस घटना पर चर्चा नहीं हो पायेगी तो फिर किस घटना पर चर्चा होगी। इस सदन की अपनी एक परम्परा है, एक गरिमा है और हम उसे अक्षुण रखना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी पुराने सदस्य हैं, आपको इधर भी काम करने का मौका मिला है और उधर भी आप पद पर सुशोभित हैं। कभी-कभी आप भी संयमित होकर काम लें, ऐसा न करें कि जिससे सदन में व्यवधान पैदा हों। हम व्यवधान पैदा करना नहीं चाहते हैं। यदि 311 में नहीं सुना जायेगा तो किसमें सुना जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यदि किसी मंत्री को टिप्पणी करनी हो तो खड़े होकर टिप्पणी करें, बैठे-बैठे करना ठीक नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक विषय उठाया और आपने कृपापूर्वक व्यवस्था भी दे दी। माननीय श्री बाजपेई जी ने भी व्यवस्था की बात उठाई। आपने यह व्यवस्था कर दी कि जब समय आयेगा तो प्रश्न प्रहर के बाद तथा औपचारिक कार्य करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इस विषय को लेंगे। मैंने तो यही सुना।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुरोध किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुरोध किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका अनुरोध ही व्यवस्था होती है। चर्चा में आपने संक्षेप में घटना पर अपनी बात कह दी और आपके सुझाव भी आ गये। बीच में मैं केवल इस बात पर बोलना चाहता हूं कि हमारा प्रयास यह है कि सुचारु रुप से सदन चले, जो कार्य सूची है वह हम सब की इच्छानुसार बनी है, कार्य सूची में जो कार्य है, वह नियमानुसार है।

हम और आपकी इच्छानुसार बना है, इस समय प्रश्न प्रहर है, यह हो जाये और जब समय आयेगा तो निश्चित रुप से जिस गम्भीर विषय को आप उठाना चाहते हैं उसकी गम्भीरता में कोई अभाव नहीं आयेगा और न आने देंगे, उस विषय को हम लेंगे।.....

(सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बात हो गई देखिये उसी बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं।

सदस्यों की गरिमा एवं सदन की मर्यादा से संबंधित विषय को नियम-311 के अन्तर्गत्त सर्वप्रथम लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इस सम्मानित सदन के सदस्य थे। कभी-कभी कदाचित ऐसे विषय आते हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं सम्पूर्ण विधायिका के किसी सदस्य की अस्मिता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की बात होती है तो कोई भी सरकार हो, सरकार या विपक्ष की बात नहीं होती है उसको सुना जाता है। सदन को जानकारी होगी और हमारे आज प्रदेश के वित्त मंत्री श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव जी विधान सभा के सदस्य थे और वाराणसी में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। सम्पूण सदन ने सत्ता पक्ष के लोग हों चाहें विपक्ष के लोगों को, उस दुर्व्यवहार की भर्त्सना की भी और एस0एस0पी0 को तत्काल इसी सदन से हटाये जाने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

क्या भर्त्सना सदन प्रारम्भ होते ही कर दी थी।

श्री जगदम्बिका पाल-

जी हां, और एस0एस0पी0 को हटाने की भी घोषणा सदन से की गई थी।

श्री अध्यक्ष-

उस दिन प्रश्नकाल हुआ था कि नहीं?

श्री जगदम्बिका पाल-

नहीं हुआ था। मैं यह नहीं कहता कि प्रश्नकाल न हो। आप प्रश्नकाल के बाद ले लें। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रश्नकाल न हो। जब किसी सम्मानित सदस्य का सवाल आता है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरा सदन सहमत होता है किसी माननीय सदस्य को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में, अपने कर्त्तव्य को करने में भी किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाय तो ऐसे सवाल के नियम-311 बना है। हम उसका प्रयोग करते हैं कभी कभी इस सम्मानित सदन की रक्षा के लिये।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह विधान सभा चलती है प्रक्रिया नियमावली और परम्पराओं के अनुसार। इनको बनाने का उद्देश्य था कि प्रदेश के कोने कोने से चुनकर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वे विभिन्न नियमों के अन्तर्गत अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, प्रदेश के विकास की बात कह सकें। उसी नियमावली के तहत प्रश्नकाल, शून्यकाल, विभिन्न नियम 56, 300, 201, 51, 49 हैं। इनका उद्देश्य था कि स्वस्थ वाद विवाद हो सके और इसीलिये कार्य मंत्रणा आपकी बैठती है जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य नेतागण रहते हैं और यह तय किया जाता है कि किस दिन क्या सुना जायेगा उसके लिये समय निर्धारित करते हैं और पहले प्राथमिकता पर क्या सुना जायेगा कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से ज्वलन्त सवाल उठाये जाते हैं तो यह सब प्रक्रिया नियमावली के तहत है कि किस तरह से उनके लिये समय निर्धारित है। इनको बनाने की मन्शा यही थी कि सभी चीजों के लिये समय निर्धारित हो ताकि समय समय पर वह होती रहें। मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था का सवाल करना चाहता हूं कि जब जिस चीज के लिये जो समय निर्धारित है वह उसी समय हो तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई है। इस पर कोई चर्चा तो नहीं हो रही है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया था उसको सुना। एक व्यवस्था का प्रश्न आया उसको सुन लिया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, पाल साहब और डंग साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया आप उस पर अपनी व्यवस्था देंगे उससे पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह मैं व्यवस्था देने से पहले सुनूं तो दिन भर सुन सकता हूं। 5-7 घंटे बहस हो सकती है।

श्री प्रमोद कुमार-

जब आप दिन भर सुनने की इच्छा बना लेंगे उस दिन सदन पूरा चल ही जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मन तो बनाने दीजिये। क्या होता है क्या नहीं होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अनुरोध किया, उसको मैंने सुना, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया वह समझ लिया, अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि.....

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है। मैं नियमों के बारे में ही उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

मना भी करें तो भी बोलेंगे ही।

श्री प्रमोद कुमार-

नहीं कहेंगे तो नहीं बोलूंगा, जब कहेंगे तभी बोलूंगा, बोलूँ?

श्री अध्यक्ष-

बोलिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर कृपापूर्वक 311 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिस तरह मैं चाहता हूं उसके

अनुसार पहले आप देख लीजिए जिस तरह फिर आप कहेंगे उसके अनुसार देख लिया जाएगा। मान्यवर नियम 311 में है कि- "कोई सदस्य" अध्यक्ष की सम्मति से- अध्यक्ष सर्वोच्च आसन पर बैठा वह व्यक्ति होता है जो सदस्यों की समस्याओं कें निराकरण के लिए सर्वाधिक उत्सुक होता है, अध्यक्ष इस सदन के गार्जियन होते हैं, संरक्षक होते हैं, यह परम्परा रही है सरकार कार्यवाही पूरी कर ले उसके बाद भी यह प्रयास होता है कि 425 सदस्यों में से किसी सदस्य की गरिमा पर, किसी सदस्य के आत्म सम्मान पर चोट पहुंचती है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो सरकार को चाहिए कि वह अपना काम बाद में करे पहले सदन के सदस्यों की गरिमा रहनी चाहिए, तो इसको नजर में रखते हुए इसको आप पढ़ लें- "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" तो अध्यक्ष की सम्मति बहुत महत्वपूर्ण होगी अध्यक्ष के विवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष के विवेक को पुकार सकते हैं, अध्यक्ष के विवेक को आवाज दे सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं, श्रीमन् आज आपकी सम्मति इसलिए मिलनी चाहिए कि हमारे विधान सभा के सम्मानित सदस्य को बर्बरता पूर्वक पीटा जाए उसके कार्यपालन में बाधा उपस्थित हों, प्रदेश के एक जनपद में चार दलितों की नृशंस हत्या कर दी जाय ऐसी स्थिति आ जाती है तो 311 का नियम इस नियमावली में इसीलिए प्रविष्ट कराया गया है इसमें यह नहीं कहा गया है कि शून्यकाल के बाद 311 में सुनेंगे या प्रश्नकाल या बजट के बाद लिया जाएगा, यह तो आपके विवेक पर है आपकी सम्मति के बगैर कुछ नहीं हो सकता है आपकी सम्मति को आवाज देते हुए अनुरोध कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद की बात जानें दें उसको लोक सभा के स्पीकर साहब देखेंगे, लेकिन विधायक को प्रताड़ित किया गया है अपमानित किया गया है माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाए तो इसमें प्रश्नकाल को स्थगित करके शून्यकाल को स्थगित करके सबसे पहले इसको लेने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं किसी का दोष नहीं ठहराता, कल कार्यवाही नहीं चली तो कार्य के महत्व को समझते हुए, हमारी भावनाओं को समझते हुए हमारे विचार हमारे दुख को सुन लिया होता तो एक आध घंटे में बात समाप्त हो जाती। लेकिन लगता है कि सरकार की मंशा है कि जायज मांग न माने इस पर लोग उत्तेजित होंगे तो बजट पास करने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी, अगर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। मैं सिर्फ आपकी व्यवस्था यह चाहता हूँ कि नियमावली में नियम 311 का उल्लेख है उसमें आपकी अनुमति प्राप्त हो जाए इससे उचित कारण और कोई नहीं हो सकता है। - - - - -

मैं यह चाहता हूं कि आपकी अनुमति मिल जाय और जैसा कि नेता विरोधी दल, कल बसपा नेता ने कहा और आज पाल जी ने कहा है मै इन सबकों मिलाते हुये यह कहना चाहता हूं कि प्रश्नकाल से पहले इसमें बात हो जाय। हमारे विचार आ जायें, सरकार के विचार आ जायें और दोनो के सुनने के बाद आप निर्णय दें इसपर मै आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा) -

श्रीमन् अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय डंग साहब नें यह कहा की इस सदन की कार्यवाही नियमावली से संचालित होती है और इसमें किसी तरह का व्यवधान नही हो चाहियें और जो भी कार्यवाही है वह नियमावली के अनुरूप अंकित की गयी है कार्य सूची में। मै आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय डंग साहब से कि नियम -311 इस नियमावली में है कि नहीं ? अगर है तो उसका उपयोग कब होगा ? श्रीमन् जब से विधान सभा का गठन हुआ तब से नियमावली में नियम -311 बना। तब से आज तक विशेष परिस्थितियों में नियमावली के नियम-311 का

प्रयोग होता रहा है और माननीय अध्यक्ष की सहमति से इस प्रश्न पर चर्चायें होती रहीं ग्राह्यता पर सुना गया तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। माननीय विधायकों का अपमान हुआ, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया जब वे अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे थे। ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। जनता की समस्याओं को लेकर के जो धरने पर थे, धरना अधिकारियों के कहने पर किया गया था। वे थाने पर गये थे, वहां बातचीत हो रही थी उनको पीटा गया। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पहले इसकी ग्राह्यता पर सुन लिया जाय। माननीय नेताओं को सुन लिया जाय और यह सदन शांतिपूर्ण ढ़ग से चले। यही हमारा निवेदन है कि पहले आप इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो जिस प्रकरण पर इस महान सदन ....

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रकरण के तथ्यों पर नहीं सुन रहा हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी आदरणीय सदन में डा0 रजनी कांत दत्ता, बनारस वाले, उनके ऊपर बर्बर जब अत्याचार किया गया, जब उन्हें पुलिस द्वारा टार्चर किया गया था, जबकि वे रोते बिलखते बच्चों को दूध देने गये थे, मारा गया था तब कर्फयू लगा था, इस आदरणीय सदन में यह मामला उठाया गया था। दूसरी नजीर आदरणीय हरीशजी जो आज शासन में बैठे हुए हैं, जब शिवरात्रि का समय था, इस प्रदेश की पुलिस ने उनको अपमानित किया था और टार्चर किया था। उन्होंने यह बताया था कि मैं विधायक हूं, मिनिस्टर रह चुका हूं लेकिन उन्हें बख्शा नहीं गया। जब यह मामला आया था उस समय तिवारी जी नेता सदन थे और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों ने एक राय होकर दोनों घटनाओं को लेकर एक स्वर में मांग की थी कि ऐसे पुलिस अधिकारी को निलम्बित किया जाय और आज सदन उठने से पहले पांच बजे तक इसकी घोषणा हो जाय। मान्यवर, यह नियम-311 आप जैसे विद्वानों के द्वारा बनाया हैं तो वह इसलिए बनाया गया था कि ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हो जाय, कल मुख्यमंत्री जी सामने यह बात रखी गयी थी, 10-15 हजार का मजमा था। कलेक्टर ने कहा कि आप आ जायं स्थिति सम्भाल लें। तो वे समझौता कराने के लिए थाने पर गये।

थाने पर गये, उन्होंने साफ-साफ कहा कि हमारे ऊपर गोली मार दो तब कोई काम करो। हम विधायक हैं, पुलिस ने ए0डी0एम0 को मारा।

श्री अध्यक्ष-

यह सब नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, अब कौन सी स्थिति आयेगी जिसमें नियम 311 का इस्तेमाल करेंगे। आप किस परिस्थिति में अनुज्ञा देंगे। वह परिस्थिति के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय तिवारी जी ने बताने का काम किया है। मान्यवर, एक सप्ताह के अन्दर हरदोई, में टुंडला में और मुजफ्फरनगर में घटना हुई। कल एक उन्नाव के व्यापारी के बच्चे की 50 लाख की फिरौती में दरोगा को गोली मारी गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब इन सबका उल्लेख न करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, 311 की भावना का आदर करते हुए इससे बढ़िया और कोई प्रकरण नहीं हो सकता

है। मान्यवर, उनके ऊपर पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया, कनपटी पर राइफल लगायी। लोग याद करेंगे कि अध्यक्ष ने सदन में ऐसी कार्यवाही की, उसे आने वाली पीढ़िया समझ लेंगी पुलिस अत्याचार पर लगाम लगेगी।

पूर्व-निर्णय पर टिप्पणी के सम्बन्ध में निर्णय

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष उस पीठ पर बैठे हुए थे जिस पर आप विराजमान हैं उस समय इस सदन में हमें भी बैठने का मौका मिला उस समय सदन में ऐसे-ऐसे मापदंड स्थापित हुए जो कार्यवाही में अंकित हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उसका उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, इनको सुनने का साहस नहीं है, उस समय 311 में कौन-कौन से प्रकरण सुने गये, इतने भयानक काण्ड हुए।

जब उस तरफ बैठ जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। यह सदन परम्पराओं से चलता है। प्रश्नकाल में प्रश्नों के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का हम सबको अधिकार हैं उसको छीनने का प्रयत्न करेंगे तो आगे मान्यवर ठीक नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शुक्ल जी ने जो अभी बात कही, जो भी माननीय सदस्य इस पीठ पर बैठते हैं, चाहें अध्यक्ष के रुप में बैठे चाहें अधिष्ठाता के रुप में तो वह भी समय परिस्थिति और नियम के अनुसार निर्णय लेते हैं तो कोई निर्णय किसी आधार पर, तत्कालीन अध्यक्ष ने किसी विशेष परिस्थिति में, लिया और मैं इस पर टिप्पणी करुं तो पीठ पर लांक्षन है। यह पीठ हमेशा रहेगी व्यक्ति बदलते रहेंगे। कल कोई था आज कोई है कल और कोई होगा, इसलिये पीठ पर परोक्ष या अपरोक्ष रुप से कोई बात कहना उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैंने आक्षेप नहीं किया है, मैंने परम्पराओं के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष-

पहले किन परिस्थितियों में पीठ ने किया, निर्देश दिया इसकी विवेचना करने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं। आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैंने पर्याप्त समय में माननीय सदस्यों को सुन लिया है। अब हमें व्यवस्था देने देंगे तो अच्छा होगा।

माननीय सदस्यों की गरिमा एवं सदन की मर्यादा से सम्बन्धित विषय को नियम-311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं नियम-311 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं- कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय। श्रीमन्, महत्वपूर्ण मामला आदरणीय इस पीठ की सम्मति का है। मैं आपसे बहुत आदर सहित निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय पीठ की सम्मति प्राप्त होने की समूची अनुकूल परिस्थितियां इस प्रकरण में विद्यमान हैं। इस आदरणीय सदन के दो दो माननीय सदस्य पुलिस के लाठी चार्ज में जख्मी हुए, घायल हुए जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं

कि इसी विधान सभा के सामने 1985-86 के लगभग समाजवादी दल के बहुत सर्वश्रेष्ठ नेता अछयवर मल्ल की प्रदर्शन में हत्या हुई थी उस समय माननीय नेता विपक्ष की कुर्सी पर आदरणीय मुलायम सिंह जी विराजमान थे और मा0 नियाज हसन जी इस आदरणीय पीठ पर विराजमान थे तो उस समय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने नियम- 311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराने की मांग की थी। श्री अक्षयवर मल्ल जी इस सदन के सदस्य नहीं थे परन्तु नियम-311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराना आवश्यक था, क्योंकि प्रदर्शन के चलते अछयवर मल्ल की मृत्यु हुई थी। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके समक्ष समुची अनुकूल परिस्थितियां हैं चाहें मुजफ्फरनगर का प्रकरण हो या हरदोई में 4-4 दलितों की हत्या का मामला हो, कल इसके चलते सदन नहीं चल सका, चाहें लखनऊ में एक दरोगा और सिपाही के गोली लगने की घटना हो। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में सांसद और विधायकों की पिटाई का मामला है यह पर्याप्त आधार है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नियम-311 की सूचना है उस पर चर्चा कराने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के बारे में यह अनुरोध किया है कि प्रश्नकाल को निलम्बित करके पहले उस सूचना पर, उसकी ग्राह्यता पर चर्चा करा ली जाय। हम सब इस बात से अवगत हैं कि नियम-311 यद्यपि यह प्रक्रिया नियमावली का अंग है... और उनका उल्लेख नियम-315 में है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किये गये कार्य है, शपथ अथवा प्रतिज्ञान, प्रश्नकाल, निधन के निर्देश, पटल पर रखे जाने वाले राज्यपाल के संदेशों की सूचना, परिषद् के संदेशों की सूचना आदि, यह सब औपचारिक कार्य हैं। इस क्रम में कार्य स्थगन का प्रस्ताव औपचारिक कार्यों के पश्चात् रखा गया है अर्थात् यह मंशा थी, जब यह नियमावली बनी थी कि सदन औपचारिक कार्य पहले कर लेगा। विधायी कार्यों के पहले कार्यस्थगन का प्रस्ताव लिया जायेगा क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण कार्य विधायी कार्य के पहले आना चाहिये। अगर उस सन्दर्भ में नियम 311 को देखें तो दो-तीन अनिवार्य शर्तें उससे जुड़ी हैं। पहली शर्त, कि अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव करना, दूसरी शर्त कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय। अब दो प्रस्ताव हुये हैं। सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, उस प्रस्ताव पर विचार करते समय किसी नियम को निलम्बित करना, जिसके बारे में प्रस्ताव और जिस किसी समय अवसर आयेगा, तब सदन के समक्ष विशेष प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय और सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव लम्बित है, विचार हो रहा है और उस पर अमुक नियम को निलम्बित करके चर्चा कराई जाय। इसी प्रकार इस समय नियम 311 की सूचना है, उसमें कोई प्रस्ताव नहीं है, उसमें अनुरोध किया गया था कि सदन की कार्यवाही को रोक कर पहले इस विषय पर चर्चा कराई जाय। इसके सार-तत्व को देखें तो एक प्रकार से वह सूचना नियम-56 की थी, लेकिन नियम- 56 में उन्हीं माननीय सदस्यों ने दूसरी सूचना दे रखी थी।

श्री प्रमोद कुमार-

निलम्बित करने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकार नियम- 311 का प्रस्ताव आता है और कार्यवाही की जाय तो यह असाधारण परिस्थितियों में होता है और सामान्यत: पहले भी हुआ है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो उनकी सहमति से प्रस्ताव आया है, मैंने इस विषय को बहुत गम्भीरता से लिया है, बात बस इतनी है कि थोड़ी देर के बाद हो जाय। यह गंभीर विषय है और शासन ने भी आपकी सूचना को गम्भीरतापूर्वक लिया है। इस प्रश्नकाल में मात्र 40 मिनट शेष हैं, औपचारिक कार्य हो जाने दें, उसके बाद अपनी बात पूरी तरह कहें,

विस्तारपूर्वक कहें। आपने जो सूचना दी है, मैं उसके महत्व को तनिक भी कम नहीं करना चाहता। यदि माननीय विधायक के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो सदन को संज्ञान में लेना चाहिये, विचार भी आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्ता पक्ष भी सहमत होगा कि उसको भी विचार रखने चाहिये। 40 मिनट केवल इसी में चले गये कि 311 की सूचना ली जाय या न ली जाय। अब मात्र 40 मिनट बचे हैं इतनी देर के लिये धैर्य रखें, बस थोड़े से समय के अंतराल की बात है। आप लोग मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लें, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो यही अपेक्षा करुंगा कि थोड़ा सा प्रश्नकाल भी हो जाए। देखें कल प्रश्नकाल नहीं हो पाया। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से भी यही अनुरोध करुंगा। मैं बहुत आभारी हूं कि आप मेरी व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों में परिवर्तन के अनुसार जिले के क्षेत्रीय सन्तुलन पर विचार न लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**1-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों में क्या प्रदेश सरकार द्वारा माह जनवरी, 2000 में यह परिवर्तन किया गया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति देते समय जिले के क्षेत्रीय सन्तुलन पर विचार न किया जाय? यदि हां, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने इसलिए उठाया है कि कतिपय स्थानों पर, कतिपय जिलों में जो मानक केन्द्र सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत तय किए हैं, उनका स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और मैंने 14 मार्च को माननीय मंत्री जी को, 15 मार्च को आयुक्त ग्राम्य विकास को और 4 मई को सचिव ग्राम्य विकास को पत्र दे चुका हूं, मिर्जापुर जिले में मैंने सूची दी है, जो मानक हैं कि क्षेत्रीय संतुलन क्षेत्र विकास के कार्यों में बना कर रखना चाहिए, इसका मिर्जापुर में उल्लंघन हुआ है। एक तो जन प्रतिनिधियों से बिना कोई सलाह लिए सीधे ठेकेदारों के माध्यम से कार्य लिया जा रहा है उसका परिणाम यह हो रहा है कि अलग-अलग जो विकास खण्ड है, उनमें जहां क्षेत्रीय असंतुलन है और जिसका मैंने चार्ट बनाकर माननीय मंत्री जी को, आयुक्त ग्राम्य विकास और सचिव ग्राम्य विकास को भेजा है। यदि मानकों का पालन नहीं हुआ है और उल्लंघन हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा करने वाले अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित करने का कार्य करेंगे, यदि करेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल-

मान्यवर, इस प्रकार की कोई शिकायत जो माननीय सदस्य होंगे तो निश्चित रुप से जाँच कराकर इसके खिलाफ कार्यवाई करेंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, 14 मार्च को माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा, मेरे पास प्रतिलिपि है। 15 मार्च को आयुक्त, ग्राम्य विकास को और उसके बाद 4 मई को सचिव, ग्राम्य विकास को पत्र लिखा है, उसमें चार्ट लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी का यह उत्तर कि यदि सूचना देंगे तो कार्यवाई करेंगे। मैंने दो माह पूर्व सूचना

दे दी है। तो माननीय मन्त्री जी स्पष्ट उत्तर दें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, विभिन्न विकास खण्डों में जैसे दूरी के विकास खण्ड हैं, यह देखने की बात होती है कि वहां सामान्य रुप से मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है, उसी आधार पर मानक तय किया है। निश्चित रूप से 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का रेशियो है 60 प्रतिशत उनको मजदूरी के रुप में और 40 प्रतिशत समान के रूप में यह भारत सरकार का मानक है और उत्तर प्रदेश में जैसे शहर के नजदीक के ब्लाकों में किया जाता है कि चूंकि शहर में जाकर मजदूरी मिल सकेगी, इसलिए वहां बजट थोड़ा कम एलाट होता है और अन्य जगहों पर यह किया जाता है कि 365 दिनों में 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित करायी जा सके। इस आधार किया जाता है। अगर इसका उल्लंघन कहीं पर हुआ है तो मैं सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करने का काम करुंगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं, आपने अपना बज़ट जब प्रस्तुत किया था और उसमें कहा था कि प्रदेश में जो विधायकों को इस सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास के कार्यों में जो भागीदारी थी वह सुनिश्चित की जायेगी। क्या मान्यवर, जो आपने बात कही थी, उस सिलसिले में आपने बैठक करके कोई शासनादेश जारी किया है यदि जारी किया है तो उसकी जानकारी दे दें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, वैसे यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी दिनांक 26 मार्च, 2000 का वह आदेश मैं आपके समक्ष पढ़ देता हूं। जिसमें स्पष्ट है कि आयुक्त ग्राम्य विकास के पत्र-आर-244/4 जो दिनांक 1.9.99 से प्रभावी है, उपलब्ध कराया गया है, हिन्दी अनुवाद 7.2.2000 द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्तर-1/7 में यह कहा गया है कि सांसदों को उनकी सहमति के आधार पर ही कार्य जिला स्तर पर किया जाए।

मान्यवर, इसमें आगे कहा गया है कि जिला पंचायत में माननीय सांसदों के साथ माननीय विधायकगण भी सदस्य हैं इसलिये जिला पंचायत की कार्य योजना को अन्तिम रुप देते समय सांसदों और माननीय विधायकों से भी परामर्श निश्चित रुप से कर लिया जाय। तो मान्यवर, यह आदेश दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के लिये कुछ मानक निर्धारित किये हैं जिनमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि जिस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता वहां 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध हो और दूसरे जो बिलों पावरटी लाइन हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिये रोजगार सुनिश्चित किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में प्रत्येक विकास खण्ड में सुनिश्चित रोजगार योजना के इस मानक का उल्लंघन हो रहा है तो क्या किसी एक विकास खण्ड की इस संबंध में जांच करवाकर कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा अगर वहां से कोई बात आयेगी तो जांच करा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला पंचायत में माननीय सांसदों और विधायकगण के परामर्श से प्रस्ताव बनाये जायेंगे। मान्यवर, क्षेत्र पंचायत जिसके विधायकगण मेम्बर होते हैं उसमें भी माननीय विधायकगण के परामर्श से प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे या नहीं?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

क्षेत्र पंचायत से पूरी योजना जिले को जाती है और वहां पर फाइनल की जाती है। मान्यवर, अगर उसमें माननीय विधायक जायेंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, जैसा आप निर्देश देंगे मुझे करने में आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें निर्देश देने की बात नहीं है, आपकी नीति की बात है।

डा0 ज्ञानवती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में, विकास में संतुलन नहीं रखा गया है। अनेक बार मैं विकास अधिकारी से मिली हूं और हमारे क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है। स्व-रोजगार योजना के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र की बिलकुल उपेक्षा की गयी है, तो क्या मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में दोबारा विचार करेंगे जिससे व्रहां का क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सके या वैसे ही रखा जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, सरकार क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिये प्रतिबद्ध है और पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन बनाया जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं जो सुनिश्चित रोजगार योजना है उसका 30 प्रतिशत धन जिला पंचायत को और 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत को जाता है। जिस तरह से जिला पंचायत के विधायकगण सदस्य होते हैं उसी प्रकार से क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य होते हैं। तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायत में भी माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण का प्रस्ताव प्राप्त करके विकास के प्रस्ताव रखे जायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे अनुपूरक प्रश्न बनता है, उन्होंने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय सन्तुलन बनाये रखना निश्चित रुप से सरकार का दृष्टिकोण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, कि माननीय डंग साहब का प्रश्न क्षेत्रीय सन्तुलन की बुनियाद पर था। भारत सरकार की गाइड लाइन्स हैं उनको आधार बनाया गया उससे यह लक्षित होता है कि कहीं न कहीं इंगित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय सन्तुलन का पैमाना क्या निर्धारित किया गया है? क्षेत्रीय सन्तुलन के लिए इन्डीकेटर क्या हैं?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले भी धन गया है। जो क्षेत्रीय सन्तुलन की बात है वास्तव में बी0पी0एल0 के आधार पर उस क्षेत्रीय सन्तुलन को बनाने का प्रयत्न किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना में 60 प्रतिशत पैसा मजदूरी के रुप में और 40 प्रतिशत पैसा सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

श्री मुन्ना चौहान-

क्षेत्रीय सन्तुलन के लिए इन्डीकेटर क्या हैं? आप यह स्पष्ट कर दें कि क्षेत्रीय सन्तुलन की कौन सी आधारभूत बातें है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, डाक्टर डंग जी ने जो सवाल किया है, जो विकास का कार्य करेंगे सुनिश्चित रोजगार योजना का मतलब मजदूरी पर है, इस योजना में कितने अधिक से अधिक मजदूरों को मानव दिवस के रूप में मजदूरी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि किस आधार पर आप यह तय करते हैं कि अमुक क्षेत्र सन्तुलित या असन्तुलित है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जब पूरे प्रदेश के विकास खण्डों में समान रुप से धन जा रही है तो असन्तुलन की स्थिति कहीं नहीं हो रही है। भारत सरकार के द्वारा जो नार्म्स तय किये गये हैं उसके अनुसार 70 प्रतिशत पैसा क्षेत्र पंचायतों और 30 प्रतिशत जिला पंचायतों को जा रहा है। अब कहीं यह नहीं है तो उसे सन्तुलित बनाया जाता है। वह हम बना रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए नियम 49 है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो इसकी जगह यह कह दें कि हमें स्वीकार है आश्वासन साफ-साफ दें।

श्री अध्यक्ष-

शब्दों का चयन तो मंत्री जी की इच्छा पर है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में दो बातें कहीं हैं रोजगार देने की बात और 7:40 अनुपात की बात और कहा कि सभी विकास खण्डों की यह स्थिति है। मेरे पास पत्र मार्च का है जिसमें मेरे जनपद के विकास खण्डों में व्यय की स्थिति दर्शाई गई है। सीटी विकास खण्ड में 24.32 लाख रुपये व्यय हुए। मझवा विकास खण्ड में 3.80 लाख, छानवे विकास खण्ड में 58.84 लाख रुपये, मड़िहान विकास खण्ड में 37.17 लाख रुपये, पहाड़ी विकास खण्ड में 31.81 लाख रुपये, हलिया विकास खण्ड में 46.92 लाख रुपये, लालगंज विकास खण्ड में 40.95 लाख रुपये, नरायनपुर विकास खण्ड में 9.69 लाख रुपये, सीखड़ में 7.07 लाख रुपये, राजगढ विकास खण्ड में 69.72 लाख रुपये मंत्री जी संतुलन की बात करते हैं। इसी प्रकार जन प्रतिनिधिवार विवरण भी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निल राम चन्द्र मौर्य के क्षेत्र में 4.83 लाख रुपये, भाई लाल कोल के निर्वाचन क्षेत्र में 97.7 लाख रुपये, श्री लोक पति त्रिपाठी जी के क्षेत्र में 22.63 लाख रुपये, ओम प्रकाश सिंह के क्षेत्र में 2.43 लाख रुपये। यह क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह पत्र मंत्री जी के पास पड़ा हुआ है, क्या मिर्जापुर में जानबूझकर क्षेत्रीय असंतुलन किया गया है एवं तमाम विकास खण्ड के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है क्या इसकी जांच कराकर मंत्री जी दंडित करने का काम करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसको दंडित करने का काम करेंगे?

प्रदेश में कृषि विकास निधि की स्थापना

**2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में कृषि को बढ़ावा दिये जाने हेतु कोई कृषि विकास निधि की स्थापना की है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

जी हां।

कृषि विकास निधि के अन्तर्गत दो वर्षों में कुल रु0 60.00 करोड़ धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें आधी अर्थात् रु0 30.00 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार और शेष आधी रु0 30.00 करोड़ की धनराशि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा दो वर्षों में उपलब्ध कराया जाना है।

चालू वितीय वर्ष 2000-2001 में राज्य सरकार के अंश के रुप में रु0 15.00 करोड़ धनराशि की व्यवस्था कराने हेतु बजट में प्रस्ताव किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य-

अध्यक्ष महोदय, कृषि के वैश्वीकरण का यह समय है। आप भिज्ञ है कि आबादी 1.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। हमारी खाद्यान्न कृषि उपजें हैं वह उस हिसाब से घट रही है। उसका कारण यह भी है कि रासायनिक उर्वरकों का जो असंतुलित प्रयोग किया गया है उससे उर्वरा शक्ति घट रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनसंख्या की जो विकास दर है उस हिसाब से कृषि उपज बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैंने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास निधि की स्थापना की गई है, उसके अनुरुप कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम औतार शाक्य-

क्या आपने जो कृषि विकास निधि की स्थापना की है उसमें क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शामिल किया है कि जनसंख्या के वृद्धि के अनुपात में आप कृषि की उपजों को बढ़ायेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जनसंख्या वृद्धि का अनुपात क्या है और खाद्यान्न वृद्धि का अनुपात माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि कृषि विकास निधि की स्थापना कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गयी है। प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है और इसके लिए प्राविधान 15 करोड़ रुप्रये का किया गया है। मान्यवर, कल बजट पास हो गया है। कृषि विकास निधि में 15 करोड़ रुपया राज्य सरकार का अंश है और 15 करोड़ रुपया कृषि मण्डी का है इस प्रकार दो वर्षों में 60 करोड़ रुपये निधि में आना है जिससे कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कार्य योजना बना रहे हैं।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी ने 60 करोड़ रुपये से कृषि विकास निधि की स्थापना किया है जो अच्छी योजना है। मैं जानना चाहता हूं इस निधि से कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे और उनकी क्या कार्य योजना है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, कृषि विकास निधि की स्थापना ब्राड बेस्ड निधि बनाकर किया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कार्य योजना है और इस निधि से क्या क्या कार्य कराये जायेंगे तो यह पूरा प्रकरण इस समय विचाराधीन है। विभिन्न श्रोतों से प्रस्ताव मांगे गये हैं. प्रस्ताव आ रहे हैं, नियमावली क्या होगी, कार्य योजना क्या होगी, कैसे कार्यान्वित करेंगे, यह पूरा प्रकरण विचाराधीन है और शीघ्र ही इसमें निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें पहले पैसा आता है और बाद में नियमावली

बनती है। इसलिए कार्य योजना बनायी गयी तो पैसा इसमें आ कर पड़ा होगा। यह सही है कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है और यह आवश्यकता दो क्षेत्रों में है। कृषि उत्पादकता पूंजी के बराबर यदि हम कर ले जायेंगे तो ऋण लेने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होगी और खाद्यान्न बेच कर प्रदेश में पैसा आ सकता है जिससे ऋण नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए उसमें दो चीजों पर विचार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं वे मुख्य बिन्दु क्या है? यदि इसमें कोई बिन्दु निर्धारित नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि इसमें दो चीजें आप करें। एक तो कृषि प्रयोगशालाओं में जो उत्पादकता बढ़ाने के लिये रिसर्च हो रही है उसे किसानों तक पहुंचाया जाय और दूसरी बात जो सिंचन क्षमता की है जिसमें सरकारी क्षेत्रों में हमें सफलता नहीं मिली है तो व्यक्तिगत क्षेत्र में जो सफलता मिली है उसमें हम जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या कोई निधि की स्थापना करके सहायता दी जायेगी।

(इस समय 12 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

कृषि से सम्बन्धित कार्य जैसे डेरी, पशुपालन आदि को किस तरह से बढ़ावा दिया जाय इसका प्रयास कर रहे हैं जिनको बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनके लिए कृषि निधि से व्यवस्था की जायेगी। किसानों को अच्छी उपज मिल सके, उनको उचित मूल्य-उनकी फसल का दिलाया जा सके और जिन कार्यो को बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनको बढ़ावा देने के लिए ही कृषि निधि की स्थापना की गई है।

डा0 अशोक बाजपेई-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो कृषि नीति की बात मंत्री जी कर रहे हैं उसको सदन के समक्ष रखेंगे? ताकि जो माननीय सदस्य कृषि से जुड़े हैं वे अपना सुझाव दे सकें?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, कृषि नीति तो पिछले वर्ष ही इस सदन में प्रस्तुत की गई थी। हां कोई सुझाव यदि और देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कृषि विकास निधि की स्थापना तो कर ली लेकिन कृषि विकास के लिए विपणन की असुविधा है उसको दुरुस्त करने के लिए ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण की व्यवस्था वे करेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

संपर्क मार्गों के लिए हमारे पास कोई नीति का प्राविधान नहीं है।

श्री आलमबदी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कृषि विकास निधि है इसमें हम लोगों की कोई भागीदारी होगी कि नहीं या फिर ये अधिकारी लोग ही अपनी मनमानी करेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मैं प्रश्न समझ नहीं पाया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जो कृषि विकास निधि है उसके कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका होगी या अधिकारीगण की मंशा चलेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आपकी इस निधि में जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

अभी तो मान्यवर सारी प्रक्रिया विचाराधीन है। इसके लिए एक कमेटी गठित की जायेगी। कमेटी के सदस्य कौन होंगे सब पर विचार चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने जन प्रतिनिधियों की भूमिका के विषय में जानना चाहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जिसके लिये बजट प्राविधान नहीं है, उसके लिये यह 15 करोड़ रुपये की निधि बनाई गई है। माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कृषि विभाग में किन-किन योजनाओं पर बजट का प्राविधान नहीं है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि कृषि विभाग में बजट प्राविधानित नहीं है बल्कि यह कहा कि ऐसे कार्य जिनके लिये बजट प्राविधान उपलब्ध नहीं रहेगा चाहे कृषि उत्पादन हो, चाहे पशु पालन हो, चाहे डेरी उद्योग हो और चाहे खाद्य प्रसंस्करण हो, जिनसे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है और कृषि की आमदनी में इजाफा दे सकेंगे, हम ऐसे कार्यों को लेंगे।

श्री रात औतार शाक्य-

मान्यवर, कृषि के वैश्वीकरण की बात की गई है, और पेटेन्ट कानून लागू हो गया है। जो कृषि विकास निधि की स्थापना की गई है, इसका सदुपयोग हो सके, पेटेन्ट कानून के परिप्रेक्ष्य में किस हद तक इस निधि में कार्य योजना बनायी जा सकती है। इस पर हाउस के उठने से पहले मा0 मंत्री जी का एक वक्तव्य आ जाए ताकि मा0 सदस्यों को उसकी जानकारी हो सके। इस बीच में माननीय मंत्री अपने अधिकारियों से भी वार्ता कर लें। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि उसकी रुप रेखा क्या होगी और उसका प्रारूप क्या होगा, बिन्दुवार चीज आ जाए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, पेटेन्ट कानून तो डब्लू0टी0ओ0 के अंतर्गत आता है। कृषि विकास निधि से उसका कोई संबंध नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने लिए विशेष कार्य योजना की जानकारी

*1- श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने हेतु सरकार किसी विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)-

जी हां।

सम्प्रति उ0प्र0 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-11 22 जनपदों में तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-111 38 जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच छात्र नामांकन दर में अभिवृद्धि, छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ देने की दर (ड्राप आउट दर कम करने) अधिग्रहण सम्प्रति को बढ़ाने तथा औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह सदन को विज्ञ है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। अन्य राज्यों में सकल दाखिले का, जो अनुपात है जैसे मिजोरम में 127.17 प्रतिशत, गोवा में 71.28 प्रतिशत तथा बिहार में 28.02 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात क्या है? दूसरा, यू0एन0ओ0 का एक प्रोजेक्ट आया है, जिसमें 85 प्रतिशत यू0एन0ओ0 खर्च करेगा और 15 प्रतिशत प्रदेश सरकार खर्च करेगा। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यू0एन0ओ0 का प्रोजेक्ट है, उसके तहत आपने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

दूसरा सकल दाखिला अनुपात क्या है उत्तर प्रदेश का? यह बता दें।

श्री बालेश्वर त्यागी-

मान्यवर, 91-92 की तुलना में 99-2000 में बच्चों का नामांकन उत्तर प्रदेश में 75.3 प्रतिशत का हो गया है और जो माननीय सदस्य ने पूछा है मेरे संज्ञान में यू0एन0ओ0 के सहयोग से कोई योजना प्रचलित नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

सकल दाखिला अनुपात का उत्तर दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

जो सूचना उपलब्ध है, वही तो बतायेंगे।

श्री श्री राम पाल-

बेसिक शिक्षा परिषद् के जो विद्यालय हैं उस शहरी क्षेत्र, ब्लाक और तहसील क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर जो सुदूर ग्रामीण अंचलों के विद्यालय हैं उनमें छात्र संख्या की अधिकता होने के बावजूद जहां 200-250 बच्चें हैं एक अध्यापक है और जो नगरीय और शहरी क्षेत्र के नजदीक हैं जहां बच्चे 100 हैं वहां 5-5 अध्यापक हैं। क्या माननीय मंत्री जी छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करने में एकरुपता लायेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में शिक्षा सत्र शुरु होने पर तो वहां अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है लेकिन दो महीने बाद वहां से उसे अस्थाई सम्बद्धता के नाम पर हटाकर नगरीय क्षेत्र में शिफ्ट कर देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने इस परम्परा को खत्म करेंगे कि नहीं?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक नियुक्त हो इसमें नियुक्ति के सम्बन्ध में चूंकि बी0टी0सी0 प्रशिक्षित ही लिये जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अब कोई बचा नहीं है इसलिये बी0एड0 के लोगों को विशेष बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण देकर 23 हजार लोगों को प्रदेश भर में नियुक्त किया है। इसका आधार यह रखा गया था कि जहां एकल विद्यालय है वहां ये नियुक्ति हो जाय। जो माननीय सदस्य ने शहरों के आस पास विद्यालय में अधिकतम अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही है उसमें भी प्रयास है कि विद्यालय में बच्चों की संख्या

के अनुसार अध्यापकों के पदों का निर्धारण कर दें उससे अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके नियुक्ति न करांई जा सके और कोई अधिकारी नियुक्ति न कर सके। यह नियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री श्री राम पाल-

मेरा प्रश्न था कि क्या शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही हर विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है लेकिन दो महीने के बाद ही अस्थाई सम्बद्धता या समायोजन के नाम पर उसे शहरों, कुलाबों में कर दिया जाता है और यह विद्यालय फिर साल भर बिना अध्यापक के हो जाते हैं। क्या सरकार इस परम्परा को समाप्त करेगी?

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर आ गया है। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हों तो कहें।

श्री बालेश्वर त्यागी-

वर्तमान में सम्बद्धता की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है। यदि कहीं इस तरह की सम्बद्धता की बात किसी अधिकारी ने की होगी और संज्ञान में आया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसको समाप्त कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, मुझे पुकारा था आपने इसलिये सुन लें। यह जो प्रश्न है यह उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सम्बन्ध में है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं! माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मुख्य-मुख्य कम्युनिटीज को बढ़ावा देने के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालयों के नियम है, दूसरे माध्यमों से जो प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं उसमें एकरुपता लाने के लिए प्रयास किया गया?

श्री अधिष्ठाता-

यह बेसिक शिक्षा परिषद् पर प्रश्न है मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। (प्रश्नकाल समाप्त हुआ।)

तारांकित प्रश्न

जनपद नैनी, फतेहपुर, झांसी जनपदों में यू0पी0एम0आई0डी0सी0 के औद्योगिक आस्थानों के भूखण्डों तथा मेरठ के भूखण्डों की दर में विषमता को रोकने की मांग

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यू0पी0एम0आई0डी0सी0 द्वारा नैनी, फतेहपुर, झांसी आदि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटन 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किये जा रहे हैं जबकि मेरठ में 405 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार तत्काल इसको रोकने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)-

जी नहीं।

केवल फतेहपुर में 60 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दरें है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी ख ता0प्र0सं0-1 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमि की दरें सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विकसित भूमि की दर में भूमि अधिग्रहण मूल्य तथा आवश्यक अवस्थापनाओं आदि का मूल्य सम्मिलित किया जाता है, जो अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न आतीं है।

जनपद सन्त रविदास नगर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है के जनपद संत रविदास नगर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 350 या 400 पर मात्र दो अध्यापक नियुक्त किये गये हैं जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है? क्या सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

प्रत्येक विद्यालय में दो या दो से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं तथा पढ़ाई बाधित नहीं है।

रिक्तियों की पूर्ति के लिए बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू है तथा छात्र:अध्यापक मानक को बनाये रखने के लिए शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही गतिमान है।

स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40:1 मानक के अनुसार रिक्त पदों पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के प्राविधान हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र योजना के अन्तर्गत ही मानक को सुनिश्चित करने पर विचार हो रहा है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-डा0 सरजीत सिंह डंग-

{ गोपनीयता के आधार पर निरस्त }

प्रदेश में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची हेतु लम्बित मामले व वित्तीय वर्ष 1999-2000 की अनुदान सूची में विद्यालयों की संख्या की जानकारी

*4-कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु अब तक कितने मामले लम्बित हैं? सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में कितने विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

(क) वर्ष 98-99 में अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 250 विद्यालयों के प्रति 30 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना विचाराधीन है।

(ख) वर्ष 99-2000 में किसी विद्यालय को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है।

(ग) सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण सम्भव नहीं हो सका।

*5-श्री राम औतार शाक्य-

(7-वें शुक्रवार में ता0प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ स्थित विधायक निवास-6 के मुख्य गेट से सी0 एवं ए0 ब्लाक तक दानों ओर के अवैध निर्माण को हटवाने की मांग

*6-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित विधायक निवास-6 के मुख्य गेट से सी0 एवं ए0 ब्लाक तक दोनों ओर सड़क के किनारे दुकानों का निर्माण हो गया है? क्या इसके फलस्वरुप विधायक निवासों के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं पैदल चलने में काफी कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण हटाकर सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

सड़क के किनारे बनी चाय एवं पान की गुमटी विभाग द्वारा आवंटित है तथा ए0 एवं सी0 ब्लाक तक सड़क के किनारे पांच दुकाने अवैध रुप से चलाई जा रही है।

उक्त दुकानों के सड़क से लगभग चार फीट दूर होने के कारण आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

तथापि अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सड़क पर्याप्त चौड़ी होने के कारण उसके चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*7-श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

[दिनांक 8.5.2000 को ता0प्र0सं0-4 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रमों को रुचीपूर्ण बनाने की सरकारी योजना/प्रकाशन की मांग

*8-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रमों को रुचिपूर्ण बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

पाठ्यक्रम प्रारूप अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

*9-श्री नरेन्द्र सिंह-

[दिनांक 2.5.2000 को ता0प्र0सं0-17 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू किये जाने की मांग

*10-श्री हरवंश कपूर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में क्या प्राथमिक स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम लागू है? यदि नहीं, तो क्या सरकार एक समान पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

(क) जी हां। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तथा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू है?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में तदर्थ नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को सेवा से वंचित न करने तथा उन्हें विनियमेत करने की मांग

*11-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग में कतिपय सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की तदर्थ नियुक्तियां फरवरी, 1995 में की गयी थी? क्या यह सही है कि उन सहायक अभियन्ताओं को 4 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त विनियमित न करके उन्हें सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उनका विनियमितीकरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

जी हां।

तदर्थ आधार पर नियुक्त सहायक अभियंताओं में से 70 तदर्थ सहायक अभियन्ताओ की सेवायें लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 70 अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर लोक निर्माण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा लास्ट कम फर्स्ट गो के सिद्धांत के आधार पर समाप्त की गयी है।

उक्त तदर्थ सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हाने तक की अवधि के लिए की गयी थी। लोक सेवा आयोग से 70 अभ्यर्थीगण की संस्तुति उपलब्ध होने पर 70 तदर्थ सहायक अभियन्ताओं की सेवायें समाप्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि 70 तदर्थ सहायक अभियन्ताओं की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनके विनियमितिकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

*12-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

(6वें गुरुवार में ता0प्र0सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

*13-श्री बी0आर0 वर्मा-

(5वें गुरुवार मे ता0प्र0सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों से शिक्षा शुल्क लिये जाने विषयक निर्णय को सरकार द्वारा वापस लिये जाने की मांग

*14-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 मार्च, 2000 से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से शिक्षा शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय को वापस लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*15-श्री अजय भट्ट-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डे काटजू द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को एक वाद में इस आशय की संस्तुति प्रेषित की गयी है कि सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर विचार किया जाय? यदि हां, तो

क्या उक्त संस्तुति पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

मा0 न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2000 में इस बात का उल्लेख किया है कि यह न्यायालय, राज्य सरकार व उच्च न्यायालय को कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपट्रान चलाने हेतु सरकारी कदम की जानकारी

*16-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या इलेक्ट्रानिक्स मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8.12.99 को सरकार द्वारा अपट्रान चलाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो अपट्रान चलाने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पुनर्वासन योजना में कम्पनी के दायित्वों, कार्यशील पूंजी एवं कर्मचारियों के देयों आदि का वित्तीय आंकलन किया गया है, जिसपर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अपट्रान कर्मियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने के निमित्त कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की प्रक्रिया तथा पुरस्कृत अध्यापकों को देय लाभ की जानकारी

*17-श्री मो0 मुकीम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत अध्यापकों को महामहिम राज्यपाल/महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत किये जाने पर उनका सेवा काल दो वर्ष बढ़ा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापकों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के मई माह में की जायेगी जिससे माह जून में सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर किये जाने की व्यवस्था है। राज्य पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाना सम्भव होता है।

उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ में कार्यरत सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने की मांग

*18-श्री शिव पूजन राम पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ में कार्यरत सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

वाहन भत्ता की अनुमन्यता के लिए जो कार्य की प्रकृति वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित है, वह प्रकृति सचिवालय के कार्य की नहीं है। अत: वाहन भत्ता देने का प्रश्न नहीं है।

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां से मोहन लाल गंज तक के मार्ग को चौड़ा किये जाने की मांग

*19-श्री उदय राज यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां से मोहन लाल गंज, जनपद लखनऊ मार्ग पर यातायात के बढ़ते हुए दबाव के निराकरण हेतु क्या उक्त मार्ग को चौड़ा किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रश्नगत मार्ग को चौड़ा किया जाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में युवा लोकदल अध्यक्ष उ0प्र0 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के जनपद फैजाबाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1999 को आगमन पर सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्य के संबंध में युवा लोकदल अध्यक्ष उ0प्र0 द्वारा उन्हें पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

निगमों के निर्माण कार्य असरकारी संगठनों को हस्तान्तरित किये जाने तथा सरकार द्वारा स्वीकृत धन/अनुदान के लागत व लाभ की समीक्षा की जानकारी

2-श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री संजय गर्ग-

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में किन-किन निगमों के निर्माण कार्य असरकारी संगठनों को हस्तान्तरित किये गये हैं? क्या सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को जिन्हें सरकारी धन/अनुदान आदि के रुप में दिया जा रहा है, की अनुमानित लागत एवं लाभ की समीक्षा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)-

प्राप्त सूचना के अनुसार विगत दो वर्षों में निगमों के निर्माण कार्य असरकारी संगठनों को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री बाबूलाल कुरील-

[दिनांक 11.4.2000 को ता0प्र0सं0-19 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा की बभनान बाजार से खोड़ारे की सड़क पर अनाधिकृत निर्माण से जल निकासी की समस्या तथा अवैध निर्माण को हटाने की मांग

4-डा0 मुस्लिम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बभनान बाजार से खोड़ारे जनपद गोण्डा को जाने वाली सड़क के पार्श्व भाग पर अनाधिकृत निर्माण के कारण जल निकासी बन्द हो गयी है तथा सड़क के कटने का भय उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माणों को हटायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण बरसात में मार्ग हर वर्ष क्षतिग्रस्त हो जाता है।

नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित किये जाने हेतु विशेष कार्य योजना की जानकारी

5-श्री रात औतार शाक्य-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटक स्थलों को विशेष कर बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित करने की कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)-

जी हां।

बौद्ध परिपथ में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रु0 77.48 करोड़ की बौद्ध परिपथ प्रथम चरण की योजना पूर्ण की जा चुकी है। अब "बौद्ध परिपथ परियोजना- द्वितीय चरण" भारत सरकार में बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। उक्त योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्मारकों का संरक्षण, लैण्ड स्केपिंग, विजिटर रिसेप्शन सेन्टर, संग्रहालय एवं स्तूप का निर्माण, मार्गीय सुविधा, मेडीटेशन सेन्टर की स्थापना, जल वितरण, विद्युत व्यवस्था एवं नेविगेशन व्यवस्था का उच्चीकरण तथा पर्यटक ग्राम का विकास सम्मिलित है। योजना का वर्तमान अनुमानित लागत रु0 1020.50 करोड़ है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच एवं दोष मुक्त किये गये अभियन्ताओं की जानकारी

6-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर 1999 तक कितने सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भ्रष्टाचार के संबंध में चल रही थी? जांचोपरान्त कितने अभियंता (सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता) दोषमुक्त किये गये तथा कितने दण्डित किये गये?

श्री कलराज मिश्र-

1 जनवरी, 1998 से 31 दिसम्बर, 1999 तक 269 सहायक अभियंताओं एवं 210 अधिशासी अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनिक जांच चल रही थी।

जांचोपरान्त 24 सहायक अभियन्ताओं तथा 16 अधिशासी अभियंताओं को दोषमुक्त किया गया। 30 सहायक अभियन्ता तथा 26 अधिशासी अभियन्ता दण्डित किये गये।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर, तरछापार से बहोरवा तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराने की मांग

7-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम सभा तरछापार होते हुए बहोरवा तक जाती है, को कुछ दिन पहले पिच कराया गया था? क्या यह सही है कि उक्त सड़क जगह-जगह टूट कर उसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 1 व 2 का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व कि0मी0 3 व 4 का निर्माण वित्तीय वर्ष 1998-99 में तथा कि0मी0 5 का निर्माण लेपन स्तर तक वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कराया गया था।

मार्ग के कि0मी0 1 से 4 में दाग है।

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सड़क की मरम्मत करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच क्षेत्र कैसरगंज में वर्ष 1998-2000 तक टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने के विवरण की जानकारी

8-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच को वर्ष 1998-99, 1999-2000 में कितना-कितना धन किन-किन सड़कों की मरम्मत कराने एवं बनवाने हेतु दिया गया है? क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कें टूटी पड़ी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार टूटी सड़कों की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच को वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में सड़कों की मरम्मत करवाने एवं बनवाने हेतु दिये गये धन की सड़कवार सूची संलग्न है।

कतिपय ग्रामीण मार्गों की दशा संतोषनक नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ --- पर)

जनपद फैजाबाद विकास खण्ड सोहावल और विकास खण्ड मसौधा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने एवं शिक्षा सत्र आरम्भ किये जाने की मांग

9-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल और विकास खण्ड मसोधन में वर्ष 1994-95 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज सलोनिया (सोहावल ब्लाक) तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज गहोनियां (मसोधा ब्लाक) को स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आगामी सत्र से कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

कक्षा 6 से 12 तक के इण्टर कालेज स्थापित करने की शासन की कोई योजना नहीं हैं। जनपद फैजाबाद-के सोहावल ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल सलोनिया तथा मसौधा ब्लाक में राजकीय कन्या हाई स्कूल गहोनिया खोलने की स्वीकृति दिनांक 02 फरवरी, 1998 को दी गई है।

जी नहीं। कक्षा 9 एवं 10 की कक्षाएं संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग लखनऊ को मोतीझील विद्युत कालोनी ऐशबाग लखनऊ की भांति सुसज्जित करने के सम्बंध में दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

10-श्री विश्वनाथ तथा श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ को मोतीझील विद्युत कालोनी ऐशबाग, लखनऊ की भांति सुसज्जित करने के संबंध में उक्त सचिवालय कालोनी के अध्यासियों का मांग-पत्र, विधान सभा सदस्य श्री ओमप्रकाश, श्री अजय कुमार पोइया, श्री हरी शंकर माहौर, श्री तेजभान सिंह तथा श्री नेतराम सिंह आदि के उपरिपत्र के साथ दि0 19.11.98 को विशेष सचिव एवं राज्य सम्पति अधिकारी के कैम्प कार्यालय को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

मोतीझील सचिवालय कालोनी को मोतीझील विद्युत कालोनी की भांति सुसज्जित करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

उ0प्र0 के जामिया उर्दू अलीगढ़ का मो-अल्लिम-ए-उर्दू सर्टिफिकेट धारक शिक्षकों की शिक्षक के पदों पर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु अर्हता की जानकारी

11-श्री राम अचल राजभर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जामिया उर्दू अलीगढ़ का कोआल्लिम-ए-उर्दू सर्टिफिकेट धारक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों में उक्त योग्यता अध्यापकों की अर्हता हेतु उल्लिखित नहीं है।

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम दुर्गन से ग्राम घोड़ावल तक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव तथा निर्माण कार्य पूरा पूर्ण करने की मांग

12-श्री गोपाल कृष्ण-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजीव कुमार सिंह, विधायक के पत्र पर जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम दुर्गन से ग्राम घोड़ावल (वाया कंधारापुर) जाने वाली सड़क के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु माह दिसम्बर, 1999 में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को आदेशित किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली-कानपुर रोड पर स्थित ग्राम इन्देमउ के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण मानक के अनुसार न होने के कारण जांच करवाने की मांग

13-श्री ज़गन प्रसाद गर्ग-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली-कानपुर रोड पर स्थित ग्राम इन्देमउ के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण में उच्च श्रेणी के डामर का प्रयोग नहीं किया गया है जिस कारण पूरी सड़क पर बिछी हुई गिट्टी उखड़ रही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सड़क निर्माण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र

जी नहीं।

इसकी जांच कराई जायेगी।

उपरोक्तानुसार

14-श्री उबैदुर्रहमान-

[5 वें बुधवार में अंता0प्र0स0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग द्वारा अनुबंधित ट्रेवेल एजेन्टों से लीव ट्रेवेल कन्सेशन में कमीशन प्राप्त धन की जानकारी

15-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने लीव ट्रेवेल कन्सेशन का संचालन करने के लिये प्रदेश की सात ट्रेवेल एजेन्सियों को अनुबंधित किया था? यदि हां, तो क्या 2 जून, 1994 से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग ने अनुबंधित ट्रेवेल एजेन्टों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 1994-95 में जो ट्रेवेल एजेन्ट 3 करोड़ से अधिक का व्यवसाय देंगे उन्हें मिलने वाले 3 प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त 2 प्रतिशत कमीशन भी दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या 1994-95 के व्यवसाय के आधार पर 3 करोड़ से अधिक व्यवसाय देने वाले एजेन्टों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक यादव-

जी हां।

जी नहीं।

ट्रेवेल एजेन्ट्स के साथ प्रबंध निदेशक की बैठक दिनांक 2 जून, 1994 में इस बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ था, परन्तु तदन्तर इस सम्बंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत बिन्दु के विषय में कोई औपचारिक आदेश कभी भी जारी नहीं हुआ था। बाद में इस सुझाव को कार्यान्वयन योग्य न पाये जाने के कारण प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 1995 को प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में एक वाद भी एक ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दायर किया गया है, जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

कारगिल युद्ध के शहीदों के नाम से मार्ग का नामकरण करने व रोड पक्की बनाने की सरकारी योजना की जानकारी

16-श्री हरवंश कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारगिल युद्ध में शहीदों के नाम से उनके गांव को जाने वाले मार्ग का नामकरण शहीद के नाम से करने तथा उस मार्ग को पक्का करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या ऐसे मार्गों का चयन कर उसे डामरीकृत करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? ऐसे मार्गों को कब तक डामरीकृत कर दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

कारगिल लड़ाई में शहीद के मूल निवास स्थान के एक ग्रामीण मार्ग, जो लोक निर्माण विभाग का हो, का नामकरण शहीद सैनिक के नाम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त सभी मार्गों को पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के ऐसे चयनित मार्गों का लेपन स्तर तक निर्माण कराने हेतु संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

गोरखपुर राजकीय महिला पालीटेक्निक में कनिष्ठ अध्यापक को प्रधानाचार्य नियुक्त करने तथा लाखों रुपये की राजकीय सामग्री को बेचकर क्षति पहुंचाने सम्बन्धी जांच की मांग

17-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर में वरिष्ठ अध्यापकों के होने के बावजूद कनिष्ठ अध्यापक श्री एस0एन0 सिंह को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त प्रधानाचार्य को प्रभारी बनाये जाने के बाद उनके द्वारा संस्थान की निष्प्रयोज्य सामग्री को बेचकर लाखों रुपये की राजकीय धनराशि का नुकसान किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रधानाचार्य को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

(क) राजकीय महिला पालीटेक्निक गोरखपुर में श्री एस0एन0 सिंह से वरिष्ठ कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है।

(ख) जी नहीं, संस्था में पुराने भवनों से निकले ईंटों के टुकड़े, जंग लगी सरिया, टूटे एवं घुने पुराने दरवाजे तथा टूटे हुए फर्नीचर को नियमानुसार समिति द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित करने की प्रक्रिया अपनाते हुए रु0- 15,360/- में नीलाम किया गया। अत: राजकीय धनराशि का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर राजकीय महिला पालीटेक्निक के इलेक्ट्रानिक्स विभाग के श्री राकेश वर्मा द्वारा मकान किराया भत्ता लेने सम्बन्धी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, श्री राकेश वर्मा तैनाती वर्ष 1998 से संस्था के गेस्ट रुम में रह रहे है? यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक को मकान किराया भत्ता भी भुगतान किया जा रहा है। यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

(क) जी नहीं, श्री राकेश वर्मा संस्था के गेस्ट रुम में कभी नहीं रहे।

(ख) श्री राकेश वर्मा को आवास किराया भत्ता का भुगतान किया गया, क्योंकि संस्था में कोई आवास रिक्त न होने तथा कोई गेस्ट हाउस आवंटित न होने के कारण नियमानुसार आवास भत्ता देय था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मझवारा कस्बे से लेकर बलिया जिले के नगरा कस्बे तक सड़क की मरम्मत करवाने की मांग

19-श्री चेतराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद के मझवारा कस्बे से लेकर बलिया जिले के नगरा कस्बे तक सड़क काफी खराब हो गयी है? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरुप प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम इकाई-19 के श्री खन्ना राम, डीजल इंजन आपरेटर की सेवाकाल में मृत्यु तथा मृतक आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

20-श्री अब्दुल मन्नान तथा श्रीमती माया प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि खन्ना राम डीजल इंजन आपरेटर, उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम इकाई-19 का दिनांक 9.4.98 को सेवाकाल में स्वर्गवास हो गया था? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित पत्नी श्रीमती पदमावती लोधी को सेवा में समायोजित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो उनको सेवा में कब तक समायोजित कर लिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

श्री खन्ना राम, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में डीजल इंजन आपरेटर के पद पर कार्यरत थे। निगम में उनकी सेवा नियमित नहीं थी। उ0प्र0 मृतक आश्रित सेवा नियामवली कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

अतएंव नियमानुसार उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रुप में समायोजित नहीं किया जा सकता।

पूर्णागिरी मेला क्षेत्र को पर्यटन ग्रिड में लाये जाने का शासन में विचाराधीन प्रस्ताव पर कार्य करवाने की मांग

21-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला क्षेत्र को पर्यटन ग्रिड में लाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये सर्वेक्षण कार्य शुरु करायेगी?

श्री अशोक यादव-

जी नहीं।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में नहीं है।

जनपद जौनपुर क्षेत्र बयालसी में निर्माणाधीन मार्ग वीरमपुर विजईपुर प्रधानपुर, कुसिया सरैला, पेसारा सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराये जाने की मांग

22-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बयालसी, जनपद जौनपुर स्थित वर्षों पूर्व निर्मित मार्ग वीरमपुर, विजईपुर, प्रधानपुर, कुसिया सरैला, पेसारा सम्पर्क मार्ग क्या क्षतिग्रस्त एवं अपूर्ण है? यदि हां, तो क्या उसे पूर्ण कराने एवं सुदृढ़ीकरण कराने हेतु धन का आवंटन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्गों में से प्रधानपुर कुसिया मार्ग लोक निर्माण विभाग का लेपित मार्ग है जो यातायात के लिए उपलब्ध है। सुरैला पैसारा मार्ग कच्चा है तथा वीरमपुर एवं विजईपुर मार्ग जिला पंचायत के मार्ग हैं।

प्रधानपुर कुसिया मार्ग की मरम्मत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करायी जायेगी। सुरैला पैसारा मार्ग को लेपित स्तर तक निर्मित करने का कार्य प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

23-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-,

{ 5 वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। }

24-श्री उबैदुर्रहमान-

{ 4 थे शुक्रवार में अता0प्र0सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। }

25-श्री उबैदुर्रहमान-

{ 6 ठे बुधवार में अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। }

जनपद मैनपुरी पो0 आलीपुर खेड़ा, मानिकपुर में श्रीमती सुनीता कुमारी की मृतक आश्रित के रुप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां लम्बित प्रकरण तथा उस पर कार्यवाही की मांग

26-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष मृतक आश्रित के रुप में नौकरी प्राप्त करने का प्रकरण श्रीमती सुनीता कुमारी निवासिनी मान्रिकपुर, डा0 आलीपुर खेड़ा, जनपद मैनपुरी का लम्बित है? यदि हां, तो कब से और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी स्व0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी आलीपुर खेड़ा जनपद मैनपुरी की नियुक्ति आदेश दिनांक 3.2.2000 द्वारा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कालेज मैनपुरी में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

27-श्री राम औतार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-2/29273/मैनपुरी/दिनांक 23.12.99 बाबत राजकीय इण्टर कालेज, मैनपुरी में कई प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

प्रवक्ता के रिक्त पांच पदों के सापेक्ष चार पद भर दिये गये हैं। शेष रिक्त एक पद को भरने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट राजकीय डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की शिक्षा शुरु करने तथा सम्बद्धता प्रदान की मांग

28-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट राजकीय डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरु हो गयी है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा उक्त कक्षाओं की सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है? यदि हां, तो सम्बद्धता का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

1.7.95 से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई थी जिसको 30 जून, 2000 तक विस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना का उद्देश्य व्यय धनराशि व निगमों को बन्द करने का कारण

29-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1972 में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय विकास निगम की स्थापना लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में की गयी थी? यदि हां, तो उक्त निगमों में राज्य सरकार की कुल कितनी पूंजी लगायी गयी थी? वर्तमान समय में उसमें से कितने कार्य कर रहे हैं एवं कितने बन्द हो गये हैं?

श्री जय नारायन तिवारी-

प्राप्त सूचनानुसार उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना आर्थिक, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1971 से 1976 के मध्य की गयी थी।

उक्त निगमों में राज्य सरकार द्वारा रुपया 25.55 करोड़ की पूंजी लगायी गयी।

वर्तमान समय में कुमायूं मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम अभी अस्तित्व में है।

शेष मण्डलीय विकास निगम नवम्बर, 1992 में बन्द कर दिये गये हैं।

जिला योजना द्वारा निर्मित मार्गों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री मानक के अनुसार होने की जानकारी

30-श्री राम ललित चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना द्वारा निर्मित मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक तथा खड़न्जे से लेपन स्तर तक के मार्गों की मोटाई वर्ष 1990 में क्या निर्धारित था तथा वर्तमान समय में क्या है? क्या यह सही है कि अब मार्गों की मोटाई में कमी की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1990 में मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक के मार्गों के क्रस्ट की मोटाई कुटाई के बाद 22.5

सेमी0 तथा खड़न्जे से लेपन स्तर तक के मार्गों के क्रस्ट की मोटाई कुटाई के बाद खड़न्जे को शामिल करते हुये 26.5 सेमी0 निर्धारित थी। वर्तमान समय में मिट्टी स्तर से लेपन स्तर के मार्गों के क्रस्ट की मोटाई कुटाई के बाद 16.90 सेमी0 तथा खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक के मार्गों के क्रस्ट की मोटाई कुटाई के बाद खड़न्जे को शामिल करते हुये 23.00 सेमी0 निर्धारित है।

जी हां।

ग्रामीण मार्गों की निर्माण लागत घटाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने वर्ष 1990-91 से हरियाणा राज्य की विशिष्टियों को लागू कर दिया।

जनपद लखनऊ में अपट्रान इण्डिया स्थित शाखा सरोजनी नगर एवं कैपेसिटर्स डिवीजन टिकैत राय तालाब में कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

31-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या इलेक्ट्रानिक्स मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपट्रान इण्डिया की लखनऊ स्थित शाखा सरोजनी नगर एवं कैपेसिटर्स डिवीजन टिकैतराय तालाब, लखनऊ में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब से? सरकार उनके बकाया वेतन भुगतान हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की सरोजनी नगर, लखनऊ स्थित शाखा और टिकैतराय तालाब स्थित कैपेसिट्र्स डिवीजन के कर्मचारियों को जून/जुलाई, 98 से नियमित वेतन भुगतान नहीं हो सका है।

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है। अत: उसके कर्मियों के नियमित वेतन भुगतान का दायित्व कम्पनी का है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विनियोग आयोग के माध्यम से उद्योगों को विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूंजी जुटाने का निर्धारित लक्ष्य

32-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में विनिवेश आयोग के माध्यम से उद्योगों को तेजी से विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कितनी पूंजी जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्री राम प्रकाश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रथम), मेरठ मण्डल तथा अपर शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद की स्वीकृति के बाद कुमारी शाहिस्ता अन्जुम को मृतक आश्रित लाभ न देने का औचित्य

33-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके कार्यालय द्वारा, कुमारी शाहिस्ता अन्जुम को मृतक आश्रित के रुप में नियुक्ति हेतु मृतक आश्रित नियमावली, 1994 के अन्तर्गत शासनादेश सं0-6112/73-क-2/93, दिनांक 10.4.93 के आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मेरठ मण्डल, द्वारा अपर शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद से पत्रांक 2395, दिनांक 26.11.98 द्वारा स्वीकृति मांगी गयी थी? यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

नियमानुकूल न पाये जाने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र पट्टी में बालिका हाई स्कूल स्थापित करने/धन उपलब्ध कराने हेतु पत्र तथा प्राप्त आदेश के अनुसार कार्य कराने की मांग

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत बालिका हाईस्कूल स्थापित करने हेतु धन उपलब्ध कराने विषयक मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-3/13250/प्रतापगढ़/98, दिनांक 11.7.98 का अनुपालन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के प्राइमरी विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात करने की मांग

35-डा0 ज्ञानवती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती का मानक क्या है? क्या जनपद हरदोई के प्राइमरी, विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात हैं? यदि नहीं, तो क्या मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के लिये स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40:1 छात्र/अध्यापक का मानक निर्धारित है।

कतिपय विद्यालयों में कमी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ स्थित राज्य सम्पति विभाग की राजेन्द्र नगर कालोनी के अध्यासियों से प्रतिमाह जलकर व सीवर कर से प्राप्त धनराशि एवं राज्य सम्पति विभाग व जल संस्थान दोनों द्वारा अलग-अलग वसूले गये धन की जानकारी

36-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित राज्य सम्पति विभाग की राजेन्द्र नगर कालोनी के अध्यासियों से प्रतिमाह जलकर एवं सीवर कर के रुप में कितनी धनराशि ली जा रही है? क्या राज्य सम्पति विभाग व जल संस्थान दोनों अलग-अलग कर वसूल कर रहे है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी में अध्यासित आवंटियों से नियमानुसार आवास किराये के साथ जलकर एवं सीवर कर के रुप में रु0-09.35 (रु0 09.50) प्रतिमाह वसूली की जा रही है।

जी नहीं।

उक्त कर केवल राज्य सम्पति विभाग द्वारा वसूला जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

37-श्री अजय कुमार पोइया-

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

शिक्षा विभाग में विजय प्रकाश पाण्डेय, भाषा अध्यापक के फर्जी समायोजन समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री राम औतार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय प्रकाश पाण्डेय, भाषा अध्यापक का फर्जी समायोजन समाप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या मुख्य मंत्री के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-1/28215/मैनपुरी/99, दिनांक 6.12.99 के साथ प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

समायोजन निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

39-श्री राम पाल वर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, मौजा करुआमई नगरिया में प्राथमिक विद्यालय निर्माण कराये जाने विषयक प्रस्ताव तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान मौजा करुआमई नगरिया ब्लाक- बेवर जनपद- मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कराये जाने विषेयक प्रस्ताव जिलाधिकारी मैनपुरी को दिनांक 19.1.2000 को प्राप्त हुआ था जो उनके पत्रांक 1068 के माध्यम से बी0एस0ए0 मैनपुरी को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर करुआमई नगरिया विकास खण्ड बेवर के भवन निर्माण हेतु परगनाधिकारी भोगांव द्वारा करुआमई के गाटा सं0-29210-132 की भूमि आवंटित कर दी है। ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर विद्यालय के भवन निर्माण पर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 45,000/- की चेक ग्राम शिक्षा निधि (ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त खातें) में निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी ब्लाक बेवर ग्राम बागपुर के प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के भुगतान पर प्रधान द्वारा धन के दुरुपयोग करने का मामला/कार्यवाही करने की मांग

41-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बागपुर ब्लाक बेवर जनपद- मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में द्वितीय किश्त मिलने के बाद वर्तमान प्रधान द्वारा धन का दुरुपयोग करने विषयक उक्त ग्राम के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी मैनपुरी को दिनांक 19.1.2000 को दिया गया प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड, बेवर से जांच करायी गयी से द्वितीय किश्त के रुप में रु0 45000/- की धनराशि ग्राम निधि के खाते में जमा करायी गयी इसके सापेक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्य मानक के अनुरुप न पाये जाने पर तकनीकी जांच कराये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मैनपुरी को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के तदर्थ सहायक अभियन्ताओं की सेवा समाप्ति करने सम्बन्धी विधायक प्रकोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक निर्माण विभग में अनुसूचित जाति/जनजाति के तदर्थ सहायक अभियंताओं की 4 वर्ष 6 माह की नियमित सेवा के उपरान्त सेवा समाप्ति को निरस्त करने एवं पुन: सेवा में लेने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-1/29606/मथुरा/99, दिनांक 29.1.99 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रश्नगत सहायक अभियंताओं को पुन: सेवा में लेने का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और वस्तुस्थिति से लोक निर्माण अनुभाग-3 के पत्रांक एम-21(2)ईबीआर/23-3-11ईबीआर/94, दिनांक 18.04.2000 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया ज़ा चुका है।

मुगलसराय के चन्दौसी में कुचमन से केशवपुर इब्राहिमपुर से माटीगांव तक सड़क निर्माण न कराने का कारण तथा जानकारी

43-श्री छब्बू पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में आवंटन धनराशि के बाद भी मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी के अन्तर्गत कुचमन से केशवपुर होते हुए इब्राहिमपुर से माटीगांव तक सड़क निर्माण न कराये जाने के क्या कारण है? क्या इसकी जांच कराकर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

कुचमन से केशवपुर होते हुये इब्राहिमपुर से मांटी गांव तक कुल लम्बाई 4.6 किमी0 है जिसके प्रथम 800 मीटर को छोड़कर शेष 4 किमी0 लम्बाई लेपन स्तर तक पूर्ण है। प्रारम्भ की 60 मीटर लम्बाई में रेलवे की भूमि पड़ती है तथा इस लम्बाई पर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

44-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[5 वें शुक्रवार में अता0प्र0स0-113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

45-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

[दिनांक 27.4.2000 को अता0प्र0स0-126 के द्वारा उत्तरित]

उ0प्र0 सचिवालय में टेलीफोन आपरेटरों का अवर वर्ग सहायक में संविलीनीकरण सम्बन्धी प्रकरण

46-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री नेतराम सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-135 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष 1988 से पूर्व चक्रिय पद्धति के अनुसार टेलीफोन आपरेटर मात्र 3 से 6 वर्षों के अन्दर अवर वर्ग सहायकों के पद पर पदोन्नति हो जाया करते थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में टंककों के एक मुश्त 427 पदों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीन कर लेने के पश्चात् 15 वर्षों में भी टेलीफोन आपरेटर उक्त पदों पर पदोन्नति नहीं पा सके हैं? यदि हां, तो टंककों के एक मुश्त 427 पदों को अवर वर्ग सहायकों के पदों पर संविलीन करने एवं टेलीफोन संवर्ग को संविलीन न करने का क्या कारण था? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण पर पुनः विचार कर प्रकरण का निस्तारण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं था।

जी नहीं, टंकक संवर्ग के अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलियन था तथा कार्मिक विभाग द्वारा स्थानापन्न व्यवस्था समाप्त करने के कारण अवर वर्ग सहायक पद पर पदोन्नति नहीं हो सकी है। उ0प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अनुसार अवर वर्ग सहायक के पद पर रिक्ति उपलब्ध होने पर टेलीफोन आपरेटरों की अवर वर्ग सहायक पद पर पदोन्नति की जायेगी।

टास्क फोर्स की संस्तुति को स्वीकार कर टंकक संवर्ग को अवर वर्ग सहायक संवर्ग से संविलियन का निर्णय लिया गया था। टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के संविलियन का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

विचारोपरान्त टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलियन का औचित्य नहीं पाया गया गया है। अतः पुनः विचार का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के सत्यिनघाट पर पीपे का पुल बनाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के अन्तर्गत स्थित गोमती नदी के सत्यिनघाट पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य विधान, विधान सभा का, कोई पत्र माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पत्र में प्रस्तावित बाराबंकी से बहराइच मार्ग पर घाघराघाट (जरवल) में पक्के सेतु के निर्माण के बाद वहां के पीपे व अन्य सामग्री सरप्लस नहीं है, बल्कि उनका उपयोग अन्यत्र किया जाता है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हेतु कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

48-डा0 वकार अहमद शाह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के मंगलवार हेतु निर्धारित अता0प्रश्न सं-46 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में क्या निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विलम्ब के क्या कारण है?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।

प्रदेश के राजकीय शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान देने की समयावधि निर्धारण की जानकारी

49-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान देने की समयावधि का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो वह समयावधि क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा।

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों की जिला इकाई के अध्यक्ष एवं मंत्री की जनपद स्तरीय समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की सरकारी नीति

50-डा0 वकार अहमद शाह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0प्रश्न संख्या-86 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों आदि के जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्री को संघ कार्य के निमित्त विशेष अवकाश का प्राविधान न किए जाने की दिशा में ये पदाधिकारीगण जनपद के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अपने संगठन के सदस्यों से सम्पर्क एवं संबंधित अधिकारियों से वार्ता/सम्पर्क किस प्रकार करेंगे? क्या शासन इनके लिए विशेष अवकाश का प्राविधान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों आदि की जिला इकाई के अध्यक्ष एवं मंत्री को जनपद स्तरीय समस्याओं के लिए,अधिकारियों के सुगमता से सुलभ होने तथा सामान्य मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रान्तीय कार्य-कारिणी द्वारा ही किए जाने के कारण जिला इकाई के अध्यक्ष एवं मंत्री को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में अलमापुर सिधौली प्राइमरी पाठशाला की प्रधानाध्यापिका श्रीमती रामरती गुप्ता का स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न किये जाने की शिकायत एवं कार्यवाही की मांग

51-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर के आदेश संख्या-2792-98/99-2000 दिनांक 19 नवम्बर, 1999 द्वारा प्रशासनिक आधार पर प्रधानाध्यापिका श्रीमती रामरती गुप्ता, प्राइमरी पाठशाला अलमापुर (सिधौली) सीतापुर का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया था? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन सम्बंधित कर्मचारी द्वारा किया गया था? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

श्री रामरती, प्रधानाध्यापिका का वेतन रोक दिया गया है तथा उससे स्पष्टीकरण मांगा गया।

स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में आग लगने से बचाने हेतु सरकारी योजना/फायर फाइटिंग हेलीकाप्टर की उपयोगिता की जानकारी

52-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विगत दस वर्षों में ग्रीष्मकाल में प्रतिवर्ष वनों में आग लगने से करोड़ों रुपये की वन सम्पत्ति नष्ट हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार वनों को आग से बचाने हेतु विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दीर्घकालीन योजना बनाने पर विचार कर रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फायर फाइटिंग के नाम से वन विभाग द्वारा खरीदी गयी हेलीकाप्टर की वर्तमान में उपयोगिता क्या है?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष वनों में आग लगने से करोड़ों की हानि होती है वरन् किसी वर्ष विशेष में आग से क्षति आग की तीव्रता एवं विस्तार पर निर्भर करती है। विगत नौ वर्षों में वर्ष 1995 व 1999 को छोड़कर यह क्षति सामान्यतया रुपया 2 लाख से रु0 4 लाख के बीच रही है। वर्ष 1995 व 1999 में जब आग का विस्तार व तीव्रता अधिक थी, यह क्षति क्रमश: रु0-13.93 करोड़ व रु0 1.48 करोड़ हुई है।

वर्ष 1995 में अग्नि की अत्यधिक दुर्घटनायें हुयी थी, तब भारत सरकार द्वारा श्री आर0पी0 खोसला, पूर्व सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी, जिसके अन्य सदस्य श्री एस0 परमास्वरप्पा, पूर्व प्रमुख वन संरक्षक, कर्नाटक थे। इस कमेटी की संस्तुतियों पर आधारित करते हुये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को योजना प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में 8.25 करोड़ रुपये की सहायता भारत सरकार से प्राप्त हुयी थी। इस धनराशि से इन्फ्रास्ट्रयर यथा वाहन, वायरलेस, वांचटावर तथा अग्नि नियंत्रण हेतु इक्विपमेंट क्रय किये गये। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रदेश के लिये आग से वनों की क्षति रोकने के लिये 10 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी, किन्तु धनराशि समय पर न मिलने के कारण व्यय नहीं हो सका। इस धनराशि को वर्ष 2000-2001 में व्यय करने के लिये भारत सरकार द्वारा पुर्नवैध कर दिया गया है।

वर्ष 1984-85 में यू0एन0डी0पी0 के अन्तर्गत आधुनिक अग्निशमन परियोजना उ0प्र0 एवं महाराष्ट्र राज्य हेतु क्रियान्वित की गयी थी, जिसमें एक हवाई जहाज तथा एक हेलीकाप्टर दो प्रदेशों हेतु उपलब्ध कराया गया था। उत्तराखण्ड में 3425 वर्ग कि0मी0 के विशाल वनक्षेत्र को देखते हुये हेलीकाप्टर इसलिये उपयोगी साबित नहीं हुआ क्योंकि इसमें पानी से आग बुझाने की व्यवस्था थी और पर्वतीय क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं होता। वर्तमान में यह हेलीकाप्टर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियंत्रण में है।

मृतक आश्रितों को सेवा में लेने की नीति तथा जानकारियाँ

53-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मृतक सेवा नियमावली, 1973 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना अनिवार्य है? क्या मृतक आश्रित परिवार के किसी सदस्य के पूर्व से ही रोजगार में रहने की दशा में भी एक आश्रित को रोजगार दिया जाना अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के समय इसकी जांच की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं। उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के अधीन अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित को रोजगार दिया जाना अनिवार्य नहीं है बल्कि मृतक आश्रित के कुटुम्ब के एक सदस्य को इस प्रयोजन हेतु आवेदन करने पर ही तथा नियमावली की शर्तें पूरी करने पर ही सेवायोजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं। उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 के अधीन यदि मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से ही सेवानियोजित हो तो उस स्थिति हो तो उस स्थिति में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को रोजगार दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जी हां। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदक की पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता तथा सरकारी सेवा की अन्य अर्हताओं की जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(5 वें शुक्रवार में अता0प्र0स0-114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

55-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

(5 वें बुधवार में अता0प्र0स0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।).

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा खैर की लकड़ी से प्राप्त धन की जानकारी

56-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि वन संपदा में खैर की लकड़ी अत्यधिक कीमती है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कुल कितने घनमीटर खैर की लकड़ी का व्यवसाय किया गया तथा उससे कुल कितना धन प्राप्त हुआ? क्या खैर की लकड़ी के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिए जाने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हां।

वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा 1734 घनमीटर खैर-प्रकोष्ठ की बिक्री रु0 3 करोड़ 32 लाख में की गयी है।

जी नहीं।

दिनांक 11.12.86 के पूर्व उद्योग विभाग कत्था इकाइयों के मध्य उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में उत्पादित खैर-प्रकाष्ठ का आवंटन करने की शासकीय नीति निर्धारित है।

उ0प्र0 सचिवालय में टेलीप्रिंटर एवं टेलेक्स संवर्ग के कर्मचारियों को अवर वर्ग सहायकों के पदों पर संविलीनीकरण तथा वर्ष 1988 के ज्येष्ठता सूची के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारण की मांग

57-श्री राम चन्द्र यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के बिन्दु ग के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में टेलीप्रिंटर एवं टेलेक्स संवर्ग के कर्मचारियों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर कब तक संविलीन कर दिया जायेगा? क्या सरकार इनकी ज्येष्ठता वर्ष 1988 में अवर वर्ग सहायक के पदों पर संविलीन किये गये टंककों की भांति उनकी नियुक्ति तिथि को आधार मानकर निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन), 2000 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 को प्रख्यापित कर टेलीप्रिन्टर आपरेटरों का अवर वर्ग सहायक के संवर्ग में संविलियन किया जा चुका है।

संगत सेवा नियमावली की व्यवस्थानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी अनुसेवकों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार अन्य विभागों में स्थानान्तरण करने की मांग

58-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में कितने ऐसे चतुर्थ श्रेणी अनुसेवक है जो एक ही विभाग/अनुभाग में 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से कार्यरत हैं? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत दूसरे विभागों में उनका स्थानान्तरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

352 चतुर्थ श्रेणी वरिष्ठ अनुसेवक/ अनुसेवक 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से उ0प्र0 सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत हैं।

चतुर्थ श्रेणी अनुसेवकों के लिए कोई स्थानान्तरण नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की भांति एल0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति की गारन्टी दिये जाने की मांग

59-श्री राम ललित चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की तरह क्या एल0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को भी प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की गारन्टी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की भांति एल0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति की गारन्टी देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

दोनों संवर्गों की चयन प्रक्रिया आदि में भिन्नता होने के कारण।

जनपद शाहजहाँपुर, तिलहर में आर0वी0एम0 इण्टर कालेज में प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति की जानकारी

60-श्री शरदवीर सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0वी0एम0 इण्टर कालेज तिलहर, शाहजहाँपुर की संशोधित प्रशासन योजना, मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक तृतीय मण्डल बरेली द्वारा दिनांक 21-11-94 को अनुमोदित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा विद्यालय में प्रबन्ध संचालक नियुक्त किये जाने की संस्तुति वर्ष 1995 में की गई है? यदि हां, तो शासन द्वारा कब तक प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

दिनांक 06-5-2000 को प्रबन्ध संचालक नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर में अम्बेडकर ग्राम योजना तथा दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के विवरण की जानकारी

61-श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर में अम्बेडकर ग्राम योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण लेपन स्तर तक किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर में वर्ष 98-99 एवं वर्ष 99-2000 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग, योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तक निर्मित किये गये सड़कों का विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज में वर्ष 1998 से 2000 में सड़कों के उद्घाटन/ निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

62-श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज में वर्ष 1998-1999 तथा 1999-2000 में कितनी सड़कों का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है? क्या उन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में विकास खण्ड हैदरगढ़, में किसी मार्ग का उद्घाटन नहीं किया गया। वर्ष 1998-99 में विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में एक मार्ग का उद्घाटन किया गया था तथा वर्ष 1999-2000 में इस विकास खण्ड के किसी भी मार्ग का उद्घाटन नहीं किया गया है।

विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में मार्ग का उद्घाटन इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उन्नाव की लखमदे मऊ-इन्देमऊ मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुर्ननिर्माण की मांग

63-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड उन्नाव की लखमदे मऊ-इन्देमऊ मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है और पैदल चलने लायक भी नहीं है? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग की 1.6 कि0मी0 लम्बाई खड़ंजा स्तर तक तथा 6.4 किमी0 लम्बाई मिट्टी स्तर तक निर्मित है। यह मार्ग क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

---

† दीर्घीय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 41 पर।

64-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दिनांक 11.4.2000 को अता0प्र0सं0-38 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा में महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान सोंख को स्थाई मान्यता प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक में दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

65-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान सोंख जनपद मथुरा को स्थाई मान्यता प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/29719/मथुरा/99, दिनांक 1.1.2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 25.4.2000 को अता0प्र0सं0-95 द्वारा उत्तरित]

जनपद महराजगंज के असेवित विकास खण्ड घुंघली में कन्या इण्टर कालेजों की स्वीकृति हेतु आदेशों व निर्देशों के पालन की जानकारी

67-श्री चन्द्रेश पासवान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज के असेवित विकास खण्ड घुघली में कन्या इण्टर कालेजों की स्वीकृति में जिलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा शासन के नियमों एवं निर्देशों का सम्यक पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद रायबरेली, ब्लाक राही में प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा में वर्ष 1994की कक्षा-5 की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल समय से घोषित न करने/अंकतालिका न वितरित करने विषयक जांच तथा उसकी रिपोर्ट की जानकारी

68-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा, ब्लाक-राही जनपद-रायबरेली में वर्ष 1994 की कक्षा-5 की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल समय से घोषित न करने एवं अंकतालिका न वितरित किये जाने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ने वर्ष 1996 में एस0डी0एम0 सदर, रायबरेली ने वर्ष 1994 में जांच की है तथा पत्रांक संख्या-166 द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली ने एस0डी0एम0 की जांच रिपोर्ट शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 को 31.1.95 को भेज दी है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में पुनः सहायक शिक्षा निदेशक (सामान्य शिक्षा) द्वारा अब जनवरी, 2000 से जांच प्रारम्भ किये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के आदेश शिक्षा निदेशक (बेसिक) को देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के उपरान्त जिलाधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 1.1.86 के पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित करने हेतु लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सुल्तानपुर से मांगा गया विवरण

69-श्री राम हर्ष सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद ने दिनांक 23.12.99 को जनपद सुल्तानपुर के दिनांक 1.1.86 के पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षित करने हेतु लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सुल्तानपुर से विवरण मांगा था? यदि हां, तो क्या उक्त विवरण उपलब्ध करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मैदानी क्षेत्र में प्रचलित पेड़ों में से निजी आवश्यकता हेतु बिना परमिट प्राप्त किये काटे जाने वाले पेड़ों की जानकारी

70-श्री अजय कुमार पोइया-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्र में प्रचलित पेड़ों में से निजी आवश्यकता हेतु किन-किन किस्मों के पेड़ों को बिना परमिट कटाया जा सकता है?

श्री राजधारी सिंह-

मैदानी क्षेत्र में निजी आवश्यकता हेतु निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को बिना परमिट प्राप्त किये काटा जा सकता है:-

1-अगस्त, 2-अरु, 3-कैजुरिना, 4-जंगल जलेबी, 5-पोपलर, 6-फराश, 7-बबूल, 8-विलायती बबूल, 9-रोबीनिया, 10-सिरिस, 11-मुबबूल, 12-कठबेर, 13-जामुन, 14-यूकेलिप्टस, 15-ढाक (पलास), 16-पेपर मलबरी, 17-बेर, 18-सैजना, 19-शहतूत।

लखनऊ प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंताओं को नियम विरुद्ध दो से अधिक माप पुस्तिका जारी करने अन्य अभियन्ताओं द्वारा आर0एम0आर0 प्रस्तुत न करने के कारण

71-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में कुछ अवर अभियंताओं को नियमों का उल्लंघन करके दो से अधिक माप पुस्तिकायें जारी की गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि कुछ अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 1997-98 व 1998-99 की आर0एम0आर0 प्रस्तुत नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां। परन्तु इससे वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुरुप जारी की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि समस्त आर0एम0आर0 जमा की जा चुकी है।

जनपद गोण्डा स्थित बभनान बाजार से खोड़ारे सरकारी मार्ग पर अतिक्रमण रोकने तथा सड़क सीमा का पुर्ननिर्धारण की मांग

72-श्री कृपा शंकर सिंह तथा श्री संजय गर्ग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा स्थित बभनान बाजार से खोड़ारे जाने वाले सरकारी मार्ग (सड़क) पर निरन्तर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुये ग्राम जमुनहा से खोड़ारे तक सड़क सीमा का पुर्ननिर्धारण शीघ्र कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी भूमि होने के कारण पहले से ही सीमा निर्धारित है।

जनपद गोण्डा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं से शिक्षा शुल्क पूरे वर्ष का एक मुश्त जमा कराने के बाद प्रवेश देने की व्यवस्था को रोकने की मांग

73-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद गोण्डा में स्नातक तथा इससे ऊपर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं से पूरे वर्ष की एक मुश्त शिक्षा शुल्क लेने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस अनियमित कार्य को उक्त विद्यालय के प्रशासन को रोकने का निर्देश जारी करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

(क) जी हां।

(ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा कुलपति की प्रत्याशा में शुल्काय की हानि न होने के उद्देश्य से ऐसा किया है।

(ग) जी हां। शासनादेश शुल्क जमा कराने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 13.4.2000 को निर्देश दे दिये गये हैं।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सी0डी0 राय के विरुद्ध शिकायतों की जांच की मांग तथा आख्या की जानकारी

74-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंजीनियर आर0बी0 सिंह अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) फैजाबाद के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-58 कैम्प/एस0टी0सा0शि0, दिनांक 17.2.99 द्वारा श्री लक्ष्मी चन्द्र प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन (लखनऊ) को दिनांक 31.3.99 की जांच आख्या प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो संबंधित जांच आख्या में दोषी पाये गये सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (सी0डी0 राय) के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

श्री आर0बी0 सिंह अधिशासी अभियंता का पत्र संख्या-58 कैम्प/एस0टी0सा0शि0 दिनांक 17.2.99 प्राप्त हुआ है परन्तु दिनांक 31.3.99 की जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

पत्र दिनांक 17.2.99 में उल्लिखित शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियंता, फैजाबाद अम्बेडकरनगर/सुल्तानपुर वृत्त द्वारा की गयी है तथा जांच आख्या मुख्य अभियंता फैजाबाद क्षेत्र के पत्र संख्या-3770 फै0क्षे0/32 कैम्प-जांच फै0क्षे0/98 दिनांक 1.5.2000 द्वारा शासन को प्राप्त हुई है। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

अल्प संख्यक स्टेट बोर्ड फार एंग्लो इण्डियन एजूकेशन के गठन की मांग

75-श्री पीटर फैन्थम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक स्टेट बोर्ड फार एंग्लो इण्डियन एजूकेशन का गठन विगत चार वर्षों से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त बोर्ड का गठन कब तक कर दिया जायेगा।

डा0 नैपाल सिंह-

सम्प्रति बोर्ड प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब में जूनियर बेसिक विद्यालय भौली का निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न करने सम्बन्धी जांच टी0ए0सी0 से कराने की मांग

76-श्री उबैर्दुरहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब के अन्तर्गत जूनियर बेसिक विद्यालय भौली प्रथम का निर्माण वर्ष 1998-99 में कराया गया है? यदि हां, तो क्या नव निर्मित भवन का निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

निर्धारित मानक व गुणवत्ता के आधार पर निर्माण कार्य की जांच ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से करायी गयी। जांचोपरान्त श्री कालीचरण यादव, प्रधानाध्यापक तथा ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया। प्रधानाध्यापक को निलंबित करके रुपये-10,000/- तथा ग्राम प्रधान से रु0-10,000/- की वसूली के आदेश दे दिये गये हैं।

भवन निर्माण में अनियमितता की जांच ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बख्शी का तालाब से दिनांक 24.4.2000 को सम्पन्न करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब की ग्राम पंचायत भौली के जूनियर बेसिक विद्यालय के भवन को गिराने तथा प्रयुक्त सामग्री के बेचे जाने की जानकारी

77-श्री उबैर्दुरहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी की ग्राम पंचायत भौली जूनियर बेसिक विद्यालय प्रथम के भवन को वर्ष 1998-99 में गिराने का आदेश बेसिक शिक्षा [illegible] लखनऊ द्वारा किया गया था? यदि हां, तो विद्यालय के भवन ईंट व गाटर तथा दरवाजे व

खिड़कियों को किसके माध्यम से व कितनी धनराशि में नीलाम किया गया है? नीलामी की धनराशि किस कोष में जमा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं।

जांच से परिलक्षित हुआ है कि ग्राम प्रधान भौली तथा प्रधानाध्यापक, प्रा0 विद्यालय मौ[illegible] के परस्पर साठ गांठ से जर्जर विद्यालय भवन गिरवा दिया गया तथा भवन सामग्री जिसमें 50,000 ईंटें, टूटे ईंटें 2 ट्राली तथा 24 लोहे के गाटर आदि के अन्यत्र उपयोग या निस्तारण की जानकारी नहीं दी गयी।

प्रश्नगत सामग्री की नीलामी नहीं करायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब की ग्राम सभा भौली के जूनियर बेसिक विद्यालय भवन का बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिग्रहण करने की जानकारी

78-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब की ग्राम सभा भौली के जूनियर बेसिक विद्यालय प्रथम का निर्माण वर्ष 1998-99 में पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा उक्त विद्यालय भवन का अधिग्रहण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में उक्त नव निर्मित विद्यालय भवन में छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि नहीं, तो क्यों।

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जाता है। उक्त समिति तथा बेसिक शिक्षा अधिनियम संशोधनोपरान्त विद्यालय भवन व परिसंपत्तियां ग्राम पंचायतों को हस्तांरित हो गयी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्रों पर मृतक आश्रित नियुक्त अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाने की मांग

79-श्री मूलचन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विगत 3 वर्षों से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या इन सत्रों में से शेष अवधि में अब मृतक आश्रित के रुप में नियुक्त अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं। बी0टी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य समय-समय पर हो रहा है।

जी हां।

यथाशीघ्र प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

शेष का प्रश्न नहीं है।

मृतकाश्रित अप्रशिक्षित नियुक्त सहायक अध्यापकों की निश्चित समयावधि में प्रशिक्षण न मिल सकने के कारण उन्हें प्रशिक्षित मानकर प्रशिक्षित वेतनमान देने की सरकार की व्यवस्था

80-श्री मूलचन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक आश्रित के रुप में नियुक्त अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के नियुक्ति के बाद निश्चित समयावधि के अन्दर यदिं विभाग उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिला पाता तो क्या उसके पश्चात् ऐसे अध्यापकों को स्वत: प्रशिक्षित वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

शासनादेश संख्या-77/15-11-2000-1499(8)/77, दि0 1.2.2000 द्वारा मृतक आश्रितों के रुप नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्ति के 5 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त तुरन्त ही बी0टी0सी0 प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने तथा उक्त के बाद यथाशीघ्र प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिये जा चुके है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखनाथ विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में उर्दू, होम साइंस, फाइन आर्ट के विषय में बी0ए0 के छात्रों को बी0एड0 प्रवेश पर प्रतिबन्ध हटाने की मांग

81-श्री अफजाल अहमद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में उर्दू, होम साइंस, फाईन आर्टस के विषय से बी0ए0 करने वाले छात्रों को बी0एड0 में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

82-श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

(5 वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद अल्मोड़ा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु स्वीकृत धनराशि व बारा मण्डल क्षेत्र हेतु प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

83-श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु वर्ष 1998-99 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी? विधांन सभा क्षेत्र बारामण्डल के किन-किन सड़कों पर उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है? क्या अवमुक्त धनराशि के

अनुसार कार्य कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद अल्मोड़ा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु रु0 23.65 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

विधान सभा क्षेत्र बारामण्डल की निम्न सड़कों हेतु रु0 10.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी:-

क्रम सं0	मार्ग का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रु0
1.	कर्णप्रयाग-रानीखेत-अस्कोट मार्ग	3.03
2.	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग	2.53
3.	अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग	0.80
4.	भवाली-पहाड़पानी-मोरनौला मार्ग	1.00
5.	अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग (बारामण्डल विधान स0क्षे0 में पड़ने वाले किमी0 हेतु)	0.80
6.	नारायण तिभारी दिवाल-कपड़खान मार्ग	1.00
7.	द्वाराहाट-सोमेश्वर मार्ग (बारा मण्डल में पड़ने वाले मार्ग)	0.40
8.	द्वाराहाट-दूनागिरी मार्ग	0.60
9.	द्वाराहाट-विन्ता मार्ग	0.45

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग लखनऊ के प्रान्तीय खण्ड के मार्गों हेतु स्वीकृत सामग्री की सत्यता की जाँच तकनीकी सेल से कराने की मांग

84- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, ले0नि0 विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले किन-किन मार्गों के प्रयोगार्थ वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी-कितनी मात्रा में पत्थर व मिट्टी क्रय की गयी है? क्या क्रय की गयी समस्त सामग्री उन्हीं मार्गों में उपयोग कर ली गयी है? यदि हां? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सत्यता की जाँच तकनीकी सेल से कराये जाने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वर्ष 1997-98 व 1998-99 में मांगों में क्रय की गयी पत्थर व गिट्टी का विवरण संलग्न है †।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

समस्त क्रय की गई सामग्री का उपयोग सम्बन्धित मार्गों पर कर लिया गया है।

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर 1-7-1-193- पर।)

रायबरेली जनपद में खीरों, ब्लाक मेख्यालय से मौरवां -बिहार, उन्नाव मार्ग का 18 वर्षो बाद भी निर्माण कार्य न होने के कारण की जानकारी

85- श्री बाबू लाल कुरील-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद में खीरों ब्लाक मुख्यालय से अतरहर होते हुए मलोना के पास (मौरावां-बीहार, उन्नाव) मार्ग में मिलाने हेतु पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा 1982 में पूर्ण धनराशि स्वीकृत हुई थी ? क्या इस मार्ग में 18 वर्ष बाद भी कुछ भाग का निर्माण कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कितने का और क्यों ? उसे कबं तक पुरा करा दिया जायेगा ? क्या मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-2195 /सी0 जेड0 काम0 /80/ जेड0 सी0 जेड0 /95 दिनांक 29.6.95 द्वारा पुन: उक्त मार्ग हेतु आगणन शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उसे स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो क्यो ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग कि लम्बाई 6.36 किमी0 में से 4.00 किमी0 लम्बाई से सीलिंग स्तर तक निर्माण की स्वीकृत वर्ष 1982 में रू0 8.00 लाख लागत पर प्रदान की गई थी।

जी नहीं। मार्ग की कुल लम्बाई 6.36 किमी0 में से 3.81 किमी0 में लेपन स्तर तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण है तथा शेष 2.55 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृतियों के अनुसार पत्थर की सीलिंग तक मार्ग निर्मित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी के विरूद्ध शिकायत तथा उसके जांच परिणामों की जानकारी

86-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र संख्या-456770 पर उनके आदेश दिनांक 30.5.97 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी के विरूद्ध सर्तकता जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और उक्त जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये हैं ?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं। शिकायत पर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से जांच करायी गयी। जांच आख्या के आधर पर प्रकरण शासन स्तर पर समाप्त कर दिया गया है।

राज्य सम्पति विभाग की कानपुर रोड स्थित सचिवालय कालोनी के अध्यासियों से अनुरक्षण शुल्क की धनराशि जमा न कराने का कारण/स्थानान्तरित अध्यासियें द्वारा आवास किराये पर देने का औचित्य जांच की मांग

87-श्री चेतराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कानपुर रोड स्थित सचिवालय कालोनी के सभी अध्यासियों, पुलिस कर्मियों, शैडो, गनर, कमान्डो से भी मकान किराया भत्ता व अनुरक्षण शुल्क की धनराशि वर्ष 1991 से जमा करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह सही है कि कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा, जिनका तबादला अन्यत्र हो गया है, अपने आवासों को किराए पर दे रखा है ? यदि

हां ,तो क्या सरकार इसकी जाचं कराकर ऐसे अध्यासियों के आवंटन निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

प्रश्नगत कालोंनी में अध्यासित आवंटियों से वर्ष 1991 से किराये की वसूली की जा रही है, जहां तक इन आवंटियों से आवास किराया भत्ता जमा कराये जाने का प्रश्न है, उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि सरकारी सेवक को शासकीय आवास आवंटित होने पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य नही होता है।

प्रश्न नही उठता।

जी हां। निम्नलिखित पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त कालोनी के शासकीय आवासों को किराये पर दिया गया है :-

नाम	आवास संख्या
1-श्री राम सिंह	15
2-श्री अक्षयवर सिंह	03
3-श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह राना	30

जी हां, निरस्त किया जा चुका है।

प्रश्न नही उठता।

बलरामपुर में कोडरी घाट सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण न कराने की जानकारी

88-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राप्ती नदी स्थित बलरामपुर में कोडरी घाट सेतु का निर्माण कार्य रूकने के कारण नदी का बहाव दूसरी तरफ हो गया है जिससे एप्रोच मार्ग व गाइड बांध का कार्य रूका है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत सेतु की भौतिक प्रगति 88% है। सेतु के 9 स्पान में से केवल 2 में ही डैक स्लेव डाला जाना शेष है। धनाभाव के कारण एप्रोच मार्ग व गाइड बांध का कार्य पूरा नही करार्या जा सका है जिससे नदी की धारा में बदलाव आया है।

प्रश्नगत कार्य पूरा किया जाना वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर है।

गोरखपुर जुबली इण्टर कालेज द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र /कृत कार्यवाही की जानकारी

89- श्री राम ललित चौधरी -

क्या माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री कृपया बतायेगे कि जुबली इण्टर कालेज गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति वर्ष 1997-98 के वितरण में अनियमितता किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र माह जनवरी , 2000 के प्रथम सप्ताह में उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यो ?

डा0 नैपाल सिंह-

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त नही प्रतीत होता है किन्तु जुबली इण्टर कालेज गोरखपुर के छात्र आलोक कुमार चौधरी को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति न मिल पाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3.2.2000 को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त छात्र को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की धनराशि की स्वीकृत दी जा चुकी है।

प्रश्न नही उठता है।

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त नही प्रतीत होता है किन्तु जुबली इण्टर कालेज गोरखपुर के छात्र आलोक कुमार चौधरी की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति न मिल पाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3.2.2000 को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त छात्र को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की धनराशि की स्वीकृत दी जा चुकी है।

प्रश्न नही उठता है।

शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को संवर्ग की सुविधायें दिये जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक का प्रस्ताव कार्यवाही की जानकारी

90- श्री राम औतार शाक्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को उनके संवर्ग की सुविधायें दिये जाने हेतु शिक्षा निदेशक, माध्यमिक का दिनांक 20.6.95 का कोई प्रस्ताव संस्तुतियों सहित सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1351/15-12-96-1 (शा0शि0)/89, दिनांक 4.7.1996 द्वारा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को दिनांक 1.7.96 व दिनांक 1.1.86 से संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया गया है तथा शासनादेश संख्या-28/15-12-95 शा0शि0/95 दिनांक 30.1.96 द्वारा अध्यापकों के समान सत्रांत लाभ की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1641/15-10-99-9 शा0शि0/99 दिनांक 14.9.1999 द्वारा अनुदेशकों को दिनांक 1.7.86 से चयन वेतनमान/वैयक्तिक वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार निदेशक की सभी संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा चुकी है।

91-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

(6 ठे बुधवार में अता0प्र0-स0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

राज्य सम्पत्ति विभाग में शिक्षित/अशिक्षित दैनिक वेतन भोगियों को विनियमितीकरण करने की मांग

92-श्री मूलचन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है? क्या उन्हें भी सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के समान ही विनियमितीकरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्तमान में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या-37 एवं अशिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या-139 है।

कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमतीकरण नियमावली, 1998 में 29 जून, 1991 के पूर्व से कार्यरत शिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर विनियमत किया जाना प्राविधानित है।" कार्मिक विभाग द्वारा अशिक्षित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमतीकरण हेतु अद्यतन कोई नियमावली प्रख्यापित नहीं की गयी है।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के आबादी वाले गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

93- श्री विजय पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 1000 की आबादी वाले गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो तहसील फतेहाबाद के 2500 से भी अधिक आबादी वाले कुतुबपुर (रोहई) जिसकी लम्बाई 4.15 कि0मी0 है तथा ग्राम थाप महदवानी,साकुरीकलां, महराजपुर, मूसेपुर, कल्यानपुर, मरापुर में 1000 से अधिक आबादी के गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से न जोड़े जाने का क्या कारण है? उक्त ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

तहसील फतेहाबाद का ग्राम कुतुबपुर (रोहई) को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु जिला योजना सामान्य के अन्तर्गत 2.15 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग मिट्टी से लेपन स्तर तक स्वीकृत है, जिस पर प्रथम सतह लेपन तक कार्य करा दिया गया है तथा द्वितीय सतह लेपन का कार्य जून, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

महराजपुर ग्राम पुरा महाराज (महराजपुर) को जोड़ने हेतु मार्ग, जिला योजना सामान्य के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसे जून, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम मूसेपुर, फतेहाबाद निबोहरा मार्ग के ग्राम रामगढ से मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 2005 तक लेपित सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की शासन की योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत शेष 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों के चयनित होने पर पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा को सूची के अनुसार विद्यालय खोलने की जानकारी

94-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में प्रश्नकर्ता द्वारा जिन ग्रामों में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापितं किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा को सूची दी गयी थी, उन ग्रामों में विद्यालयों को खोल दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

वर्ष 1998-99 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकी। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूची के निम्नांकित 03 ग्रामों में विद्यालयों की स्थापना हेतु 1 अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयन किया गया है:--

1- शाला ब्लाक, शमसाबाद।

2- चिनौरा, विकास खंड शमसाबाद।

3- कदम, ब्लाक फतेहाबाद।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के लोक निर्माण विभाग की स्थाई समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा चमरौली से मझारा सम्पर्क मार्ग के ककुआ नाले पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

95-श्री विजय पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 जुलाई, 1999 को लोक निर्माण विभाग की स्थाई समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा चमरौली से मझारा सम्पर्क मार्ग के ककुआ नाले पर पुल तथा उन सम्पर्क मार्गों को जो कि अधूरे पड़े हैं, को पूरा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य स्टेट सेक्टर द्वारा करा दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री कलराज मिश्र-

स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.6.99 में प्रश्नगत कार्यों को कराने का अनुरोध किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्गों तथा पुल के निर्माण कार्यों की कुल लागत रु0 145.77 लाख संभावित है, जिनकी स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत संभव नहीं है।

96-श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

(5 वें शुक्रवार में अता0प्र0स0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी-ग्राम-मदनपुर से करीमनगर सैदापुर तक निर्माणाधीन मार्ग की शिकायत/जांच व कार्यवाही की मांग

97-श्री श्याम प्रकाश-

क्या सरकार को जानकरी है कि वि0स0 क्षेत्र अहिरोरी के अन्तर्गत ग्राम मदनपुर से करीमनगर सैदापुर तक निर्माणाधीन मार्ग पर पत्थर की आपूर्ति अत्यन्त कम मात्रा में की गयी है तथा अनेक स्थानों पर सड़क टूटी हुई है? क्या सरकार उक्त मार्ग की उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त मार्ग को गुणवत्ता के अनुसार बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

जांच कराई जायेगी।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में हरदोई-सीतापुर रोड पर रेलवे लाइन पर ठीक ब्रिज व मार्ग को बनवाने की मांग

98-श्री श्याम प्रकाश-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई में हरदोई-सीतापुर रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर से लगभग आठ वर्षों से ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? क्या यह सही है कि रेलवे विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व अपना कार्य पूर्ण करने के उपरान्त भी राज्य सरकार का कार्य अधूरा पड़ा है जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है? क्या सरकार द्वारा उक्त ब्रिज को बनवाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त समय में कार्य पूर्ण किया गथा? यदि नहीं, तो, क्या सरकार उक्त ओवर ब्रिज को पूर्ण कराने की कोई समय सीमा पुनः निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति वर्ष 1989 में दी गयी थी।

रेलवे विभाग द्वारा अपना कार्य अगस्त, 1995 में पूर्ण करा दिया गया था किन्तु धनाभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा कराया जाने वाला कार्य माह मार्च, 1997 में प्रारम्भ किया जा सका॥

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने की समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

99-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों का वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में कितना कार्य अभी भी अधूरा है? इन्हें पूर्ण कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़कों के वर्ष 1997-98 में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध 58.63 कि0मी0 1998-99 में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध 128.94 कि0मी0 तथा 1999-2000 में स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध 54.87 कि0मी0 कार्य अधूरे हैं॥

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरुप कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है॥

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में डा0 वी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय में के0एम0 हिन्दी संस्थान में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्तियां तथा रिक्त पदों पर शासनादेश के अनुसार नियुक्ति करने की मांग

100-श्री विजय पाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा0 वी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में के0एम0 हिन्दी संस्थान में प्रभारी निदेशक के दिनांक 4.9.99 के अनुरोध पर अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रभारी निदेशक ने अपने पत्र में विभाग की डा0 ऊषा यादव की अन्यत्र नियुक्ति हो जाने के आधार पर हुये रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति चाही थी? यदि हां, तो क्या डा0 ऊषा यादव अब विभाग में कार्यरत नहीं है? क्या उक्त नियुक्तियों में शासनादेशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दिनांक 4.6.99 का कोई अनुरोध पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं हुआ किन्तु अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गयी है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मण्डलों पर प्रचार-प्रसार सामग्री ढोने हेतु ट्रकों के प्रयोग में लाने/निष्प्रयोज्य ट्रकों की नीलामी की जांच कराने की मांग

101-श्री चेतराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मण्डलों पर प्रचार-प्रसार सामग्री ढोने के लिए कुल आठ ट्रकें लगभग दस वर्ष पूर्व क्रय की गई थी? क्या यह सही है कि उसमें से

3 ट्रकें ही इस्तेमाल में आ रही हैं? शेष पांच ट्रकें नीलाम करने की कार्यवाही चल रही है? यह नीलामी की प्रक्रिया में चलने वाली पांच ट्रकें कुल कितने कि0मी0 चली है? क्या पांच ट्रकों के बिना इस्तेमाल दस वर्ष खड़ी करने के बाद नीलामी कराने की जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां। सूचना विभाग द्वारा 1981 में 3, 1982 में 1, 1984 में 1, 1985 में 1 तथा 1987 में 4 प्रदर्शनी वाहन निर्माण हेतु एल0पी0जी चेसिस क्रय किये गये।

जी नहीं। एक वाहन मुख्यालय पर प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहा है।

तीन वाहन इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर मण्डलों में प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे हैं। कुमायूँ मण्डल से प्राप्त वाहन को झांसी मण्डल में भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 1981 में क्रय किये गये वाहनों में से दो वाहन दिनांक 31.12.99 को निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके हैं, जो क्रमश: 87066 तथा 31061 किमी0 चल चुके हैं1 शेष तीन वाहन जो भारी मरम्मत के योग्य हैं, धन के अभाव में खड़े है1

किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है, अत: जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

102-श्री चेतराम-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग मुख्यालय पर कबीर भवन के शिलान्यास/निर्माण कार्य न कराने की जानकारी

103-श्री चेतराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग मुख्यालय पर मा0 मुख्य मंत्री मायावती के कार्यकाल में किसी कबीर भवन का शिलान्यास हुआ था? यदि हां, तो कुल कितना धन इसके निर्माण के लिए निर्गत किया गया? क्या इस धन का अन्य मद में प्रयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां

कुल रु0 41.55 लाख स्वीकृत हुआ था, इसमें से रु0 15 लाख की धनराशि कार्यदायी इकाई को दी गई है, शेष धनराशि पी0एल0ए0 सीज हो जाने के कारण कोषागार में जमा करा दी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर में मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां में शिक्षकों की अनुपातिक नियुक्ति न होने एवं अध्यापकों के वेतन विसंगति के कारणों की जानकारी

104-श्री अब्दुल कलाम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां क्षेत्र पंचायत मेंहदाबल जनपद-सन्त कबीर नगर में वर्तमान समय में कुल 9 (नौ) अध्यापक एवं कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत छात्रों की संख्या 470 हैं? क्या उक्त मकतब में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा वांछित योग्यता के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं? क्या सरकार उन्हें बी0टी0सी0 ट्रेन्ड के समकक्ष मानते हुए परिषदीय विद्यालय की भांति वेतन आदि के भुगतान की प्रक्रिया में लेगी? क्या त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में उक्त विद्यालयों को परिषदीय विद्यालय घोषित कर विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में ग्राम पंचायतों को नियुक्ति का अधिकार सरकार देगी' यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सन्त कबीर नगर के क्षेत्र मेंहदावल में स्थाई मान्यता प्राप्त मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां को प्रतिमाह 40=00 रु0 वित्तीय सहायता का औचित्य

105-श्री अब्दुल कलाम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहदावल विधान सभा के अन्तर्गत मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां क्षेत्र पंचायत मेंहदावल जनपद-सन्तकबीर नगर जो सन् 1931 से जिला परिषद्/वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय के रुप में संचालित है, अब तक मात्र 40.00 (चालीस रु0 मात्र) प्रति माह के दर से वित्तीय सहायता मिलती है? क्या उक्त विद्यालय को परिषदीय विद्यालय घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

1. जी हां। उल्लिखित धनराशि ही अब तक दी जा रही है।
2. जी नहीं।

मकतब स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित होने के कारण परिषद में लिए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

उ0 प्र0 सचिवालय स्टेशनरी अनुभाग में वर्षों से एक ही अनुभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

106-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्टेशनरी अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विगत 14 से 22 वर्षों तक लगातार एक ही स्थान पर रहने तथा उनके स्थानान्तरण के संबंध में विशेष अभियान चलाकर स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ग-2-566154, दिनांक 6 जनवरी, 2000 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई हेरफेरी की जांच की मांग एवं दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री एवं उनके द्वारा नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर जिला बुलन्दशहर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा रिकार्ड में हेरफेरी की जांच जिलाधिकारी बुलन्दशहर से कराई गई थी? क्या यह सही है कि उक्त जाँच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के अर्ध शासकीय पत्रांक 504 (1) एस0टी0डी0एम0/98 दिनांक 15 सितम्बर, 1998 के द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित की गयी? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये? क्या दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि

हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विधायक निवास 1 व 2 के प्रवेश मार्गों का पुन: निर्माण कराने की मांग

108-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास-1 एवं 2 के प्रवेश मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है? यदि हां. तो क्या सरकार उपरोक्त सड़कों के निर्माण की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

धन की उपलब्धता पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ओ0सी0आर0 की लिफ्टों की संचालन व्यवस्था ठीक करने की मांग

109-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ओ0सी0आर0 के दोनों भवनों में 6 लिफ्ट लगी है? यदि हां, तो उनके सापेक्ष उनके संचालन के लिये कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या लिफ्ट संचालन कर्मचारी लिफ्ट का संचालन करते है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी? यदि हां, तों कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार लिफ्ट संचालन की जांच कराएगी और इसकी व्यवस्था ठीक करेगी? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

कुल-11 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां।

जी हां।

अवर अभियन्ता द्वारा प्रतिदिन जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों द्वारा लिफ्ट संचालन व्यवस्था समुचित है तथा नियमित जांच की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित सेतुओं के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 2.7.99 जो जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित सेतुओं का निर्माण कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ। क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने उपरोक्त पत्र 3.7.99 को उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद शाहजहांपुर में प्रस्तावित सेतुओं का निर्माण कराने के संबंध में मा0 विधायक का पत्र दिनांक 12.6.99 प्राप्त हुआ है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित 5 पुलों के स्थलों का निरीक्षण कराया गया। इन पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत रु0 28.80 करोड़ है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त पुलों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में वन विभाग द्वारा तिलहर एवं जैतीपुर विकास खण्डों में वृक्षारोपण की जांच सम्बन्धी मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

111-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2.7.99 जिसमें जनपद शाहजहांपुर में वन विभाग द्वारा तिलहर एवं जैतीपुर विकास खण्डों में कराये गये वृक्षारोपण की जांच किसी उच्चाधिकारियों से कराये जाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी नहीं। मां0 सदस्य का इस विषय पर एक अन्य पत्र दि0 28.6.1999 मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

जनपद शाहजहांपुर में वन विभाग द्वारा तिलहर एवं जैतीपुर विकास खण्डों में कराये गये वृक्षारोपण की जांच वन संरक्षक, बरेली से करायी गयी है। जांच में किसी को दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के श्री केशव दयाल पूर्व कार्यालय अधीक्षक द्वारा अनियमितता एवं रिवर्शन की शिकायत के उपरान्त प्रमोशन देने सम्बन्धी मा0 सदस्यों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112-श्री अफजाल अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत पूर्व कार्यालय अधीक्षक श्री केशव दयाल, अभिलेख अनुभाग का प्रमोशन किया गया हैं? क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय अधीक्षक पूर्व में कार्मिक अधिकारी के पद से रिवर्ट हो चुके हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उनके विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर रह कर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की तमाम शिकायतें शासन व विभागाध्यक्ष को मिली है? यदि हां, तो क्या बिना उक्त शिकायतों की जांच कराये ही यह पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या इस संबंध में श्री राम चन्दर व गोपाल कृष्ण विधायक का पत्र मई, 1999 में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं।

श्री केशव दयाल की कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति समय-समय पर सीमित अवधि के लिए शासन द्वारा तदर्थ रुप से की गयी थी। तदर्थ नियुक्ति की अवधि बीत जाने पर वे स्वत: अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गये।

श्री केशव दयाल के विरुद्ध उनके अधीनस्थ कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री रामचन्द्र, टंकक द्वारा अपने दो पत्र दि0 7.4.99 एवं 8.4.99 के माध्यम से संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,

ऐशबाग लखनऊ से शिकायत की गई थी।

श्री केशव दयाल की कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 19.3.98 से समिति की संस्तुति के अनुरुप की गई। इस बीच उनके विरुद्ध ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। श्री रामचन्द्र, टंकक के शिकायती पत्र दिनांक 7.4.99 व 8.4.99 पदोन्नति के उपरान्त प्राप्त हुए थे। शिकायती पत्र के संदर्भ में प्राप्त जांच रिपोर्ट में श्री केशव दयाल को निर्दोष बताया गया है।

प्रश्न नहीं उठता हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता हैं।

मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति/मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की जानकारी

113-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उनको समय-समय पर क्या मानदेय दिया जाता रहा है? क्या सरकार त्रिभाषा अध्यापकों के मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

निम्न उल्लिखित वेतनमान के अन्तर्गत धन अनुदान के रुप में दिया जाता रहा है।

(1) 21.4.80 से 20.7.96 तक रु0 210-330 प्रशिक्षित, रु0 180/- नियत अप्रशिक्षित।

(2) 20.7.96 से 31.3.98 तक रु0 1350-2070 प्रशिक्षित, रु0 850/- अप्रशिक्षित।

बैंक के माध्यम से त्रिभाषा अध्यापकों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के घटियाघाट में गंगा नदी सेतु पर पथकर वसूली समाप्त किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5.7.99 जो जनपद-शाहजहांपुर घटियाघाट में गंगा नदी के सेतु पर अवैध वसूली के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि क्या उन्होंने दि0 6.7.99 को मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो मंत्री जी द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां। यह जनपद फर्रुखाबाद के घटियाघाट में गंगा नदी सेतु पर पथकर वसूली समाप्त करने के सम्बन्ध में है।

जी हां।

पत्र का निरीक्षण कराया गया। सेतु की मूल लागत, ब्याज तथा अनुरक्षण पर होने वाली व्यय की वसूली अभी पूरी न होने या पथकर वसूली प्रारम्भ होने की तिथि से अभी 50 वर्ष की अवधि पूरी न हेाने के कारण प्रश्नगत सेतु पर पथकर समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय के गेट नं0-9 पर साइकिल स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

115-श्री नेतराम सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि विधान भवन में बने साइकिल स्टैण्ड को 9 नम्बर गेट पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त साइकिल स्टैण्ड पर जगह की कमी के कारण कर्मचारियों को साइकिल खड़ा करने में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं।

उ0प्र0 सचिवालय के गेट नं0-9 पर पूर्व से ही साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड चल रहा था, किन्तु अब वहां पर केवल साइकिलें ही खड़ी करायी जा रही हैं।

जी नहीं।

गेट नं0-9 पर साइकिल स्टैण्ड के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण बहुखण्डी भवन के पीछे एवं नवीन भवन के प्रांगण में भी साइकिलें खड़ी करने की व्यवस्था करायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अनिवार्यता को समाप्त करने की जानकारी

116-श्री अफजाल अहमद-

क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्व में प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य था? यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था अब समाप्त कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

प्रशासनिक सेवाओं (आई0ए0एस0/पी0सी0एस0) के अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में वर्ष 1996 में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित न होने एवं उत्तीर्ण कराये जाने का प्रकरण

117-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं में मेरठ जिले के लगभग 1000 बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित हुये बिना ही उत्तीर्ण कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार से कोतवाली नहटौर नूरपुर से मुरादाबाद तक के मार्ग के विस्तारीकरण की योजना की जानकारी तथा मार्ग को चौड़ा कराने की मांग

118-श्री मूलचन्द-

क्या लोक निर्माण बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार से कोतवावली नहटौर नूरपुर होते हुए मुरादाबाद अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग के विस्तारीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

हरिद्वार से कोतवाली नहटौर नूरपुर होते हुए मुरादाबाद तक के मार्ग की लगभग 151 कि0मी0 लम्बाई में से 70 कि0मी0 लम्बाई राष्ट्रीय मार्ग व 22 कि0मी0 राज्य मार्ग का भाग है जो पहले से ही दो लेन चौड़ा है। शेष 59 कि0मी0 लम्बाई में से 39 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग तथा 20 कि0मी0 अन्य जिला मार्ग है जिसकी चौड़ाई 3.7 से 7 कि0मी0 तक है। सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रमुख जिला मार्गों/ अन्य जिला मार्गों को चौड़ा करने की योजना नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के अधिकारियों की सेवा नियामवली के अन्तर्गत नियुक्ति एवं प्रोन्नति की मांग

119-श्री नरेन्द्र सिहं-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग में सांख्यिकी संवर्ग के अधिकारियों की कोई सेवा नियमावली बनायी गयी है? यदि हां. तो क्या वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत सांख्यिकी संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति उसके अनुसार की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच सम्बन्धी पत्र तथा जांच आख्या की जानकारी

120-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र ख-2 संख्या-599461 दिनांक 26.11.99 पर उनके द्वारा मुख्य सचिव को दिनांक 29.11.99 को दिए आदेश जो श्री जितेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध किये गये भ्रष्टाचार की जांच के संबंध मे था, पर जांच करा ली गई है? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं?

श्री राम प्रकाश-

जांच कराए जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद गाजीपुर अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0 का सहायक अभियन्ता द्वारा नक्शे पास करने विषयक पत्र तथा नक्शा पारित करने वाली एथार्टी से नक्शा पास कराने की मांग

121-श्री राजपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 गाजीपुर का पत्र सं0 1255/1सी/235 दि0 6.11.98 सहायक अभियन्ता तृतीय को प्राप्त हुआ है? यदि हां.

तो क्या सहायक अभियन्ता द्वारा रा0 मार्ग 29 कि0मी0 124 में कुछ नक्शे पारित करने हेतु अग्रसारित किया गया था? क्या शा0सं0 6119/एलसी/XXIII-पी0डब्लू0डी0-86-सी-1950 दि0 19.12.60 का अनुपालन करते हुये सभी नक्शे निरस्त किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दि0 21.12.60 में निहित निर्देशों के अनुरुप होने के कारण नक्शे सक्षम अधिकारी द्वारा पारित कर दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर स्थित कंतित शरीफ को पर्यटक स्थल विकसित करने तथा पेयजल की सुविधा प्रदान कराने की मांग

122-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-225/विस0/स0सा0उ0स0/98, दिनांक 4 अप्रैल, 1998 जो मिर्जापुर स्थित कंतित शरीफ को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने के संबंध में हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक यादव-

जी हां।

कंतित शरीफ में तीर्थ यात्रियों के लिए पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रु0 7.37 लाख की नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक में व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड हरगांव, प्राथमिक विद्यालय सेमरीभान के श्री रामशंकर गुप्त सहायक अध्यापक की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को समायोजित करने की मांग

123-श्री रमेश राही-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के प्रा0वि0 सेमरी भान में कार्यरत श्री रामशंकर गुप्ता स0अ0 की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 6.11.98 को हो गई थी? क्या मृतक आश्रित पत्नी को पेंशन स्वीकृत करके मृतक आश्रित को सेवा में समायोजित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

स्थानीय अधिसूचना इकाई सीतापुर से करायी गयी गोपनीय जांच के अनुसार प्रश्नगत अध्यापक की मृत्यु की पुष्टि नहीं होती है प्रत्युक्त उनके भेष बदल कर छिपे होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

[दिनांक 11.4.2000 को नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

बी0टी0सी0 पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा में बैठे अप्रशिक्षित अध्यापकों का शासनादेश के अनुसार परीक्षाफल घोषित करने की मांग

125-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996 में बी0टी0सी0 पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा दे चुके अप्रशिक्षित अध्यापकों का शासनादेश 3 जुलाई, 1999 एवं 12 जुलाई, 1999 के अनुपालन में परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

61 जनपदों में से 51 जनपदों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

शेष 10 जनपदों में उक्त शासनादेशों के अनुसार जांच कार्यवाही गतिमान होने के कारण परीक्षफल अभी घोषित नहीं हुआ है।

जनपद बुलन्दशहर में डा0 राहत अजीम प्रबन्धक एग्लों अरबिक जूनियर हाई स्कूल, एग्लों अरबिक खादी मुलस्लाम तथा जेड0ए0 पब्लिक जूनियर हाई स्कूल शिकारपुर के नाम से फर्जी संस्थायें चलाकर छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति का गबन करने का प्रकरण की जांच की मांग

126-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा0 राहत अजीम, प्रबन्धक, एंग्लों अरबिक जूनियर हाई स्कूल, एग्लों अरबिक खादी मुलस्लाम तथा जेड0ए0 पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, शिकारपुर नाम से फर्जी संस्थायें चलाकर छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति का मबन करने की जांच शासन के आदेशानुसार जिलाधिकारी बुलन्दशहर से 1 जुलाई 1998 को करायी गयी थी। क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्धक के छात्रवृत्ति एवं क्षतिपूर्ति गबन में लिप्त पाये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा शिकारपुर कोतवाली में मुकदमा दिनांक 15.8.98 को पंजीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उक्त शिक्षण संस्थाओं की मान्यता निरस्त की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

127-श्री सिंहासन सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

128-श्री सिंहासन सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्राणि उद्यान लखनऊ में क्यूरेटर मछलीघर के पद सृजन एवं उस पर नियुक्ति का मामला

129-श्री सिंहासन सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक प्राणी उद्यान, लखनऊ, को पद सृजित करने का अधिकार प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्या क्यूरेटर चिड़ियाघर का पद अप्रैल, 1997 में सृजित कर उस पर नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी-

जी नहीं।

प्राणि उद्यान, लखनऊ में क्यूरेटर मछलीघर का पद पूर्व से सृजित है। इस पद पर मितव्ययिता की दृष्टि से किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। वर्ष 1997 से निदेशक, प्राणि उद्यान द्वारा ड्राइवर-कम-मैकेनिक, बाल रेल से ही यह कार्य भी सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम विभाग के शासनादेश के अनुसार पारिश्रमिक देने की मांग

130-श्री विश्वनाथ-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम विभाग के शासनादेश के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन के अधीन अन्य विभागों की भांति वित्त विभाग के शासनादेश के आधार पर नियमानुसार पारिश्रमिक अनुमन्य कराया जाता है।

जनपद सुल्तानपुर में "रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई" इण्टर कालेज दियरा को दी गयी छात्रवृत्ति तथ भुगतान का आडिट कराने की मांग

131-श्री राजीव कुमार सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई" इण्टर कालेज दियरा, जनपद-सुल्तानपुर को वर्ष 1990 से अब तक छात्रवृत्ति हेतु कितनी धनराशि दी गयी है? क्या उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

डा0 नैपाल सिंह-

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को संदर्भगत प्रकरण में जांच करने और मण्डलीय आडिट इकाई से विद्यालय के लेखों का विशेष आडिट कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई से सण्डीला मेहदीघाट वाया मल्लावां निर्माणाधीन सड़क को चौड़ा करने की मांग

132-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में सण्डीला मेंहदीघाट वाया मल्लावां निर्माणाधीन सड़क को चौड़ा कराने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग है जिसे चौड़ा करने की कोई योजना नहीं है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद के अन्तर्गत धनौला कलां में वन चेतना केन्द्र व शमसाबाद में अतिथि गृह स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कार्यवाही की मांग

133-श्री विजय पाल सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड शमसाबाद के अन्तर्गत धनौला कलां में वन चेतना केन्द्र व शमसाबाद में अतिथि गृह स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4.1.2000 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र व अतिथि गृह स्थापित किये जाने की स्वीकृति दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी-

जी हां।

वन चेतना केन्द्रों की स्थापना संबंधी योजना समाप्त हो जाने के कारण नये वन चेतना केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा रही है। मितव्ययिता संबंधी निर्देशों के परिपेक्ष्य में नये अतिथि गृह के निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने में विवशता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई के इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल की परीक्षा केन्द्र की परीक्षा शुल्क में घपले के प्रकरण की जानकारी

134-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई जनपद हाथरस के इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल के परीक्षा केन्द्र पर संस्थागत एवं व्यक्तिगत सम्मिलित हुए छात्र एवं छात्राओं की वर्ष 1992 से 1997 तक की परीक्षा शुल्क माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद और मेरठ के खाते में जमा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

आंशिक रुप से जमा किया जाना सत्यापित।

जनपद जौनपुर में श्री शरत कुमार सिंह वरिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला अनौपचारिक शिक्षाधिकारी की माता श्रीमती शान्ती देवी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि तथा भुगतान की मांग

135-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री देव नारायण, तत्कालीन संयुक्त सचिव, अनौपचारिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्रांक-4926/15-68-प्रौ0-200(20)/98 दिनांक 23 फरवरी, 1999 के आदेशानुसार श्री शरत कुमार सिंह, वरिष्ट लिपिक कार्यालय-जिला-अनौपचारिक शिक्षाधिकारी, जौनपुर की माता श्रीमती शान्ती देवी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु0 56,046.00 की स्वीकृति निदेशक, प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा को प्रेषित की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर द्वारा स्वीकृत धनराशि समय से आहरित न किये जाने के कारण अभी तक भुगतान सम्भव नहीं हुआ है।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र की जगतपुर से मोतिहां बसगित की क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाने की मांग

136-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद-इलाहाबाद की जगतपुर से मोतिहां बसगित सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गयी है? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण मार्ग है जिसकी सामान्य दशा सन्तोषजनक नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में छात्र एवं छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

137-श्री जोखू लाल यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद-इलाहाबाद में छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु कोई डिग्री कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्या उच्च शिक्षा हेतु कोई डिग्री कालेज खोले जाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील जखनियां में स्वीकृत डाक बंगला बनवाने की मांग

138-श्री विजय कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद के जखनियां तहसील में डाक बंगला स्वीकृत है? यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में जखनियां तहसील में डाक बंगला बनवाना सम्भव नहीं है।

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, रायबरेली रोड लखनऊ के लिए स्वीकृत धनराशि की मांग

139-श्री विजय कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, रायबरेली रोड, लखनऊ के लिये वर्ष 1996-97 में विश्वविद्यालय में छात्रावास निर्माण हेतु रुपया 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख मात्र) तथा डा0 अम्बेडकर चेयर की स्थापना हेतु रु0 21,10,000/- (इक्कीस लाख दस हजार) कुल रुपये 2,71,10,000/- (दो करोड़ इकहत्तर लाख दस हजार मात्र) स्वीकृत हुआ था, यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाने के कारण इसका वैधानिक स्वरुप बदल गया था। अत: राज्य सरकार द्वारा पुर्नविचारोपरान्त धनराशि अवमुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया।

लखनऊ प्राणि उद्यान परिसर में चन्दन के पेड़ों को काटने की एफ0आई0आर0 तथा जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

140-श्री सिंहासन सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1999 के दूसरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राणी उद्यान लखनऊ परिसर से चन्दन के पेड़ों

को चोरी से काटने की एफ0आई0आर0 सम्बन्धित पुलिस थाने में लिखाई गयी थी। यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राजधारी सिंह-

जी नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह पूर्व निदेशक, लखनऊ प्राणि उद्यान द्वारा अपने पूर्वाधिकारी श्री आर0एन0 पाण्डेय द्वारा दिये गये चार्ज नोट के आधार पर जांचोपरान्त दोषी पाये गये दैनिक श्रमिक श्री राजेश पाल को प्राणि उद्यान की सेवा से पृथक कर दिया गया।

141-श्री राम अचल राजभर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

जनपद भदोही में बाईपास मार्ग पर ओवर ब्रिज निर्माण कराये विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

142-श्री पूर्णमासी पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में बाईपास मार्ग पर ओवर ब्रिज निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26.2.99 प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? उक्त ओवर ब्रिज कब तक निर्मित करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

जी जां।

राज्य सरकार की कठिन वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत रेलवे ओरवर ब्रिज का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में बी0एन0 इण्टर कालेज में अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

143-श्री लालजी वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मराज निषाद, विधायक, कटेहरी, जनपद अम्बेडकर नगर का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र जो कि बी0एन0 इण्टर कालेज में कुछ अवैध नियुक्तियों के संबंध मे था, दिनांक 4.10.99 एवं 28.10.99 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में बी0एन0 इण्टर कालेज अकबरपुर में नियुक्त श्री ओम प्रकाश सहायक अध्यापक को कार्यभार ग्रहण न कराने का कारण/सेवा में लेने की मांग

144-श्री लालजी वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश, ग्राम पाली अचलपुर, जनपद फैजाबाद का चयन सहायक अध्यापक के पद पर बी0एन0 इण्टर कालेज, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा 29.11.1997 को किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त सहायक अध्यापक को अभी तक मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सहायक अध्यापक को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु संयुक्त

शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 2..8.1999 को कोई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर को लिखा गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त सहायक अध्यापक को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त अध्यापक को दिनांक 16...3.2000 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

संबंधित संस्था में दि0 16.3.2000 को उक्त अध्यापक को कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है।

उक्तवत् कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है।

जनपद जौनपुर में जनता इण्टर कालेज रतनूपुर में कार्यरत अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति से अवगत कराने की मांग

145-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज रतनूपुर, जनपद-जौनपुर में वर्ष 1999 से जनवरी, 2000 तक कितने अध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत थे और कितने छात्र रहे हैं तथा कितने अध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन दिया गया? क्या सरकार इसकी सूची सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

वर्ष 1999 से जनवरी, 2000 तक कुल 76 अध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत रहे हैं इसके अतिरिक्त कुल छात्रों की संख्या 1649 थी।

कुल 45 अध्यापक तथा 25 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (कुल 70) को वेतन दिया गया।.

सूची मा0 अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु चयनित विद्यालयों की सूची की जानकारी

146-श्री विजय पाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1998-99 में तहसील फतेहाबाद में प्रश्नकर्ता द्वारा प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु दी गयी सूची में से कितने विद्यालयों का चयन किया गया है तथा उन्हें कब तक स्थापित करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

वर्ष 1998-99 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकी। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूची के निम्नांकित 03 ग्रामों को विद्यालयों की स्थापना हेतु 1 अप्रैल 2000 से प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित किया गया है:-

1-शाजा, विकास खंड शमसाबाद।

2-चनौरा, विकास खंड शमसाबाद।

3-कदम, विकास खंड फतेहाबाद।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा में मझारा से कुतुबपुर दगड़ा मार्गों के निर्माण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं निर्माण कार्य कराने की मांग

147-श्री विजय पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मझारा मार्ग से कुतुबपुर दगड़ा एवं अन्य चार मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3.4.99 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य कब तक शुरु करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों में ग्वालियर मार्ग से सिंगाइच तक 0.4 किमी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक स्वीकृत कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण कराया जा चुका है शेष मार्गों की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

स्वीकृति कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जो कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं है, उनके निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत अवशेष कार्यों की अनुमानित कुल लागत रु0 134.26 लाख है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखीमपुर के ब्लाक नकहा में पटना घाट में चौका नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव तथा पुल निर्माण की मांग

148-श्रीमती माया प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जनपद ब्लाक नकहा में पटना घाट में चौका नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो पुल निर्माण की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नदी के दोनों ओर कोई मार्ग न होने के कारण पुल निर्माण का औचित्य नहीं है।

वन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच की मांग

149-श्रीमती मिथिलेश कुमारी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के भा0ज0पा0 के जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रकाश गुप्ता का दिनांक 19.10.99 व 21.12.99 का शिकायती पत्र जो क्षेत्रीय निदेशक के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग के संबंध में था, मंत्री जी तथा सचिव, वन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच के परिणाम क्या है तथा दोषी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हां।

प्रमुख वन संरक्षक को जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वन संरक्षक आगरा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्य न करने के आरोप की जांच/आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

150-श्रीमती मिथिलेश कुमारी-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य वन संरक्षक बरेली का शिकायती पत्रांक 750/3-2-5 दिनांक 17.9.98 प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में सहायक वन संरक्षकों के खिलाफ सम्बन्धित वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक आदि द्वारा कौन-कौन और कितने आरोप लगाये गये थे? क्या सरकार मुख्य वन संरक्षक बरेली की संस्तुति/रिपोर्ट के आधार पर सहायक वन संरक्षकों को हटाकर जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हां।

वन संरक्षक, आगरा द्वारा दो सहायक वन संरक्षकों सर्वश्री एस0आर0 सिंह पर चार आरोप यथा स्टाफ में भय एवं आतंक फैलाना राजकीय कार्यों में रुचि न लेना, स्थानीय राजनीति में पड़कर कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन आदि में सहयोग करना, राजकीय कार्यों में अवरोध पैदा करना, तथा श्री जी0एस0 खुशारिया पर तीन आरोप, यथा प्रभागीय निदेशक के आदेशों की अवहेलना, कार्यों को सम्पादित न करना एवं कार्यों में रुचि न लेने के आरोप लगाये गये हैं। मुख्य वन संरक्षक, बरेली द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया।

शिकायत की जांच करायी गयी। जांच के परिणाम स्वरुप श्री एस0आर0 सिंह, सहायक वन संरक्षक के विरुद्ध शिकायत निराधार पायी गयी। श्री जी0एस0 खुशारिया, सहायक वन संरक्षक को प्रभागीय निदेशक के आदेशों की अवहेलना करने के लिए वन संरक्षक, आगरा द्वारा चेतावनी निर्गत की जा चुकी है। उक्त के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षकों को स्थानान्तरित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्राइमरी स्कूलों एवं प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

151-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कितने प्राइमरी स्कूल हैं एवं इन प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापक कार्यरत हैं? क्या सरकार इन प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए और अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1819 है, इन विद्यालयों में 5359 अध्यापक कार्यरत हैं।

मानक के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति एक अनवरत प्रक्रिया है, जो गतिमान रहती है।

यथा आवश्यकता, शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

152-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुरवा-पाटन सड़क की मरम्मत में की गयी अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

153-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा पुरवा-पाटन सड़क की मरम्मत में की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा शिकायत 20 अगस्त, 1999 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी हां।

प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से जांच करवाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा में ज्ञान भारतीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति भुगतान कराने की मांग

154-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ज्ञान भारतीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, विकास खण्ड पुरवा, जनपद उन्नाव में अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग के छात्र/छात्राओं को वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

ज्ञान भारती पू0 मा0 विद्यालय, विकास, खण्ड पुरवा जनपद उन्नाव के अध्ययनरत अनुसूचित वर्ग के छात्र/छात्राओं को वर्ष 1998-99 एवं 99-2000 की छात्रवृत्ति हेतु वांछित धनराशि ग्राम निधि में, चेक द्वारा जमा की जा चुकी है। ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहांबाद के प्रतापपुर क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों हेतु आवंटित धन से निर्माण कार्य की जानकारी

155-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है? उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के लिए निम्न सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 में धनावंटन किया गया है:-

1	2	3
क्रम सं0	मार्गो का नाम	निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य
1-	ए0जी0 मार्ग से सौराहा वाया सावाडीह मार्ग	दिसम्बर, 2000
2-	सोराव फूलपुर हड़िया से नेवादा हीला मार्ग	दिसम्बर, 2000
3-	वरुणा जंघई मार्ग से उदगो मार्ग।	भूमि विवाद है, अत: निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा यासीनपुर से आरा सम्पर्क मार्ग हेतु आवंटित धन से निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण/दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

156-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा यासीनपुर से आरा सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु धन दिया गया था? क्या उपरोक्त मार्ग की पेटिंग हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिनके कारण आज तक सम्पर्क मार्ग पूरा नहीं कराया जा सका है? क्या सरकार इस प्रकरण पर लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

कार्य प्रगति में है तथा जून, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक विद्यालयों को निर्णयानुसार दो चरणों में अनुदानित करने से अनुदानित विद्यालयों की संख्या तथा अवशेष माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की श्रेणी में लेने की मांग

157-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा 144 माध्यमिक विद्यालयों को दो चरणों में (1 अप्रैल, 1998 एवं 1 अप्रैल, 1999) अनुदानित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या प्रथम चरण में 72 माध्यमिक विद्यालयों को 1.12.98 से अनुदानित किया गया है? यदि हां, तो शेष माध्यमिक विद्यालयों को कब तक अनुदानित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 18.01.99 द्वारा 71 माध्यमिक विद्यालयों को दिनांक 1.12.98 से अनुदान सूची पर लिया गया है।

शेष माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने की शासन की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों तथा प्रदेश सरकार के वर्तमान वित्तीय संकट को दृष्टिगत रखते हुए मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 27.1.99 एवं 2.3.2000 को विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

देहरादून वन विभाग में रेन्ज अधिकारी मोहन्द रेन्ज द्वारा वन माफियाओं को गिरफ्तार करने सम्बन्धी साहसिक व उत्कृष्ट कार्य के लिए भी श्री राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित करने विषयक पत्र तथा सम्मान दिये जाने की मांग

158-श्री मुन्ना चौहान-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभागीय कार्यालय, शिवालिक वृत्त, देहरादून का पत्रांक 57/टी0सी0, दिनांक 11.8.98 जो मोहन्द रेन्ज अधिकारी द्वारा दिनांक 22.7.98 को 10 वन माफियाओं को

गिरफ्तार करने के संबंध में था, प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेन्ज अधिकारी को साहसी तथा उत्कृष्ट कार्य के लिये राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित करने की संस्तुति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त सम्मानित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

कोटद्वार गढ़वाल में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वन विभाग के कार्यालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी/पेबिल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने व रद्ध करने तथा जूनियर कर्मचारियों की पदोन्नति करने की जानकारी

159-श्री मुन्ना चौहान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, कोटद्वार गढ़वाल के कार्यालय द्वारा वर्ष 1983 से 1993 तक दैनिक वेतन भोगी/पेविल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची कितनी बार बनवाई गई तथा उसमें कितनी बार संशोधन किया गया? कोटद्वार रीजन में सबसे वरिष्ठ स्केलर श्री भोलादत्त कंडवाल को पदोन्नति न देकर उनसे जूनियर दो स्केलरों को किस आधार पर पदोन्नति किया गया? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम, कोटद्वार, गढ़वाल के कार्यालय द्वारा उक्त अवधि में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की तीन बार वरिष्ठता सूची बनायी गयी। प्रथम बार अनंतिम वरिष्ठता सूची पत्रांक-3706/व0सू0 दिनांक 24.1.90 द्वारा दूसरी बार इसका संशोधन पत्रांक-4256/व0सू0 दिनांक 26.2.90 द्वारा तथा तृतीय बार पुनः पत्रांक- 2154/व0सू0/दिनांक 21.9.92 द्वारा जारी की गयी।

वेतन बिल स्केलरों की वरिष्ठता सूची भी तीन बार जारी की गयी। प्रथम बार पत्रांक-5016/3-2-(2) दिनांक 29.6.84 द्वारा, दूसरी बार माह जून 88 की स्थिति के अनुसार और तीसरी बार माह जुलाई, 92 की स्थिति के अनुसार ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है।

श्री भोलादत्त कंडवाल इस क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ स्केलर नहीं थे और न ही इनसे कनिष्ठ स्केलरों की पदोन्नति की गयी है। जो भी पदोन्नतियां की गयी है वह वरिष्ठता क्रम में व चयन समिति की संस्तुति के अनुसार की गयी है।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद महराजगंज में श्याम देउरवा क्षेत्र के भटहर धोकहक क्षतिग्रस्त मार्ग का जीर्णोद्धार कराने की मांग

160-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवा जनपद-महराजगंज के अन्तर्गत विगत दो वर्ष पूर्व भटहर धोकहक मार्ग भीषण बाढ़ की तबाही से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है? यदि हां, तो क्या उसका जीर्णोद्धार कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त मार्ग का जीर्णोद्धार करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

वर्षा एवं बाढ़ से मार्ग आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हुआ था।

मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

मार्ग की मरम्मत का कार्य जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में कैसरगंज क्षेत्र के सरयू नदी के पैनाघाट पर पक्का पुल बनाये जाने की योजना तथा कार्यान्वित किये जाने की मांग

161-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद-बहराइच के सरयू नदी के पैनाघाट पर कोई पक्का पुल बनवाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पैनाघाट के अपस्ट्रीम में मात्र 6 किमी0 की दूरी पर आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सरयू नदी के भग्गडवा घाट पर सेतु के निर्माणाधीन होने तथा प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत सेतु का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान दिये जाने की मांग

162-श्री चेतराम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियो एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 1.1.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर, ग्राम अरमसराय में माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन बनाये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दिया गया पत्र व कृत कार्यवाही की जानकारी

163-श्री राम औतार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अरमसराय ब्लाक बेवर जनपद-मैनपुरी में स्वीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन बनाये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0वि0को0/एम/38778/मैनपुरी/2000 दिनांक 24.1.2000 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

ग्राम अरमसराय और उसके मजरा जात के मध्य में स्थित गाटा संख्या-1362 पर विद्यालय भवन निर्माण कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में प्रबन्धक प्रधानाचार्य स्वावलम्बी इण्टर कालेज के श्री मोती लाल व श्री दयानन्द शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु वरिष्ठता एवं अर्हता की जांच विषयक पत्र

164-श्री कैलाश यादव तथा श्रीमती गौरी देवी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक-माध्यमिक-31.1.1996-97 दिनांक 3.7.96 ई0 द्वारा प्रबन्धक प्रधानाचार्य, स्वावलम्बी इण्टर कालेज, गोरखपुर को श्री मोती लाल व श्री दयानन्द शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु वरिष्ठता एवं अर्हता की जांच हेतु कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो क्या इस प्रसंग में श्री मोती लाल को अयोग्य ठहराते हुए इनके लम्हुआं कलां के इण्टर कालेज, जनपद आजमगढ़ से इस विद्यालय (स्वा0 इं0 का0 विशुनपुरा, गोरखपुर) में स्थानान्तरित होकर आने को अपने निर्णय दिनांक 25.4.97 में अवैध घोषित किया है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है?

डा0 नैपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र से पयागपुर हुजरपुर रोड पर बने लकड़ी के पुलों की जानकारी तथा राजकीय आलू फार्म बरुहाघाट के पुल के निर्माण की मांग

165-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में कैसरगंज से पयागपुर जाने वाली हुजरपुर रोड पर कुल कितने लकड़ी के पुल बने हैं? क्या यह सही है कि राजकीय आलू फार्म बरुआघाट का पुल बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या उक्त सेतु बनवाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

तीन।

प्रश्नगत पुल क्षतिगस्त है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नये सेतु का निर्माण संभव न होने के कारण वर्तमान सेतु की मरम्मत करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली, यू0पी0 भवन में राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत वाहनों की संख्या तथा निष्प्रयोज्य गाड़ियों के स्थान पर नये वाहन खरीदने की जानकारी

166-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 भवन, नई दिल्ली में इस समय राज्य सम्पत्ति विभाग की कितनी गाड़ियां हैं? उनमें से कितनी गाड़ियां निष्प्रयोज्य हो गयी हैं? क्या निष्प्रयोज्य गाडियों को चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या निष्प्रयोज्य गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां क्रय की जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

यू0पी0 भवन, नयी दिल्ली में राज्य सम्पत्ति विभाग की एक स्टॉफ कार एवं एक स्टॉफ बस है।

एक भी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

167-श्री अफजाल अहमद-

[5 वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के शिक्षा अधीक्षक सण्डीला के कार्यालय में लिपिकों द्वारा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र एवं उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग

168-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई में लिपिकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रदेश भा0ज0पा0 अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह का पत्र सं0-4732/98, दिनांक 5.5.98 तथा पत्र सं0-11904/99 दिनांक 1.7.99 शिक्षा अधीक्षक, सण्डीला, हरदोई के कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

दोनों लिपिकों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति तथा स्थानान्तरण करने की मांग

169-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की क्या नीति है? क्या सरकार उक्त नीति के अनुसार नगर क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई में अधिक समय से कार्य करने वाले लिपिकों का स्थानान्तरण तत्काल करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय लिपिकों के स्थानान्तरण परिषद् मुख्यालय से करने का प्राविधान है। परिषद् द्वारा अधिक ठहराव के आधार पर सामान्यतया स्थानान्तरण नहीं किये जाते।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज को एस0आर0एम0डी0 योजना में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत हेतु आवंटित धन तथा अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने की मांग

170-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के मरम्मत हेतु विगत वर्ष 1999-2000 में जनपद महराजगंज को एस0आर0एम0डी0 योजना में कितना धन आवंटित किया गया था? क्या विगत वर्ष की अवशेष धनराशि को वर्तमान सत्र में जनपद महराजगंज को आवंटित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के मरम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 में जनपद महराजगंज को एस0आर0एम0डी0 मद में रु0 4.00 लाख आवंटित किया गया था।

विगत वर्ष की कोई धनराशि आवंटन हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में दिलदार नगर क्षेत्र के खेतीपुर गहमर मार्ग पर सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धन से अधिक खर्च करने का औचित्य एवं जांच की कार्यवाही करने की मांग

171-श्री सिंहासन सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर के खेतीपुर गहमर मार्ग पर सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण करने हेतु स्वीकृत धनराशि 24 लाख रुपये के स्थान पर 65 लाख रुपये खर्च किय गये? यदि हां, तो क्यों एवं किसके आदेश से?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत सेतु के निर्माण पर रु0 25.12 लाख की स्वीकृत लागत के विरुद्ध रु0 65.30 लाख का व्यय किया गया है।

पुल की लम्बाई 19 मीटर से बढ़ाकर 36 मीटर किए जाने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसके लिए शासन से पुनरीक्षित प्राप्त नहीं की गयी। इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

172-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

[दिनांक 27.4.2000 को अता0 प्र0 सं0-151 द्वारा उत्तरित।]

173-श्री हरपाल सिंह-

[छठे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0-82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ की प्राइमरी पाठशाला उमरपुर नोही ब्लाक पट्टी के भवन निर्माण में तकनीकी गुणवत्ता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

174-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की प्राइमरी पाठशाला उमरपुर नोही. ब्लाक पट्टी के भवन निर्माण में गुणवत्ता की तकनीकी जांच संबंधी सी0डी0ओ0, प्रतापगढ़ के आदेश सं0-941, दिनांक 22.11.99 का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या प्राप्त धन से निर्मित कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरुप है? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां।

जी नहीं।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये श्री राम बहादुर सिंह, प्रधानाध्याक को गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया गया है तथा प्राइमरी विद्यालय उमरपुर के भवन निर्माण में व्यय गबन की गयी धनराशि रुपये- 74,250-00 तथा प्राइमरी विद्यालय नोई के भवन निर्माण में गबन की गयी धनराशि रु0-15000/- अर्थात् कुल रुपये 89,250-00 की धनराशि की वसूली के आदेश दे दिये गये हैं।

लखनऊ में दारुलशफा व अन्य विधायक निवासों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विधायक निवास के चारों ओर बाउन्ड्री वाल बनाकर मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की मांग

175-श्री श्याम प्रकाश-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि लखनऊ में दारुलशफा तथा अन्य विधायक निवासों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गयी है? क्या यह सही है कि विधायक निवासों में उचित व्यवस्था न होने के कारण अनेक अपराधिक घटनायें होती रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक विधायक निवास की बाउन्ड्री बनाकर मुख्य गेट पर सिक्योरिटी व्यवस्था करने पर विचार करेगी। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हां। विधायक आवासों की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी दारुलशफा, पार्क रोड, बंदरियाबाग एवं सुल्तानगंज की स्थापना की गयी है। उक्त के अतिरिक्त चेतक/पवन मोबाइलों द्वारा दिन-रात विशेष गश्त की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार व्यवस्था की गयी है। गत वर्ष में कोई अपराधिक घटना घटित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

ऐसी कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की राजेन्द्र नगर कालोनी के डी0 टाइप आवासों का आरम्भ में तथा वर्तमान में किराये के अन्तर की जानकारी

176-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की राजेन्द्र नगर कालोनी के डी0 टाइप कक्षों का आरम्भ में मासिक किराया कितना था और अब बढ़ाकर उसे कितना किया गया है? किराया कब बढ़ाया गया और उसका आधार क्या है?

श्री राम प्रकाश-

प्रश्नगत कालोनी के डी टाइप आवासों का आरम्भ में किराया रुपया 26.25 था, जिसे नवम्बर, 1960 में बढ़ा कर रुपया 27.30 कर दिया गया था। तत्पश्चात् 01जनवरी, 1981 से भूतल के आवास हेतु रुपया-116.75 तक प्रथम तल के आवास हेतु रुपया 110.90 निर्धारित किया गया है।

किराया 01जनवरी, 1981 से बढ़ाया गया। अनुरक्षण एवं रख रखाव इत्यादि पर होने वाले व्यय, किराया बढ़ाये जाने का आधार है।

जनपद मुरादाबाद के उपजिलाधिकारी, सदर श्री अमिताभ प्रकाश द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच कराने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

177-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28 फरवरी, 2000 को मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री सौलत अली, सदस्य, विधान सभा का पत्र जो श्री अमिताभ प्रकाश, उप-जिलाधिकारी, सदर, मुरादाबाद द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हॉ।

शिकायती पत्र की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

178-श्री अफजाल अहमद-

[5 वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कन्नौज के ब्लाक सोरिख ग्राम जमुनी डांडी हेतु पक्की सड़क बनाने की मांग

179-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-जमुनी डांडी, ब्लाक सोरिख, जनपद कन्नौज के

लिये कोई पक्की सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पक्की सड़क का निर्माण करायेगी? यदि हां. तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हॉ।

जी नहीं. क्योंकि जमुनी डांडी ग्राम बाथम का एक मजरा है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को 2005 तक तथा समस्त ग्रामों को 2010 तक लेपित मार्ग से जोड़ने की योजना है। मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ओरैया, ब्लाक विधूना, मौजा भटौली, ग्राम हाजीपुर हेतु पक्की सड़क बनवाने की मॉग

180-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम हाजीपुर, मौजा भटौली, ब्लाक विधूना, जनपद ओरैया म जाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के लिये पक्की सड़क बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम हाजीपुर की आबादी 450 है और वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2005 तक शेष ग्रामों को वर्ष 2010 तक लेपित सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है।

लखीमपुर खीरी में आर्य कन्या महाविद्यालय में श्रीमती सईदा जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति व वेतन भुगतान की तथा विनियमित करने की मांग

181-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय की स्पेशल रिट पिटीशन संख्या-494/99 एस0वी0 के निर्णय के दिनांक 19-1-2000 के क्रम में श्रीमती सईदा जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी को आर्य कन्या महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी थी? क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? क्या सरकार उनको विनियमित कर उनके वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

182-श्री रामनक्षत्र-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0प्र शासन के नियुक्ति सचिव के शासनादेश के अनुसार श्री दिनेश चन्द्र एफ0एस0ओ0, मिर्जापुर द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का कार्य संचालन किये जाने की जानकारी एवं प्रभावी निर्देश की मांग

डॉ0 सत्य प्रकाश सोनकर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियुक्ति सचिव, उ0प्र0 शासन का आदेश आर0जी0/सी0पी0/

फैक्स नं0 2271/11-3-99, दिनांक 25 जून, 1999, कलेक्टर, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन के उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री दिनेश चन्द्र, एफ0एस0ओ0 मिर्जापुर द्वारा बन्दोबस्ती अधिकारी चकबन्दी का कार्य संचालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश-

जी हाँ।

शासन के उक्त आदेश संख्या-आर0जी0सी0पी/फैक्स-2271/11-3-99, दिनांक 25 जून, 1999 को अनुपालन में श्री दिनेश चन्द्र को वन बन्दोबस्त अधिकारी के कार्य के साथ-साथ बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी का अतिरिक्त कार्य संचालन करने के लिए दिनांक 18-8-99 को जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा आदेश जारी किया गया और तद्नुसार वे कार्य भी किए। जिलाधिकारी मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार श्री दिनेश चन्द्र ने अपने अल्प कार्यकाल में अनियमितताएं कीं। इनकी कार्य प्रणाली से काश्तकारों में काफी रोष उत्पन्न हुआ। अत: बाध्य होकर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 20-12-99 को इनसे चकबन्दी का अतिरिक्त कार्य हटा लिया गया एवं शासन द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 25 जून, 1999 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर में पर्यटक स्थल विकसित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

184-श्री बांकेलाल सोनकर-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर में पर्यटक स्थल विकसित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 जून, 1999 उ0प्र0 राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष डा0 दिनेश शर्मा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक यादव-

जी हाँ।

जिला अनुश्रवण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे ज़ाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में समूह 'ग' के अन्तर्गत कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

185-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में वन विभाग में समूह "ग" के अन्तर्गत कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। क्या उक्त कर्मचारियों को कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना सं0-2/1 97-का0-2-1998, दिनांक 9 जुलाई, 1998 के अन्तर्गत विनियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो विनियमितीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह-

वर्तमान में समूह "ग" के पदों विरुद्ध 869 दैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी, हाँ।

जी हाँ।

विनियमितीकरण नियमावली-1998 के तहत नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 4.5.2000 द्वारा विभागाध्यक्ष को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में वर्ष 1986 से 89 के मध्य कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को तदर्थ रुप से समायोजित करने की मांग

186-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय उ0मा0वि0 तथा रा0इं0 कालेजों में वर्ष 1986 से 89 के मध्य कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को तदर्थ रुप से समायोजित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या उनको समायोजित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन्हें कब तक समायोजित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह-

उत्तरांचल के राजकीय उ0मा0वि0 तथा रा0इं0 कालेजों में कुल 1849 अंशकालिक शिक्षक कार्यरत थे जिनमें से 1019 शिक्षकों को समायोजित कर दिया गया है। शेष के सम्बन्ध में अभी शासन में उपरोक्त प्रकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 1989 में अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने पर वेतन निर्धारण के समय की पहली सेवाओं का लाभ दिये जाने की मांग

187-श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर जनपद में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 1989 में अनुदान सूची पर आने पर उनके वेतन निर्धारण करते समय उन्हें पहली सेवाओं का लाभ दिये गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी-

(क) जी नहीं।

राजाज्ञा संख्या-3048/15-8-89/3054/87 दिनांक 6.9.89 द्वारा 393 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को दिनांक 01 अक्टूबर, 89 से वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत वेतन भुगतान अनुमन्य किया गया है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

यू0पी0 डेस्को विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पदों की संख्या तथा आरक्षित वर्ग के पदों का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

188-श्री बाबू खां-

क्या इलेक्ट्रानिक्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 डेस्को विभाग में कार्यालय अधीक्षक के कितने पद हैं? उसमें कितने पद आरक्षित वर्ग के हैं? क्या आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

यू0पी0 डेस्को में कार्यालय अधीक्षक के 07 पद सृजित हैं।

इन सात पदों में से दो पद आरक्षित वर्ग के हैं।

आरक्षित श्रेणी का एक पद रिक्त है।

पद को भरे जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

लखनऊ में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के पत्रानुसार श्री कृष्ण लाल विश्नोई लेखाकार द्वारा गबन किये जाने की जानकारी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

189-श्री अक्षयवर लाल-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, लखनऊ के पत्रांक 212/दो-सम्प्रेक्षण-विविध/गबन/91-92 दिनांक 4-5-91 के अनुसार श्री कृष्ण लाल विश्नोई लेखाकार की 10 लाख रुपये के गबन के मामले में सत्यनिष्ठा सन्देहास्पद एवं कर्त्तव्यों की अनदेखी का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लेखाकार को मुख्यालय से तत्काल स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास मंत्री) श्री मण्डलेश्वर सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मा0 सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था विधान भवन स्थित केन्द्रीय कक्ष में किये जाने की सूचना

(संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकूम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं केवल माननीय सदस्यगण को आपकी आज्ञा से सूचना देना चाहता हूं कि जो भोजन की व्यवस्था होती थी वह लंच पैकेट के रुप में थी, इसमें कुछ असंतोष था कुछ सुझाव दिए गए थे, सुझावों के अनुरुप जो केन्द्रीय कक्ष है, सेन्ट्रल हाल है उसमें भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें डेढ बजे से लेकर साढे तीन बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा। माननीय सदस्य उस बीच में जाकर भोजन कर सकते हैं।

प्रश्न काल में अन्य विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने के कारण प्रश्न काल का समय बढ़ाये जाने की मांग

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर इस सदन का संचालन नियमावली और परम्पराओं से होता है मान्यवर, एक घंटा 20 मिनट प्रश्नों का समय निर्धारित है एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर 45 मिनट लग गया जिसमें प्रश्नों का समय कम हो गया इस सदन में जो प्रश्नकाल का समय है वह व्यवस्था के प्रश्न के कारण कम हो गया तो अगर आप सहमत हों तो उसे एक घंटा 20 मिनट कर दें 45 मिनट जो व्यवस्था के प्रश्न में निकले हैं उसके आगे समय बढ़ा दें, बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित के प्रश्न लगे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपने प्रक्रिया नियमावली और परम्पराओं दोनों का हवाला दिया है परम्परागत रुप से 11 बज से 12.20 तक प्रश्नकाल रहता है। प्रश्नकाल में व्यवधान रहता है तो भी परम्पराओं के अनुरुप 12.20 पर प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांधला में श्री मुनव्वर हसन सांसद तथा श्री संजय सिंह एवं श्री जगत सिंह सदस्यगण विधान सभा को पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी से पीटे जाने संबंधी प्रकरण

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुजफ्फरनगर की घटना पर अपने विचार रखें। 311 का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, बात सदन में आ जाए।

(नेता विरोधी दल) श्री धनीराम वर्मा-

311 का उल्लेख तो किया ही जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्राथमिकता पर सुनने की बात थी केवल ग्राह्यता पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री धनीराम वर्मा-

पहले और नेताओं को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप नाम भेज देंगे तो सुविधा होगी। साथ ही जो माननीय सदस्य अपनी बात कहें वह इस बात का ध्यान रखें कि समय का स्वअनुशासन हो।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय यह घटना अपने में एक महत्वपूर्ण घटना है और यह घटना यह साबित करती है कि रोज विपक्ष इस सदन में यह बात कहता है कि कानून का राज्य पूरे प्रदेश में समाप्त हो गया है, एक तरह से जंगल राज्य काम हो गया है। यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि नियम-311के अन्तर्गत जितनी शर्तें हैं सभी शर्तों को पूरा करता है। यह घटना पांच तारीख की है गंगेरु प्रधान को दो तारीख को गिरफ्तार किया गया, एक अपहरण की घटना बताकर कि यह उसमें शामिल हैं उनको तीन दिन तक थाने में प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, वह संभ्रान्त व्यक्ति हैं इससे पहले उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उस ग्राम सभा की 11 हजार की आबादी है जहां दो प्रधान हैं। इस सदन मं एक बार नहीं अनेक बार इस तरह के गम्भीर मामले आए जिसमें सम्मानित विपक्ष के और सम्मानित विपक्ष के विधायकों के साथ अभद्रता की गई। ऐसा काम उनके साथ किया गया जो कदाचित सम्य समाज में किसी के साथ नहीं होना चाहिए विधायिका का अपना महत्व है .....

और महत्व खत्म हो जायेगा तो फिर विधायिका का क्या महत्व रह जायेगा। मान्यवर, मुन्नवर हसन राज्य सभा के सदस्य, संजय चौहान, ठाकुर जगत सिंह दोनों वर्तमान सदस्य है और कदाचित किसी मामले में उत्तेजना में आकर कोई कार्य विधान सभा के अन्दर उन्होंने नहीं किया। हरेन्द्र मलिक और एक पूर्व विधायक श्री सोमांश प्रकाश इन पाँच लोगों को थाने में डी0एम0 और एस0एस0पी0 ने यह कहकर बुलवाया था कि इस पूरे प्रकरण पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर हल निकाला जाय। वहां ए0डी0एम0, ए0एस0पी0 और सी0ओ0 थाने में मौजूद थे, दो घंटे से वार्ता हो रही थी और दस हजार का जन समुदाय वहां से पांच सौ मीटर की दूरी पर था और वे वहां पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन कोई थाने के करीब नहीं था। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही थी। एकाएक ए0एस0पी0 ने कहा कि दरोगा के खिलाफ कार्यवाही होगी, गलती उसी की है तो उस दरोगा ने बिना ए0डी0एम0 और सक्षम अधिकारियों की आज्ञा लिये हुए लाठी चार्ज किया और इन लोगों के खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया वह शायद ही कभी हुआ होगा। यह बड़ी शर्मनाक बातें है और केवल विपक्ष लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी है। रोज यह घटनाएं हो रही हैं और सत्ता पक्ष अपने प्रशासन और पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए इस प्रकार बयान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं था। जो पुलिस का बयान है उसको सही माना जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और यह कहा कि हम उस एस0ओ0 को निलम्बित कर देंगे और कल ही सी0ओ0 के खिलाफ डी0आई0जी0 से रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही करेंगे लेकिन यह हो नहीं हो पाया। कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने दूसरी बात बता दी जिससे पूरा सदन बाधित रहा। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। अगर इन घटनाओं पर कोई डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट नहीं किया गया तो इस संविधायिका का ही सम्मान खत्म नहीं होगा बल्कि हम सबका सम्मान खत्म होगा। आज आम आदमी सुरक्षित नहीं रह गया है। अगर सत्ता पक्ष यह चाहता है कि सदन गंभीरतापूर्वक विचार करे तो इसमें तत्काल कार्यवाही करने की घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस विधान सभा में करें जिससे यह सदन शांतिपूर्वक ढंग से चले।

श्री अधिष्टाता-

आपकी बात आ गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप भी विचार करें, आप पुराने सदस्य हैं। कदाचित ऐसी घटनाएं हुआ नहीं करती हैं। जब अंकुश खत्म हो जायेगा, डर खत्म हो जायेगा तो क्या होगा? निरीह प्राणी की तरह थाने में खींचा जाय तो इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। यह शासन और सरकार इसको गंभीरता से लेकर तत्काल कार्यवाही करे। आप हमारे संरक्षक हैं आप इसमें निर्देश देने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की यह घटना एक गंभीर घटना है। आजकल समस्त सदन की कार्यवाही अगर रुक जाती है तो जब से भाजपा की सरकार आयी है न प्रशासन पर इनका नियन्त्रण रह गया है पुलिस बेलगाम हो गयी है निर्दोष लोगों को फर्जी इनकाउंटर के जरिये हत्या कर रहे हैं और मान्यवर अब इनका मान इतना बढ़ गया है, सरकारी संरक्षण में आज इनके हाथ में इनकी शक्तियां इतनी बढ़ गयी है कि विधायक और सांसदों पर इनकी लाठियां उठने लगी हैं। 5 मई का मुजफ्फरनगर का प्रकरण सरकार के लिये शर्मनाक है। अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो इस सरकार को त्याग पत्र देकर जनता की अदालत में जाना चाहिये। इस सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मान्यवर, 5 मई को एक संभ्रात प्रधान को थाने पर बुलाया गया प्रताड़ित किया गया, कौन सा कानून है कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई जो अभियोगी नहीं है उसको बुलाकर दंडित करें। यह खबर आग की तरह फैल गयी। दलों के बंधन टूट गये, कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी तमाम दलों के लोग वहाँ पहुँच गये। सांसद पहुँच गये, 2-2 विधायक पहुँच गये हमारे जो उम्मीदवार थे शर्मा जी वे वहां पहुँच गये। उस थाने में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं थाने में अधीक्षक बैठे हुए हैं, सांसद विधायक बात कर रहे हैं थानेदार लाठीचार्ज का हुकुम देता है अगर थाने के बाहर कोई बात होती तो बात समझ में आती। मजिस्ट्रेट चिल्लाता रहा कि जब हमने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया तो फिर किसके आदेश से यह हुआ है इनकी निरंकुश पुलिस ने उस मजिस्ट्रेट को भी मारा पीटा।

मान्यवर, अगर इतनी पुलिस निरंकुश हो जायेगी तो फिर यह कानून का राज्य तो नहीं है जंगल का राज्य हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। मान्यवर, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आते हैं बात तय होती है। चेयरमैन के यहां यह बात तय होती है कि थानाध्यक्ष को हटाया जायेगा क्षेत्राधिकारी के संबंध में बाद में कार्यवाही होगी। थानाध्यक्ष को तय होने के बाद हटाया नहीं गया बल्कि राजनीतिक कारणों से उसे रोका गया है। इससे बड़ा विधायिका का अपमान क्या हो सकता है। अगर इस सरकार ने यह सब सोच ही लिया है तो न विधायिका का कोई महत्व रहेगा और न जनता सुरक्षित रह पायेगी। मान्यवर, जिन अधिकारियों ने गलत कार्यवाही की है उन्हें तत्काल निलम्बित करायें। दरोगा, एस0ओ0 और दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने अकारण लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ मुकदमा क़ायम कर दंडित किया जाय सम्पूर्ण प्रकरण की किसी जज से जांच करायी जाय। अगर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तो फिर वही बात आयेगी जो संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देते हैं। मान्यवर, इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करायी जाय।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना अत्यन्त लोकमहत्व की है, अविलम्बनीय है, तात्कालिक है।

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर अन्तर्गत थाना कांघला की पुलिस ने वहां के एक प्रतिष्ठित ग्राम प्रधान मतलूब जंग को एक अपहरण कांड में फर्जी अभियुक्त बना दियां। उनके अपहरण की घटना में

अभियुक्त बनाये जाने के विरोध में गैर भाजपा दलों की ओर से 5 मई, 2000 को थाना कांघला में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। थाने से काफी दूर प्रदर्शनकारी खड़े थे। थाने में एस0एस0पी0 और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे उनके बुलाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद श्री मुनव्वर हुसैन और उनके साथ अन्य नेता वहां पर वार्ता के लिए बुलाये गये। थाने में सांसद और विधायकगण से वार्ता हो रही थी।

श्री अधिष्ठाता-

पुनरावृत्ति न करें, ग्राह्यता पर कोई बात कहना चाहें तो कहें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

तो श्रीमन्, इधर वार्ता हो रही थी और उधर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया थाने से बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों पर। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी उग्र हो गये थे और उसकी प्रतिक्रिया में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मेरा कहना है कि प्रदर्शनकारी थाने से काफी दूरी पर खड़े थे उन पर लाठीचार्ज हुआ तो थाने में बैठे हुए सांसद और विधायक की पिटाई कैसे हो गयी। सांसद और विधायकों की जिस सरकार में पुलिस पिटाई करे और घटना के कई दिनों के बाद भी इन दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रदेश की सरकार गम्भीर न हो तो इससे बड़ी चिन्ताजनक बात और क्या हो सकती है। इस घटना में सांसद श्री मुनव्वर हुसैन, संजय चौहान और जगत सिंह जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं और उनकी पिटाई पुलिस ने की है। श्रीमन्, इन लोगों के साथ मुजफ्फरनगर के जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को भी चोटे आई हैं। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया है। यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि 5 मई की इस घटना के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों तथा सम्बन्धित अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस घटना में सांसद घायल हुए, इस सम्मानित सदन के 2-2 विधायक घायल हुए, सभी गैरभाजपा दलों के कई नेता घायल हुए ऐसे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार को गम्भीर रुख अख्तियार करना चाहिए और उस थाने के पुलिसकर्मियों तथा इस घटना के लिये जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह अत्यन्त लोकमहत्व और अविलम्बनीय है। इसीलिये सदन के संगत नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें। सूचना सबकी निरस्त की जा चुकी है, यह तो मैं सुन रहा हूँ।

श्री कौकब हमीद-

माननीय, हम सब लोग यहां पर एक गम्भीर प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि इस सदन में कई बार ऐसे प्रकरण आते रहे हैं। आज यह सोचने का मसला है कि क्या सांसद और जनप्रतिनिधि विधायक जो यहां के सदस्य भी हैं वह कोई बात कहने किसी अधिकारी के पास जा पायेंगे या नहीं जा पायेंगे? यह तय करने की जरुरत है कि क्या एम0एल0ए0, एम0पी0, विधायक या जनप्रतिनिधि किसी भी मामले को लेकर थाने में जा पायेंगे या नहीं जा पायेंगे? अगर विधायक जाते हैं और उसके साथ अगर कोई तरीका ऐसा अपनाया जाता है जिससे लाठीचार्ज हो जाय और उसको मारपीटा जाय तो कौन सा आदमी रह जायेगा जो जनता की बात को लेकर कहीं जा पायेगा? आज आप इस बात का निर्णय दें और हुकुम दें कि सरकार वक्तव्य दें। आज यह इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ऐसे मसले लेकर नहीं जा पायेगा।

मान्यवर, जहां तक 5 मई का प्रकरण का सवाल है, तो उससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। वहां एम0एल0ए0 और सांसद मौजूद हों और बड़े अधिकारी मौजूद हों और लाठीचार्ज हो जाय, मार पीट हो जाय। फिर इस सदन का क्या महत्व नहीं रहेगा, जब इस सदन में विधायक पिटकर आयेगा। जब आप विधायकों की बात कर रहे हैं तो यह भी जरुरी है कि जो वहां का क्षेत्रीय विधायक है, उसका क्या कहना है, उस पर भी गौर कर लिया जाय। लोकदल का विधायक वहां से 5 बार जीतकर आ रहा है, उसका क्या कहना है, इस पर गौर कर लिया जाय, धन्यवाद।

श्री विनोदमणि-

मान्यवर, आज इस सदन में बड़े महत्वपूर्ण विषय पर लोग चर्चा कर रहे हैं। आज यह सवाल सामने आ खड़ा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि, चाहें सांसद या विधायक हों, जनता की समस्याओं को लेकर बड़े अधिकारियों के पास जा पायेंगे? हम लोगों को अक्सर जनता की समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है और हम सभी लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मुजफ्फरनगर में सांसद पिट जाय, माननीय विधायक मारा जाय। इतनी गंभीर घटना होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अपनी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही न करे, यह निहायत शर्मनाक बात है। मान्यवर, इस सरकार में पुलिस बेलगाम हो चुकी है, पुलिस का राज कायम हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं के बराबर है और प्रदेश में पुलिस की हुकूमत चल रही है और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है और जनता के सवालों को लेकर लड़ने वाले लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं। इस गंभीर घटना पर, माननीय विधायकों के सम्मान को देखते हुये इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, इस गंभीर घटना, जो विगत 5 मई को मुजफ्फरनगर के कांधला थाने के अन्दर और बाहर घटित हुई है, के संबंध में विस्तार से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। मैं इसकी ग्राह्यता पर नहीं जाना चाहता हूँ, यह जो प्रकरण हुआ है, इससे यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लाठी तंत्र हो गया है। इस लाठीतंत्र में, लोकतंत्र और लोकशाही की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। सम्मानित निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर किसी थाने में बैठे हैं और कहीं भी जनता के आक्रोश को प्रतिबिम्बित करते हैं तो उसका निदान या उपाय होना चाहिये। लेकिन यदि लाठीतंत्र का उपयोग जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने, कुचलने का प्रयास हो तो यह उचित नहीं होगा। इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, सत्ता पक्ष में बैठकर हम उस दरोगा को. डिप्टी एस0पी0 को डिफेन्ड करें, विपक्ष के कुछ सम्मानित विधायक या सांसद की पिटाई हुई है तो पुलिस निरंकुश हो जायेगी और प्रशासनिक व्यवस्था बेलगाम हो जायेगी। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से न देखें, इस घटना पर आप क्या निर्देश देंगे, सरकार को कार्यवाही करने के लिये कहेंगे। इस घटना के संबंध में माननीय विधायक मुख्यमंत्री के कक्ष में गये, मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने धरना दिया। मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल करके आए और मुख्यमंत्री जी ने उस घटना के प्रकरण की जानकारी ली और उन्होंने सम्यक रुप से जानकारी करने के बाद कहा कि बिना मजिस्ट्रेट के किस आदेश से वहां पर लाठीचार्ज हुआ और जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसके आदेश पर लाठी चार्ज हुआ, किसके आदेश पर पिटाई हुई तो उस मजिस्ट्रेट की भी पिटाई कर दी गई। जिनके ऊपर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनकी पिटाई करें, सम्मानित जनप्रतिनिधियों की पिटाई करें, और इसको संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। यदि भीड़ की तरफ से कोई उत्तेजना थी, उत्तेजना पैदा हुई तो क्या उन जनप्रतिनिधियों ने उत्तेजना पैदा की थी? मान्यवर, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। उस दरोगा को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, सी0ओ0, डिप्टी एस0पी0

आदि उनकी लापरवाही से यदि ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, आप सम्मानित सदस्यों का संरक्षण कीजिए। कल ही उस दरोगा का स्थानान्तरण हुआ, विडम्बना देखिए कि शाम तक वह दरोगा पुन: पदस्थापित हो गया। कल वह दरोगा क्यों स्थानान्तरित किया गया और पुन: उसको क्यों पदस्थापित किया गया? क्या यह उन सम्मानित विधायकों का अपमान नहीं है? इससे सदन के विधायकों का अपमान हुआ हैं। जिस दरोगा ने उत्तेजना पैदा करके लाठीचार्ज कराया, जिसे संसदीय कार्यमंत्री ने स्वीकार किया है। यदि इस सदन से न्याय नहीं मिलेगा, कानून से न्याय नहीं मिलेगा और लाठीतंत्र का मुकाबला करने के लिए वही मार्ग अख्तियार करना पड़ेगा तो इस स्थिति से बचने के लिए आप सरकार को निर्देश दें।

श्री जगत सिंह-

मान्यवर, 4 तारीख को मैसेज मिला था कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 हजार लोगों की भीड़ थी, थाने से 500 मीटर की दूरी पर धरना चल रहा था। जब हम वहाँ पहुचे, मान्यवर, विधायक संजय सिंह ने डी0एम0 को फोन किया, डी0एम0 ने कहा कि आप लोग थाने चले जायें, हम डी0एम0 के निर्देश पर थाने में जाते हैं, वहां पर शान्तिपूर्ण तरीके से मामला तय हो गया कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ एफ0आई0आर0 लाज कर दी जाये।

जब थानाध्यक्ष को जानकारी मिली कि एफ0आई0आर0 दर्ज होने जा रही है तो वहां के सी0ओ0 ने पी0ए0सी0 तथा थाने के कर्मचारियों से कहा कि तुम्हारे एस0ओ0 और सी0ओ0 जेल जा रहे हैं तो काम कैसे चलेगा। इस पर थानाध्यक्ष जिसका घर वहां से केवल 15-20 कि0मी0 दूर है और उसने वहां पर ट्रैक्टर ट्राली से पहले से ही 50 आदमी इकट्ठा कर रखे थे और वह आदमी थाने के सामने बैठे थे उसी के आदमियों ने पी0ए0सी0 पर पत्थर फेंके। इस घटना से जनता का कोई मतलब नहीं है जनता तो वहां से 500 मीटर की दूरी पर शांतिपूर्वक मीटिंग कर रही थी। इसके बाद लाठी चार्ज हुआ। हम लोगों ने पूछा कि लाठी चार्ज क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बुरी तरह हमारे साथ मारपीट की, एम0पी0 साहब को पीटा, संजय भाई को पीटा, मुझे पीटा तथा भूतपूर्व विधायक हरेन्द्र मलिक जी को पीटा तथा श्रीपाल शर्मा को पीटा। जब इस घटना के संबंध में ए0डी0एम0 ने कहा कि तुम लोग विधायक और सांसद को क्यों पीट रहे हो तो ए0डी0एम0 और एंस0डी0एम0 को पीटा गया।

(सेल्यूलर फोन की आवाज से व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

यह ध्वनि कहां से आ रही है। कई बार माननीय सदस्यों से आग्रह किया जा चुका है कि मोबाइल फोन लेकर सदन में न आयें। मैं समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त है, कृपया इस घटना से सबक लें और मोबाइल लेकर न आयें।

श्री जगत सिंह-

ए0डी0एम0 और एस0डी0एम0 को निरीह प्राणी की तरह पीटा जा रहा था। 2 घंटे बाद वहां पर ए0एस0पी0 और जिलाधिकारी आते हैं उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हमारे प्रशासन के लोगों ने गलती की है, अधिकारियों ने गलती की है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि एस0ओ0 को इन्सपेक्टर बना दिया जाय, सी0ओ0 को एडीशनल एस0पी0 बना दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करुंगा कि समय का थोड़ा सा अनुशासन रखें।

श्री राजेन्द्र यादव-

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांघला के अंदर जिस तरह की घटना हुयी उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। थाने पर वहां की जनता ने एक प्रदर्शन आयोजित किया था और वहां भीड़ इक्ट्ठा थी। सरकार की तरफ से इस तरह का जवाब आता है कि जनता अनियंत्रित हो रही थी, यह सही नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जनता अपनी बात सरकर तक पहुंचाने के लिये थानों पर समय समय पर प्रदर्शन करती है। जब वहां थाने के अन्दर क्षेत्रीय सांसद और विधायक मौजूद थे तो उसके बावजूद पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा। यह पहली बार नहीं है यह अनेक बार हुआ है, पुलिस अपने काले कारनामों को छिपाने के लिये कहीं उसकी पोल न खुल जाय इस भय से बचने के लिये पुलिस को बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के लाठी चलानी पड़ी। मान्यवर, सरकार की तरफ से एक बात यह आयी कि बाहर की भीड़ अनियंत्रित थी तो किस परिस्थिति में दो माननीय विधायक और सांसद जो थाने के अन्दर बैठे थे उनके ऊपर कैसे लाठी चली। लोकतंत्र में इससे शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ इस सरकार में पुलिस निरंकुश हो गयी है और उसका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, उस पर सरकार का काबू नहीं रह गया है। टूण्डला की घटना अभी थमी नहीं थी कि हरदोई में दरोगा के पद पर तैनात व्यक्ति ने अपने लाईसेन्सी बन्दूक से 4 दलितों की हत्या कर दी। इससे यह बात उजागर होती है कि इस सरकार में पुलिस अनियंत्रित है। इससे अविलम्बनीय प्रश्न और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री संजय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संक्षेप में घटना की जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं मौके पर मौजूद था। मेरे साथ भी कांधला पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अभ्रदता की गई। मान्यवर, मतलूब जंग जो ग्राम गंगेरु के प्रधान हैं उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित है और वह कई वर्षों से प्रधान हैं। उस गांव की वोटर संख्या 11 हजार है। इतने बड़े गांव का प्रधान होने के नाते पार्टीबाजी होना संभव है। झूठा-सच्चा नाम उनका लिया गया। मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, वह किसी अन्य आदमी के कार्य से स्वयं थाने में गये हुए थे उन्हें जानकारी नहीं थी कि किसी मामले में उनका नाम भी आया है। वह थाने पहुँच गये उस समय सी0ओ0 और ए0एस0पी0 थाने में मौजूद थे, उन्हें थाने के गेट से ही पकड़वाकर 15-20 सिपाहियों से पिटवाया गया जब वह बेहोश होकर गिर गये तो सिपाहियों ने थमले से बांधा और फिर लाठियों से पिटाई की गयी। डाक्टरी मुआयने में उनके शरीर पर 40 निशान पाये गये हैं। उनसे यह कहा गया कि आप वायदा करो कि आज के बाद राजनीति की बात नहीं करोगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर यह बात कही कि आज के बाद नहीं करुंगा क्योंकि जान से मार दिये जाने का डर था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में उत्तेजना फैल गयी। हम लोग 4 तारीख को मतदान के लिए लखनऊ आये हुये थे, हम लोगों को सूचना मिली हम लोग 5 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने के लिए थाने से 500 मीटर की दूरी पर एकत्र हुये। मान्यवर, सैकड़ों प्रदर्शन जिले भर में कर चुके हैं आप एल0आई0यू0 से सूचना मंगा सकते हैं कि हमने कहीं अव्यवस्था फैलाने की बात कही हो। प्रशासनिक अधिकारी हमारा पूरा सम्मान करते हैं और भरोसा करते हैं। डी0एम0 और एस0एस0पी0 ने निवेदन किया कि इस मामले को निपटवाओ। मुजफ्फरनगर में 302 के 10 एफ0आई0आर0 पुलिस के खिलाफ हैं, सरकार के द्वारा जांच हुई है उसमें यह बात स्पष्ट हुई है। इंस्पेक्टर ने लूट की है और उसके बाद जान से मारा भी है। ऐसे जिले में अगर जनप्रतिनिधि जनता को नहीं बचायेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम प्रशासन की सहायता के लिए वहां गये हुए थे, उन्होंने अपने आदमी को भेजकर बुलाया कि थाने पर आ जाओ बैठकर बात कर ली जाय। इस प्रकार की बातचीत सैकड़ों बार हो चुकी है। वार्ता अन्तिम दौर में थी। यह बात स्पष्ट हो गयी कि एस0ओ0 ने ज्यादती की है और प्रधान को ऐसे नहीं मारना चाहिए

था। एस0ओ0 के खिलाफ एफ0आई0आर0 की लास्ट लाईन लिखी जा रही थी। जब एस0ओ0 को मालुम हुआ कि उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखी जा रही है तो वह बाहर आया और उसने सिपाहियों से कहा कि हमारे और तुम्हारे खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखी गई है अब हम और आप बच नहीं सकते। वह वहां पर राजनीति करता है, राजनीतिक दल के नारे लगाता है। उसने अपने आदमियों को बुलाकर पी0ए0सी0 पर पथराव करवाया बाद में लाठीचार्ज कराया। उसने बकायदा हमारे ऊपर रायफल लगा दी। हमारे ऊपर लाठियां मारी। इससे हमारे शरीर पर इतनी चोटें नहीं है जितनी हमारे दिल पर हैं। हमारे अपमान से किसी को कोई संतोष होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, अखबारों में भी है उन्होंने वायदा किया कि यह होगा वह सब आज के अखबारों में है। उसके बाद परिवर्तन हुआ। वहां पर कमिश्नर को भेजा गया जिसकी हम लोगों को सूचना नहीं दी थानेदार ने अपने प्रायोजित आदमियों को उनसे मिलाया वही रिपोर्ट शासन के पास आई होगी वहीं संसदीय कार्यमंत्री जी पढ़ देंगे। जिसमें दूसरे पक्ष की बात को सुना ही नहीं गया। हम दो विधायक हैं, राज्यसभा सदस्य हैं उनको बुलाया ही नहीं गया। उस थानाध्यक्ष का थाना स्थानान्तरण कर दिया गया जहां से जगत सिंह विधायक हैं उसके बाद रात में फिर कोई आदेश गया और उसको पुन: उसी थाने में कर दिया गया इससे ज्यादा अपमान हमारा हो नहीं सकता है। मैं 11 साल कचेहरी में रहा हूं, बार का सदस्य हूँ कचेहरी भी अपने सदस्य का प्रोटक्शन करती है। हमारे पिताजी दो बार इस सदन के सदस्य रहे हैं। उनके सम्मान को देखते हुए ही मैं राजनीतिक जीवन में उतरा हम वेतन और भत्तों की वजह से यहां नहीं है। पारिवारिक जीवन को नष्ट करके मैं समाज सेवा के क्षेत्र से आया हूँ। अगर इस सदन के सम्मानित सदस्य का सम्मान नहीं हो सकता है तो इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

काजी मोहम्मद मुहिउददीन-

मुझे इस सम्बंध में ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि सारे फैक्ट सदन के समक्ष आ चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब-जब आवश्यकता एडमिनिस्ट्रेशन को होती हे तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपना सहयोग देते हैं। मैं पिछलें तीन चार महीनों का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे यहां मंगलौर थाने में दो बच्चों का अपहरण हुआ अपहरण के तीन चार दिन बाद उनका मर्डर कर दिया गया उनकी लाशें जब मिलीं तो जनता उत्तेजित हुई और थाने पर जमा हुई उस समय वहां की जिलाधिकारी अराधना शुक्ला का मेरे पास फोन आया कि काजी साहब आप हमारे थाने पर आ जाएं मैं भी वहां आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि इसको आप ही शांत कर सकते हैं। उस समय हमने एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मदद की। और किसी तरह मामला शांत कराया। हमारे सामने इतने सदस्य बैठे हैं चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के। अगर इस तरह की घटनाएं घटित हुई यह सोचना पड़ेगा कि थाने पर जाएं या न जाएं। क्योंकि पता नहीं पुलिस वहां पर किस समय किसकी पगड़ी उछाल दे। हम अपने इलाकों में चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और अक्सर हम प्रशासन की मदद करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो झूठी अधिकारियों की रिपोर्ट आती हैं उन पर आप विश्वास न करके इस सदन की एक कमेटी बना दें जो वहां जाकर जानकारी करे और फिर उस रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ मैं आंपके धन्यवाद देता हूँ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आपके संज्ञान में यह पूरा प्रकरण आ चुका है जिसके सम्बन्ध में श्री संजय और श्री जगत जी ने पूरे विस्तार से यहां सदन मे जानकारी दिया। मान्यवर, कल इसी सम्बन्ध में सुबह 10-45 बजे श्री शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 70 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलने उनके कक्ष में गये थे और उन्हें पूरी जानकारी दिया था। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के साथ श्री टण्डन जी भी थे, वहां कहा गया कि घटना की जानकारी कर लें और फिर हम लोग बात-चीत कर लेते हैं। श्री शिवपाल जी की

मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दरोगा को हमने निलम्बित कर दिया है और सी0ओ0 तथा दूसरे लोगों के खिलाफ शाम तक रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करेंगे। यह पूरी बात चर्चा में हुई, अखबारों में और सूचनाओं में भी आयी। उसके बाद आज जानकारी फिर हुई कि वह दरोगा उसी थाने पर है और सी0ओ0 तथा दूसरे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, जिस घटना का पूरा विवरण श्री संजय जी और श्री जगत जी ने यहां सदन में दिया और फिर कोई मंत्री, पुलिस प्रशासन और सी0ओ0 की तरफदारी करता है तो पता नहीं उसकी आत्मा कैसे जिन्दा है। मुझे तो मालूम होता है कि उनकी आत्मा मर गयी है। मान्यवर, अब कौन ऐसा प्रधान, एम0एल0ए0, एम0पी0 होगा जो इस घटना के बाद वहां बैठकर प्रशासन के लोगों से बातचीत करेगा। मान्यवर, उस दरोगा का कद पता नहीं कितना लम्बा है कि उसे संरक्षण दिया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उसे निलम्बित कर दिया है और आज फिर मालुम हुआ कि वह दरोगा उसी थाने पर है तो इस पर अधिकारी लोग क्या सोचेंगे। मान्यवर, आज पत्रकार, विधायक, प्रधान और सांसद पिट रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज पुलिस के हाथ इतने लम्बे क्यों होते जा रहे हैं? मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री और टण्डन जी आपके दल के हैं, मैं बताना चाहता हूँ कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दरोगा को निलम्बित कर दिया है तो फिर आज उस निर्णय को क्यों बदल दिया गया? मान्यवर, वहां विधायक और जनता पर तथा सांसद पर लाठीचार्ज हो रहा है और उन्हें मारा जाय जिसके सम्बन्ध में दो दिन से चर्चा हो रही है और फिर ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे पुलिस निरंकुश होती जा रही है तो सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए इस लोकमहत्व के प्रश्न पर हम चाहते हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था कायम रहे इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा आज करायी जाये।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, आज मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में चर्चा हो रही है जो वास्तव में एक गम्भीर विषय है। हमारे सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके क्षेत्र में कोई अन्याय, कोई अत्याचार हो तो वह उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करके अपनी बात रखें और यह उसका अधिकार है। जिस तरह कांधला थाने के अंतर्गत सांसद तथा विधायकों को बुलाकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और जनप्रतिनिधियों को पीटा गया बहुत गम्भीर घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी नें उस थानाध्यक्ष को निलंबित करने का वादा किया और वह निलंबन से परिवर्तित होकर स्थानान्तरण में परिवर्तित हो गया इसका मतलब एक थानाध्यक्ष मुख्यमंत्री से बड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी दबाव में आकर काम कर रहे हैं या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। मैं आज यहां इस सदन में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जिस थानाध्यक्ष ने राज्यसभा सदस्य और इस सदन के सदस्यों पर लाठी चलवाई, उसे निलम्बित कर मुकदमा चलाया जाय।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो सदन के संज्ञान में आ चुकी है। यह घटना कितनी गंभीर है यह तो आप भी मानते हैं। वे सदस्य चाहें राज्य सभा के हों, विधान सभा के हों उनको जनता का समर्थन प्राप्त होता है आज उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। जनता की समस्या को लेकर सांसद और इस सदन के सदस्य थाने जायें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष उनपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो, जो पुलिस के खिलाफ आवाज उठाये तो उसका दमन कर दिया जाय ये सब बातें इतनी गंभीर है कि इससे ज्यादा गंभीर और कुछ नहीं हो सकता। इस सरकार से बड़ा वह दरोगा है। हमारे मुख्यमंत्री लाचार हो गये हैं। इसी का नतीजा है कि सरकार में बैठा कोई भी मंत्री उस दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। आज विधायकों के सम्मान को ठेस पहुंची है इस

घटना ने विधायिका के सम्मान को ठेस पहुंचाया ही है माननीय सांस॰ को भी अपमानित करके संसद की गरिमा को भी कम करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से समाजवादी पार्टी के लोग मिले और उस समय मंत्रि-परिषद् के भी कई माननीय सदस्य वहां पर मौजूद थं। एक विश्वास दिलाया गया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया जायेगा और जांच करके सायंकाल तक सी0ओ0 को भी निलम्बित कर दिया जायेगा। मान्यवरं, जनतंत्र विश्वास पर चलता है और यह समझा जाता है कि जो यह कह रहे है उसका अनुपालन नहीं होगा। लेकिन कल से लेकर आज तक किसी के खिलाफ कोई कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वरिष्ठ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के समक्ष कोई आश्वासन दें और उस पर कार्यवाही न हो, यदि ऐसा ही हुआ तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का क्या लाभ है। दो विधायक अपमानित हुए, दो पूर्व विधायक अपमानित हुए और एक सांसद अपमानित हुए और निर्दोष लोगों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, फिर भी भी दोषी कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि सदन को तत्काल आश्वासन दिया जाय कि दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, पुलिस इन्सपेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जायेगा। आज आप शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं उन तमाम बातों को दुहरा कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। 2-3 बातें कहना चाहूंगा। यह घटना महत्वपूर्ण है, तात्कालिक है और लोकमहत्व की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जनतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया की ओर तो नहीं जा रहे हैं। जनतंत्र विश्वास पर टिका होता है। यदि विश्वनीयता खत्म हो जायेगी विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर तो इस देश में खूनी क्रॉति पैदा हो जायेगी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कौन सर्वोच्च है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ परन्तु आज विधायिका के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह् लग गया है। चाहे वह श्री जगत सिंह हो, श्री संजय चौहान हों, प्रजापति जी हों और चाहे ददू प्रसाद जी हों, आज विधायिका के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह् पैदा हो गया है। कहीं कार्यपालिका इतनी अनियंत्रित तो नहीं हो गई है कि डिक्टेरशिप की तरफ बढ़ रही हो। आज कर्त्तव्य और अधिकारों का समन्वय खत्म हो रहा है। तीन सम्मानित लोग वहां पर थे और तमाम भूतपूर्व विधायक वहां पर थे, उस छोटे दरोगा की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह सम्मानित सदस्यों के ऊपर लाठीचार्ज करने की हिम्मत जुटा सके। यह एक गम्भीर विषय है। इसलिये इस पर आज हमें नये मान दण्ड और मूल्य स्थापित करने होंगे। मुझे बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सदन के बाहर भी माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो वह कानून बन जाती है। इतनी बड़ी गम्भीर बात हो गई। सस्पेन्शन की घोषणा के बाद भी वह दरोगा वहीं बना हुआ है। इसलिये मान्यवर, आज आप इस पर कोई ठोस निर्णय लें ताकि विधायिका का अस्तित्व बना रहे।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ग्राह्यता पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं संक्षेप में 5-6 बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

कल जब माननीय मंत्री जी से बात हुई उस समय तक हमारे जो विधायकगण हैं, जो इस घटना में पुलिस की लाठी से घायल हुए, जिनके साथ पुलिस ने मारपीट की, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया उनकी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में अंकित नहीं थी। यह इस बात का प्रमाण है कि यह डैमोक्रेसी को मिटाने में तुले हैं। हमारे विधायकों की शिकायत पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारे विधायकों की बात सत्य है या पुलिस का वर्जन सही है यह तो जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे।

(पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं व्यापार शुल्क मंत्री) हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। मैं क्या बताऊँगा इनको पता लग गया क्या?

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊंगा। गृह सचिव का बयान आज सब समाचार पत्रों में छपा है इसलिये जाहिर है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और इनकी सरकार बताने जा रही है वह छिपा नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

यह ठीक नहीं है। यह आरोप लगा रहे हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, अगर इनके विरुद्ध जो एफ0आई0आर0 को दर्ज की गई वह सत्य है तो यह तो उस वक्त थाने में इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। एम0पी0 और विधायक बाहर कैसे आये। अगर यह सत्य नहीं है तो झूठ क्यों लिखी गई।

श्री अधिष्ठाता-

आप संक्षेप करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, आपकी इसी पीठ से एक निर्णय हुआ था। बबराला कान्ड में अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया था कि सरकार पुलिस को ऐसी हिदायत दे कि जो जन आन्दोलन हो उससे निपटने के विषय में एक अलग नीति बनाई जाय, अलग कार्य शैली अपनाई जाय। जिस प्रकार का बर्बर व्यवहार पुलिस का होता जा रहा है उससे निजात मिले। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने उस निर्णय पर भी अमल नहीं किया। आज यह गम्भीर प्रश्न है। जनप्रतिनिधि सरका के सामने कोई बात कहते हैं और अधिकारियों की बात कुछ और आती है। सरकार यह निर्णय करे कि किसकी बात सत्य है। यह जनप्रतिनिधियों की बात को सत्य नहीं मानते हैं। डी0आई0जी0 साहब ने, जिस प्रधान के बारे में यह चर्चा हुई उसको पकड़ा गया। डी0आई0जी0 ने उसके बारे में क्या रिपोर्ट दी। वह अपराधी था या नहीं था, इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सदन को है। आज जो रिपोर्ट मिली है। क्या जिलाधिकारी और कप्तान का कर्तव्य नहीं था कि यह घटना 5 तारीख की है। एम0एल0ए0 और एम0पी0 वहां थे सौभाग्य से मंत्री जी भी उस दिन मुजफ्फरनगर में थे। यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अविलम्ब रिपोर्ट भेजें? शासन कह रहा था हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। यह घटना 5 तारीख की थी और हम लोग 8 तारीख को इसकी बात कह रहे हैं और निरीह शासन कह रहा था कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। यह क्या डी0एम0 और एस0पी0 की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस दिन रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। यह रिपोर्ट नहीं आई इससे साफ जाहिर है कि यह एक फैब्रीकेटिव रिपोर्ट देना चाहते हैं...

श्री अधिष्ठाता

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह से प्रजातंत्र पर प्रहार होता रहा। बहुत से तानाशाहों को मिटते देखा गया है। नेपोलियन जिसकी तूती सारी दुनिया में बोलती थी उसकी मृत्यु सेन्ट हेलेना में हुई कोई पूंछने वाला भी नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह से प्रजातंत्र के ऊपर प्रहार होगा। विधायकों के ऊपर इस तरह से अत्याचार होगा तो इनकी गोलियों के सामने हमारा सीना खुला है। हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए रक्त भी बहा देंगे। हमारे लोगों को दाषी

ठहराकर यह कोई कार्यवाही अधिकारियों के विरुद्ध नहीं करना चाहते। हम समाजवादी पार्टी के लोग गान्धीवादी तरीके से इस आन्दोलन को आगे बढ़ायेंगे और यह भी तय करेंगे कि जनप्रतिनिधियों पर पुलिस और प्रशासन अत्याचार न करें। यह अविलम्बनीय प्रश्न है। सब नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि जिन माननीय सदस्यों ने 311 पर दिया है हम प्रश्नकाल के बाद सुनने का काम करेंगे तो इस पर आप सुन लें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, हमारी भी सूचना है दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

जब माननीय सदस्यों ने विचार रखने प्रारम्भ किए थे उस समय मैंने अनुरोध किया था कि जो माननीय सदस्य विचार रखना चाहते हैं उनके नाम भेज दें। मेरे पास जो नाम आए उनमें अधिकांश माननीय सदस्य को मैंने सुन लिया। श्री उदयराज जी और श्री रामविशुन प्रसाद जी दोनों के बीच आबलिक लगा था, तो मुझे लगा दोनों में से एक बोलेंगे मैंने माननीय उदराज यादव जी को बुलवा लिया है।

श्री रामविशुन आजाद-

[x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

जो आजाद जी कह रहे हैं वह कुछ लिखा नहीं जाएगा।

श्री राम विशुन आजाद-

[x x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय नेता विरोधी दल को बुला चुका हूँ। इसको मैं प्रोत्साहन नहीं दूँगा। आजाद जी की कोई बात अंकित नहीं की जाएगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि 311 पर सुना जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस द्वारा हुआ है। यह प्रजातंत्र के इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है। यह घटना पहली नहीं है इसी सदन में इस तरह की घटनाओं की चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। मान्यवर, इस निरंकुश पुलिस हठवादिता के चलते ओर यहां का जो शासन प्रशासन है असहाय और लाचार बनकर जिस तरह से पुलिस की जुल्म-ज्यादती को बरदाश्त कर रहा है यह भी इस सरकार की देन है। अभी कुछ दिन पहले ही इस सदन में पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार श्री शिवचरण प्रजापति के साथ हुआ बो भी मामला

नोट:- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आया था। उसी के कुछ दिनों बाद इसी सदन में माननीय श्री दद्दू प्रसाद जी के साथ पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और उस घटना को यहां पर उठाया गया था। मान्यवर, सरकार ने उस समय भी यह कहा था कि हम उनसे सख्ती से निपटेंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। वह पुलिस कर्मी सजा नही पाये जिससे पूरें उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों में यह संदेश गया कि हम कुछ भी करें सरकार की तरफ से हमको पूरी छूट है और सरकार की ढिलाई का यह परिणाम हुआ कि पुलिस तंत्र निरंकुश होता चला गया। मान्यवर, आज यहां पर चाहे माननीय राज्य सभा के सदस्य हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों या फिर लोक सभा के सदस्य हों, वह जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं। वे जन समस्याओं को लेकर सदन के अंदर और बाहर निराकरण करने की बात करते हैं और जब-जब आवश्यक होता है उनकी अगुवाई करके निदान की बात करते हैं। श्री मुनव्वर हुसैन, श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह और पूर्व विधायक श्री हरेन्द्र मलिक और श्री सोमांश प्रकाश इसी प्रकार के कार्यों में हिस्सेदारी लेकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। वहां पर अधिकारियों से वार्ता हो रही थी, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और जिसके दुष्परिणाम से पुलिस तंत्र निरंकुश हो गया है, यह हादसा हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय आज अगर पुलिस कर्मियों के हाथ विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो कल सत्ता पक्ष के गिरेबान में भी हो सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज हमको इस विषय पर गंभीर होना चाहिए। यह जो पुलिस की निरंकुशता की प्रवृत्ति बढ़ रही है यह उचित नहीं है। मान्यवर, आज हम टुण्डला जैसे विषय पर, सामूहिक नरसंहार जैसे विषयों पर यहां पर चर्चा किया करते हैं, लेकिन पुलिस इतनी बेलगाम हो गयी है कि निर्दोष लोगों को मार रही है, तो यह सोचनीय बात हो गयी है जब सदस्यों का जीवन सुरक्षित नहीं है, जो हाथ पुलिस के बेकसूर लोगों की तरफ उठते हैं, आज ही हाथ जब सदस्यों की ओर उठने लगे तो कल गोली भी चल सकती है। यदि एक अति लोक महत्व का विषय है, इसपर सारे कार्यों को रोककर चर्चा करायी जाय। सरकार को ऐसे मामलों में गंभीर होना चाहिए और जो इनकी निरंकुश प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसपर अंकुश लगना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए तब जाकर इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी अन्यथा आज इधर के लोगों को अपमानित किया गया है कल उधर के लोगों को भी अपमानित करने का काम यह करेगी।

(श्री राम विशुन आजाद और श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

नियम 311 में नहीं सुन रहा हूं। यह सूचना निरस्त हो चुकी है। जिनके नाम मेरे पास हैं उन्हे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना पर श्री जगत सिंह व श्री संजय सिंह जी ने अपने ऊपर बीती कहानी को बताने का काम किया है। लेकिन अफसोस है कि सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग अपने इस पद को बपौती समझ रहे हैं, यह सत्ता चलायमान होती है। आज यह लोग बैठे हुए हैं आने वाले दिनों में हम लोग बैठेंगे। श्रीमन्, अगर पुलिस के ऊपर रोक नहीं लगायी गयी तो जो लाठियां और गोलियां विपक्ष के लोगों पर चल रही हैं वह घूमकर इनके ऊपर भी चलेंगी। मान्यवर, कल कानपुर से एक

चप्पल व्यवसायी के पुत्र का अपहरण 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए हुआ पुलिस को जानकारी हो गयी यहां गोमतीनगर में वाहन की चेकिंग कर कार्य हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

यह आप विषय से अलग हट गये। आप समाप्त करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह सरकार इकबाल से चलती रही है इनका इकबाल खत्म हो चुका है। भा0ज0पा0 के राज में अगर दरोगा बड़ा है? मुख्यमंत्री बौने हैं। जब हम लोग धरना दे रहे थे कल तो यह आश्वासन दिया गया था कि दरोगा को संस्पेंड करेंगे और सी0ओ0 पर जांच के बाद कार्यवाही करेंगे। लेकिन आज दरोगा हावी है। मान्यवर, यहां माया त्यागी काण्ड हुआ था चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब नोट न किया जाये। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

[x x x x x x x]

श्री धनी राम वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, आज जिस 311 की सूचना पर हम बहुत से माननीय नेताओं ने विचार रखे हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं अनेकों बार हम लोगों ने इस सदन में कहा है कि इस वक्त चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार नहीं है बल्कि पुलिसिया सरकार है। श्रीमन्, पुलिस का जुल्म, ज्यादती और आतंक इस हद तक पहुंच गया है कि वह सांसद और विधायकों को भी नहीं बख्श रहे हैं। घटना के बारे में हम 4-5 बिन्दुओं पर अपनी बात रखेंगे। पहला बिन्दु यह है कि क्या प्रदर्शन थाने के 500 मीटर की दूरी पर हो रहा था और इसलिये हो रहा था कि मतलूब जंग को अनावश्यक रुप से पकड़ा गया, प्रताड़ित किया गया है, इस उद्देश्य को लेकर हो रहा था और वहां पर माननीय सांसद श्री मुनव्वर हुसैन, हमारे विधायक श्री संजय सिंह और दूसरे विधायक श्री जगत सिंह और पूर्व विधायक वहां मौजूद थे और अगर मौजूद थे तो कैसे वह थाने में गये क्या अपने आप चले गये? मुझे विश्वास है कि वहां के जिलाधिकारी इतना असत्य नहीं बोलेंगे उन्होंने अनुरोध किया कि आप किसी तरीके से इस मामले को थाने जाकर सुलझा दीजिए, सी0ओ0 और अन्य अधिकारियों से कह रहा हूं किसी तरह से यह मामला हल हो जाय। डी0एम0 के अनुरोध पर माननीय नेतागण गये हुए थे श्रीमन्, यह लाठीचार्ज बाहर हो रहा था फिर भीतर माननीय सदस्यों के चाहे लोकसभा के हों या विधान सभा के हो या भूतपूर्व सदस्य हों उनको कैसे पीटा गया, क्या वहां कोई झगड़ा कर रहा था? श्रीमन्, यह सही है जैसा बहुत माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने भी सूचना प्राप्त की है, श्रीमन् जब तय हो गया कि वहां के कांघला के दरोगा के खिलाफ और सी0ओ0 के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी जाय और वह लिख भी चुकी थी, अंतिम लाइन लिखी जानी थी और दस्तख्त होने थे तो वहां के दारोगा और सी0ओ0 ने समझा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी तो जो उन्होंने पहले से अपने लोगों को बुला रखा था उनसे पथराव करा दिया जाता है तो 500 मीटर की दूरी पर जो लोग आए थे जब भगदड़ मची तो उनको भी पीटा गया।

अगली बात यह है कि जब जनता पिटी, सांसद और विधायक पिटे और उसके बाद श्रीमन्, डी0एम0 चेयरमैन के यहां आते हैं और चेंयरमैन डी0एम0 जब इस बात के लिए दुखी होते हैं कि घटना अप्रिय घटित हुई, गलत हुआ तो श्रीमन्, उनका कहना था कि किसी तरीके से इसको शान्त किया जाय और वहीं गलती हो गयी, हमारे सांसद और विधायकों को उस वक्त डीएम की बात नहीं माननी चाहिए थी।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनता जो मौजूद थी वह नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको सहज में सुलझा दिया जाय। उस वक्त प्रदर्शन जारी रखना चाहिए था और सांसद और विधायक को क्षेत्र में जाकर और लोगों को बुलाकर प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाना चाहिए था तो निश्चित रुप से सरकार की चूंले हिल गयी होती और निश्चित रुप से दारोगा ओर सी0ओ0 बरखास्त होते। मैं आज ज्यादा बात नहीं कहना चाहता मैं मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से अभी यह घोषणा होनी चाहिए कि रिपोर्ट तुरन्त लिखवा दी जायेगी और उस दारोगा को निलम्बित करके वहां से हटा दिया जायेगा और सी0ओ0 के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी जायेगी, उसको निलम्बित किया जायेगा। श्रीमन् अगर आज यह घोषणा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि सरकार लीपापोती कर रही है औश्र यह पुलिस के बल पर शासन चलाना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस को निरंकुश होने की छूट दे रखी है, हम विपक्ष में बैठे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इस तरह के शासन को चलने नहीं देंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह मामला गंभीर है, असाधारण है, अविलाम्बनीय है, इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाय।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

आपने इस विषय पर नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों को सुना, इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है, परन्तु कई सदस्यों ने अपनी बात कहते हुये इस बात का उल्लेख किया है कि कल इस घटना को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता की थी, उनका घेराव भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिन्दु से कुछ घोषणायें सदस्यों के बीच में की थीं। मान्यवर, जब मुख्यमंत्री का नाम उद्घृत कर दिया गया, मुख्यमंत्री जी की घोषणायें उद्घृत कर दी गई तो क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में उपस्थित हों वह नेता सदन भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह विभाग उनके पास है और इस घटना की समस्त बातें उनको लेकर हैं और जिस समय मुख्यमंत्री जी वार्ता हुई, उस समय संसदीय कार्य मंत्री वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिये हमारी भावनाओं का आदर करते हुये, इस प्रकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आकर अपनी बात रखें, जिससे हम उनसे कह सकें कि आपने ऐसा कहा था तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सत्ता पक्ष के कोई भी मंत्री अपनी बात कह सकते हैं, इसके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी सदस्य को भी बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री धनीराम वर्मा-

मुख्यमंत्री जी से संबंधित प्रश्न है। कल शान्तिपूर्वक धरना दिया गया। मैं भी वहां मौजूद था, अनेक विधायक और मंत्री भी वहां थे, यह बात तय हुई थी, उन्होंने घोषणा की थी कि उस थाने के सी0ओ0 को निलम्बित किया जायेगा, सी0ओ0 के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर शाम तक कार्यवाही की जायेगी। इसलिये मुख्य मंत्री जी को यहां आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिये। मैं अपनी बात पर बल देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर प्रतिपक्ष के सभी सम्मानित नेतागण ने अपने विचार

रखे. माननीय सदस्यगण ने भी विचार रखे। यह घटना मेरे लिये कष्टदायक है क्योंकि यह मेरे जनपद से संबंधित है, उससे भी ज्यादा कष्टदायक यह है कि दो हमारे सम्मानित विधायक, जो सदन में उपस्थित हैं, उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया, राजनैतिक रुप से वह किसी भी दल में हों, दोनों के प्रति मेरा व्यक्तिगत स्नेह है, मैं दोनों का सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने कष्ट के बारे में उल्लेख किया है, उसके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैं कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं, वह तथ्य रखूंगा और जो कुछ बातें मेरी जानकारी में आई हैं, उनका भी संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

मान्यवर, घटना 5 तारीख की है, जब प्रदर्शन किया गया, इस घटना की शुरुआत कहां से हुई? संदीप राज व्यापारी का अपहरण हुआ जो पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद का रहने वाला था, उसकी बराबर खोज जारी थी, मुजफ्फरनगर पुलिस को कुछ सूचना मिली और थानाध्यक्ष कांधला, सी0ओ0 कैराना सहित सारी फोर्स को इकट्ठा किया गया और छापा मारा गया, जब यह लोग छापा मारने जा रहे थे तो बदमाश संदीप को लेकर हरियाणा बार्डर क्रास कर गये, अपनी जान पर खेलकर पत्थरगढ़ गांव के पास सी0ओ0 ने इसका पीछा किया, उसको चोटें भी आई, सी0ओ0 ने भी सराहनीय काम किया, बदमाशों को घेरा अपहृत को छुड़ाया और बदमाशों को गिरफ्तार करके कांधला में ले आयी। यह तो घटना है। जिस घटना को लेकर, मतलूब जंग को लेकर, जो एक बदमाश इजराइल नाम का पकड़ा गया था, ने बताया कि वह मतलूब जंग को हथियार देता था और इसे घटना में लिप्त होने की बात बतायी उसी शंका पर मतलूब जंग को गिरफ्तार किया गया था। यह एक प्रकरण दूसरा था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक विषयान्तर हो जायेगा। मतलूब जंग न तो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और न कोई और पार्टी का सदस्य है, पहले विधान सभा का चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ा। मान्यवर, 5 तारीख को क्या हुआ और यह भी हम सोचें और आत्म परीक्षण भी करें कि कहीं तो इस राजनीति का अंत होगा। एक अपहृत को छुड़ाया जा रहा है, पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है, खाली मतलूब जंग के प्रकरण को लेकर हमें कहीं न कहीं धरना-प्रदर्शन वाले मुद्दे को छोड़ना होगा। 5 तारीख को मतलूब जंग पुलिस कस्टडी में नहीं था, वह छोड़ दिया गया था। वह गलत छोड़ा गया या सही ....

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। लोकतंत्र में परस्पर सहिष्णुतापूर्वक एक दूसरे के विचारों को सुनने की शक्ति अपने अन्दर उत्पन्न होनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री को अपनी बात कह लेने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अवसर नहीं दूंगा। बीच में बोलना उचित नहीं है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह-

कुंवर साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे आग्रह करता हूं, आप एक घण्टे बोलें, आधे घण्टे बोलें, आपको हम टोंकते नहीं है। मान्यवर, यहां पर जिन बातों का उल्लेख नहीं हुआ, मैंने उनका भी उल्लेख किया है यदि ये बातें आ जाती तो मैं दोहराता नहीं, तो मान्यवर, 5 तारीख को क्या ऐसी बात आयी थी कि वहां पर प्रदर्शन करना पड़ा या केवल राजनीतिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हम वहां पर गये थे। एक-दो माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया पुलिस की ज्यादती का। जो तथ्य सामने आए हैं, जैसी जानकारी दी गयी मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त आदेश दिया कमिश्नर साहब को, आयुक्त को जिस थाने में घटना हुई, मौके पर जायें, डी0एम0 और एस0पी0 की रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन आप जायेंगे और सारी जांच करके लायेंगे।

मान्यवर, कमिश्नर की रिपोर्ट मेरे सामने है। उसमें तीन बिंदु है। पहला बिन्दु यह है कि क्या श्री

मतलूब जंग प्रधान, ग्राम गंगेरु निवासी ग्राम गढ़ीदौलत थाना कांघला को अपहरण के प्रकरण में फंसाया जाना सही है या गलत। क्या वह निर्दोष है अथवा नहीं। दूसरा बिन्दु यह है कि क्या मतलूब जंग का ग्राम प्रधान का कोई आपराधिक इतिहास है अथवा नहीं। तीसरा बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 5-5-2000 को सायं के समय जब 3.30 से 5.30 बजे तक जन सभा को सम्बोधित करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जिसमें मुख्य रुप से सर्वश्री मुनव्वर हसन राज्य सभा सदस्य, श्री संजय सिंह व श्री जगत सिंह व माननीय विधायक तथा पूर्व विधायक श्री रतन लाल पवार आदि के साथ कोई मारपीट या दुर्व्यवहार हुआ। मान्यवर, यह तीन बिन्दु थे।

पहले बिंदु के बारे में कमिश्नर की रिपोर्ट में जो आया है उसमें स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि अभी भी इसकी जांच की आवश्यकता है। यह भी उल्लेख किया है कि गिरफ्तार करने का आधार यह था कि एक अपहरणकर्ता ने उनका नाम लिया था इसी आधार पर मतलूब जंग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। जहां तक मतलूब जंग प्रधान के आपराधिक इतिहास की बात है तो यह उल्लेख किया गया है कि 4 मुकदमें हत्या के और एक मुकदमा 307 का उनके ऊपर है। उन्होंने मुकदमों का विवरण भी विस्तार से दिया है। तीसरा बिन्दु यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या सांसद के साथ और माननीय दोनों विधायकों के साथ पुलिस ने कोई मारपीट या दुर्व्यवहार किया या नहीं। क़मिश्नर ने रिपोर्ट में टिप्पणी करते हुये सारी घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। आपकी अनुमति हो तो उसकी कापी आपके पास भेज देंगे, आप परीक्षण करा लें और माननीय सदस्य परीक्षण करा लें क्योंकि हमने इन्डीपेन्डेन्ट एजेंसी से जांच करवायी है। यह घटना कब शुरु हुयी। आपने कहा है कि हम लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। एक प्रश्न उठता है कि आखिर प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आयी। कर रहे थे तो करते रहते। मतलूब जंग हिरासत में है नहीं, अगर उस पर ज्यादती हुयी है, ज्यादती की शिकायत है तो उसकी रिलीफ थानेदार से मिलने वाली नहीं है। ज्यादती की जांच तो जुडीशियरी से होगी या जो हायर अफसर हैं जैसे डी0एम0, एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, कमिश्नर से ही करायी जा सकती है कि अमुक दरोगा ने ज्यादती की है। जिस व्यक्ति पर ज्यादती का आरोप है, आखिर क्या कारण है कि थाने में जाकर उससे बात करना चाहते हैं।

अब मैं निचोड़ पर आ रहा हूं। जो निष्कर्ष निकाला है और उसके लिए कटिंग भी भेजी है। आपकी अनुमति होगी तो उसको आपके पास भेज दूंगा। घटना के तुरन्त बाद दो आरोप मुख्य रुप से लगाये गये कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी दूसरे मारपीट का मामला आया। 5 तारीख की घटना है। रातभर बातचीत चलती रही, 6 तारीख को प्रेस-कान्फ्रेंस होती है। कमिश्नर की जो रिपोर्ट है मैं उसका सन्दर्भ दे रहा हूं। 7 मई, 2000 के दैनिक जागरण समाचार-पत्र मेरठ संस्करण में आया है कि "मैं न पिटा, न ही कोई विधायक - मुनव्वर हसन" यह जो संयुक्त महोदय ने अपने रिपोर्ट के साथ संलग्न कर भेजा है उसका संदर्भ दे रहा हूं। "जनसत्ता" में आया कि "सांसद व कोई विधायक नहीं पिटा।"..

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, यह मनगढन्त कहानी गढ़ रहे हैं। पुलिस को बचाने का काम किया जा रहा है। इस तरह सदन नहीं चलेगा।

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री सुधाकर सिंह, श्री जगत सिंह, श्री संजय सिंह, श्री उदयराज यादव एवं समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य की वेल में आ गये और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करने लगे। जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर चलें। सरकार का पक्ष सुन तो लें। आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो आपको अवसर दूंगा।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

उ0प्र0 में कानून-व्यवस्था चरमरा गयी है, विधायक मारे जा रहे हैं। वहां के एस0ओ0, सी0ओ0 और एस0पी0 को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहां के कमिश्नर की रिपोर्ट झूठी है, रिपोर्ट को वापस किया जाय। और पुन: रिपोर्ट मंगाई जाये, जनसत्ता अखबार भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित अखबार है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर खबर छापी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने विधायकों को अपने आसन पर बैठने को कहे। अगर आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो आपको पुन: अवसर दूंगा।

(वेल में आये हुए मा0 सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे घोर व्यवधान/शोर जारी रहा। कुछ मा0 सदस्य दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि सदन अव्यवस्थित है इसलिए मैं सदन को 2.30 बजे तक स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 02 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 02 बजकर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

02 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 02 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है।

02 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 03 बजे तक और बढ़ा दिया है।

03 बजकर डिप्टी मार्शन् ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 03 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।

03 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 03 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है।

03 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि जो सभी माननीय सदस्य यहां रिक्त स्थान पर बैठे हैं वो कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें। सदन की कार्यवाही चले तो अच्छा है। कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि वे अपने दल के सदस्यों से कहें कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(सदन के फ्लोर पर बैठे मा0 सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें मेरे दो-एक बिन्दु रह गये थे।

श्री धनी राम वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस कमिश्नर साहब की रिपोर्ट का जिक्र...

श्री अध्यक्ष-

मेरा एक अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री अपनी पूरी बात नहीं कह पाये थे। बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था। यह अगर अपनी बात...

श्री धनी राम् वर्मा-

वही तो मैं कहना चाह रहा था। जो संसदीय कार्य मंत्री कह चुके हैं उसी से सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो कह चुके हैं उसी के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी चाहूंगा और स्पष्टीकरण के रुप में जानकारी

चाहूंगा। कमिश्नर साहब मौके पर...

(सदस्यों के बीच में बोले पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। आपकी बात वह सुनते हैं। आप उनकी बात सुनते रहिये।

श्री धनी राम वर्मा-

कमिश्नर साहब कल मौके पर जांच के लिये गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो दो विधायक हमारे श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह जी और दूसरे पूर्व विधायक और सांसद मुनव्वर साहब, इन सबको भी सूचना दी थी जो कि घटनास्थल पर थे कि हम जांच करने आ रहे हैं। दूसरी बात...

एक माननीय सदस्य-

नम्बर दो।

श्री धनी राम वर्मा-

जब नम्बर दो होंगे तो वैसी ही बात करेंगे। इस तरह की बात करेंगे तो इस तरह सदन नहीं चलेगा। यह असभ्य समाज से आये हुए हैं। यह सदन कतई नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

शान्त हो जायं।

श्री धनी राम वर्मा-

इस तरह से सदन कतई नहीं चलेगा सब लोग यहां बैठे रहेंगे कोई नहीं उठेगा यहां से।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष-

जरा शान्त रहिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपसे अनुरोध है कि अभी इस अवसर को छोड़ दें। इस सदन में किसी भी विषय पर बात हो रही हो एक-दो थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी हो जाती है तो उसका संज्ञान नहीं लेते हैं।

श्री धनी राम वर्मा-

यह अभद्रतापूर्वक व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो आपको बोलने की अनुमति दे दी थी।

मैंने आपको अनुमति दी थी तब आप बोल रहे थे।

श्री धनी राम वर्मा-

अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी, यह कोई तरीका है।

(व्यवधान)

श्री बी0आर0 वर्मा-

अभी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह रहे थे। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दो ही आदरणीय सदन में सम्मानित पद हैं किसी को कुछ कहना है तो परम्परा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष या माननीय नेता सदन कुछ कह रहे हैं, वह बैठ जाते हैं तो कहते हैं। बैठे-बैठे कमेण्ट करने की जो बात है इस पर अंकुश लगना चाहिए। यह बहुत गलत परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र (गृह राज्य मंत्री)-

सत्तापक्ष में बैठे लोगों को परम्परा का पालन करना चाहिए। यह तो कहा जाता है, लेकिन विपक्ष

जरा अपने गिरेबान में झांककर देखे, कितनी बार परम्परा का पालन हो गया। सत्ता पक्ष परम्परा का पालन करे लगातार यह कहा जाता है।

(व्यवधान)

विपक्ष इस प्रकार से सदन नहीं चला सकता है। [x x] के बल पर आप सदन चलाना चाहते हैं तो [x x] के बल पर सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

इस प्रकार सदन नहीं चल सकता है।

श्री धनी राम वर्मा-

धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सब शान्त रहें। माननीय बी0आर0 वर्मा जी ने बहुत सही बात कही। जब एक माननीय सदस्य अपनी बात बोलना चाहते हैं तो खड़े हो जाएंगे माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो जाती है तो कहते हैं। कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं बीच में किसी ने एक-आध वाक्य बोल दिया जिससे हंसी का पुट आ गया है तो उससे कोई व्यवधान डालने का मन नहीं रहता है मैंने माननीय नेता विरोधी दल को अनुमति दी वह कह रहे

थे उन्होंने 1,2,3,4 बिन्दु रखे किसी ने कहा अगला बिन्दु कह दें तो ऐसी बात नहीं है। इधर से भी धैर्य रखें और उधर से भी धैर्य रखें।

(व्यवधान)

माननीय नेता विपक्ष अपनी बात कहें।

श्री धनी राम वर्मा-

मान्यवर, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का एक प्रश्न था उसका उत्तर आ गया है। अब आप बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखें।

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें। बाकी लोग जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं आप भी बैठ जायें। यह जो डा0 मिश्र बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदयराज यादव, श्री राम विशुन आजाद तथा फ्लोर मे खड़े अन्य सदस्यों के निलम्बन के प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं अंतिम बार आपसे कह रहा हूं कि आप कृपया बैठ जायें। आप नहीं बैठ रहे हैं इसलिए विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 (1) के अन्तर्गत आपको इंगित करता

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हूं। आप कृपया सदन का त्याग कर चले जायें।

(व्यवधान)

श्री उदय राज यादव और श्री राम बिशुन आजाद जी आप लोग भी कृपया उक्त नियम के अनुसार सदन का त्याग कर चले जायें। मैं आपको इंगित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं सदन के रिक्त स्थान पर जितने भी माननीय सदस्य खड़े हुए हैं सब को नियमावली के नियम 299 (1) के अन्तर्गत निर्देश देता हूं कि वह कृपया सदन का त्याग कर चले जायें।

(डा0 धर्मज्ञ मिश्र माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे)

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर खड़े समाजवादी पार्टी के अधिकांश मा0 सदस्यगण नारे लगाने लगे तथा अध्यक्ष शासन की ओर बढ़ने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लायें।

(मंत्री पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को जिन्हें माननीय अध्यक्ष द्वारा इंगित किया गया है को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 (2) और नियम 299 (3) (क) तथा (ख) के तहत ऐसे माननीय सदस्य इस विधान सभा के तीन उपवेशनों के लिये निलम्बित किये जायें।

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं और मार्शल तथा सुरक्षा सहायकों को निर्देश देता हूं कि इनको ससम्मान सदन से बाहर कर दिया जाये।

(03 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 04 बजकर 01 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(04 बजकर 01 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 04 बजकर 16 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

(04 बजकर 16 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 04 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

(04 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 04 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

(04 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन पुन: 05 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(05 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिए जाने की मांग

श्री जगदम्बिका पाल-

आपके आदेश पर लोगों ने सदन का त्याग दिया है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करुंगा कि उनका निलम्बन वापस ले लें। सदन की पुरानी परम्परा रही है, आपके आदेश का पालन हो गया है। मैं चाहूंगा कि सदन सुचारु रुप से चले। आज महत्वपूर्ण बजट भी है और लोग चर्चा-परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए निलम्बन वापस ले लें।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस सदन में सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहें और उनकी इसमें सहभागिता हो, चर्चा-परिचर्चा में लोग भाग लें। कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जिसके नाते उत्तेजना होती है। कोई खुशी से नहीं मजबूर होकर वेल में जाता है और आपको भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। मान्यवर, आपने यह जो निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि उसका अनुपालन भी हो गया है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप पुनर्विचार कर लें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि प्रस्ताव लाकर निलम्बन को समाप्त कर दिया जाये ताकि सभी माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें और आज जो महत्वपूर्ण बजट है उसमें इनके विचार आ सकें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन पक्ष और विपक्ष से मिलकर बनता है। विपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना विपक्ष के यह सदन, सदन नहीं रहेगा। आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कदाचित नेता सदन और नेता विरोधी दल यह दोनों बहुत ही गरिमा-मय पद है। माननीय नेता विरोधी दल आपकी अनुमति से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, कदाचित किसी माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है और उनको किसी बात से पीड़ा पहुंची, उसके बाद जो कुछ हुआ वह आपके सामने हैं। मेरे जैसे सदस्य बोलते हैं और उधर से कोई टिप्पणी करता है तो हम, जब उधर से कोई बोलता है तो हम टिप्पणी कर लेते हैं और आपस में आपस में आदान-प्रदान कर लेते हैं लेकिन नेता सदन और नेता विरोधी दल, यह गरिमामय पद हैं जब यह बोलें तो किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कदाचित नेता विरोधी दल को आघात पहुंचा है। मैं उनसे आग्रह करुंगा कि वह संसदीय परम्पराओं को देखते हुये उस आघात को अपने दिल से निकाल दें और उसको न लें वही विन्रमतापूर्वक आग्रह करुंगा कि सम्पूर्ण सदन में समाजवादी पार्टी, विरोधी दलों में सबसे बड़ा दल है उसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलेगी अवश्य लेकिन उसमें वह गरिमा और पूर्णता नहीं आयेगी। आज पी0डब्लू0डी0 का महत्वपूर्ण बजट है, नियम 56 में हरदोई प्रकरण भी लगा हुआ है और दूसरे कार्य स्थगन भी हैं उनको कल के लिए स्थगित कर दें तो बजट पर चर्चा के लिए समय मिलेगा। मैं सभी से आग्रह करुंगा कि आईये मिल-जुलकर सदन चलायें। आपसे भी आग्रह करुंगा, आपको पीड़ा पहुंची इसलिए आपने नियम 299 की कार्यवाही की। सदन ने स्वीकार भी कर लिया लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि आप उस पुनर्विचार कर लें। आपने कई बार पुनर्विचार भी किया है। आपसे आग्रह करुंगा कि आप पुनर्विचार कर नें और उन सभी सदस्यों ने भी बड़प्पन दिखाया है और आपके निर्देशों का पालन करते हुये वह लॉबी में चले गये हैं। इसलिए नियम 299 के निलम्बन का प्रस्ताव वापस ले लें तभी सदन की गरिमा बढ़ सकती है। इतना अवश्य आग्रह करुंगा कि जब नेता विरोधी बोलें तो उनकी एक-एक बात को अवलोकित करने का प्रयास करें। नेता सदन भी बोलें तो उसको हम लोग भी बड़े मनोयोग से ग्रहण करते है। नेता विरोधी दल के प्रति आदर का प्रदर्शन किया जाएगा मैं आपसे आग्रह करुंगा कि 299 की कार्यवाही के प्रति आप पुनर्विचार करते हुए और इस दृष्टिकोण से भी आपके निर्देश का पूर्णतया पालन हो गया है मैं चाहूंगा कि उनको वापस बुला लें। और नेता विरोधी दल जो बात कह रहे थे उनको वह पूरी करने

दी जाए। जहां तक टोका-टोकी की बात है आप इसके बाद मुझे अवसर दें उसमें यह लोग चाहे जितनी टोका-टोकी कर लें। मैं एक-एक की बात का जवाब दूँगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी सबसे अपोजीशन की पार्टी है। और आपके आदेशों का उन्हें पालन भी किया है। आज पी0डब्लू0डी0 का महत्वपूर्ण बजट है इसमें सबकी सहभागिता रहे इसलिए आपसे गुजारिश है कि 299 की कार्यवाही पर पुनर्विचार कर लें, आपकी बात मान भी ली गई है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा अभी जो बात हुई वह सभी माननीय सदस्यों के सम्मान का प्रश्न था आपने इतना बड़ा कठोर निर्णय लिया। एक दरोगा को तो तीन दिन के लिए सस्पेंड नहीं किया गया, इतने माननीय सदस्यों को तीन दिन के लिए निलम्बित कर दिया। क्या दरोगा की हैसियत इन माननीय सदस्यों से बढ़कर है। मेरा निवेदन है कि अपने निर्णय पर आप पुनर्विचार कर लें ताकि यह सदन सुव्यवस्थित हो जाए और सदन की कार्यवाही सुचारु रुप से चले।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

अभी सदन में जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य के टिका-टिप्पणी से वह मर्माहत हो गये और उस घटना के चलते सदन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें आपको अप्रिय और कठोर निर्णय लेना पड़ा।

(इसी मध्य डा0 धर्मज्ञ मिश्र सदन में आकर नेता प्रतिपक्ष के पास खड़े होकर उनसे कुछ कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मार्शल, डा0 धर्मज्ञ मिश्र को सदन से बाहर करें। सदन की कार्यवाही को बहुत हल्के से ले रहे हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

यह निर्णय जो आपने लिया उसका अनुपालन भी हो गया है। श्रीमन, आज एक महत्वपूर्ण विभाग का बजट आने वाला है। सदन में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि समाजवादी के सदस्यों के निलम्बन संबंधी जो कार्यवाही आप द्वारा की गयी है। कृपा करके उस पर पुनर्विचार कर लें ताकि जो निलंबित सदस्य हैं उनकी भी आज के बजट पर होने वाली चर्चा में सुनिश्चित हो सके।

(गृह राज्य मंत्री) श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर; आपने जो भी निर्णय लिया है वह उचित निर्णय है और आगे भी जो निर्णय लेंगे वह उचित ही होंगे। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है जैसा माननीय विपक्ष के सदस्य श्री प्रमोद कुमार और अन्य सदस्यों ने कहा है तो देखा जाय तो जब से यह सदन, यह उपवेशन चल रहा है चाहे वह माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समय रहा हो, चाहे सामान्य बजट पर चर्चा का समय रहा हो अथवा आपके द्वारा एक-दो बार सदन स्थगित का समय रहा हो। उस समय माननीय विषय के सदस्यों का आचरण, चाहे माननीय अधिष्ठाता श्री मुन्ना जी बैठे हों उस समय विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो आचरण किया गया वास्तव में वह निन्दनीय है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदन है, इसके जो संदेश 16 करोड़ जनता तक जाते हैं, आप देखें यदि छोटी सी बात को लेकर जो दिन-प्रतिदिन सदन के समय को जाया किया जाता है जिसके ऊपर 40 लाख रुपये प्रतिदिन खर्च होता है और पीठ के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना करके सदन को यदि अव्यवस्थित किया जायेगा तो निश्चित रुप से यह उत्तर प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा।

मान्यवर, इसके पहले भी ऐसी परिस्थितियां मा0 विपक्षी सदस्यों द्वारा पैदा की गयी जो नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आज अभी श्री बुनियाद हुसैन जी ने कहा कि एक दरोगा को सस्पेंड नहीं किया गया लेकिन इस सदन के माननीय विपक्षी सदस्यों को तीन तीन के लिए सस्पेन्ड कर दिया गया तो एक दरोगा के आचरण से आप माननीय सदस्यों के आचरण से जोड़ना युक्तिसंगत नहीं होगा, हमारा आचरण दरोगा के आचरण से कई गुना ऊपर है। आप सदन में अव्यवस्था पैदा करें और सदन की कार्यवाही में बाधा डालें तो यह उचित नहीं है, इसलिए जो निर्णय आपने लिया है वह उचित निर्णय है और आगे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने जो कहा है कि यदि इसमें पुनर्विचार कर आप जो निर्णय लेंगे वह शिरोधार्य होगा। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के कहना चाहूंगा कि कम से कम, जो उनमें थोड़ा आक्रोश है उसको व्यक्त करके, सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में वह सहयोग करेंगे तो उन्हें ही अधिक लाभ होगा। मान्यवर, सरकार तो चाहती है कि सदन सुचारु रुप से चले जो आपके हित में है किन्तु उसके बावजूद सदन को अव्यवस्थित करके, अखबारों में छपने के लिए इस प्रकार का आचरण करें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा जो आप निर्णय लें सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में वह मुझे शिरोधार्य है, यही मेरी आपसे अपेक्षा है।

(नेता विरोधी दल) श्री धनी राम वर्मा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री रंगनाथ मिश्र जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा नहीं कि हम उन्हें बर्दाश्त कर लें। मान्यवर, अभी उन्होंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और अन्य घटनाओं के बारे में बताया और समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी ने सदन को अव्यवस्थित करने की कोशिश किया तो यह निन्दनीय है। क्या यह निन्दनीय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों ने यह कह कर कि 15 दिनों तक सदन नहीं चलने दिया, बात को बढ़ाने की कोशिश किया। आपके लिए भी कहा गया कि जो निर्णय करेंगे उसे मानेंगे लेकिन सदन व्यवस्थित ढंग से चले, क्या सदन इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चले चाहे प्रदेश में जितनी बड़ी घटना हो जाये, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना अन्याय करें, चाहे पुलिस अन्याय करे और हम ऐसे ही चुपचाप सुनते रहें। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि समाजवादी पार्टी के लोग सदन को व्यस्थित ढंग से नहीं चलने देना चाहते हैं तो यह धमकी देना अच्छी परम्परा नहीं है। मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा इस तरह की बात करना क्या सदन को अपनी गिरफ्त में लेने की बात नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुन ली है। हम प्रति मिनट इस सदन की कार्यवाही पर लगभग 15 हजार रुपये व्यय करते हैं। आज काफी समय नष्ट हो गया आंकलन कर सकते हैं कितना उसका योग हुआ। 28 मार्च से हमारा बचट सत्र चला है और काफी अच्छा चला है। विपक्ष के सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूरा सहयोग किया रचनात्मक बातें भी हुई। हाँ विगत दो तीन दिनों से ज़रुर कुछ अव्यवस्था पैदा हुई है। एक दो बातें मैं जरुर रखना चाहूँगा। सदन की कार्यवाही चलेगी नहीं तो हम अपना पक्ष रखेंगे कैसे? यदि ऐसा होता तो सरकार का उत्तर कैसे आयेगा? यह बात अलग है कि विपक्ष सरकार के उत्तर से संतुष्ट है या नहीं, और कितना संतुष्ट-असंतुष्ट है। बहुत सी बातें विपक्ष की स्वीकार भी होती हैं और कुछ अस्वीकार भी होती है लेकिन कार्यवाही चलनी चाहिए। यह मेरी भी अपेक्षा रहती है और आप सभी की अपेक्षा रहती है। यह ठीक है कि कुछ बातों पर उत्तेजना हो जाती है। लेकिन उत्तेजना के क्षणों में हमें बहना नहीं चाहिए। हमें भाषा पर, अपनी बात पर उसके बाद व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। नियमावली और संविधान का अनुपालन तो तब होगा जब हम अपनें ऊपर संयम रखें। मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपना सहयोग दें। आज सदस्य इधर बैठे हैं कल उधर होंगे और कल जो इधर हैं वो कल

उधर होंगे। यदि इस प्रकार का विचारविमर्श होगा तो फिर हमारे चुनकर आने का क्या फायदा। हम अपनी बात मजबूती से कहें वह स्वीकार हो या अस्वीकार हो इसका निर्णय छोड़ दें। यदि हम बुद्धिमता से सदन को चलायेंगे तो ठीक रहेगा। यहां कोई किसी से द्वेष नहीं रखता। हाँ सभी को एक शिकायत रहती है कि उनको अवसर नहीं मिला बोलने का। मैं सबको अवसर देने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन अवसर को उपलब्ध कराने के लिए सदन की कार्यवाही चलना आवश्यक है। प्रात:काल माननीय बी0आर0 वर्मा जी ने अपनी बात कही तो मैंने उनसे कहा कि नियम 56 में आपकी सूचना स्वीकार हो गई है और उस समय अपनी बात कह लीजिएगा और वर्मा जी बैठ गये। अभी पांच बजकर सोलह मिनट हो गये हैं अभी पूरा बजट बाकी है। आत्मसंयम और धैर्य ही लोकतंत्र को सफ़ल बनाता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात ज्यादा और पक्ष को कम या पक्ष को ज्यादा विपक्ष की कम बात सुनी जाती है। किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। कोई मुद्दा किसी ने उठाया तो तो कोई किसी अन्य ने उठाया। मेरा अनुरोध है कि आप सब मेरे साथ सहयोग करें। अभी रंगनाथ मिश्र जी ने जो बात कही उस पर सोचना चाहिए। अभी प्रमोद जी ने कहा कि थोड़ी बहुत छींटाकसी होती है तो उसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। जिस सदस्य को कुछ कहना होगा वह खड़े होकर कहेगा लेकिन बैठे-बैठे जो थोड़ा बहुत हास्य-विनोद हो उसे संज्ञान में नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ कि नेता विपक्ष सबको संसूचित करेंगे कि सदन की कार्यवाही चले। हो सकता है कि शासन की कार्यवाही से कुछ लोग असंतुष्ट हों लेकिन उसका रास्ता है आपके पास। अध्यक्ष पीठ को कोई गिरफ्त में नहीं ले सकता। इस गलतफहमी में कोई माननीय सदस्य न रहे कि कोई हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यह भ्रम किसी के मन में नहीं होना चाहिए।

मा0 सदस्यों के निलम्बन वापस लिए जाने का प्रस्ताव

(संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके इंगित करने के बाद मेरा यह संविधानिक दायित्व था कि मैं प्रस्ताव लाँऊ और वह दायित्व मैंने निभाया। सभी माननीय नेता गण ने सदन का वातावरण सुदृढ और अच्छा बनाने का सुझाव दिया है, मैं इससे पूर्व औपचारिक प्रस्ताव लाँऊ मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में दो आसन हैं-माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष का। सारे सदनों में ये दो आसन हैं। इनकी परम्परा तथा गरिमा रही है, कोई दूसरा व्यक्ति इन आसनों पर नहीं बैठ सकता है। भले ही माननीय सदस्य कहीं और बैठ लें परन्तु इन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। ये जो इन्सटीट्यूशन बने हैं, इनकी महत्ता है तथा गरिमा है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज जहाँ माननीय वर्मा जी बैठे हुए हैं स्व0 चौधरी चरण सिंह जी बिराजमान थे, उनको सुना और उनके प्रति आस्था को भी देखा, माननीय श्री बहुगुणा जी यहां पर बैठे, माननीय श्री तिवारी जी यहाँ पर बैठे और माननीय श्री मुलायम सिंह जी यहाँ पर बैठे, उनको देखा और सुना। इन आसनों की एक महत्ता है। आज श्री धनीराम वर्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनका अपना एक अनुभव है और वह स्पीकर भी रहे हैं वह बड़े वरिष्ठ सदस्य भी हैं और उन्होंने हमारी बातों को महत्व भी दिया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। जब कभी भी हम कोई बात लेकर उनके पास गये तो उनका सहयोग और आर्शीवाद हमें प्राप्त होता रहा और आगे भी होता रहेगा और उनके आर्शीवाद से हमें वंचित नहीं होना चाहिये। मान्यवर, आलस्य नहीं आना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी खत्म करो, जिसके कारण जो बात लोग सोचकर आते हैं वह सदन में पूरी नहीं हो पाती है। विपक्ष तथा सत्ता पक्ष दोनों ओर से तैयार होकर आते हैं। उनकी भागीदारी हो सके उनके सुझाव आ सकें और एक सार्थक डिबेट यहाँ पर हो सके, यह हमारा प्रयास यहाँ पर होना चाहिये।

अब मैं मान्यवर, आंपकी अनुमति से तथा सदन की भावनाओं को देखते हुए प्रस्ताव करता हूं कि-

जो अभी प्रस्ताव माननीय सदस्यगण का सदन की सेवा से निलम्बन होने का किया गया था, उसे

मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम आगे की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलेगी।

जब तक माननीय नेता विरोधी दल वापस नही आ जाते तब तक मैं नियम 301 की सूचनाओं का ले रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकृति सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद बाँदा के तिन्दवारी इण्टरमीडिएट कालेज में प्रबन्धक द्वारा की गई अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में तिन्दवारी इण्टरमीडिएट कालेज तिन्दवारी बांदा में बिना किसी सृजित पद के तथा बिना कार्यकारिणी की जानकारी में लाये 6 अध्यापकों की नियुक्ति कर ली गई है। इस विद्यालय में कुल 20 पद सृजित हैं जिन पर नियमित कर्मचारी तैनात हैं किन्तु प्रबंधक जो कि अन्य किसी जगह किसी महाविद्यालय के प्रबंधक है ने बिना कार्यकारिणी के संज्ञान में लाये नियुक्ति कर ली जिसके विरोध में समिति के सदस्यों ने प्रबंधक के विरुद्ध 7.10.95 को अविश्वास प्रस्तुत कियां। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच कर अपने आदेश दिनांक 24.4.96 को नियुक्ति निरस्त कर दी। तथा पत्रांक संख्या 5/सामान्य/9798-77/98-99 दिनांक 21.1.99 को वेतन आहरण पर रोक लगाई गई किन्तु प्रबंधक के प्रभावशाली होने के कारण अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के अनुरोध पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ, मण्डल, लखनऊ को प्रकरण की जांच दी गई थी किन्तु अभी तक दोषी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई न ही अवैध नियुक्तियां निरस्त की गई।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत भीमवर बाजार से ग्राम वर्नापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामप्यारे सिंह-

महोदय, जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के भीमवर बाजार से ग्राम बर्नापुर सम्पर्क मार्ग अम्बेडकर योजना अन्तर्गत वर्ष 1996 में बनना शुरु हुआ कुछ गिट्टी व कुटाई के बाद ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गिट्टी कम पड़ रही है जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जांच

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु आज तक उपरोक्त मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया जिससे यातायात में जहां असुविधा हो रही है वहीं सरकारी धन की गिट्टी उखड़ने से काफी क्षति हुई है।

अत: आपसे निवेदन है कि निश्चित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने हेतु अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों की संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कोविद कुमार सिंह-

[महोदय, शासनादेश सं0 9063/23.7.97-210 सा/97 दिनांक 6.1.98 लोक निर्माण विभाग के आशुलिपिकों की संशोधन ज्येष्ठता सूची जारी करने हेतु आदेश है। उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण की निर्देश याचिका सं0 1516/97 के निर्णय दिनांक 9.11.98 के अनुसार 6 माह के अन्दर नियुक्ति दिनांक से ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने हेतु निर्णय है। न्यायालय अवमानना की तिथि 12.4.2000 भी नियत की जा चुकी है। उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में दायर दूसरी निर्देश याचिका संख्या 1669/97 पर दिनांक 2.9.99 को भी निर्णय ज्येष्ठता सूची बनाने हेतु हो चुका है। शासनादेश दिनांक 6.1.98 पर कोई स्थगन आदेश न्यायालय से नहीं है। प्रमुख अभियंता/शासनादेश दिनांक 6.1.98 के अनुसार ज्येष्ठता सूची संशोधित करके प्रकाशित करने हेतु सक्षम है लेकिन अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ प्रमुख अभियंता ने ज्येष्ठता सूची दिनांक 4.12.99 को लो0नि0 अनुभाग-7 को प्रेषित कर दी है जो शासनादेश एवं नियमों के तहत् है लेकिन शासन ने इस पर कोई निर्णय प्रमुख अभियंता को सूचित नहीं किया है जबकि ज्येष्ठता सूची नियमानुसार न प्रेषित होने के कारण श्री प्रकाश चन्द्र सेवानिवृत्त आशु0नि0ख0-1 शाहजहांपुर द्वारा करीब रु0 60 लाख का अनियमित भुगतान होने का एफेडेविट मा0 मुख्य मंत्री/लोक0नि0 मंत्री/प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 लखनऊ को दिया गया कोई जांच तक नहीं की गयी है।

इस लोक महत्व की असाधारण विलम्ब की अवांछनीय घटना से प्रदेश के कर्मचारियों में भय एवं आर्थिक उत्पीड़न का वातावरण बना हुआ है क्योंकि शासन अपने शासनादेश/न्यायालय निर्णयों का पालन प्रदेश के कर्मचारियों के हित में कराने में सक्षम साबित नहीं हुआ है। अत: शासनादेश, न्यायाधिकरण निर्णयों का नियमों के तहत पुन: कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के ग्राम कटहट गढ़ाकोला में उल्टी दस्त एवं भयंकर ज्वर की महामारी की रोकथाम करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह-

[मान्यवर, ग्राम कटहट गढ़ाकोला, तहसील बीघापुर, जिला उन्नाव में विगत एक सप्ताह से उल्टी दस्त एवं भयंकर ज्वर की महामारी फैली हुई, दर्जनों व्यक्ति इस महामारी की चपेट में हैं। प्रा0 स्वा0 केन्द्र गढ़ाकोला के डाक्टर चिकित्सालय में नहीं आते हैं इस कारण महामारी से ग्रसित लोग झोलाछाप डाक्टरों की शरण में जाने के लिये मजबूर हैं। अब तक दो व्यक्तियों की जान जा चुकी है महामारी दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है यदि इसकी रोकथाम न की तो इस पूरे क्षेत्र में तबाही हो जायेगी।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लखनऊ जनपद में तैनात प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा विगत लोक सभा चुनाव 1999 में भारी संख्या में सड़क चलते लोगों को प्रान्तीय रक्षक दल का स्वयं सेवक दिखाकर लाखों की धनराशि फर्जी मस्टर रोल द्वारा हड़प कर ली गयी। लोक सभा, विधान सभा, चुनाव में उन्हीं स्वयं सेवकों को ड्यिूटी पर लगाया जा सकता है, जो विभागीय 22 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हो। लखनऊ जनपद में लगभग 300 स्वयं सेवक ऐसे हैं जिनकों नियमानुसार लोक सभा चुनाव या अन्य कहीं डियूटी पर लगाया जा सकता है। परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से 600 लोगों को पुलिस लाइन लखनऊ में आमद दिखाकर सभी 600 लोगों का बाउचर के माध्यम से पैसा निकाल लिया गया है। एक तरफ उक्त अधिकारी द्वारा जहां धोखा धड़ी का काम किया गया है वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपसे मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस गंभीर प्रकरण पर चर्चा करायी जाय।]

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत सई नदी के किनारे बसे ग्रामों में पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयालसी जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत सई नदी बहती है। हर वर्ष गर्मी में उसका जल स्तर अत्यन्त नीचा हो जाता है। नदी का पानी प्रदूषित होकर लाल रंग में परिवर्तित होता है। अत: उसके आस-पास के ग्रामों में पीने का पानी, पशुओं को पानी पिलाने आदि का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। सई के किनारे बसे ग्रामों दानेजा नेहोरा, विशनपुर, सुरदुपुर, इजरा, मनहन, रसूलपुर, महिमापुर, खालीचा ताला मण्डवारा, मुमुदीपुर, लालपुर, नेवादा, हरीपुर, पाली, उद्रपुर, राजेपुर, बदलपुर, भग्री, बाकरनवाद कोडरी, नदयापुर प्रदूषण से प्रभावित रहते हैं।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए इन ग्रामों में अधिक संख्या में राजकीय मार्क- II हैण्डपम्प तथा ट्यूबवेल एवं पशुओं को पीने हेतु तालाब में पानी सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जनपद के ब्लाक तहबरपुर एवं ब्लाक पल्हनी के कुछ गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिससे रबी की फसल नष्ट हो गयी है। अधिकांश पेड़ उजड़ गये हैं, गेहूँ की फसल रौंद गई है। उक्त गांवों के किसान मुख्य रुप से खेती पर ही निर्भर है। छोटे-छोटे किसान हैं, यही खेती उनकी खाने से लेकर अन्य जरुरतों की पूर्ति का साधन है। फसल नष्ट हो जाने से किसान निरुपाय हो गया है। इस ओलावृष्टि से प्रभावित गांव है जो निम्न है। 1- पूरब पट्टी, 2- पश्चिमी पट्टी, 3- खाड़ा रामपुर, 4- चकिया दूबे, 5- बेलवा बनहरा, 6- सिकन्दरपुर, 7- ओहनी, 8- मदारपुर, 9- शिवराजपुर, 10- मँझारी, 11- मरुलम पट्टी, 12- सेमरी, 13- बैरमपुर, 14- गोविन्दपुर, 15- इनारेपुर, 16- शेख बलिया, 17- करियाबर,

---

नोट:- ['] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

18- धनिया कुड़ी, 19- सूदनीपुर, 20- रघुनाथपुर, 21- सोढ़री, 22- नान्हुपुर, 23- कोल्हपुर रइसिंहपुर, 25- भुइयरपुर, 26- चन्दाभारी, 27- तिरमुहानी, 28- मिलौली, 29- तहबरपुर, 30- म 31- सरदहा, 32- सोफीपुर, 33- जमालपुर काजी, 34- महुआर, 35- बेगपुर, 36- आइमा, 37- खाल्सा, 38- गढ़वा, 39- बरतानी, 40- इब्राहिम पट्टी, 41- बसही, 42- बन्देदासपुर आदि।

उपरोक्त गांवों की हजारों जनसंख्या आदि दिनांक 13.3.2000 को उक्त ओलावृष्टि से प्र हुई है जीवन यापन शून्य हो गया है।

इस प्राकृतिक घटना से प्रभावित लोगों के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें स सहायता उपलब्ध कराने तथा सरकारी देयों को माफ करने की मांग करता हूँ। एवम् सरकार, अधिक द्वारा सर्वे कराकर अविलम्ब सरकारी कार्यवाही की जाय।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें प्रतीक्षा सूची सहित अस्वीकृत हुई है उनके नाम इस है। डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री हर पाल सिंह, श्री पूर्णवासी पंकज, श्री श्याम प्रकाश, श्री श्रीराम पाल, श्र ललित चौधरी, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री अजय कुमार पोइया।

विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी पीठ से बार-बार यह निर्देश दिया जाता है कि विभाग का बजट प्रस्तुत होना है, कम से कम 48 घण्टे पहले उसका लिटरेचर मिल जाना चाहिये। मा आज सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग का बजट है और उसका साहित्य आज ही वितरित हुआ है मान्यवर, इसी तरह कल उर्जा का बजट है और आज तक साहित्य वितरित नहीं हुआ। बार-बार अ पीठ से निर्देश देते रहे हैं उसके बाद भी उसका अनुपालन नहीं होता है। 23 मार्च से यह बजट सत्र प्र हुआ है और मान्यवर, यह रोज देखा जाता है कि आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मैं आपसे करुंगा कि कृपया ऐसे प्रभावी निर्देश दें कि उसका पालन हो। कम से कम 24 घंटे पहले तो यह साहित्य उपलब्ध करायें ताकि हम उसका अध्ययन करके तैयारी कर सकें। उसी दिन प्राप्त हो तो य सम्भव हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चिकित्सा विभाग का जो साहित्य है वह प्राप्त हुआ था 8 मई को, अर्थात् कल और आज ध बजे वितरित कर दिया गया है। मैं अपेक्षा यह करुँगा कि संबंधित मंत्रीगण इस बात को सुनिश्चित क कि समय से माननीय सदस्यों के पास बजट साहित्य पहुँच जाय ताकि आय-व्ययक पर जो चर्चा हो उनके विभाग के अनुदान के बारे में सकारात्मक चर्चा हो सके।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जो बजट कल है उसको तो आज वितरित करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिस विभाग की अनुदान की मांगें कल प्रस्तुत होने जा उसका साहित्य तो आज बंटवा दीजिये।

राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप कोई घोषणा करने वाले थे, सदन को सूचना देने क

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धिकार से संबंधित।

ादम्बिका पाल-

इसी सम्बन्ध में हमारी 300 में सूचना है।

यन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचना देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में धिकार आयोग के गठन करने की अधिसूचना दिनांक 4-4-1996 को जारी की गई थी। कालान्तर में रणा बनी कि राज्य में उक्त आयोग न गठित किया जाय। अत: पूर्व में आयोग के गठन सम्बन्धी विज्ञ ो निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण पर पुन: विचार करते हुए राज्य में मानवाधिकार गठित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8-5-2000 को लिया गया है।

में मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

ोद कुमार-

मान्यवर, इन्होंने जो सूचना अभी दी है वह पहले करनी चाहिए थी। इन्होंने तब किया जब ी जी ने इन्हें बुलाकर डांटा और इनको खतरा हो गया कि सरकार बर्खास्त हो जायेगी तब यह पढ़ मान्यवर, इनकी आदत को सुधारिये। कुछ मंत्रियों को आदत पड़ गई है कि बिना डाँट खाये कुछ रते।

दम्बिका पाल-

मान्यवर, अभी जिस मानवाधिकार आयोग के गठन की बात मंत्री जी ने कही है, हमने नियम 300 त्य के प्रश्न के रुप में दिया है। जब सत्र चल रहा हो तो कोई भी नीति या निर्णय की घोषणा सदन र होनी चाहिए।

क्ष-

सदन के बाहर कब हुई और कहाँ हुई इसका कोई उल्लेख आपकी सूचना में नहीं है।

दम्बिका पाल-

7 मई को हुई। 8 तारीख को पूरे प्रदेश के सार्वजनिक इलेक्ट्रालिनक मीडिया, समाचार पत्र में रिषद् के फैसले की घोषणा हुई।

ीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं खाली मार्ग दर्शन के लिये जानकारी चाहता हूँ कि फैसले से पूर्व में कोई घोषणा सम्भव था?

द कुमार-

मंत्रि परिषद् के फैसले की घोषणा सदन में होनी चाहिए थी सदन से बाहर नहीं। समाचार पत्रों ग हुई है। जो अच्छा काम किया है यहां करना चाहिए था। पहले आपने प्रेस में कह दिया। कभी तो ा करिये।

दम्बिका पाल-

मान्यवर. भारत के संविधान के अनुच्छेद-174(1) को देख लीजिये उसमें लिखा है कि श्री ल इस सदन के सत्र को आहूत करेंगे। सदन की सरकार के प्रति जवाबदेही है। मंत्रि परिषद् में आप निर्णय लेंगे उसकी पूर्व में घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिए। आप मंत्रि परिषद् में जो भी ं उसका स्वागत है। सरकार की अपनी नीतियां होती है। मंत्रिपरिषद् का निर्णय समाचार पत्र में यह अलग चीज है और कोई घोषणा कर दी गई वह अलग बात है अगर मंत्रि परिषद् ने कोई ेया है और समाचार पत्र के संवाददाताओं को वह ज्ञात हो। मंत्रि परिषद् के निर्णयों की घोषणा

मुख्य सचिव करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मंत्रि परिषद् के निर्णयों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी तमाम बातें हम लोगों को पता हो जाती हैं वह गोपनीयता नहीं रख पाते हैं। जबकि यह शपथ. गोपनीयता की लेते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

पारदर्शिता अन्य चीजों में होनी चाहिए। मंत्रि परिषद् की गोपनीय बातों की पारदर्शिता है।

श्री अध्यक्ष-

कब घोषणा हुई, इसको आपने सूचना में नहीं लिखा है? इसका कोई उल्लेख सूचना में नहीं किया गया है?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, 7 मई को मंत्रिपरिषद् के निर्णय की जानकारी विधिवत प्रदेश की जनता को हो गई है कि राज्य सरकार प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन करने जा रही है। 8 तारीख को निर्णय की जानकारी सरकार दे रही है आज 8 तारीख नहीं है, 8 तारीख को निर्णय इस सम्मानित सदन के बाहर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। यदि सरकार संसदीय परम्परा का अनुसरण करती तो उसको इस सम्मानित सदन में इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। सरकार विलम्ब से यह सूचना सदन को दे रही है हमारा औचित्य का प्रश्न इसी पर है कि यह घोषणा सदन के बाहर की गई है। मंत्रिपरिषद् के निर्णय की जानकारी जनता को हो गयी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 174 ए में जो व्यवस्था है। उसकी अवहेलना प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। विधान सभा का सत्र चल रहा हो और कोई नीतिगत निर्णय सदन के बाहर किया जाए तो यह सदन की अवमानना है तथा संसदीय परम्परा की खुली अवहेलना है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कल सदन के उपवेशन के बाद निर्णय लिया गया 8 तारीख को संभवत: अगर में गलत नहीं हूँ तो, 8 तारीख के बाद सबसे पहले 9 तारीख हो सकती थी, 9 तारीख को उसको लाया गया इस पार्टी की जो सरकार आपके सामने बैठी है उसका पूर्ण विश्वास सदन की गरिमा को कायम रखने में है, सम्मान रखने में है मैंने कोई बाहर घोषणा नहीं की है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों को सुनने के उपरान्त मैं इसकी सूचना को निरस्त करता हूँ।

(श्री धनीराम वर्मा जी के सदन में आने पर)

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर आप सदन में नहीं थे, आप सदन में चले गये थे तो मैंने सोचा कि इतनी देर में दूसरे कार्यों को निष्पादित कर लूँ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कांघला में श्री मुनव्वर हसन सांसद तथा श्री संजय सिंह एवं श्री जगत सिंह सदस्यगण विधान सभा को पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी से पीटे जाने सम्बन्धी प्रकरण (क्रमागत)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी बात कह रहा था उसमें कुछ व्यवधान हुआ मैं पुन: इस बात को दोहरा रहा हूँ। श्रीमन् संसदीय कार्य मंत्री जी ने कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़ी चाहे आंशिक पढ़ी, चाहे पूरी पढ़ी, मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब की रिपोर्ट को अक्षरश: सदन में पढ़ा जाए, दूसरी बात यह है कि जब श्रीमन् कमिश्नर साहब गए तो उनको कायदे से सूचना नियमानुसार देनी चाहिए थी जो विधायक, एम0पी0

और जिम्मेदार लोग रहे जो थाने में मौजूद थे उनको भी वहां उपस्थित रहने की सूचना देनी चाहिए थी। तीसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब ने जो श्री रतन पवार मौजूद थे भूतपूर्व विधायक, क्या उनसे कोई पूछताछ की और क्या उसमें यह पाया गया कि कमिश्नर साहब ने लिखा है कि श्री रतन लाल पवार को चोटें आई तो श्रीमन् मैं तीन बिन्दुओं पर और चौथी चीज माँग करता हूँ कि इस बात के लिए राज्य सभा में आज सांसद के साथ अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है कि वह विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है मैं आपके माध्यम से यहाँ भी माँग करूँगा कि यह विधायक के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसको भी विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। इन्हीं चार बिन्दुओं पर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करुंगा कि इस सम्बन्ध में अपना उत्तर दें।

(संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और चौथा बिन्दु सुझाव के रूप में दिया गया है। जैसी भी आपकी अनुमति हो, मैं पहले अपनी बात कह रहा था उसमें कुछ बिन्दु रह गये थे उसको पूर्ण कर दूँ.....

श्री अध्यक्ष-

अपनी पूरी बात करते हुए इन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दे दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तीन बातें पूंछी गयीं। एक जो माननीय विधायक, जिनके साथ घटना हुई क्या वह मौजूद थे, क्या उनको उपस्थिति रखने का प्रयास किया गया था। जो रिपोर्ट मिली है आयुक्त की उसमें यह उल्लेख है कि पूर्व विधायक श्री रतन लाल पवार अपने प्रतिनिधियों के साथ मिले। सर्वश्री मुन्नवर हुसैन, श्री जगत सिंह और श्री संजय सिंह इत्यादि टाऊन में मौजूद नहीं थे इसलिए उनसे बातें नहीं हो सकी। यह उसमें उल्लिखित है।

(कुवर रेवती रमण सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मुझे अपना पूरा जवाब तो देने दें।

कुवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पूरी रिपोर्ट तो पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष-

पूरी रिपोर्ट पढ़ दें।

श्री हुकुम सिंह-

उसके साथ-साथ कहना चाहूँगा, दूसरा स्पष्टीकरण मांगा था उनका भी उत्तर दे दूँ। यह पूछा गया मुझसे श्री रतन लाल पवार के शरीर पर चोट थी क्या? जो रिपोर्ट मिली है मैं पढ़ देता हूँ। इस संबंध में जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूछताछ की गयी। उन्होंने कहा कि चोट के संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से कोई मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई। पूर्व विधायक श्री रतन लाल पवार मिले। उन्होंने बताया कि उनके दोनों कंधों पर हल्की सी खरोंच आ गयी है। इसके अतिरिक्त कोई चोट उनके अंग पर नहीं थी। यह चोट किसी डंडे की वजह से नहीं थी मात्र खरौंच सी लगती थी। मैं रिपोर्ट को पूरी पढ़ने से पहले अपनी बात पूरी कर दूँ। क्योंकि यह सारा प्रकरण आया, सरकार की बात आयी उसके बाद फिर कमिश्नर की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह जी का पत्र है उसकी एक प्रति प्रमाणित करके मैंने आपके समक्ष भेज दी है। मान्यवर, चार पाँच लाइनों का पत्र है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो जायेगी। यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित है। यह इसके पैड पर है। एस0ओ0 कांधला, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा संदीप राज का अपहरण अपनी जान पर खेलकर छुड़वाना यह विषय है। इसमें है-मुझे आपको अवगत कराना है कि एस0ओ0 कांधला जि0 मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी जान पर खेलकर छुड़ाया....

मान्यवर, सदस्य, विधान सभा लिखते हैं एस0ओ0 कांधला मु0नगर द्वारा संदीप राज का अपहरण अपनी जान पर खेल कर छुड़ाया जो काबिले तारीफ है। इसी अपहरण में एक सफ़दपोश नेता ग्राम प्रधान मुंगेरु, मुजफ्फरनगर, मतलूब का नाम आया, मतलूब की गिरफ्तारी करने पर थाने पर मतलूब के समर्थकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन एवं पथराव किया गया जिसमें पुलिस के जवानों को चोट आयी है। पुलिस अपने बचाव में उस समय जब मतलूब द्वारा घोषणा करने के बाद कि सभी अपने कट्टे ले आओ तब हल्का लाठी चार्ज किया पुलिस ने जनहित में सराहनीय कार्य किया।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मतलूब एक स्ट्रिीशीटर बदमाश है इसका हिस्ट्रीशीटर नं0 336ए है जिसका अपहरण एवं मतलूब जंग प्रधान को गिरफ्तार करने का कांधला क्षेत्र की..... जनता चैन की सांस लेकर कांधला पुलिस को बधाई दे रही है। यह लाइन कुछ अस्पष्ट सी है। सराहनीय कार्य पर उसकी प्रशंसा करता हूँ।

यह मैंने नहीं कहा है कि यह सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं है विरोध पक्ष के है।

मान्यवर, जो रिपोर्ट की बात है 5 पन्ने की है यह आपके पास कापी भेज देता हूँ या आपके पास (माननीय नेता प्रतिपक्ष) के पास कापी भेज देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि इसे पढ़ दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं पढ़े देता हूँ।

श्रीमहोदय, कृपया आज अपराह्न 12.15 पर आपसे हुई दूरभाष वार्ता तथा श्री कुश वर्मा, सचिव गृह विभाग के फैक्स अद्य शास0 पत्र सं0 276/पी0एस0एच0एस0/2000 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा थाना कांधला जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत दिनांक 2 मई, 2000 के अपहरण की घटना तथा उसी से सम्बन्धित दिनांक 5 मई, 2000 को भीड़ नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा बल प्रयोग के समय जन प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के फैक्स संदेश मई 6, 2000 तथा फैक्स संदेश सं0 2832/पी0ए0 दिनांक मई 8, 2000 की संयुक्त रिपोर्ट का भी अवलोकन करना चाहें, जिसकी प्रति मुझे दी गयी है।

प्रसंग को बहुत विस्तार से न लेते हुए जैसा कि आपसे दूरभाष पर वार्ता हुई थी कि इस सम्बन्ध में मुख्य रुप से तीन बिन्दुओं पर जांच एवं परीक्षण कर मुझे अपनी आख्या आपको प्रेषित करनी है। यह तीन बिन्दु हैं-

1-क्या श्री मतलूब जंग प्रधान, प्रधान ग्राम गंगेरु निवासी ग्राम गढ़ी दौलत थाना कांधला को अपहरण के, प्रकरण में फंसाया जाना सही है अथवा नहीं। क्या वह निर्दोष हैं अथवा नहीं।

2-क्या मतलूब जंग , ग्राम प्रधान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है अथवा नहीं।

3-क्या दिनांक 5-5-2000 को सायं के समय जब 3.30 से 5.30 बजे तक जनसभा को संबोधित करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें मुख्य रुप से श्री मुन्नवर हसन, राज्य सभा सदस्य, श्री संजय सिंह व श्री जगत सिंह माननीय विधायक तथा पूर्व विधायक श्री रतनपाल पवार आदि जो अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), तथा अपर पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता कर रहे थे, पुलिस के साथ क्या कोई मार-पीट या

दुर्व्यवहार किया।

उक्त पूरे प्रकरण में तीनों बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जो निष्कर्ष निकलेगा तथा माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो दो बातें कहीं हैं, क्या श्री मतलूब जंग निर्दोष हैं तथा इसी क्रम में माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मार-पीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया, के सम्बन्ध में रिजल्ट सामने आयेगा।

1-मैंने आज स्वयं मौके पर जाकर कांधला निरीक्षण भवन में सम्बन्धित अधिकारीगण, जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिला अधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिला मजिस्ट्रेट, कैराना तथा क्षेत्राधिकारी (पुलिस) एवं थानाध्यक्ष, कांधला से पूछताछ की साथ में मुझसे मिलने श्री वीरेन्द्र सिंह क्षेत्रीय विधायक भी आये। कांधला टाउन के भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधि भी मुझसे मिले। इसके अतिरिक्त श्री जहीर आरजू, पत्रकार "मानव जगत", श्री पवन कुमार पत्रकार "पंजाब केशरी" तथा ग्राम जसाला खेड़ा कुलसान, लिसाट ग्राम के प्रतिनिधि मुझसे मिले। मैंने वहाँ के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को वार्ता करने हेतु वहां आमंत्रित किया। पूर्व विधायक श्री रतनलाल पवार अपने प्रतिनिधियों के साथ मुझसे मिले। सर्व श्री मुन्नवर हसन, श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह इत्यादि टाउन में मौजूद नहीं थे इसलिए उनसे वार्ता नहीं हो सकी। संक्षेप में मेरी जांच आख्या इस प्रकार है-

जहाँ तक पहले बिन्दु का प्रश्न है कि क्या श्री मतलूब जंग, ग्राम प्रधान निर्दोष हैं उन्हें अनावश्यक रुप से फंसाया गया है। इस सम्बन्ध में यह उचित प्रतीत होता है कि पहले बिन्दु संख्या-2 "क्या श्री मतलूब जंग का अपराधिक इतिहास है अथवा नहीं" न इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष पाण्डेय ने अवगत कराया है कि श्री मतलूब जंग एक हिस्ट्रीशीटर है, इसके विरुद्ध गुण्डा एक्ट भी चला है तथा आई0पी0सी0 के अन्तर्गत वर्ष 1991 से 1995 तक चार मुकदमें तथा वर्ष 2000 में दो मुकदमें इस पर चले हैं। पूछ ताछ करने पर ऐसी ही जानकारी थानाध्यक्ष कांधला तथा क्षेत्राधिकारी (पुलिस) ने दी है। मैंने संबंधित थाने से हिस्ट्रीशीटर के सम्बन्ध में सम्बन्धित रजिस्टर को तलब किया और उसमें वर्ष 1991 में धारा 302 का मुकदमा, वर्ष 1989 में 302 का मुकदमा, वर्ष 1991 में धारा 147/148/149/307/504/506/353/ए तथा 7 क्रिमिनल एमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज पाया इस सम्बन्ध में समाजवादी पार्दी के पूर्व विधायक श्री रतनपाल पवार से पूछ-ताछ की उन्होंने कहा कि हिस्ट्रीशीट खुली है। अन्य मुकदमों में कोर्ट से सज़ा नहीं हुई, कुछ में दोषमुक्त हुआ है। हिस्ट्रीशीट में मैंने बारीकी से अध्ययन किया कि अभी इस पर सरविलान्स चल रहा है कहीं-कहीं यह जरुर लिखा है कि बैड करेक्टर मौजूद है। राजनीति में सक्रिय है। वर्ष 1996 में यह भी लिखा है कि हिस्ट्रीशीट पार्टी आधार पर खोला जाना प्रतीत होता है परन्तु अभी तक विधिक रुप से श्री मतलूब जंग की हिस्ट्रीशीट बन्द नहीं हुई है। सरविलान्स जारी है तथा कानूनन हिस्ट्रीशीट की कैटेग्री में है। इन सब बातों से यह बात साबित नहीं होती है कि इनका अपराधिक इतिहास न हो और यह एक सभ्य व्यक्ति हों। इन बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है।

2-क्या इन्हें 2-5-2000 में गाजियाबाद निवासी संदीप राज नामक व्यक्ति का थाना कांधला से अपहरण के बाद इन्हें गलत फंसाया गया है, अथवा नहीं। आप अवगत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिरौती के लिए अपहरण के लिए कुख्यात है। यहां आये दिन इस किस्म के अपहरण होते रहते हैं। एक अपहरण से, 10 कत्ल से अधिक सनसनी फैलती है। गाजियाबाद निवासी संदीप राज का अपहरण जब हुआ तो उच्च अधिकारियों ने यहाँ तक कि लखनऊ से भी निर्देश मिलें कि इसे जल्दी से जल्दी वर्कआउट किया जाए तथा श्री संदीप राज को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया जाय। इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस, जिसमें मुख्य रुप से क्षेत्राधिकारी (पुलिस) कैराना तथा थानाध्यक्ष, कांधला, अपहरण काण्ड को सुलझाने में लगे थे। इनके द्वारा दिनांक 2-5-2000 को अपहरणकर्ताओं से संलिप्त इजरायल पुत्र सफी, विलास, हारुन को गिरफ्तार किया

गया। क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्ष ने मुझे अवगत कराया कि उपरोक्त तीन मुख्य अभियुक्त में से हारुन की निशानदेही पर अपहृत श्री संदीपराज इजरायल के कब्जे से मिला। इजरायल ने पूछताछ के दौरान बताया कि श्री मतलूब जंग ग्राम प्रधान के उनसे पुराने सम्बन्ध हैं तथा लगभग एक माह पूर्व श्री मतलूब जंग ने एक कट्टा तथा 7 कारतूस दिये और कहा कि अपहरण के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। इन सभी तथ्यों को देखते हुए श्री मतलूब जंग ग्राम प्रधान को भी अपहरण में लिप्त के उद्देश्य से, इन्हें भी साथ में गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह, स्थानीय विधायक तथा ग्राम जसाला के प्रतिनिधियों ने भी अपहरण की घटना में मतलूब जंग को गिरफ्तार किये जाने को उचित बताया है। मेरी समझ में जो स्थानीय पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए श्री संदीपराज अपहृत को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया है तथा जिसमें स्थानीय पुलिस की प्रशंसा सब जगह की जा रही है ऐसे में जब स्थानीय पुलिस को मुख्य तीन अपहरणकर्ताओं में से एक मतलूब जंग के भी हाथ होने के बारे में बताया तो उनके द्वारा गिरफ्तारी करना अनुचित नहीं था इस प्रकार श्री मतलूब जंग इस प्रकरण में निर्दोष नहीं कहे जा सकते।

3-दिनांक 5-5-2000 को समाजवादी पार्टी के सर्वश्री मुनव्वर हसन, श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह, पूर्व विधायक श्री रतन लाल पवार, श्री हरेन्द्र मलिक, श्री प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव इत्यादि 3.30 बजे, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा अपर पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर रहे थे। वार्ता 5.15 तक चलती रही और यह सम्भव था कि वार्ता सफल भी हो जाती, परन्तु इसी बीच धरना स्थल से लोग उठकर चले आये तथा थाने के अन्दर घुसने लगे और इसी बीच भीड़ में से कुछ लोगों ने ईंट-पत्थर भी मारना शुरु कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी भगदड़ में तथा पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों को वहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने खदेड़ना शुरु किया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें भी आयी है. 15-20 मिनट तक पथराव तथा लोगों की भीड़ खदेड़ने की कार्यवाही चलती रही और इसी बीच ऐसा लगता है कि माननीय जन प्रतिनिधि जो अन्दर वार्ता कर रहे थे, वह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा अपर पुलिस अधीक्षक के साथ बाहर आने लगे। इस पर हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी इनकी तरफ देखकर आगे बढ़े, जैसा कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन माननीय जनप्रतिनिधियों को पुलिस वालों से बचाकर किसी और रास्ते से बाहर निकाल दिया गया। अब क्योंकि श्री मुनव्वर हसन, श्री संजय चौहान, श्री जगत सिंह विधायक में से आज कोई उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा सकी। न ही इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कोई चोट के सम्बन्ध में कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही समाजवादी के पदाधिकारियों ने कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूर्व विधायक श्री रतन लाल पवार जरुर मिले, उन्होंने बताया कि उनके दाँये कन्धे पर हल्की सी खरोंच आयी है, इसके अतिरिक्त कोई चोट उनके अंग पर नहीं थी। यह हल्की चोट भी किसी डण्डे की प्रतीत नहीं होती है, मात्र खरोंच सी लगती है।

जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सायंकाल वह भी कांधला पहुंच गये और जनप्रतिनिधियों से बात की और उन्होंने प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच करने तथा जांचोपरान्त कोई कार्यवाही अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध करने का आश्वासन देने पर सब लोग वहां से हट गये। इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय जनप्रतिनिधिगण यह अरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई तथा अभद्र व्यवहार किया गया, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 7-5-2000 को "दैनिक जागरण" तथा "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" की प्रतियां मुझे दिखायी गईं। उसमें बताया गया कि दिनांक 6-5-2000 को विधायक श्री संजय सिंह के आवास पर एक प्रेस कांफ्रेंस हुई, जैसा कि "दैनिक जागरण" में शीर्षक है "न मैं पिटा और न कोई विधायक- मुनव्वर" मुजफ्फरनगर बुलेटिन में शीर्षक है लो अब सभी सपा नेता अपने पिटने से इन्कार करते रहे इन दोनों की कटिंग मैं साथ संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट

ने मुझे यह भी अवगत कराया कि दिनांक 6-5-2000को श्री मुनव्वर हसन, श्री संजय सिंह, श्री जगत सिंह व अन्य उनसे मिले। उन्होंने अपने पिटने की कोई बात उनसे नहीं कही और वह मात्र इस बात पर बल देते रहे कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध तहरीर लिखी जाय तथा स्थानीय क्षेत्राधिकारी (पुलिस) को स्थानान्तरित किया जाए। यदि कोई चोट की बात होती तो दिनांक 6-5-2000 को जिलाधिकारी से अवश्य बताते। दिनांक 5-5-2000 को सायं भी जब जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांधला गये तो इन लोगों द्वारा अपनी पिटाई होने की बात नहीं की। जैसा कि जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब श्री मुनव्वर हसन, श्री संजय सिंह व श्री जगत सिंह को चोट नहीं आयी है। क्योंकि वह मौके पर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनसे कोई चर्चा नहीं हो सकी तथा उनके पिटने के सम्बन्ध में उन लोगों द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कोई चिकित्सा प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इनकी पिटाई हुई अथवा नहीं। दूरभाष वार्ता क्रम में उपरोक्त 3-4 बिन्दुओं पर मैं अपनी आख्या आपको प्रेषित कर रहा हूँ। सादर, सुभाष कुमार।

श्री संजय सिंह-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पूरी रिपोर्ट आ गई है। मैं तो यह अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित कर लीजियेगा कि जो भी आप कार्यवाही करें, उसमें माननीय विधायकों के सम्मान का ध्यान रखें। यह अच्छी बात होगी।

श्री हुकुम सिंह-

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था। रिपोर्ट अपनी जगह है, कार्यवाही अपनी जगह है। हमारा दायित्व बनता है, विधायकगण की गरिमा बनी रहे, उनकी गरिमा के अनुरुप होगा।

श्री संजय सिंह-

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय [illegible] मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जो हिस्ट्रीशीट [illegible] की बतायी जा [illegible] 10 साल से लगातार ग्राम प्रधान हैं, शायद उत्तर प्रदेश में वह सबसे [illegible] पंचायत होगी। [illegible] दर्ज हो गया है। यहाँ भी बहुत से माननीय [illegible] जिनके खिलाफ मामले होंगे, वह खुद देख [illegible] पार्टी बाजी के आधार पर लगे हैं। उनके खिलाफ [illegible] की भावना से कार्यवाही की गयी। ऐसे ही [illegible] लोग इकट्ठा नहीं होते। प्रदर्शन प्रशासन के सहयोग के लिए किया जाता है। [illegible] प्रशासनिक अधिकारी [illegible] बुलाने पर गये और वहां पिटाई की गयी। मेडिकल रिपोर्ट यह है मैं इसे आप [illegible] दूँगा। इसके अलावा और भी 20 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट हैं इन्हें लाठियों से मारा गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे आप संसदीय कार्य मंत्री को भिजा [illegible]

श्री संजय सिंह-

मान्यवर, जहां तक अखबारों का सवाल है [illegible] कर एक पत्रकार ने किसी निमित्त [illegible] से मुझे नहीं [illegible] किया श्री मुनव्वर [illegible] कि मैं बाहर था.... और जहाँ [illegible] को पढ़कर [illegible] अखबार की 6 तारीख की [illegible] पुलिस [illegible] के हाथों [illegible] बमुश्किल जिन्दा बचे [illegible] एक [illegible] भी हमला होता है तो दरोगा [illegible]

मान्यवर, जो विधायक इस सदन के सदस्य हैं, जब वह खुद कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मान्यवर, जो विधायक जी का पत्र सुनाया गया संयोग से मैं उनके विरुद्ध 89 में चुनाव लड़ा था, वर्ष 96 में मतलूब जंग को उनके विरुद्ध इन्डीपेन्डेंट 16 हजार वोट मिले। मान्यवर, यह कोई व्यक्गित आक्षेप नहीं है। श्री मुनव्वर हसन के साथ माननीय कार्य मंत्री जी के दो चुनाव हुए हैं। परिणाम मैं नहीं बताना चाहता। जब विधायक स्वयं कह रहे हैं तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संज्ञान ले लिया जाय।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया प्रकरण समाप्त होने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। इस सदन की परम्परा यह रही है, समय-समय पर निर्देश भी होते रहे हैं, माना भी जाता रहा है कि यदि किसी वर्तमान विधायक ने जो बात सदन में कही है तो उसे यह मानकर चला जाता है कि वह सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा है। अभी दो सदस्यों ने बहुत स्पष्ट रुप से कहा है कि उनकी पिटाई हुई है। चूंकि वहां वे थे नहीं इसलिए आयुक्त जब भी गये तो न वे अपनी रिपोर्ट दे पाये और न बयान दे पाये इसलिए यह रिपोर्ट अपूर्ण है, जब तक इन सम्मानित विधायकों की इन्जरी रिपोर्ट और कथन न आ जाए। मैं आग्रह करुंगा.....

मान्यवर, दो विधायकों को चोटें आयी हैं। उनके साथ जो आमानुषिक व्यवहार हुआ उसकी जांच सरकार को स्वयं अपनी ओर से करानी चाहिये। दूसरे इंजरी रिपोर्ट आ गयी और माननीय सदस्य ने आपको दे दी, आपने कहा कि रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री को दे दें तो इस पूरे प्रकरण को अब इस नजरिये से देखना चाहिये कि इसकी इंजरी रिपोर्ट आ गयी है सरकार को कम से कम इस बात पर सदाशयता का परिचय देते हुये और इंजरी रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुये सम्पूर्ण प्रकरण की फिर से जांच करवानी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो आपने निर्देश दिया है उसका पालन होगा।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैंने मांग की थी कि इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सुपूर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार समिति को भेजने का कार्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो करेंगे नहीं, आप हमें लिखकर दे दीजिये मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। विशेषाधिकार समिति को सौंपना, यह तो अध्यक्ष का अधिकार है। आप माननीय सदस्य को निर्देश कर दें कि वह हमें लिखकर दे दें।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अप्रैल, 2000 को बैठक में पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 अप्रैल, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।.

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1999

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (2) उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अप्रैल, 1999 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (3) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अप्रैल, 2000 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 मई 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (4) उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के उपनिवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (5) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2000 के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (6) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा अपने दिनांक 11 अप्रैल, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि (7) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि (8) उत्तर प्रदेश झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अप्रैल, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि (9) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि (10) उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मई, 2000 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टुण्डला में कन्या विद्यालय खोले जाने विषयक श्री कमल किशोर बहोरे आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शिव सिंह चक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टुण्डला में एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री कमल किशोर बहोरे तथा श्री चन्द्रेश कुमार, निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नोट :- † छापी नहीं गयी।

मेरठ नगर में घण्टाघर पर कोटला को जाने वाले नाले पर स्थापित बिजली घर को टाउन हाल में स्थापित कराये जाने विषयक श्री राजीव जग्गी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ नगर में घंटाघर पर कोटला को जाने वाले नाले पर स्थापित बिजलीघर को टाउन हाल में स्थापित कराये जाने विषयक श्री राजीव जग्गी तथा श्री पद्म सिंह, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अम्बेदकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहाँगीरगंज के अन्तर्गत राम नगर अन्नापुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुरु चरन यादव उर्फ फौजी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद अम्बेदकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहाँगीरगंज के अन्तर्गत रामनगर अन्नापुर में तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुरचरन यादव उर्फ फौजी, निवासी जनपद अम्बेदकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद अम्बेदकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहाँगीरगंज के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर में 30 शैय्या वाला महिला अस्पताल खुलवाये जाने विषयक श्री ज्वाला प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(2) जनपद अम्बेदकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहाँगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर में 30 शैय्या वाला महिला अस्पताल खुलवाये जाने विषयक श्री ज्वाला प्रसाद, निवासी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(1) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर तहसील भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कृष्ण कुमार सिंह तथा श्री राघवराम पाण्डेय, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टेशन स्थापित करने एवं रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हरीश कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

(2) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टेशन स्थापित करने एव रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हरीश कुमार तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नोट :- † छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 9, 10, एवं 11 में कोई सूचना नहीं है।

(समय 6 बजकर 10 मिनट)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृत सूचनाओं को अगले दिन लिये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में जितने कार्यस्थगन जिस क्रम में आज स्वीकृत थे उन्हें उसी क्रम में कल ले लेंगे।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटें कम करने विषयक श्री विनोद मणि द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना भी सदन को देनी है।

कल दिनांक 8 मई, 2000 को माननीय श्री विनोद मणि, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटें कम करने के विषय पर दिनांक 9 मई, 2000 को एक घण्टे की चर्चा ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु घोषित की गयी थी। माननीय सदस्य के अनुरोध पर उक्त चर्चा अब दिनांक 10 मई, 2000 को आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान से पूर्व होगी। इस विषय पर माननीय श्री राम नरेश यादव जी के भी हस्ताक्षर हैं।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मागों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) तथा अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

(लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,75,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33- चिकित्सा विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,04,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक निर्माण का दूर-दूर तक वास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चिकित्सा शिक्षा विभाग भी लोक निर्माण मंत्री जी के पास है। जो माननीय सदस्य चिकित्सा शिक्षा पर बोलना चाहेंगे वह इस पर अपने विचार रख लेंगे जो सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलना चाहेंगे वह उस पर अपने विचार रख लेंगे। जो दोनों पर बोलना चाहेंगे वह दोनों विभागों के बजट पर बोल लेंगे। यह विशेष परिस्थितियों में है इतना समय लग गया है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आने वाले लोग जो कटौती का प्रस्ताव पढ़ेंगे वह क्या सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पहले चिकित्सा शिक्षा का बजट प्रस्तुत कर दें एवं उस पर अपने विचार रखें।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-34

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

(लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग होम्योपैथी चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,70,66,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा वर्ष 1982 के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के साथ ही संलग्न था लेकिन 1982 के बाद चिकित्सा शिक्षा एक अलग विभाग के रुप में रखा गया इसका एक अलग कैबिनेट मिनिस्टर और राज्यमंत्री हैं और इसमें तीन प्रमुख विभाग हैं। आधुनिक शिक्षा, दूसरा आयुर्वेदिक यूनानी तीसरा होम्योपैथिक। आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत जो मेडिकल कालेज हैं वह आते हैं इस मेडिकल कालेज में 7 मेडिकल कालेज हैं। जिसमें लखनऊ का किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है 6 मेडिकल कालेज सीधे शासन से सम्बद्ध हैं। 6 मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की स्थिति कम रही है। कई कठिनाइयां शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में थी इसलिए शासन ने अनुभव किया कि स्वायत्त शासी व्यवस्था को अपनाते हुए इस हिसाब से रिक्तियों की पूर्ति कर ली जाए इसलिए 1998 में 1807 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अन्तर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराया गया उसके बाइलाज भी बनाए गए उसके आधार पर यह प्रयत्न किया गया कि जो भी कमियाँ हैं चाहे आयुर्विज्ञान परिषद् के मानक के आधार पर एम0सी0आई0 के आधार पर जो त्रुटियां हैं उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। जो 6 मेडिकल कालेज हैं जो कि मानक के आधार पर उपयुक्त नहीं है, कहीं उसको अस्वीकृति प्रदान न कर दी गई।

इसलिए स्वायत्तशासी व्यवस्था की बात सोची गयी और जब करने की कोशिश की गयी तो कुछ चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे चिकित्सक, कुछ कर्मचारी जिन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन कर दिया और हाई कोर्ट ने इसको पूर्णत: निरस्त कर दिया। हम शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गये कि अनुतोष प्राप्त हो जाए लेकिन वह प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पुन: विचार करते हुए चिकित्सा और मेडिकल कालेजों में हम ठीक से शिक्षकों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हमने पुन: सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है। मान्यवर, परेशानी मेडिकल कालेज की है और हमारे सामने यह एक समस्या बन गयी हैं। मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने जो निरीक्षण किया है उसके अन्तर्गत 6 मेडिकल कालेज के बारे में आपत्ति दर्ज किया है और उसके कारण हमें कठिनाई हो रही है। लेकिन अभी जो हमने इस सम्बन्ध में कार्य किया है उसमें फिर से व्यवस्था को संशोधित करने का प्रयत्न किया है और उसके अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पुन: इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करने के लिए चूंकि शासनादेश के बारे में स्वायत्तशासी व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया उसमें कुछ समय तक शासन की तरफ से अनुदान प्राप्त करना चाहिए लेकिन पूर्णत: संशाधन जो हैं वह हमें अपने मेडिकल कालेज के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है लेकिन वह सम्भव नहीं हो पाया। इसलिए फिर से संशोधित करके इसको करने का प्रयत्न किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 महीनों में सारी रिक्तियों को भरने में हम सक्षम हो सकेंगे। हमने तय किया है कि जो मेडिकल कालेजेज हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए एक-एक मेडिकल कालेज के

उच्चीकरण के लिए मेडिकल कालेज के अन्दर हम ठीक से व्यवस्था कर सकें इसके लिए तीन योजनायें बनाने की कोशिश किया है। वे योजनायें इस प्रकार हैं- पहली तात्कालिक कार्य योजना, दूसरी मध्य कालीन योजना और तीसरी दीर्घकालीन योजना बनाया है और उनके द्वारा प्रयत्न कर रहे हैं कि जहाँ से संशाधन उपलब्ध हो सके उनके माध्यम से हम मेडिकल कालेजों के उच्चीकरण का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से वार्ता हुई है और गोरखपुर, मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया है चूंकि इतने वर्षों में उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसमें वार्ता हो गयी है और आशा है कि वह भी हमें स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। मान्यवर, इसी प्रकार किंग जार्ज मेडिकल कालेज जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े मेडिकल कालेजों में है और इसके लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करने की हमने कोशिश किया है। मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल कालेज 1905 में स्थापित किया गया था और 2005 में उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हम सदी समारोह मनायेंगे।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुये)

....और इसमें हमारा प्रयत्न होगा कि जो इसके विभिन्न विभाग है उनके उच्चीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अंदर आदर्श कालेज के रूप में विकास करेंगे और इसके लिए हमनें इस बजट में कुछ प्राविधान भी किया और भारत सरकार से सदी समारोह के माध्यम से धन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो डाक्टर, किंग जार्ज मेडिकल कालेज से बाहर गये हैं, विदेशों में गये हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे इस सदी समारोह के माध्यम से। लखनऊ में कृतिम अवयव पुनर्वास केन्द्र आर0ए0एल0ए0 की स्थिति बहुत खराब थी इसके लिए 25 लाख रुपये हमने दिये और आगे सुधार के लिए हम 25 लाख रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। मान्यवर, निजी क्षेत्र में सात डेन्टल और दो मेडिकल कालेज चलाये जा रहे हैं इसके माध्यम से चिकित्सा शिक्षा को उच्चीकृत करने की कोशिश की जा रही है। यह जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है यह पूरे देश में बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी विशिष्ठता यह है कि यहाँ बाहर से सहायता प्राप्त करके मंहगे और अत्याधुनिक उपकरण लगाये गये हैं। पहले चरण में जापान में 35 करोड़ 63 लाख का सहयोग किया और जिससे संयंत्र आये। हड्डियों की कमजोरी को ज्ञात करने के लिए बोन मेरो टेस्टोमीटर कम सेल संयंत्र के लिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर से अनुमति प्राप्त कर ली है। स्पंज सेल स्प्रेट, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, नेचुरोथरेपी मेडिसिन, लीवर प्लान्ट से संबंधित कार्यवाही की जा रही है। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कोमा नाइफ सुविधा प्रदान किये जाने के लिए इन्डोफ्रेन्च से आर्थिक सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 30 मिलियन फ्रन्च फेन विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है। धन्वंतरि आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद केन्द्रीय होम्योपैथ और भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्डों के अनुसार इस धन्वंतरि विश्वविद्यालय में एकरुपता और मेडिकल कालेज मे शैक्षिक सत्र नियमित करनें का कार्य किया जायगा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जायगी।

....दूसरा जो हमारा चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है वह है आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा शिक्षा। भारत सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है और हमने भी इस पर विशेष ध्यान दिया है। आयुर्वेद तथा यूनानी की जो गत वर्ष स्थिति रही है, उसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है। पूरे प्रदेश में 12 महाविद्यालय हैं जिसमें 10 आयुर्वेद के तथा 2 यूनानी के। इस प्रकार 1999-2000 में 50 नये राजकीय आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये गये, वर्तमान में 2600 आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सालय हैं जिसमें से 2356 आयुर्वेद के तथा 244 यूनानी के हैं। आयुर्वेद तथा यूनानी के लिये हमने विशेष व्यवस्था करते हुए, कम से कम तीन महाविद्यालयों को आदर्श के रुप में रखा है- इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ को। इनके उच्चीकरण के लिये हम प्रयत्नशील भी हैं। इसके साथ ही साथ कुछ निर्माणशालायें भी हैं

लखनऊ, हरिद्वार और पीलीभीत में। पिछली बार इन निर्माणशालाओं में औषधि हेतु 32 लाख रुपए का प्राविधान था जिसे हमने बढ़ाकर 64 लाख कर दिया है। कोशिश यह है कि जो औषधियां प्राप्त नहीं होती थी हम इन निर्माणशालाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 62 लाख रुपये की औषधियों का निर्माण करके हम हर जिले में पहुँचा सकेंगे। विभिन्न महाविद्यालयों में विभिनन योजनायें संचालित हैं। लखनऊ में हम दो विषय रस शास्त्र और द्रव्य शास्त्र खोलने जा रहे हैं। स्नातकोत्तर में भी हम 14 छात्रों को बढ़ा रहे हैं अब 42 छात्र स्नातकोत्तर होंगे। 2000-2001 आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवनों और उपकरणों के संरक्षण हेतु 25 लाख की व्यवस्था की गई है, हमने भारत सरकार से बात की है, भारत सरकार हमें अनुदान देने को तैयार हैं। आयुर्वेद में जो इन्टर्नशिप में 1500 रुपए छात्रों को देने की बात थी, इस बार इसे 1950 रुपए देना तय किया है। आयुर्वेद तथा यूनानी की औषधियों के लिये 1977-78 में ड्रग ऐक्ट लागू किया गया था ताकि औषधियों की गुणवत्ता बनी रहे इस हेतु ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लखनऊ में है, जिससे औषधियों की गुणवत्ता को हम ठीक ढंग से रख सकें, इस हिसाब से 959.94 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, इस बार वह 998.11 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से होम्योपैथिक की दृष्टि से भी शिक्षा दी जा रही है ताकि वह शिक्षा भी प्रदेश और भारत में लोकप्रिय हो सके।

इसकी भी मान्यवर व्यवस्था की है। राजकीय होम्यो मेडिकल चिकित्सालय को अस्पतालों से सम्बद्ध करते हुए 100 नगरीय राजकीय होम्यो चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं जिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपये इस पर व्यय होता है। नगरीय क्षेत्र में बजट का हम ज्यादा प्रतिशत मान्यवर, इसमें खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिद्धान्त: होम्यो चिकित्सालय अधिकांशतया या तो नि:शुल्क होते हैं। भवन अधिकतर किराये पर लिये हुए होते हैं। इनके बहुत कम भवन थे जो हमको प्राप्त हो रहे थे लेकिन पिछली बार हमने प्रयत्न किया और 58 भवन बनाने की दृष्टि से पिछली बार से कोशिश करने का प्रयत्न किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 58 भवन बनकर इस समय तैयार हो गये हैं। प्रमोद जी जल्दी के लिये कह रहे हैं। मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ।

मान्यवर, 10 राजकीय महाविद्यालय होम्योपैथी के हैं और केन्द्रीय होम्यो परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त भी हैं1 यह भी अभी पूर्ण रुप से सुसज्जित नहीं हो पाये हैं। यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उनको भी भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही इसको पूर्ण कर लेंगे। मान्यवर, हम प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध करा रहे हैं इसके लिये 43 लाख 56 हजार से बजट को बढ़ाकर 60 लाख 27 हजार किया है और गत वर्ष 99-2000 में होम्योपैथिक विभाग के लिये विभिन्न कार्यक्रम के लिये आयोजनागत पक्ष में 738.11 लाख रुपये की धनराशि व्यय की। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 816.51 लाख की व्यवस्था आयोजनागत पक्ष में की गई। इसी तरीके से हमने तीनों, ऐलोपैथी, आयुवेर्दिक यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक शिक्षित होकर गुणवत्ता युक्त होकर छात्र निकले और उन महा विद्यालयों के उचचीकरण के लिये सतत् प्रयत्नशील हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बजट इनके लिये आवंटन किया गया है हमारे सभी साथी इसकी स्वीकृत करके और इन महाविद्यालयों को उच्चीकृत करने की दिशा में सहयोग प्रदान करेंगे। यह मेडिकल एज्यूकेशन से संबंधित बजट मैंने प्रस्तुत किया है।

श्री अधिष्ठाता-

रामतेज जी कृपया कटौती का प्रस्ताव रखें।

(श्री रामतेज यादव, एडवोकेट के उपस्थित न होने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग

(चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-34 (चिकित्सा विभाग) होम्योपैथी चिकित्सा की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी इस विभाग के बारे में कुछ विचार रखे और माननीय मंत्री जी ने जो विचार रखें हैं उनसे प्रतीत हो रहा है कि माननीय मंत्री जी बहुत अधिक परिवर्तन करना चाहते हैं इन मेडिकल शिक्षा में लेकिन मान्यवर, जब इसकी तरफ ध्यान देने का काम करते हैं तो जब हम इस बजट को देखने का काम करते हैं तो उससे यह परिलक्षित होता है कि माननीय मंत्री जी ने जो घोषणायें की हैं निश्चित रुप से इसके लिए वित्तीय प्रबन्ध का काम नहीं किया गया है। अनुदान संख्या-31 देखें, 1999-2000 का पुनरीक्षित बजट था 236 करोड़ 19 लाख आज 2000-2001 के बजट में पुनरीक्षित अनुमानित बजट 223 करोड़ 67 लाख रुपया है, इसी तरह से दूसरी अनुदान संख्या चिकित्सा व्यवस्था के विस्तार की जरुरत है पुनरीक्षित अनुमानित तथा 1999-2000 में 116 करोड़ 8 लाख, 2000-2001 का सम्पूर्ण बजट एक करोड़ अधिक है। आपको मंहगाई बढ़ने का अनुपात क्या है इसको देखना चाहिए था, वेतन वृद्धि देने की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी होम्योपैथिक और आयुर्वेद को बढ़ाने का काम किया है इसको देखने से प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी ने सदन में जो घोषणायें की हैं वह केवल काल्पनिक हैं, यह बढ़ा-चढ़ाकर अपनी तारीफ का प्रयास है जब बजट की व्यवस्था नहीं की गई है तो निश्चित रुप से घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। अनुदान संख्या-31 में अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य पर 1999-2000 का जो पुनरीक्षित बजट था 4 करोड़ 42 लाख 74 हजार था और इस वर्ष 44 करोड़ 98 लाख रुपया किया गया है इसी तरह से जब तक जो विभिन्न मदवार खर्चा रखने का काम किया गया है उसकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं करते हैं तो इस बजट की प्रासंगिकता नहीं है। जिसके बारे में मंत्री जी ने अपने भाषण में बताने का काम किया निश्चित रुप से हल होने वाला नहीं है। आबादी की रफ्तार निरंतर बढ़ रही है लेकिन मेडिकल कालेज नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों होम्योपैथिक विश्वविद्यालय खोलने की बात आई, आज हर्बल की तरफ दुनिया बढ़ रही है होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, सिर्फ मेडिकल कालेज की स्थापना की गई यह समझ में नही आ रहा है। वर्षों से घोषणा हुई है लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इस सरकार की मेडिकल के बारे में क्या सोच है इससे परिलक्षित होता है कि लोक निर्माण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग जिसका कोई तारतम्य नहीं है एक ही मंत्री जी के जिम्मे किया गया है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से वह सड़के बनवाने का कार्य करेंगे और मेडिकल के माध्यम से स्वास्थ्य सुधारने का काम करेंगे इससे प्रतीत होता है कि इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मेडिकल शिक्षा के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं है। इस प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार मेडिकल कालेजों का घोर अभाव है। इस प्रदेश के कुछ जिले मेडिकल कालेज के अछूते हैं जैसे फैजाबाद मंडल है, आजमगढ़ मंडल है जिसमें प्रदेश की बड़ी आबादी निवास करती है तो ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है लेकिन इसको खोलने का काम नहीं किया गया है। मेडिकल कालेज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है मेडिकल कालेज, अस्पताल की स्थापना विशेष रुप से गरीबी की रेखा से

नीचे रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कंराने के लिए होती है लेकिन उनकी स्थिति दयनीय है, बैड खराब हैं, उसमें कोई सोना नहीं चाहता है किसी ने कहा था कि आज मेडिकल कालेज के बिस्तर पर कुत्ते सोते हैं तो इसका जवाब किसी ने दिया था कि हमारे लोगों का स्वास्थ्य इतना सुधर गया है कि उनको अस्पताल जाने की जरुरत नहीं पड़ती है।

मान्यवर, इसलिए अस्पताल में जाने की ज़रुरत नहीं पड़ रही है कि जो वहां की व्यवस्था है वह बिलकुल चरमरा गयी है और जिसके कारण प्रदेश में नर्सिंग होम का विस्तार हो रहा है। उन नर्सिंग होम के माध्यम से बड़े लोगों के लिए स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको यह सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, जो मेडिकल कालेजों में डाक्टर हैं, जो सीनियर डाक्टर हैं, वह काम नहीं करते हैं। वह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। नर्सिंग होम में दूसरे लोगों को ठीक करने का काम करते हैं लेकिन मेडिकल कालेजों में देखने का काम नहीं करते हैं। मान्यवर, आज बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार को देखते हुए हर जिले में एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। मैं अपने फैजाबाद के दैवी पादन मण्डल, आजमगढ़ मण्डल में एक मेडिकल कालेज खोलने की मांग करता हूँ। मान्यवर, मेडिकल कालेजों में जब पी0जी0 क्लासेस में जब डाक्टरों का एडमीशन होता है तो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को पी0जी0 क्लासेस में शिक्षा प्राप्त हो सके, जब हमारी बहन मायावती मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने न्यूनतम अंक करने का काम किया था जिससे आरक्षण का कोटा पूरा हो सके। लेकिन जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है उसने पी0जी0 क्लासेस में एम0एस0, एम0डी0 में न्यूनतम अंक की सीमा रख दी है तो इसको हटाया जाय। वे कहते हैं कि अगर न्यूनतम अंक नहीं होगा तो अनुभवहीन लोग डाक्टर हो जायेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो विशेष रुप से पिछड़ी जाति के छात्र हैं, अनुसूचित जाति के छात्र हैं उसके लैक्चरर न होने के कारण जो इनकी बिगड़ी हुई मानसिकता है कि नम्बर कम देंगे और बार-बार यह प्रयास किया जाता है कि वह असफल हों, तो इसकी सीमा नहीं होनी चाहिए ताकि उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिसकी प्रदेश की जनसंख्या में इनकी आबादी करीब 80 से 85 फीसदी है, ऐसे समाज के लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, पी0जी0 की शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे डाक्टर बन सकें इसलिए एडमीशन में न्यूनतम अंक की सीमा को समाप्त किया जाय और कोटा पूरा किया जाय। जो हमारे होम्योपैथिक कालेज हैं, 10 होम्योपैथिक राजकीय कालेज हैं उनमें शिक्षकों का अभाव है। जो उनके भवन हैं, जो प्रयोगशालाएं लगी हैं वह मानक के अनुसार नहीं हैं इसलिए आपत्ति आती हे तो उसको दूर करने का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमे अतिथि प्रवक्ता के रुप में पहले व्यवस्था थी जिसमें अच्छे मेघावी छात्र उसमें पढ़ाने के लिए रखे जाते थे। इसलिए लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण शिक्षकों का अभाव है।

लेकिन अप्रैल महीने में, मान्यवर, वह जो अतिथि प्रवक्ता की व्यवस्था थी उसको समाप्त करके सेवानिवृत्त लोगों को या जिनकी 25 वर्ष की निजी प्रैक्टिस है, जो काफी बुजुर्ग हो गये हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मान्यवर, आज नये नये शोध हो रहे हैं जो नवयुवक एम0एस0 करने के बाद निकलते हैं उनको पढ़ाने का काम दिया जाता तो आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। मेडिकल कालेज में जो ब्लड बैंक हैं उसमें किसी का ब्लड ले लेते हैं या ब्लड जो रखे जाते हैं जिससे निश्चित रुप से रोग फैल रहे हैं। ऐसे ब्लड बैंकों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम होना चाहिये। मान्यवर, इसी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा की तरफ रुचि लेने का काम नहीं किया गया है, मान्यवर, लोग स्वस्थ नहीं रह पायेंगे तो जो परिवार कल्याण की योजनायें हैं वह योजनायें फेल हो रही हैं। आप इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं तो लोक निर्माण विभाग अपने किसी अन्य साथी को देकर इस विभाग को

सुधारने का काम करें। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी की स्थापना अलग से करें। फैजाबाद मण्डल है उसमें अम्बेदकर नगर है यहां मेडिकल कालेज की स्थापना अवश्य करने का काम करें। मान्यवर, टांडा में बहुत बड़ी आबादी है कहीं कहीं तो छोटी छोटी आबादी में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी हैं और दूसरी ओर बड़ी आबादी की जगह वंचित हैं। आप अम्बेदकर नगर में महुआरी, दौलतपुर और सरआरी में यह डिस्पेंसरी स्थापित करने का काम करें । इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आश्चर्य के साथ खड़ो हुआ हूँ कि जिन बातों को माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है और जो बजट में आर्थिक प्राविधान किये गये हैं उनको देखते हुए उन सबकी पूर्ति संभव नहीं प्रतीत होती है। 1999-2000 के नान प्लान में 9 अरब 6 करोड़ 77 लाख 76 हजार और प्लान में 9 करोड़ 52 लाख 43 हजार का प्राविधान रखा गया। मान्यवर, 2000-2001 में एक अरब 7 करोड़ 41 लाख, 14 हजार की व्यवस्था है प्लान में 9 करोड़ 48 लाख 11 हजार की व्यवस्था है अर्थात् नान प्लान में 63 लाख 38 हजार की वृद्धि की गयी है। जिस सरकार के पास इस विभाग में 15,900 कर्मचारी हैं। 10 प्रतिशत जहां वार्षिक डी0ए0 बढ़ता हो, एक वार्षिक वेतन वृद्धि बढ़ गयी तो 50 लाख रुपये से ऊपर का व्यय जिस बजट में आ जायेगा। नान प्लान जो है उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले नियमित बढ़ोत्तरी हो रही है। इस बजट के माध्यम से जो अपेक्षायें हैं उनकी पूर्ति करने की जो मंत्री जी की मंशा है उसमें कठिनाई पड़ेगी। कम से कम बजट पास होने के बाद इसकी जानकारी कर लें। बजट और सरकार की मंशा के बीच में अंतर है।

मान्यवर, प्लान के बजट में 4 लाख 32 हजार रुपये कम किये हैं, क्या योजना होगी यह अपने आम में प्रश्नचिह्न है।

मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा, मान्यवर, जिस बात के लिए हमारी पार्टी समर्पित है जिसके कार्यकाल में यह अपेक्षा थी कि आयुर्वेद और यूनानी भारतीय चिकित्सा पद्धति में कुछ सुधार आयेगा लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में सुधार की आशा उस समय निर्मूल हो गयी जब इस सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय की स्थापना के बजाय मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जबकि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। मान्यवर, उसका नाम तो धनवन्तिरि विद्यालय रख दिया लेकिन उसका जो प्राथमिक कार्यलय खोला गया है वह आर्टीफिसियल लिम्ब सेन्टर में खोला गया है। मैं आयुर्वेद की चौथीं पीढ़ी का हूँ, इस नाते मुझे पीड़ा है। आयुर्वेद के बारे में कुछ बढ़िया काम करके मंत्री जी दिखायेंगे यह आशा नही झलक रही है। उसे मान्यवर, आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर में खोल दिया गया है और वह शुरु से ही विकलांगता का शिकार हो गयी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय के लिए पश्चिम के उसमें 100 करोड़ निधि की स्थापित हो हरिद्वार ऋषिकुल की अरबों रुपये की भूमि दिलाई गयी थी उस पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी तो भविष्य में उसको रिसर्च, अनुसंधान और पढ़ाई की दृष्टि से सुविधाजनक होगा।

मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने आयुर्वेद और यूनानी कालेज के सम्बन्ध में विचार किया है। उनके छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में सीटें बढ़ाई हैं। मैं आग्रह करुंगा कि आयुर्वेद और यूनानी कालेज में हास्टलों की जो दुर्दशा है, उस पर 25 लाख का बजट आपने दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण की दरों पर अगर पुताई कराना चाहेंगे तो आयुर्वेद और यूनानी भवनों की रंगाई पुताई भी उतने धन से नहीं करा पायेंगे तो अनुरक्षण क्या कर पायेंगे। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कि इस सरकार के द्वारा जो एतिहासिक भूल इन मेडिकल कालेजों की स्वायत्तशासी बनाने के नाम पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत

करके की जाने वाली थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीयं उच्च न्यायालय ने बचा लिया है, भविष्य के चिकित्सा जगत के इतिहास में हमारी सरकार का नाम उस रुप में दर्ज होने से बच जायेगा।

मान्यवर, आयुर्वेद और यूनानी के क्षेत्र में प्रगति के बाद फिर इतने पद रिक्त हैं अगर मैं उनका आंकड़ा रक्खूं तो ताज्जुब होगा।

मान्यवर, पिछले वर्ष 80 चिकित्सालय शहरी क्षेत्र में और 50 देहात क्षेत्र मे खोले गये हैं, लेकिन खेदजनक बात यह है कि अधिकारियों ने पदविहीन चिकित्सालयों की स्थापना कर दी है। चिकित्साधिकारी, वार्डब्वाय, नर्स, डाक्टर कोई नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि फिर इन चिकित्सालयों के खोले जाने का क्या औचित्य क्या है? यह किसकी सेवा करेंगे और कौन इनको औषधियां देगा, कौन निदान करेगा। यह सब भविष्य के गर्त में है। इसी प्रकार डी0ए0ओ0 के 57 पद हैं, उसमें से 48 रिक्त चल रहे हैं और 9 संस्पेंड हैं। इसी तरह से 130 पद रहित डिस्पेंसरी हैं। वर्ष 90 से डी0पी0सी0 नहीं हुई है, इस कारण प्रोन्नति के अवसर बाधित हैं और कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के मन में कुंठा है। डी0पी0सी0 होने से 48 पद सृजित होंगे। इसी तरह से 4 निदेशक के और 2 अपर निदेशक के पद रिक्त हैं। यह विभाग सीधे जनता से जुड़ा है और इसमें कुल 350 पद रिक्त हैं।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आयुर्वेद और यूनानी कालेजों में 350 पद स्वीकृत हैं लेकिन कुल 195 लोग कार्य कर रहे हैं, 156 विभिन्न स्तरों पर प्राध्यापकों के स्थान खाली हैं। डिमान्सट्रेटर के पद का वेतनमान, जो 8000-12000 होना चाहिये, उसके स्थान पर 6500-8000 दिया जा रहा है। अधिकांश कार्यालयों के टेलीफोन कटे हैं। इसी प्रकार बिजली का 35 लाख रुपया बकाया है। जिन भवनों में अस्पताल चल रहे हैं, उनका 4 लाख बकाया है। इसी प्रकार विभाग के कुल 31 गाड़ियां हैं, जिसमें से मात्र एक निदेशक के पास चल रही है, शेष 30 गाड़िया बेकार खड़ी हैं, जिनकी मरम्मत के लिये विभाग के पास पैसा नहीं है। पिछले वर्ष इस विभाग ने 2,31,10,000 स्वीकृत किया था, जिसमें से 35 लाख रुपया लैप्स हुआ है, औषधि के मद में। इस संबंध में नवम्बर, 99 में सचिव द्वारा बैठक कर ली गई थी और आपूर्ति आदेश जारी किया गया 29-3-2000 को, जबकि प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा 25-3-2000 को कोषागार बंद कर दिये गये थे, इस कारण 35 लाख की दवायें खरीदी नहीं जा सकी। यह दवायें एम0पी0सी0एल0 से या सहकारी ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत से खरीदी जानी थीं वह सारे का सारा पैसा लैप्स होकर वापस चला गया, इसीलिये इस वर्ष इसका बजट दुगुना करना पड़ा 35 लाख 29-3-2000 का और 35 लाख इस वर्ष का।

मानयवर, इसके साथ-साथ कुछ रिक्त पदों के बारे में और चर्चा करना चाहूँगा। शरीर जो होता है, उसका नियंत्रण दिमाग के द्वारा होता है। दुर्भाग्य से इस विभाग में पिछले कई साल से निदेशक नहीं है। निदेशक है तो वह आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 से बनाये जा रहे हैं और वह छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं, इसका नतीजा यह है कि पिछले 29-4-2000 से यह पद रिक्त है, इसी तरह अपर निदेशक के 2 पद रिक्त हैं। संयुक्त निदेशक का एक पद है, वह पी0सी0एस0 से भरा है। उप निदेशक विभाग में 4 हैं, चारों पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारी/आशुलिपिक 5 में से 2 पद रिक्त हैं। सम्प्रेक्षा सहायक का पद रिक्त हैं, वरिष्ठ सहायक के 3 और वरिष्ठ लिपिक के 3 पद रिक्त हैं।

मान्यवर, यदि पद रिक्त होंगे और उन पदों की या तो उनकी आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यकता है और रिक्त हैं तो काम कैसे चल रहा है। मुझे इसकी चिन्ता है। मैं मानता हूँ कि मंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रयास किया है और कोशिश की है तो मेरा यह कहना है कि इस बजट को जिसे मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसको हम पास भी करेंगे। मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ कि इसको कमरे में बैठकर पुनर्विचार करके मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे जन अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक घोटाले के बाद सरकार

ने फैसला लिया है कि हम इन दवाईयों को अपनी फार्मेसी में लेंगे, भविष्य में किसी भी घोटाले से बचने के लिए, जनता के धन को बचाने के लिए, सरकार के इस फैसले को साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं सुझाव देना चाहता हूँ। जो तीन यूनिट हैं, पीलीभीत, लखनऊ, हरिद्वार में, मेरा सुझाव है एक में मोती, चूर्ण, अवलेह दूसरे में रस रसायन बनायें तीसरे में आमल अरिस तैल, तो उनके लिए कच्चा माल और उनके लिए ऐसे उपकरण स्पेसफिंक होंगे और दवा बनायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ नियमावली में संशोधन का सुझाव है अभी तक निदेशक पद पर केवल प्रिंसिपल या शिक्षा क्षेत्र से नियम बना रखे हैं, इसमें संशोधन करें, शिक्षा क्षेत्र के अधिकारी वर्ग के लोग जो निदेशक की लाइन में लगे हुए थे, उन्हें इन0आई0ए0एम0 निदेशकों ने लांक्षित करके इस लायक कर दिया क्योंकि इसमें एक संवर्ग से जाना है, उसको लांक्षित कर दी, दूसरे संवर्ग की डी0पी0सी0 90 से नहीं की। मैं बजट का समर्थन करते हुए, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसका समर्थन करते हुए कि कम से कम विभाग की वास्तविक स्थिति के सन्दर्भ में अधिकारियों के चंगुल से बचाये और आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं के जो प्रकरण पड़े हुए हैं, पिछले डेढ़ -दो साल से फाइलें पड़ी हुई हैं, कभी डाइरेक्टर हस्ताक्षर नहीं करते, कभी पैनल नहीं बैठा, मान्यवर, आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं के सारे प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, माननीय वर्मा जी को और बाजपेयी जी को और खासकर बाजपेयी जी को सत्तापक्ष में रहकर वास्तव में जो विचार व्यक्त किए हैं, वह कटौती के समर्थन में किए, इसलिए वह बहुत ही बधाई के पात्र हैं और व्यक्ति को स्पष्ट और सही बात कहने के लिए हिम्मत भी जुटानी चाहिए, वह इन्होंने जुटाई है।..

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने जो चिकित्सा शिक्षा का बजट रखा है उसके शत प्रतिशत समर्थन में मैंने अपने सुझाव रखे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने बजट पर बोलते हुये जो सुझाव दिये, पूरा सदन सहमत होगा कि वह कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे। केवल पहली लाइन और अंतिम लाइन में उन्होंने बजट का समर्थन करने की बात कही और अन्य सुझाव दिये वह कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में दिये इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 डाक्टर्स एसोसियेशन ने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के द्वारा जो 16-1-2000 को परीक्षा सम्पन्न हुई है, उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटरेंस इक्जामिनेशन, उसमें बहुत सारी गड़बड़िया की गयी हैं। उन्होंने कहा है कि 453 सीटें थी जिसमें से 96 अनुसूचित जाति के लिये और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित थीं। इस परीक्षा का परिणाम जो 9-4-2000 को निकला उसमें 13 अभ्यर्थी चयनित किये गये इस संबंध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, 10 वां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ में एक याचिका दायर की गयी और श्री एस0डी0 बागला एवं श्री जे0एन0 वर्मा ने अपना जजमेंट दिया है और कहा है कि याचिकाकार ने जो आरोप लगाये हैं वह सही है। उन्होंने गवर्नमेंट को निर्देश दिया है यह अंग्रेजी में है जिसको आपरेटिव पोरशन मैं पढ़ना चाहता हूँ।

अन्डर दीज सर्कम्सटान्सेज, द कमीशन, स्ट्रांग्ली रिकमेन्डेड दैट द मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट शुड कन्सीडर दीज रिकमेन्डेशनस विच कुड प्रोवाइड एडीक्वेट रिप्रेसेन्टेशन टू द मेम्बर्स आफ एस0सी0/एस0टीज। द स्टेट गर्वनमेन्ट कैन आलसो कन्सिडर द पासिब्लिटी आप गिविंग ग्रेस मार्क्स द मेम्बर्स आफ एस0सी0/एस0सी0 कैन्डिडेट्स। द कमीशन आलसो फील दैट द मैटर बीइंग आफ एन अर्जेन्ट इम्पोर्टेंस एन्ड आफ सीरियस कान्सीक्वैन्सेज द डिसीजन मे बी टेकेन एट द लेवेल आफ द हेड आफ द गवर्नमेन्ट। द कमीशन वुड लाइक टू नो द डिसीजन टेकेन बाई द स्टेट गवर्नमेन्ट इन स्पेशल मीटिंग आफ द कमीशन टू बी हेल्ड आन 11-5-2000 एल 11.30 ए0एम0, आल द आफीसर्स प्रजेन्ट टूडे, डायरेक्टर मेडिकल एजूकेशन एन्ड एन आफीसर आफ दि मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट नाट बिलो द रैन्क आफ स्पेशल सेक्रेटरी शुड अपीयर फार इवीडेन्स।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

इसकी हिन्दी कर दीजिए।

श्री राम औतार शाक्य-

उस परिस्थितियों में आयोग ने एक स्ट्रांग संस्तुति मेडिकल डिपार्टमेंट से की है और कहा है कि जो संस्तुतियाँ भेजी हैं उस पर विचार होना चाहिए और यह भी कहा है कि जो एस0सी0, एस0टी0 की मार्किंग है उसमें ग्रेस मार्क भी दिया जा सकता है। यह मामला बहुत संगीन है और 11.5.2000 के पहले ही डिसीजन लेना चाहिए। चूँकि साक्ष्य भी होना है इसलिए काऊसलिंग की सूची तय कर देनी चाहिए। आरोप क्या लगाये उसके सम्बन्ध में बता दें। उस एसोसियेशन ने कहा कि...

डा0 वेद प्रकाश सिंह-

माननीय अधिष्ठातां जी, व्यवस्था का प्रश्न है। इसी तरह का मामला पिछली बार आया था और मंत्री जी पर आरोप लगायें गये थे। इससे पहले कि माननीय सदस्यगण आरोप लगाये वह पत्र होना चाहिए क्योंकि सन्दर्भ किसी दूसरे लेटर का दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। एक व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई पत्र यहाँ पर आया है उसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं आभारी हूँ कि आपने रुलिंग दी। मैं अब अपनी बात बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

एक बात ध्यान रखे कि और भी बजट है और काफी लोगों को अपनी बात रखनी है। यह सबका प्रयास होना चाहिए कि बिन्दुवार अपनी बात कहकर संक्षेप में समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

आप समय एलाट कर दीजिए उतने समय में मैं खत्म कर दूँगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है इस पर तो दो दिन चर्चा होनी चाहिए। एक ही दिन चर्चा हो रही है इसलिए कोई समय सीमा न रखें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कितना समय लेंगे एक निश्चित अवधि है, थोड़ी सीमा रहेगी तो अच्छा रहेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

इसमें आरोप लगाया कि जो मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ और जो रिजल्ट आऊट हुआ उसमें

गड़बड़िया की गयीं। कम्प्यूटर उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक के साथ-साथ अभ्यर्थियों का नाम लिखाया गया जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा सके। दूसरा आरोप यह था कि प्रास्पेक्टस में...

श्री अधिष्ठाता-

मेरा अनुरोध है कि यह एक विधिक प्रक्रिया के तहत सरकार और आरोप के बीच चर्चा चल रही है उस पर आगे क्या कार्यवाही होगी यह आगे का विषय है। सरकार ने संज्ञान ले लिया होगा।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं आरोप लगा रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि प्रास्पेक्टस में घोषित उत्तर देने की विधि को...

श्री अधिष्ठाता-

यह आरोप आप किसके ऊपर लगा रहे हैं?

श्री राम औतार शाक्य-

उस परीक्षा प्रणाली के ऊपर जिसमें गड़बड़ियाँ की गयी है। किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उस पर है। आप जैसा बतायें उस शब्दावली का प्रयोग कर दें। प्रास्पेक्टस में घोषित उत्तर देने की विधि को परीक्षा के समय नहीं अपनाया गया और षडयंत्र कर एक दूसरी विधि अपनायी गयी जिससे किसी भी परीक्षार्थी का उत्तर परिवर्तित करके उसके प्राप्तांकों को घटाया-बढ़ाया गया। यह आरोप है। तीसरा आरोप यह है कि कम्प्यूटर उत्तर पुस्तिका को कम्प्यूटर द्वारा न जाँच करने उसकी मैनुअली जाँच करायी गयी, कम्प्यूटर द्वारा जांच माइनस मार्किंग की प्रणाली जो अपनाई गई जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को रोका जा सके। शासकीय आदेशों निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम 4/94 में स्पष्ट प्राविधान रहते हुए भी परीक्षाओं में इन आरक्षित वर्ग के सदस्यों को नहीं रखा गया। एक आरोप हल्का है इसलिए नहीं लगाना चाहता। जो प्रणाली अपनाई गई जो तरीका अपनाया गया उससे निश्चित रुप से पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग के लोगों को जो अयोग्य थे, उनकी भर्ती इसमें की गई। यह बात आयोग ने मानी और आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया जो तथ्य आयोग ने दिए जो रिकमण्डेशन आयोग ने की उनकी जाँच की जाए और आयोग के समक्ष सारे तथ्य रखे जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम औतार शाक्य-

आप बोलने ही नहीं देना चाहते। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा0 इन्द्र देव सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे चिकित्सा शिक्षा के बजट पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने जो चिकित्सा शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और इसके बारे में उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्दर मेडिकल कालेज की दशा सुधारने के लिए आर्थिक रुप से भी और प्रशासनिक स्तर पर भी इस बजट के अन्दर व्यवस्था किया है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान एस0जी0पी0जी0 आई है उसका अपना स्थान है देश के अन्दर बहुत अच्छा संस्थान है। उसकी दशा को सुधारने के लिए नई नई मशीनें लगाने के लिए मंत्री जी ने व्यवस्था की है इंडो फ्रैंच सहयोग किया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दृव्यगुण जो कि आयुर्वेद का एक विषय है इसकी स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने के लिए मंत्री जी ने व्यवस्था की है इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आयुर्वेद में स्नातक और एलोपैथिक में स्नातक दोनों की परीक्षाएं एक ही संस्था या एक ही प्रणाली के द्वारा होती हैं। सी0पी0एम0टी0 में एक साथ छात्र बैठता है। जिसके नम्बर कम होते हैं वह आयुर्वेदिक में चयन किया जाता है जबकि उसकी रुचि आयुर्वेद में भले ही न हो। यह प्रणाली जो पहले से चली आ रही है इसमें सुधार की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि आयुर्वेद स्नातक के लिए अलग से एक बोर्ड हो एक संस्थान हो वह परीक्षा आयोजित कराए ताकि यह नौबत न आए कि मजबूरी में छात्र को एम0बी0बी0एस0 में पढ़ने की रुचि होने के बाद भी आयुर्वेद में जाना पड़े। आयुर्वेद के विकास के लिए इस बजट में बहुत कुछ किया गया फिर भी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। एलोपैथिक के साइड इफेक्ट से सारी जनता परेशान है आदमी एक रोग की दवा खाता है तो उसको दूसरा रोग हो जाता है दूसरे रोग की दवा खाता है तो तीसरा रोग हो जाता है। व्यक्ति एक बार, एलोपैथी के मकड़जाल में फंसने के बाद निकल नहीं पाता है। इसलिए सारे देश में ही नहीं विश्व ने आयुर्वेद की ओर देखना शुरु किया है। नीम का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, तुलसी का पेटेंट पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा है यह अलग विषय है कि यह नहीं होना चाहिए।

इसके पीछे भाव है कि आयुर्वेद की तरफ प्रबुद्धजन एवं सामान्य जन सभी का झुकाव बढ़ रहा है।

मान्यवर, दूसरी चीज आयुर्वेद सस्ती प्रणाली है। गरीब आदमी यदि एलोपैथिक डाक्टर के पास जाता है तो वह उसे 10 तरह के टेस्ट कराने के लिए बताता है जिसमें हजारों रुपये खर्च हो जाता है जबकि दूसरी तरफ आयुर्वेद डाक्टर के पास यदि गरीब आदमी जाता है तो वह उसे 30-40 रुपये में ठीक कर सकता है। इसलिए गरीब आदमी को एलोपैथिक दवाइयों का खर्च वहन करना कठिन हो रहा है।

मान्यवर, पर्यावरण के हिसाब से देखा जाय तो आयुर्वेद ठीक है। अधिकांश आयुर्वेदिक दवाइयां हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं जैसे नीम और तुलसी आदि के वृक्ष तो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसके हिसाब से चिकित्सकों और मेडिकल कालेजों की संख्या नहीं बढ़ रही है जो कि बढ़ायी जानी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो पड़ोस के प्रदेश हैं वहाँ 50-60 लाख आबादी पर एक आयुर्वेदिक का मेडिकल कालेज हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में देखें तो 2 करोड़ की आबादी पर एक आयुर्वेद का मेडिकल कालेज है, इस गैप को दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेद के मेडिकल कालेज और अधिक खुलने चाहिए।

मान्यवर, सरकार मेडिकल कालेज खोलेगी तो उस पर सरकार को धन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि निजी सेक्टर में चार वर्षीय डिप्लोमा देने के लिए आयुर्वेद के कालेज खोले जायं। इससे यह लाभ होगा कि गांव में जहाँ झोला छाप डाक्टर बैठे हैं, जनता के पास उनसे इलाज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वहाँ डाक्टर नहीं है इसलिए चार साल का डिप्लोमा प्राप्त डाक्टरों द्वारा गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। झोला छाप डाक्टरों से भी जनता को मुक्ति मिल सकेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें चूँकि आपका समय समाप्त हो गया है।

डा0 इन्द्र देव सिंह-

मान्यवर, अन्तिम बिन्दु यह है कि जितने आयुर्वेद मेडिकल कालेज हैं उनके साथ में फार्मेसी भी होती हैं। आयुर्वेद की बहुत सी दवायें ऐसी है और बहुत सी जड़ी-बूटी ऐसी है जो जंगल से लायी जाती हैं। कुछ जड़ी-बूटी ऐसी होती है जो विष के समान होती है जिन्हें गौ-मूत्र का प्रयोग करके शोधित किया

जाता है लेकिन गौ-मूत्र कहॉ से मिले। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक आयुर्वेद मेडिकल कालेज तथा आयुर्वेद की फार्मेसी के साथ एक गौशाला की स्थापना की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे आपने जो मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान 19 तारीख को काउंसिलिंग की ओर दिलाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने संस्तुति किया है कि इनका कोटा भरा जाय और जो 105 सीटे हैं जिसमें 13 सीटों के लिए अभ्यर्थी चयनित किये जाते हैं चूँकि उसमें गड़बड़ी हुई है और प्रास्पेक्टस बदला नहीं गया है कि जब कि कानपुर में प्रास्पेक्टस बदल गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमेशा कापियां कम्प्यूटर से जॉची जाती थी लेकिन इस वर्ष यहां कापियॉ कम्प्यूटर से न जॉच कर मैनुअली जाँची गई इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित जाति-जनजाति के जो छात्र हैं जिनकी कभी निगेटिव मार्किंग नहीं हुई जो अभी यहॉ पर हुई। 10 अगस्त, 99 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सामान्य के लिए 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 25 फीसदी लेकिन शर्त यह लगा दी गई कि आरक्षण का कोटा भरा जाय। कानपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने प्रक्रिया बदल दी इसका परिणाम यह हुआ कि आरक्षित वर्ग के छात्रों की सीटें नहीं भरी जा सकीं। इस 19 तारीख की जांच को रुकवाया जाय। अनुसूचित जन जाति आयोग के समक्ष मामला लंबित है। जिसमें जूडिशियल प्रोसिडिंग में बाधा भी न पड़े1 यह प्रक्रिया क्यों बदली गई बगैर नोटिस दिये बगैर जानकारी दिये। जब छात्र एक्जामिनेशन हाल में गये तब वहाँ पता चला कि प्रक्रिया बदल गई है। इसकी जांच कराई जाय। यह जो घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश होना जनहित में बहुत जरुरी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम में मेरठ और आगरा के अलावा कहीं और मेडिकल कालेज नहीं है हमारे बरेली क्षेत्र में मेडिकल कालेज की कई बार घोषणा हुई मगर अभी तक वहाँ इसकी स्थापना नहीं की गई। मेरा मंत्री से अनुरोध है कि बरेली में एक मेडिकल कालेज खुलवाने की व्यवस्था करें। मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूँ और सरकार से माँग करता हूँ कि अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के साथ न्याय किया जाय।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने 2000-2001 के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के बजट पर विचार रखनें का अवसर प्रदान किया। मैंने मंत्री जी का बजट भाषण सुना और उनके द्वारा किये गये प्रयास को भी सुना और जो उन्की महत्वांकाक्षी, योजना परिलक्षित हुई हैं उसको देखते हुए बजट का समर्थन करता हूँ। बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि मा0 मन्त्री जी की इच्छा, प्रयास, आकांक्षा, योजना जितनी महत्वपूर्ण हैं उतना ही उसे धराशाई करने के लिए उनके अधिकारी कार्य कर रहे हैं। श्रीमन् पहली बार यह हुआ है कि मेरे कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज यूपीपीजीएमई की प्रवीक्षा 2000 नोडल कोआर्डिनेटर होकर परीक्षा कंडक्ट करने की व्यवस्था की गई थी।

मान्यवर, अब तक यह व्यवस्था रही है कि कम्प्यूटर शीट पर केवल रोल नम्बर अंकित रहता था ताकि यह पहचान न हो सके कि यह उत्तर पुस्तिका किसकी है और कोई बेइमानी न होने पाय। पारदर्शिता को बनाये रखने के लिये केवल रोल नम्बर होता था लेकिन पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उत्तर पुस्तिका में नाम भी अंकित कराया गया है। स्वाभाविक है कि शंकायें बढ़ेगी। आखिर किस उद्देश्य से यह किया गया। जो व्यवस्था आज तक थी उसे खत्म क्यों किया गया। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ शासन की

एक से पारदर्शिता और निष्पक्षता से परीक्षा को कंडक्ट करने के लिये 3 संयुक्त निदेशकों की टीम को भेजा गया, जिन्होंने उत्तर-पुस्तिका मे नाम अंकित करने से मना किया परन्तु उसे नहीं माना गया, उन्होंने उत्तर-पुस्तिकाओं को सील करने के लिये कहा उसे भी नहीं माना गया। इसके विरुद्ध उन्होंने शासन में एक शिकायत भेजी और उस पर सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच करायी गई। उसने भी इसमें दोष पाया ओर दोषीजन के खिलाफ रिकमन्डशन की और यह उम्मीद की जा रही थी कि इस परीक्षा को निरस्त करके दूसरी परीक्षा ली जायगी। परन्तु खेद का विषय है कि अधिकारी वर्ग ने निचले स्तर पर, माननीय मंत्री जी की मन्शा के विपरीत 9 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये। स्थिति यह है कि सरकार के ऊपर जो भी उंगलियाँ उठने लगीं कि आखिर नाम क्यों अंकित किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनका इस पर निर्णय भी चाहूँगा। जिन लोगों ने यह काम किया और शासन की मन्शा के विपरीत काम किया और सरकार को कटघरे मे खड़ा करने का काम किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और परीक्षा प्रणाली कैसे पारदर्शी हो सकती है इस पर मैं आपका निर्णय चाहूँगा।

कानपुर में एक सिंहानिया हृदय रोग संस्थान है। उत्तर भारत में केवल दो जगह पर यह है एक तो चंडीगढ़ में और दूसरा कानपुर में है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मुझे इसकी दुर्व्यवस्था को निकट से देखने का मौका मिला। सौभाग्य से इसलिये कि शासक दल का सदस्य हूँ और यदि कहीं पर गड़बड़ी हो तो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार का सहयोग करूँ ताकि लोगों को उससे मुक्ति मिल सके। दुर्भाग्य से इसलिये कि मैंने व्यक्तिगत रुप से इसे महसूस किया। जिस संस्थान की एक-एक ईंट आकस्मिक सेवा से जुड़ी होती है, वहाँ पर वरिष्ठ डाक्टरों का दल मौजूद रहना चाहिये, वहाँ एक मिनट देर होने से रोगी मर सकता है। 30 जून की रात्रि में खुद मेरे परिवार के एक सदस्य को इसी स्थिति में इस संस्थान में ले जाना पड़ा, तो वहाँ पर कोई भी सीनियर डाक्टर मौजूद नहीं था। एक जूनियर डाक्टर था वह भी किसी कोने में था। जैसे कि परम्परा है थानों में एफ0आई0आर0 न लिखने की और उसे एवॉइड किया जाता है उसी प्रकार इस जूनियर डाक्टर का भी यह प्रयास रहा एडमिट न करने का और कहने लगे कि यह निमोनिया का केस है, इसे आप यहाँ लेकर कैसे चले आये। वह चाह भी रहे थे कि मरीज किसी तरह से वापस चला जाय।

बड़े दबाव के बाद किसी तरह से वह आये और दवा लिखी वहाँ पर कोई दवा भी उपलब्ध नहीं थी। दवा लिखने के बाद वे फिर चले गये। परिणाम यह हुआ कि एक घंटे में मेरे सामने मेरी सगी भाभी ने तड़प-तड़प कर अपने प्राण त्याग दिये। उस अस्पताल का जो निम्न स्वरुप मेरे सामने आया मैंने एफ0आई0आर0 कराई। मैं मानता हूँ कि संबंधित डाक्टर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होने पर भी जो व्यक्ति चला गया है उसका जीवन नहीं आयेगा। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ कि ऐसे अपराधी डाक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये जिससे बहुत से अन्य भाई, बहिन और भाभियों का जीवन बच सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करुँगा कि इस केस को संज्ञान में रखकर गंभीरता से कार्यवाही करायें, रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु तत्कालीन जोन आई0जी0 कानपुर महोदय ने चूँकि बंसल साहब वरिष्ठ डाक्टर फँस रहे थे, फाइनल रिर्पोट लगवा दिया वह अभी पेंडिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको टैस्ट फ्रेश मानकर गंभीरता से लेकर हृदय रोग संस्थान की दुर्व्यवस्था को दूर करने में आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कानपुर महानगर कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है वहाँ पर जो हैलेट चिकित्सालय है मेडिकल कालेज के अधीन, जहाँ तमाम डाक्टर प्रशिक्षण करते हैं उसके भी सारे विभाग चाहे मेडिसिन हो, सर्जरी हो, हर जगह दुर्व्यवस्था व्याप्त है। माननीय मंत्री जी के आकस्मिक, व्यक्तिगत, निरीक्षण, परीक्षण की आवश्यकता है। इस तरह से बहुत बहुत उनका सहयोग होगा इस क्षेत्र में विकास करने में।

पाल साहब ने कहा कि वाजपेयी जी का समर्थन का प्रस्ताव कटौती के प्रस्ताव से अच्छा था। मैं कहता हूँ कि कटौती का प्रस्ताव भी एक तरह से समर्थन का प्रस्ताव है और इसको वापस मान लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का जिन्होंने वह सारी भावनाएं जो हम लोगों के दिल में थी माननीय मंत्री जी को बता दीं। माननीय मंत्री जी ने बहुत गम्भीरता से सोचा है लेकिन किसी प्रकार का कोई भी इन्तजाम पैसे का मेडिकल कालेजों के लिये नहीं किया है। के0जी0 मेडिकल कालेज के लिये कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहाँ कोई भी शिक्षक नहीं है, न कोई पढ़ाई है न मरीजों का देखभाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में वह मेडिकल कालेज है जिसका दुनिया में नाम है ओर 1905 ये यह अपनी ख्याति प्राप्त करता रहा है। खास बात यह है कि शासन की वजह से सरकार की उदासीनता की वजह से न तो वहाँ पर शिक्षक रुक रहे हैं न वहाँ पढ़ाई का इन्तजाम है। यहाँ के जो पी0जी0 हैं वे अपने प्रोफेसर को पीट रहे हैं उनकी टांग तोड़ रहे हैं। आज यहाँ पर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है यह सब सरकार की उपेक्षा के कारण से हैं। इसी तरह से जो एस0जी0पी0जी0आई0 है इसको बड़े सपनों के साथ बनाया गया था वहाँ की भी स्थिति बहुत खराब है। जापान से दूसरे देशों से हमने मशीनें तो मंगवा ली है लेकिन उनको चलाने के लिये हमारे पास आदमी नहीं हैं। कोई भी प्रोफेसर, कोई भी अच्छा डाक्टर वहाँ बहुत दिन टिकने की स्थिति में नहीं रहता। कोई दिल्ली चला जाता है कोई फारेन चला जाता है। इसका क्या कारण है इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि एस0जी0पी0आई0 में इतना ज्यादा खर्च है चाहे वह बाई पास सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लान्ट हो। बोन मैरो प्लान्ट लगाने की बात मंत्री जी कह रहे थे। किसी आम आदमी के बस का यह संस्थान नहीं है। 50 हजार, एक लाख से कम में वहाँ इलाज हो पाना सम्भव नहीं है।

मेरा खुद का अनुभव है मेरे एक साथी डाक्टर थे, पी0जी0आई0 से उपेक्षित होने के कारण उनकी डैथ हो गई। बाइपास सर्जरी को बाद भी वहां इन्फैक्शन हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के दो आदमी दवा लाने के लिए खड़े रहे छोटी-छोटी दवाओं के लिए रात में दौड़ाया जाता है यह दवा ले आओ, जबकि होना यह चाहिए कि जो पैसा लेना हो वह ले लें और वहीं दवाओं की व्यवस्था हो। मैं कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कालेज खुल रहे हैं यह बड़े बड़े शहरों में खुल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट देहातों में नहीं जा रहे हैं वह आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून में जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहीं की संस्कृति में रह जाते हैं। छोटे देहातों में जहां गरीबों के बच्चे हैं वहां कोई सुविधा नहीं है। मैं बहराइच जनपद से चुनकर आया हूँ बहराइच पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। बहराइच जैसे स्थान पर एलोपैथिक चिकित्सा मंहगी हो गई है यह सही है, हम होम्योपैथिक की बात करते हैं मैं चाहूँगा होम्योपैथिक पोस्ट ग्रेजुएट एम0बी0बी0एस0 के बाद करने की कोशिश कर।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त क

डा0 वकार अहमद श

होम्योपैथिक की मीठी गोलियों को जो लोग बदनाम करते हैं उसकी भी गरिमा है वह बहुत ही प्रभावशाली दवायें है, असरकारी दवायें होती है उनको मीठी गोली कहकर बदनाम किया जाता है। मान्यवर, मैं निवदन करना चाहता हूँ एम0सी0आई0 द्वारा जिन कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट इंगित किया गया

उसमें सुधार लाये और उन की मान्यता को पुनः प्राप्त किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

डा0 वकार अहमद शाह-

उसको बाहर की संस्थायें नहीं मान रही है, श्रीमन् मेडिकल कालेजों को जो लाइसेंस दिए जाएं, आगे मेडिकल कालेज खोले जाएं, वहां खोले जाएं जहां गरीबी की रेखा से नीचे लोग रहते हैं, जहां किसान बसते हैं जब बच्चे वहां पढ़ेंगे तो निश्चित रुप से वहां के लोगों की सेवा की भावना होगी।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मान्यवर, संयोग है मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ उस विधान सभा क्षेत्र में ऐतिहासिक किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का सबसे बड़ा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा मोहन होम्योपैथिक कालेज स्थित है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ इस सरकार ने मेडिकल युनिवर्सिटी खोलने का जो निर्णय लिया था उस दिशा में सरकार ने अपना एक कार्यालय सिम्स सेन्टर के पास खोलकर कार्य प्रारम्भ कर दिया है मैं आशा करता हूँ कि यह सरकार मेडिकल युनिवर्सिटी शीघ्राति- शीघ्र बनाएगी इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इस सरकार ने प्राइवेट मेडिकल युनीवर्सिटी कालेज और डेन्टल कालेज खोलने का जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। इस सरकार ने लखनऊ में, गोमतीनगर में, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण किया है जिसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किया और वहीं पर होम्योपैथिक के जन्मदाता डा0 हैनीमैन की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सरकार को कि इस सरकार ने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी के छात्रों का भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 1950 कर दिया है। मान्यवर, मैं कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूँ।

मैं आयुर्वेदिक कालेज जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं के छात्र मेरे पास समस्यायें लेकर आते हैं कुछ माह पूर्व आयुर्वेदिक छात्रों ने बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन किया उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। किन्तु सरकार के मंत्री मा0 कलराज जी के द्वारा समझाने बुझाने और मेरे द्वारा कहने पर उन्होंने धरना समाप्त किया था। मैं उनकी कुछ मांग सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। उसमें पहली मांग यह है कि प्रतिवर्ष आयुर्वेदिक कालेजों में चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) की भर्ती लोक सेवा आयोग से की जाय। दूसरा यह है कि कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के स्थानों की भर्ती शीघ्र की जाय। तीसरी कालेजों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सुदृढ करने हेतु एवं नए उपकरणों के लिए अतिरिक्त बजट का प्राविधान करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाय। चौथी यह है कि एम0डी0 की प्रवेश परीक्षा स्वतंत्र एजेन्सी से करायी जाय तथा पिछली बार हुई धांधली की, दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही की जाय। पांचवी मांग यह है कि एम0डी0 की सीटों में अत्यधिक वृद्धि की जाय। छठी यह है कि गृह चिकित्सक तथा आवासीय चिकित्साधिकारी (आर0एम0ओ0) को पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिये जायें। सातवीं यह है कि इन्टर्नशिप सभी मेडिकल कालेजों के छात्रों के भत्ते केन्द्रीय सरकार के कालेजों के अनुसार दिये जायें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कलराज जी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में गये थे तं वहाँ पर पंचकर्म द्वारा असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट करते हुये देखा था। इस पद्धति से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं इसी प्रकार से के0जी0एम0सी0 और एस0जी0पी0जी0 आई0 म भी इसे लगाने की आवश्यकता है। इसका आश्वासन मा0 मंत्री जी ने के0जी0एम0सी0 में एक

कार्यक्रम में दिया था मान्यवर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद् द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं गया था। वहॉ पर कुछ लोगों ने मांग पत्र दिया था और उन्होंने यह बताया था कि यह पद्धति हर्बल के अर्थात पेड़ पौधे से बनने वाली औषधियों पर आधारित है और यह भारत वर्ष की सस्ती पद्धति है। इसलिए मैं मांग करता हूॅ कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको भी मान्यता दे और उसके साथ न्याय करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि जितने भी नाम दिये गये हैं मैं उन सबको सुन लूँ। आप लोग कृपया थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं यह मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन का जो संकल्प है केन्द्रीय सरकार के समान वेतनमान दिया जाये तो जो राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हैं उनके चिकित्सकों को भी वही वेतनमान दिया जाय। उच्च न्यायालय ने 10-12-97 को इस संबंध में आदेश भी दिये थे। उन्होंने यह कहा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति को समान कार्य समान वेतनमान के आधार पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो आयुवेर्दिक कालेज के चिकित्सक शिक्षक है उनको भी केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम ललित चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने मेडिकल कालेजों में स्वायत्तशासी व्यवस्था लागू करने पर बहुत जोर दिया है। मैं इसके पीछे जो सरकार की मंशा है इसकी पोल खोलते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देना चाहता हूँ।

मान्यवर, प्रदेश के मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर को आर्थिक, प्रशासनिक और शैक्षिक बदहाली से उबारने के बहाने इन कालेजों में जहां स्वायत्तशासी व्यवस्था लागू करके आरक्षण को समाप्त करने का षड़यंत्र किया जा रहा है वहीं इन कालेजों में मंहगी शिक्षा व्यवस्था और मंहगी दवा व्यवस्था का भी न्यौता दिया जा रहा है। मान्यवर, भले ही इन कालेजों की व्यवस्था खराब हो तो उन्हें सुधारने का काम करते। इसमें गरीब आदमी आते हैं उनके पैथालाजी टेस्ट और आपरेशन हो जाते हैं फ्री में। इस व्यवस्था से तो इसमें पैथोलाजी टेस्ट के नाम पर और आपरेशन के नाम पर फीस 100 गुना बढ़ेगी। आप शिक्षण शुल्क में और छात्रावास शुल्क में वृद्धि करेंगे। जिससे जो मध्यम और गरीब वर्ग के लोग हैं उनका एम0बी0बी0एस0 करना सपना हो जायेगा। मान्यवर, इस व्यवस्था से अलग-अलग कालेजों की अलग समिति बनने पर या कालेजों को स्वायत्तशासी बनाने पर एकल पद जैसे प्रिन्सिपल, विभागाध्यक्ष, प्रमुख अधीक्षक और प्रोफेसर आदि के पदों के चयन में आरक्षण अपने आप समाप्त हो जायगा। इसी तरह से तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए समिति या स्वायत्तशासी व्यवस्था के लागू होने पर आरक्षण व्यवस्था की गारंटी नही रह जायेगी। मान्यवर, कानपुर मेडिकल कालेज के अनुसूचित जाति के छात्रों ने स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए जो परीक्षा दी थी उसमे वहां के प्रिंसिपल ने जातीय भावना से ग्रसित होकर उन छात्रों का माइनस मार्किंग कराकर उन्हें फेल करवा दिया, सामान्य छात्रों को भर्ती किया, इस में अनुसूचित जाति के 99 एवं जनजाति के 9 स्थान थे जिसमे कुल 13 छात्र उत्तीर्ण हो सके और शेष सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग आये जबकि पिछले वर्ष आरक्षित वर्ग के 150 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। मान्यवर, ये हथकडे अपनाये गये उनमें उत्तर पुस्तिका पर रोल नं0 के बजाय अभ्यर्थियों का नाम लिखवाया गया।

पुस्तिकाओं की जांच कम्प्यूटर प्रणाली के स्थान पर व्यक्तियों से करायी गयी। परीक्षा समिति में आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति मेम्बर नहीं रखा गया। मान्यवर, इस संबंध में आयोग ने, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उ0प्र0 है, भी अंकों का प्रतिशत घटाने के लिए सरकार को लिखा है। मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विशेषत: उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 16 करोड़ की आबादी है जहाँ 40 प्रतिशत लोग गरीबी के रेखा से नीचे रहते हों। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं जिसमें से एक लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं और 6 अन्य मेडिकल कालेज हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो विचार व्यक्त किये कि मेडिकल कालेजों का उच्चीकरण करके उनको पूरे देश भर के जितने मेडिकल कालेज हैं उनमें आदर्श मेडिकल कालेज बनाना चाहते हैं उन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, स्थिति अत्यन्त भयंकर है लेकिन वह इस सरकार के कारण नहीं है। इन प्रदेशों के अपने मेडिकल कालेजों में नियुक्तियां विशेषकर लेक्चरर पर आज 350 से 400 पद रिक्त हैं। आपके जो 6 मेडिकल कालेज हैं इनमें मेरठ मेडिकल कालेज का प्राचार्य पद अस्थायी हैं। लोक सेवा आयोग को यह रिक्तियां भेजी नहीं गई यह प्रयत्न किया गया कि स्वायत्तशासी बना दिया जाय और स्वायत्तशासी बनाये जाने के कारण जो पद रिक्त हैं वह भर दिये जायँ। अप्रैल 1998 में शासनादेश जारी हुआ और 1999 में उसका बाईलाज बना दिया और रजिस्ट्री और सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कर दिया गया। आगरा मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने उस शासनादेश और जो पंजीकरण किया गया था उसको जैसे वह शासनादेश दिया ही नहीं, पंजीकरण हुआ ही नहीं, उसको निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उसके विरोध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चली गयी लेकिन मा0 सर्वोच्च सरकार को कोई अनुतोष नहीं दिया और इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गयी है। राज्य में लोकसभा, राज्यसभा केन्द्र सरकार व विधान सभा, विधान परिषद और प्रदेश सरकार एवं अन्य कोई प्राधिकरण जो उस परिभाषा में आते हों उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अनेक पंजीकरण शासनादेश से हुआ, कौन अधिकारी होगा, कौन मंत्री होगा जो उपविधियां बनी हो तो उसी प्रकार से वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत जो बनाई गयीं थी वह राज्य की परिभाषा में आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि एक ओर यह मेडिकल कालेज चाहे किसी प्रकार के हों, आयुर्वेद यूनानी अथवा एलोपैथिक पद्धति के। मान्यवर, यहाँ का आदमी भगवान के बाद डाक्टर को देखता है कि जो भी मरीज होगा उसके प्राण डाक्टर बचा लेगा तो उस दृष्टिकोण से यह शासन की जिम्मेदारी है कि जो समाज का पीड़ित शोषित वर्ग है उनको न्यूनतम मूल्य पर शिक्षा मिले और आधुनिकतम उपकरण से मेडिकल कालेज सुसज्जित हों। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उच्चीकरण चाहते हैं तो फिर एक प्रश्न उठता है कि जहाँ आधुनिकतम मशीनें नहीं है वहाँ क्या उच्चीकरण चाहते हैं? छात्र एमबीबीएस, एमएस, एमडी कर लें और वह सीखा ही नहीं है तो वहाँ क्या उच्चीकरण चाहते हैं? मान्यवर, प्रत्येक मेडिकल कालेज में एमआरआई मशीन जो लगभग 4 करोड़ की आती है, स्पायरल केट स्केन मशीन जो लगभग डेढ़ करोड़ की आती है, किडनी ट्रान्सप्लांट यूनिट की जो 20 लाख की आती है, टी0एम0टी0 आठ लाख की आती है, मान्यवर, प्रत्येक मेडिकल कालेज में एक इमरजेंसी विभाग मिलेगा। प्रत्येक विभाग का इमरजेंसी विभाग अलग से

होगा। मान्यवर, एक चीज मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूँगा, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में विगत 4-5 वर्ष से 80 लाख रुपया यूरो सर्जरी का पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि स्वायत्तशासी समितियाँ किसी तरह का कार्य नहीं कर सकतीं। मैं विशेष रुप से आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश के इन मेडिकल कालेजों की टीचर्स एसोसियेशन का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिला था और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक आपने उनकी बातें समझीं, केवल स्वायत्तशासी समितियाँ बनाना जो हमारा उद्देश्य है इससे समाज के पीड़ित, शोषित वर्ग को चिकित्सा सुविधा मिले, संभव नहीं है और इससे डाक्टरों की कमी पूरी नहीं हो सकती। स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय से ऐसा निर्णय हो गया कि 58 साल रिटायर की उम्र है और जो 60 साल के हो गये हैं, उनको भी वेतन दिया जा रहा है, यह किस तरह की विसंगति है, उम्मीद है, इसकी ओर आप भी ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यथाशीघ्र उसे निरस्त करायेंगे। विशेष रुप से पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रस्तुत की गई है, उसको वापस लेने की कृपा करेंगे, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मुझे बहुत विस्तार सें इस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है। पंकज जी ने परम्परा चला रखी है, मुझे उनसे प्रेरणा मिली है- मुझे निकालकर पछता रहे थे आप,
महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं।।

मुझे एक निवेदन सिर्फ यह करना है। इस बजट पर कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल को बड़ी उम्मीदें हैं कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुये इस विभाग के माध्यम से पूर्वांचल की जो तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उसके निवारण में मंत्री जी के होते लोगों को बड़ी सुविधा होगी, ऐसी उम्मीद वहॉ के लोगों ने बाँध रखी है।

गोरखपुर मेडिकल कालज की स्थिति है, पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं और स्नातक स्तर की सीटें कम कर दी गई है, प्रयत्न और प्रयास यह है कि उसको ऐसी बदहाली तक पहुँचा दिया जाय कि तकनीकी तौर पर जवाब देकर ऐसा कर दिया जाय कि यह मानदंडों को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है, इसलिये गोरखपुर मेडिकल कालेज को बंद कर दिया जाय, ऐसी परिस्थितियाँ वहॉ बनाई जा रही हैं। मैं बिल्कुल किसी आलाचना के विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इन स्थितियों का यथाशीघ्र निराकरण करके पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूर्ववत जो होती थी, उसको रिस्टोर करवा दें और ग्रेजुएट कक्षाओं की जो स्थिति हैं, पूर्व स ज्यादा उसकी सीटें कर दी जायें। यदि हम शिक्षा के मामले में आबादी घनत्व के अनुपात में देखें तो सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त पूर्वांचल है।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इस विभाग में आयुर्वेद, होम्योपैथिक और कई विभाग जुड़े हुए हैं। होम्योपैथी की एक छोटी शीशी कटौती प्रस्ताव करने वाले विद्वान सदस्य को भेजी जाय। कोकब हमीद जी यहाँ नहीं हैं, शायद चले गये हैं, उन जैसे सुन्दर सदस्यों के लिए हर्बल और जो कुछ कमजोर हैं, उनके लिये शिलाजीत, बसंत कुसुमाकर आदि भिजवा दें मान्यवर, और पंकज जी जैसे लोगों के लिए संजीवनी बूटी और हम जैसे लोगों के लिए तो कोई बात नहीं चूने का भट्ठा मिला हुआ मिल रहा है, हमारा काम चल जायेगा। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

डा0 वेद प्रकाश सिंह-

मैं आपका आभारी हूँ, अधिष्ठाता महोदय कि आपने सामने वालों के बाद भी ध्यान रखा। मैं माननीय कलराज मिश्र, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी बहुत अच्छे-अच्छे विचार आए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा के लिए जो 30-40 की

बढ़ोत्तरी के साथ यह बजट रखा गया है, बहुत ही सराहनीय बजट है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कलराज मिश्र जी को उन्होंने बहुत सोच विचार कर यह ध्यान दिया और इसका बजट बहुत अच्छे तरीके से रखा। मान्यवर, मेरा कहना है कि हमारे जनपद बिजनौर, मुरादाबाद मण्डल में कोई भी मेडिकल कालेज, पश्चिम में मेरठ में मेडिकल कालेज को छोड़कर कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा अनुरोध होगा कि एक मेडिकल कालेज चाहे आयुर्वेद का हो या एलोपैथ का मुरादाबाद मण्डल के लिए रखते तो और ज्यादा अच्छा होता। मान्यवर, बात आती है, चिकित्सा शिक्षकों के प्रेक्टिसिंग और नान प्रेक्टिसिंग की, उनकी नियुक्ति और स्थानान्तरण की तो मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी, मंत्री महोदय, डाक्टर चिकित्सा शिक्षकों के साथ एक गुट बनाकर इस बारे में कोई व्यावहारिक नीति तैयार करें जिससे चिकित्सक भी अपनी इच्छा की जगह पर जहाँ पर सुविधा होगी, वहाँ पर पोस्टिंग होगी तो वह तन-मन-धन से काम कर पायेगा। इस बारे में नीति बननी चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो अभी हमारे विपक्ष के सदस्य माननीय लालजी वर्मा जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, राम औतार शाक्य जी ने रखा है कि एम0एस0 और ए0डी0 में, उनका कहना था कि आरक्षण के लिए अंकों का कोई प्राविधान नहीं होना चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जिस समय आरक्षण की व्यवस्था की थी, 50 साल हो गया है तो उन्होंने 10 साल के लिए व्यवस्था की थी और उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि एक प्रोत्साहन उन्हें दिया जाय, इस वर्ग को जो पिछड़ा चला आ रहा है तो यह उद्देश्य एक तरफ रह गया। इन 52 साल में हम देखते हैं कि एक दलित वर्ग में, गरीब वर्ग में उसके अन्दर भी दो वर्ग बन गये हैं, एक वर्ग पूरा लाभ उठा रहा है। आई0ए0एस0 के बच्चे, डाक्टरों के बच्चे, जन-प्रतिनिधियों के बच्चे आरक्षण का लाभ उठाकर सामान्य से कम्पटीशन में लगे हुए हैं। यदि आरक्षण का लाभ मिल गया तब तो वह चार साल तक एक ही वातावरण में रहता है। चाहे दलित हो या सवर्ण हों जब व्यक्ति एक ही वातावरण में पढ़ता है फिर अपने आपको इस लायक बनाये कि वह पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश पाने लायक नंबर ला सके और फिर उसको दोबारा आरक्षण की आवश्यकता न पड़े। उसको दोबारा आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। आज कर्नाटक जैसी स्टेट में जहॉ पर पेड सीटें होती हैं और डोनेशन भी लिया जाता है वहाँ पर 50 प्रतिशत अंक एडमीशन के लिये पोस्ट ग्रेजुएट में एडमीशन लेने हेतु लाना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के बाद ही एक डाक्टर, सर्जन, कार्डियोलोजिस्ट, फिजीशियन बनता है इसलिये पोस्ट ग्रेजुएट में एडमीशन के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्क्स अनिवार्य किये जायं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले श्री रामविलास पासवान से एक प्रश्न पूछा गया कि क्या आप आरक्षित वर्ग के किसी डाक्टर से इलाज कराना चाहेंगे तो उन्होंने टी0वी0 पर मना कर दिया था और कहा कि मैं किसी सक्षम डाक्टर से अपना इलाज कराऊँगा। तो जब हम ऐसी नीतियां तैयार करें तो हमें इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिये और किसी भावुकतावश या वोट बटोरने के लिये कोई ऐसा काम न करें जो देश और प्रदेश व समाज के लिये हितकर न हो। मैं एक बात ब्लड बैकों के संबंध में कहना चाहता हूँ। आज एड्स और हिपेटाइटिस-बी जैसी बीमारियों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है उसका बड़ा हिस्सा ब्लड बैंक के लिये अत्याधुनिक उपकरण और साज सज्जा करने के लिये रखा जाना चाहिये ताकि एड्स और हिपैटाइटिस-बी जैसी बीमारियां ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिये न फैल सकें। जब हमारे ब्लड बैंक अंर्तराष्ट्रीय स्तर के होंगे तो इन बीमारियों के फैलने का खतरा कम होगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री लौलजी वर्मा-

मान्यवर, मेडिकल शिक्षा के बजट के ऊपर मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य, माननीय भोला शंकर मौर्य, श्री बाल चन्द्र मिश्र, डा0 वकार

अहमद शाह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राम ललित चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री अंबिका चौधरी और डा0 जे0पी0 सिंह आदि तमाम विद्वान सदस्यों ने अपने विचार रखे। सत्ता पक्ष के जो हमारे माननीय सदस्यों ने विचार रखे, निश्चित रुप से जो उनके भाषणों का अंश है अगर उसको विश्लेषण करें तो निश्चित रुप से सबने कुल मिलाकर कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया है। मैं विशेष रुप से डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी को और श्री बाल चन्द्र मिश्र जी को और श्री केशो मेहरा जी को जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं उन लोगों ने जो मेरे कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य था उन पर सारगर्भित विचार रखें और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी जे0पी0 सिंह जी ने प्रवेश के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे के बल पर धनाढ्य लोगों का प्रवेश हो जाता है ऐसे नालायक छात्रों का प्रवेश हो जाता है जो पैसे के बल पर केवल डिग्री हासिल करते हैं, माननीय जे0पी0 सिंह जी सामाजिक कारणों से उसका विरोध नहीं कर सकते हैं लेकिन हजारों वर्षों से दलित लोगों, शोषित वर्गों के लोगों के छात्रों को प्रवेश में कोई आरक्षण नहीं है, उनके अंक पाने में कोई रिजर्वेशन नहीं है, पास होने में कोई रिजर्वेशन नहीं है केवल प्रवेश में अगर आरक्षण के आधार पर भर्ती करने की बात आती है तो उनके सीने पर साँप लौटने लगता है। इसी मानसिकता के कारण यह प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुँगा कि हमारे सभी साथियों ने, विशेष रुप से मिश्रा जी ने प्रवेश में हुई धाँधली का जिक्र किया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करुँगा कि सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक आधार पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रवेश परीक्षा में धाँधली हुई है उसकी जाँच करायी जाय। पी0जी0 क्लासों में सीटों के आधार पर 114 छात्रों का प्रवेश होना चाहिए था, इन 114 छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि प्रत्येक दशा में आरक्षण का कोटा पूरा किया जाय। लड़के अच्छे अंकों से पास हुये हैं इसलिए बिना किसी न्यूनतम अंक के पी0जी0 क्लासों में प्रवेश देने का काम किया जाय। मान्यवर, इस प्रदेश में 16 करोड़ की आबादी है और केवल 7 मेडिकल कालेज हें। आबादी के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का भार एक मेडिकल कालेज पर आता है। महाराष्ट्र में एक लाख की जनसंख्या पर चिकित्सालय हैं और बेड की संख्या 245 हैं वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 38 बेड हैं। इसलिए कुछ मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं जो प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं उसमें इलाहाबाद और गोरखपुर ही पूर्वांचल में है और कोई और मेडिकल कालेज नहीं है। जबकि वहाँ 40 फीसदी आबादी रहती है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि अम्बेदकर नगर में एक मेडिकल कालेज अवश्य खोला जाय। इसी तरह से जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिस पर हमारे डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी ने विशेष जोर दिया है। हमारी जो आर्थिक स्थिति और संरचना है, जिसमें गरीबों को ज्यादा चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिल सके होम्योपैथिक पद्धति के विस्तार करने की आवश्यकता है और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रुप से की जाये और वह चित्रकूट और कर्वी जिला भी हो सकता है, जहाँ जड़ी-बूटियों का भण्डार है। ऐसे स्थानों पर चिकित्सालय की व्यवस्था की जाय। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में ऐसे तमाम चिकित्सालय हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुँगा इनके ऊपर मुझे पूरी तरह से विश्वास है लेकिन उन्हीं के बगल में जो माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं वह माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के पास विभाग को अधिक बजट दें इसलिए कि यह विभाग जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इतना बजट में जिससे अच्छे डाक्टर रख सकें और जो चिकित्सालय हैं उनकी दशा सुधार सकें, पठन-पाठन का कार्य सुचारु रुप से हो सके और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ जो 19 तारीख को काऊसिलिंग हो रही है उस प्रवेश परीक्षा में धाँधली हुई है, उसकी जाँच कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री लालजी वर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखते समय यह कहा कि मेरे

जिम्मे लोक निर्माण विभाग है, चिकित्सा शिक्षा से इनका कोई मतलब नहीं है। माननीय वर्मा जी से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ्य रहेंगे तभी सड़क पर चल पायेंगे नहीं तो कठिनाई आयेगी। इसका अन्योंन्याश्रित सम्बन्ध है। पहले यह कहा गया कि बजट में कम प्राविधान हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो अनुपूरक बजट रखा गया था उससे यह 28 करोड़ अधिक है। जब से मेडिकल एजूकेशन चिकित्सा शिक्षा अलग विभाग के नाते आया तब से लगातार इसका बजट कम होता गया और सन् 1982 से आप देखें इसका बजट लगातार कम होता गया। इस बार और गत वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी उपेक्षा के क्या कारण रहे मैं आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी महत्ता समझकर उसके अनुरुप व्यवस्था करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। हमने बजट भाषण के दौरान कहा था कि मेडिकल कालेज चलाने में कठिनाई आ रही हैं। इसमें मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया जो पहले इतना ध्यान नहीं देती थी। 1994 से लगातार उनका निरीक्षण चल रहा है। उसने सभी मेडिकल कालेज के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। कि यह मानक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। रिक्तियां हैं यह भरी नहीं जा रही है जो भी आवश्यक चीजें हैं एम0सी0आई0 के हिसाब से आनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए पिछली बार एम0सी0आई0 ने कई मेडिकल कालेज के डी रिकग्नीशन के लिए एक तरह से मन बनाया है नोटिस तो गोरखपुर के लिए है दुर्भाग्य यह है कि यहाँ स्वयं तय कर लिया जाता था कि जितने स्थान की मान्यता है उससे अधिक भर लिए जाएं। 50 की मान्यता है और 105 भर्ती कर ली गई उसके कारण कठिनाई होती गई और मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने अपना गम्भीर रुख धारण किया। उसने कहा कि यह स्थिति क्यों है। सभी मेडिकल कालेजों में यही स्थिति है जितनी मान्यता थी अंडर ग्रेजुएट के प्रवेश करने की, उससे ज्यादा प्रवेश किए गए। गोरखपुर में पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता एम0सी0आई0 की तरफ से नहीं थी। वहां से पोस्ट ग्रेजुएट निकलते थे वह उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि मान्यता नहीं है। अजीब स्थिति थी इसलिए एम0सी0आई0 ने इस बार चेतावनी दी। यह सारी बातें जब मैंने इस विभाग का जिम्मा संभाला उससे पहले की हैं। गोरखपुर पूर्वांचल का प्रमुख मेडिकल कालेज हैं हम् उसके सम्बन्ध में मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की शर्तों को पूरा करने का संकल्पबद्ध प्रयत्न कर रहे हैं। चार महीने में कोई मेडिकल कालेज ऐसा नहीं होगा जिसकी पूरी रिक्तियाँ न भर दी जाए। नियमावली के बारे में बाजपेयी जी ने बताया है कि हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। इस नियमावली को संशोधन करते हुए प्राचार्यों की नियुक्तियाँ कैसे हों उसको कर रहे हैं। यह बात भी आई कि सात मेडिकल कालेजों में केवल एक ही नियमित प्रिंसिपल है, बाकी में नियमित प्रिंसिपल नहीं है इन सारी चीजों को करने का संकल्प लिया है। हम नियमावली बनाकर उसको मंत्रिपरिषद से एप्रूव कराकर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चार महीनों के अन्दर उसको पूरा कर लेंगे। इस हिसाब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है।

मान्यवर, सोसाइटीज के बारे में कहा गया है तो यह सही है कि जो मेडिकल कालेज, के अध्यापक थे, नान-टीचिंग स्टाफ के प्रतिनिधि मिले थे तो उनसे विचार विमर्श हुआ और उसके बाद लगा कि इसमें पुनर्विचार होना चाहिए लेकिन इसके पहले ही हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए सुनिश्चित किया है कि अलग से संशोधन करते हुए राज्य सरकार से संबंधित अनुदान प्राप्त करते हुए मेडिकल कालेज के लिए प्राविधान किया जाएगा। मान्यवर, हम अनुभव कर रहे हैं कि लगातार बजट कम होता जा रहा है जिसे कैसे अधिक किया जाए चूँकि आर्थिक संसाधन बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आर्थिक संसाधन बाहर से जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार से दो बार बात हो चुकी है। कोशिश है कि किसी न किसी माध्यम से हम पैसा प्राप्त करें फिर चाहे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक अथवा एलोपैथिक चिकित्सा की बात हो और उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, हम एम0सी0ए0 से सदी समारोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार महत्वाकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुए बजट में प्राविधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मान्यवर, पी0जी0 के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह सही है कि शिकायतें बहुत आयी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एम0सी0आई0 ने 40 प्रतिशत मार्क्स निर्धारित किया जिसके बारे में प्रशासनिक आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी बागला जी के चेयरमैनशिप में ग्रेस मार्क देकर व्यवस्था करनी चाहिए, किन्तु ग्रेस मार्क भी नहीं दे सकते हैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

मान्यवर, यह भी आरोप लगाकर कहा गया है कि कम्प्यूटर के स्थान पर मैनुअल का प्रयोग किया गया और रोल नम्बर, नाम लिखे गये हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह बराबर लिखे जाते रहे हैं।

मान्यवर, कम्प्यूटर के हिसाब से कुछ बातें कहीं गयी है जिसमें यह भी आया है कि आरक्षण के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाये और मैं सदन की घोषणा करता हूँ कि इसमें 3 सदस्यीय कमेटी बने जिसमें डाक्टर, अनुसूचित जातियों के लोग तथा दूसरे लोग भी कमेटी में रहें तो जाँच करके देख लें कि क्या-क्या कठिनाइयां है। हमने भी अनुभव किया है इसलिए एस0सी0एस0टी0 के सम्बन्ध में यह घोषणा किया है। मान्यवर, काउन्सिलिंग के अनुसार भी हम सारी व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, आयुर्वेदिक के बारे में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने जो अपनी मंशा व्यक्त किया है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोले जायं। सैद्धान्तिक दृष्टि से मैं सहमत हूँ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। भारत सरकार ने भी इसकी बात की है मैं उनसे कहूँगा कि ऋषिकुल में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला जाय। आयुर्वेद पर शोध होना चाहिए। संसाधनों की कमी के कारण इसमें कठिनाई आती है इसीलिए हमारे पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं निश्चित रुप से प्रधानमंत्री से बात करुँगा। अभी माननीय बाजपेयी जी ने होम्योपैथिक कालेजों के अंतर्गत कुछ पदविहीन चिकित्सालयों की बात कही यह हमारे लिए भी आश्चर्यजनक बात है। हमनें अपने विभाग में कहा कि पद विहीन क्या होता है। आज 128 चिकित्सालय बिना चिकित्सकों के हैं इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम चिकित्सक, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी छात्रों की बात आई। हमारे सुरेश जी ने छात्रों के आंदोलन की बात कही। हमने उनकी मांगों पर समुचित विचार किया है। उनकी अपेक्षा थी कि उनकी छात्रवृत्ति 1500 से बढ़ाई जाय तो उसे 1950 कर दिया गया। उनकी अपेक्षानुसार उनको प्रशासनिक सेवा, रेलवे सेवा, केन्द्रीय सेवा, रक्षा सेवा में स्थान मिले इसके लिए हमनें एक प्रारुप भारत सरकार को भेज दिया है। उनकी अपेक्षानुसार पी0जी0 में सीटें 28 से 42 कर दी गई हैं। आयुर्वेद मेडिकल कालेज, एलोपैथ मेडिकल कालेज, होम्योपैथ मेडिकल कालेज में रिक्तियाँ शेष हैं, मैं आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इन रिक्तियों को शीघ्र ही भर दिया जाय। हमें विश्वास है कि हमारा प्रयास सफल होगा। सारी योजना ध्यान में रखते हुए ही हमने उच्चीकरण की बात की है। मेडिकल कालेजों के साथ जो हॉस्टल हैं मैं मानता हूँ कि उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ बर्थों को पेइंग बर्थ के रुप में कर सकते हैं और अन्य योजनायें बना रहे हैं। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में पंचकर्म और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बरेली में साड़सूत्र चिकित्सा पद्धति का किया है इसके लिए आगे भी और विचार किया जा रहा है।

इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ और मेडिकल कालेज खोलने की बात कही है. माननीय श्री वर्मा जी ने आजमगढ़ तथा फैजाबाद मण्डल में मेडिकल कालेज खोलने की बात

कही है। निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोलने को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया से हमारी बात हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ भी हो जायेगा। निजी क्षेत्र में जो मापदण्ड पूरा करते हैं जो आवेदन पत्र आये हैं, उन पर हम विचार करेंगे। जो लोग इस क्षेत्र में विचारशील हैं और चिन्तन करते हैं, हमारा भी पूरा प्रयत्न है। माननीय श्री वर्मा जी से मेरा आग्रह है कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इसे पास करने की कृपा करें। श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने जो बात कही है उसकी हम जाँच करायेंगे और तदनुरुप कार्यवाही करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, जब सोसाइटीज के बारे में सभी तथ्य सामने आ गये हैं तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय से एस0एल0पी0 वापस लेगी? इसी प्रकार यूनानी में 14 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की संख्या है इसे बढ़ाने की बात है। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने आयुर्वेद में 28 से बढ़ाकर 42 कर दी है, क्या इसी प्रकार यूनानी में भी बढ़ाने की कृपा करेंगे। जिस प्रकार मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षकों की संख्या को 4 माह में भरने का माननीय मंत्री जी ने एक समयबद्ध आश्वासन दिया है क्या इसी प्रकार आयुर्वेद यूनानी में भी रिक्त पदों पर चार माह में भर्ती करने का निर्णय माननीय मंत्री जी लेंगे। विधि आयोग ने यह कहा कि जो डाक्टर लापरवाही करते हैं और मरीज मर जाता है इस प्रकार के डाक्टरों के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। बालचन्द्र मिश्र जी ने जिस प्रकरण का जिक्र किया, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है क्या उस केस को पुर्नजीवित माननीय मंत्री जी करेंगे।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, माननीय श्री बाजपेयी जी ने स्पष्टीकरण जानना चाहा है, उस सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। निगेटिव मार्किंग की बात कही गई, यह पहले भी था, बीच में एक साल के लिए रुका था। इसके अलावा और भी हमने योजायें बनाई हैं, छात्रावासीय व्यवस्था, नवीन उपक्रम क्रय करने के लिए, पुस्तकों/ जनरल्स खरीदने के लिए तथा ब्लड बैंक जो अभी केवल गोरखपुर और मेरठ में था, लीवर लैप इलाहाबाद में इसी प्रकार इण्डो स्कैपी की सुविधा देने की बात हमारी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 वर्मा जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने आजमगढ़ में मेडिकल कालेज खोलने की बात नहीं कही, 19 तारीख को होने वाली काउन्सिलिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, एम0आर0आई0 की व्यवस्था की बात नहीं कही, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,75,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,04,44,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,70,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 8 बजकर 40 मिनट)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

(श्री कलराज मिश्र) लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,00,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,57,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,

2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,81,41,04,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,64,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मार्ग, सड़कें, अवस्थापना सुविधाओं का आधार स्तम्भ है और इसीलिए मान्यवर, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का अगर विकास अवलम्बित है तो मार्गो पर ज्यादा अवलम्बित है क्योंकि वही उसका आधार स्तम्भ है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना विकास के लिए महती आवश्यकता है। मान्यवर, सन् 1950 में जो सड़कों की लम्बाई थी वह 15,113 किलोमीटर थी। इस समय सड़कों की लम्बाई बढ़कर एक लाख 26 हजार 743 किलोमीटर हो गई है। मार्गों के लगातार विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इधर दो-तीन वर्षों से प्राथमिकता के आधार पर इस पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह से मान्यवर सड़कों के स्टेट्स में बढ़ोत्तरी हुई है इसी के साथ-साथ जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उसकी लम्बाई 4,495 किलोमीटर हुई है जबकि डेढ़ साल पहले इसकी लम्बाई 2,828 किलोमीटर मात्र थी। इसी तरह से मान्यवर, राज्य मार्ग 9,458 किलोमीटर, प्रमुख जल मार्ग 9,831 किलोमीटर, अन्य मार्ग 25,351 किलोमीटर, ग्रामीण मार्ग 77,580 किलोमीटर सब मिलाकर 1 लाख 26 हजार 743 किलोमीटर लम्बाई हुई है। जबकि यह हमारे प्रदेश के लिए नाकाफी है। कांग्रेस के मानदंड के सर्वे के आधार पर एक चीज लाई गई थी इसका नतीजा निकला कि इस समय कम से कम तीन लाख किलोमीटर मार्ग हमें चाहिए। सामान्य तौर पर आवागमन का हिसाब ठीक हो सकता है उसके आधार पर विकास की गति बहुत तेजी से गतिमान हो सकती है लेकिन इस दिशा में जैसे प्राथमिकता पर काम होने चाहिए थे वह नहीं हुए इसलिए इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये, सड़कों की लम्बाई बढ़ सके अधिक से अधिक स्थान पर सम्पर्क मार्ग बन सकें, यातायात सुगम हो सके इसको देखते हुए एक मार्ग विकास नीति हमने बनाई है। उत्तर प्रदेश मे यह पहली बार मार्ग विकास नीति बनी है जिस मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु हम कह सकते हैं, एक लाख 12 हजार 803 गाँव इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं, तीन वर्ष पहले 56 हजार गाँव थे तो प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्गों का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक गाँव का विकास नहीं हो सकता है। मार्ग विकास की जो हमारी नीति है मैं इस नीति के बारे में बता दूँ जो एक हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गाँव हैं उनका 2005 तक और शेष गाँव को 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़ लेंगे। इसी ढंग से मान्यवर, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। सड़का के अनुरक्षण के लिए सड़कें तो बन जाती है उसका अनुरक्षण न हो तो सही नहीं है इसलिए इसको प्राथमिकता दी है। दूसरा अनुरक्षण पर सड़कों के लिए दिया। उचित रख रखाव के लिए सतत प्रक्रिया है उसमें वह निर्माण हो जाय किसी प्रकार का गड्ढा न दिखाई दे इसके लिए योजना बनायी मार्ग विकास नीति बनायी। उसके लिए कहां से पैसा आये आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए सड़क निधि की व्यवस्था की। यह भी प्रयत्न किया गया कि जो भी औद्योगिक स्थान है या फिर पर्यटन स्थल हैं उनको प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि प्रदेश में औद्योगिकीकरण की महती आवश्यकता है और पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए वहां पर सड़कों पर विशेष जोर देंगे और इसे भी हमने मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत लिया है। हमने यह भी किया कि जो मार्ग

विकास नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता के स्थान है, मार्ग है, जिनके बीच में नदियां या नाले पड़ जाते हैं उन्हें प्राथमिकता देते हुए, इसके पूर्व किसी ने नहीं किया था, यातायात बाधित न होने पाये हमने इसे मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत स्थान दिया। हमने यह भी अनुभव किया कि जो बड़े-बड़े शहर हैं, नगर परिषदें हैं, नगर पंचायत हैं जिनके बीच में सड़क जाती हैं और वह टूट जाती हैं मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत यह तय किया कि बाई पास बनाया जाय और जो बड़े-बड़े महानगर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद उस स्थान पर रिंग रोड की व्यवस्था इस नीति के अन्तर्गत की है। हमने इसमें कार्य योजना बनाकर काम किया है। मान्यवर, जो प्रदेश की आर्थिक हालत थी उसमें किस प्रकार से क्रियान्वित कर पायेंगे इसमें, विचार किया। बहुत सी वित्तीय संस्थाएं ऐसी हैं जो कर्जा देती हैं जिसमें नाबार्ड का नाम प्रमुख हैं इसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो तो आर0आई0डी0एफ0 में योजना बनायी है और उसमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत एक हजार से ऊपर की आबादी वाले गाँव और दो किलोमीटर से अधिक दूरी न रखता हो ऐसे स्थान को लेकर नाबार्ड को प्रेषित किया और उन्होंने हमको अच्छा सहयोग प्रदान किया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना को चालित किया। इसी तरह से शहरों में दीन दयाल उपाध्याय योजना आर0आई0डी0एफ0 के माध्यम से चालित हुई। फेज- 3,4,5 से लेकर दीन दयाल सम्पर्क योजना के हिसाब से काम किया। जो नाबार्ड के माध्यम से पुलों के निर्माण की दृष्टि से योजना बनाकर दी उसमें उनके द्वारा काफी अच्छा सहयोग मिला और यह कह सकता हूँ कि जो पहले 1999-2000 में 73 नये सेतुओं जिसकी लागत 102 करोड़ 30 लाख थी, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी और 64 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। वह बन रही है। 2000-2001 में इसके लिए 248 करोड़ की धनराशि बजट के अन्दर प्रस्तावित की गयी है।

सेतुओं के निर्माण की एक तरह से बाढ़ लगी हुई है नाबार्ड के द्वारा। इसी तरह से हमने नहर सेवा मार्गों को पक्का करने का काम किया है। इसमे 98-99 में 802 कि0मी0 लम्बाई का कार्य 55 जनपद, में से लिया गया, 215 नहर पटरियों को 61 करोड़ 88 लाख की लागत से पक्का करने की योजना थी और जिसको मार्च, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य था वह पूर्ण हो गया है। मान्यवर, इसी तरह से गत वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 12 लाख व्यय करके 771 कि0मी0 टॉप कोट और 715 कि0मी0 लेपन कार्य करके इसमें 181 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। मान्यवर, 99-2000 में 280 कि0मी0 लम्बाई में 26 जनपदों में 136 नहर पटरियों की 23 करोड़ 37 लाख की लागत से पक्का करने की स्वीकृति की गयी। इन कार्यों पर वर्ष 1999-2000 में कुल रु0 8.92 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया था मार्च 2000 तक रु0 6.98 करोड़ व्यय करके 91 कि0मी0 सोलिंग कोट 71 कि0मी0 इण्टर कोट, 41 कि0मी0 टाप कोट तथा 7 कि0मी0 लेपन का कार्य किया जा चुका है।

मान्यवर, 2000-2001 में अधिनीत कार्यों को पूरा करने के लिए 16 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है। शहरों की खराब स्थिति को देखते हुए एक लाख की ऊपर आबादी से जितने भी शहर हैं उसको डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय कार्य योजना में लिया गया है।

वर्ष 1998-99 में प्रदेश के 22 नगरों के लिये 34 कार्यों की रु0 18.78 करोड़ लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व के शेष कार्यों को इस वर्ष में पूरा करने के साथ साथ वर्ष 1999-2000 में खास नगरों में रु0 2.51 करोड़ की लागत पर चार कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं सभी कार्य प्रगति पर हैं। इस वर्ष इस योजना के नये कार्यों हेतु 5.00 करोड़ का प्राविधान कर रहे है। मान्यवर, बेसिक मिनिमन सर्विसेज में पिछले वर्ष 3300 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जिसके सापेक्ष 2989 ग्राम जोड़े गये इस वर्ष 3300 ग्रामों का लक्ष्य है। मान्यवर राज्य योजना (सामान्य) में पिछले वर्ष 70 नये कार्यो की स्वीकृति प्रदान कर रु0 7.45 करोड़ आवंटित किया गया। इस वर्ष में राज्य सेक्टर के अधिनीत कार्यो

को पूर्ण किये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है एवं 1-4-97 से पूर्व के राज्य योजना के अधिनीत कार्यों हेतु 70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, मार्गों के अनुरक्षण की बात है। इस वर्ष राज्य सड़क निधि से रु0 200 करोड़ एवं अनुरक्षण मद में रु0 116 करोड़ प्रस्तावित है। मान्यवर इस वर्ष 316 करोड़ की धनराशि केवल मार्गो के अनुरक्षण हेतु है। तनख्वाह आदि के भुगतान की अलग से व्यवस्था है।

मान्यवर, इस बार जो विशेष ध्यान दिया है, प्रदेश में क्रम के हिसाब से नेशनल हाइवे स्टेट-हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, गड्ढा मुक्त अभियान और नवीनीकरण का ज्यादा जोर दिया था। इस बार ग्रामीण मार्गो का नवीनीकरण, ग्रामीण मार्गो का गड्ढामुक्त अभियान चलाने का विशेष जोर दिया है और इसके लिए अलग से पैसा लगाया है और 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कुम्भ के मेले में जो सड़क बनाई जाय उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाय इसकी व्यवस्था की गयी है। यह पहली बार मार्गो का उच्चीकरण किया गया। मेजर जिला रोड को स्टेट हाइवे में किया गया और इसी तरीके से स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में किया गया। भारत सरकार ने उसकी मान्यता दी। जो पिछली बार 1998-99 में था कानपुर, हमीरपुर, महोबा, सागर (मध्य प्रदेश मार्ग) राष्ट्रीय मार्ग सं0 86 लम्बाई 180 कि0मी0 और रामपुर विलासपुर हल्दवानी नैनीताल मार्ग, राष्ट्रीय मार्गो का जिक्र आयेगा जिसमें हमने कई मार्गो को प्रस्तावित किया है जो राष्ट्रीय मार्ग के रुप में होंगे। इसी तरह से राज्य मार्गों के चौड़ीकरण का हमने अभियान छेड़ा कि जो एक लेन का है वह दो लेन का हो जाय और उस दृष्टि से व्यवस्था की है कि 15 मार्गों को एक लेन से दो लेन करने को तय किया है और यह भी ध्यान रखा है कि धार्मिक स्थलों को उनके अन्तर्गत रखे जैसे सिंधौली से नैमिष तक का चौड़ीकरण और हाटमिक्स प्लांट से उसको बनायेंगे और इसी ढंग से जो और भी प्रस्तावित हैं उनका चौड़ीकरण हो यह हमारा प्रयत्न है। इस प्रकार से राज्य मार्गों की 1088 कि0मी0 की लम्बाई का जो चौड़ीकरण का लक्ष्य उसको पूरा कर रहे हैं इसके लिए 99-2000 में 51 करोड़ रुपये प्राविधानित था और इस समय 87-88 करोड़ के आसपास प्राविधानित है।

मान्यवर, कुछ भवन कार्य भी लोक निर्माण विभाग की तरफ से बनवाये जा रहे हैं इसमें अधिकारियों के होस्टल हैं। यह काम चल रहा है इसके लिए विशेष रुप से धन दिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और उसके अनुरुप राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की चिन्ता करनी चाहिये थी वह नहीं हो पाई। इसलिये केन्द्र स्तर पर यह प्रयत्न किया जाय कि जो स्टेट हाइवे हैं जितना उस पर ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करने के लिए सड़क सुदृढ हो इसके लिए स्टेट हाइवे को हमने नेशनल हाइवे में आ जाय उस दृष्टि से केन्द्र सरकार का प्रस्तावित किया और उसमें दो वर्षों के अन्दर ही 2800 कि0मी0 से लेकर 4400 कि0मी0 से ज्यादा जो नेशनल हाइवे की लम्बाई है उसके लिए और राज्य मार्गों की मरम्मत के लिए लगातार विभाग की तरफ से कार्य होता रहा है जबकि केन्द्र सरकार इसके लिए सहयोग प्रदान करती है। बाई पास का निर्माण गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की तरफ से जो राष्ट्रीय मार्ग के माध्यम से हो रहा है। बस्ती बाई पास, ललितपुर बाई पास, हापुड़ बाई पास, मुरादाबाद बाई पास है यह केन्द्र सरकार की तरफ से बस्ती का बाईपास पहले से ही बनकर तैयार हुआ है। सेतु निर्माण के बारे में हमने पहले ही बताया है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यगण जानना चाहेंगे तो बाद में पूछ सकेंगे। हमने राष्ट्रीय मार्ग के सिलसिले में बाह्य सहायता योजना के माध्यम से सड़कों को ठीक करने का प्रयत्न किया है, विश्व बैंक की योजना से भी सड़कों का कार्य हुआ है, एशियन बैंक से हुआ है, इस प्रकार के वित्तीय सहयोग हमें प्राप्त हुये हैं, जिसके माध्यम से सुदृढ़ीकरण कराया गया है। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया कार्यक्रम गोल्डन आडीलेटरल, उसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ की घोषणा की गई। उसमें काफी सड़कें उत्तर प्रदेश को मिली हैं, जो उस श्रेणी में आ रही है। यह यातायात की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, इसमें 377 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग संख्या-2 उत्तर प्रदेश में बनेगा, इसी तरह से राष्ट्रीय मार्ग संख्या 2,3 व

26 में 268 कि0मी0 लम्बाई का कार्य हो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश द्वारा जो केन्द्र के लिये प्रस्तावित किया गया है कि अमुक राष्ट्रीय मार्ग हो जाय, उसमें लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग, दिल्ली, अलीगढ़, एटा, कानपुर मार्ग दिल्ली शहाबाद गाजियाबाद डिबाई बरेली मार्ग भरतपुर-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग गाजीपुर से बाड़ाघाट चोलाकोचरा मार्ग आदि हैं।

मान्यवर, बाह्य सहायता योजना के हिसाब से महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य हो रहा है, इसी प्रकार विश्व बैंक सहायता से रोड प्रोजेक्ट-2 है। इसके अंतर्गत एक हजार कि0मी0 का पूरा मेन्टीनेंस करेंगे, उसमें ढाई हजार करोड़ का खर्च होगा, उस दृष्टि से विश्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, लगभग पूर्ण कर लिया गया है और एक हजार कि0मी0 को आइडैन्टीफाई कर लिया गया है, विचाराधीन है। ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत हमने सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया है, इसके अन्तर्गत 18 जनपदों को शामिल किया गया है, जो इससे लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार डाइवर्सीफाइड योजना म . जनपदों को हम ले रहे हैं।

मान्यवर, हमने गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया है, इस दृष्टि से लगातार मानीटरिंग हो, इसके लिये विभागीय स्तर पर प्रिंसिपल-सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रमुख अभियंता, इन लोगों को कहा गया है कि 3-4 महीने के अन्दर किसी भी रोड पर देखेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जहाँ भी कमी होगी, उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, इसी दृष्टि से टी0ए0सी0 से भी जाँच की व्यवस्था की है। मान्यवर, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, इस हिसाब से विभाग के स्तर पर काम करने का प्रयत्न किया है। पारदर्शिता के हिसाब से सामान्य जनता को जानकारी हो जाय कि जो निर्माण कार्य हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, गढ्ढामुक्त हो रहा है, उसमें कौन सा मैटीरियल लगा है, उसमें कितनी लागत लगी है, यह सब चीजें बकायदा बोर्ड के माध्यम से जानी जा सकें, इसका प्रयत्न किया गया है, इस बोर्ड में टेलीफोन नं0 भी रहेगा, जिसके माध्यम से वह जानकारी दे सकते हैं, इस सबके पीछे हमारा यही प्रयास है कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आगे और भी पारदर्शिता स्थापित की जा सके, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा गड़बड़ की संभावना वहाँ दिखाई देती है, जैसे स्पेशल रिपेयर की दृष्टि से काम होता है। कहीं बरसात में सड़क ध्वस्त हो गयी, इस प्रकार उसके कारण परेशानी होती है। पैसे का सदुपयोग हो सके और उसके लिए एक कमेटी बना दी गयी है, वह तीन लोगों की होगी। जहाँ इस प्रकार का होता है उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राप्त होगी उसके पश्चात् 24 घण्टे के अन्दर विचार करके कि कितनी लागत में बन सकतीं हे, उसको किया जायेगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इसके कारण जो पैसे का कभी-कभी दुरुपयोग होता हे, उस पर नियन्त्रण लगा है। इस प्रकार लगातार काम करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ सड़कों के निर्माण की दिशा में मार्गों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है वहीं जो अभियन्तागण इस काम में लगे हैं, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके अन्दर काम की मानसिकता बनी रहे, उनकी जो प्रोन्नति है और सारी चीजें हैं, उनको हमने ध्यान रखा है और दो वर्षों के अन्दर जितना प्रोन्नति का काम किया है, तीन दशकों में इतना काम नहीं हुआ होगा। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का हमने नियमितीकरण बड़ी तेजी से किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय 8 हजार कर्मचारी वर्कचार्ज के नियमित हो गये हैं, जिसकी चिन्ता कोई करता नहीं था तो इससे सब मिलाकर काम करने वाले लोगों का, सब का सामूहिक रुप से कार्य के प्रति एक समर्पण की स्थिति निर्माण हो सके, यह भी प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है, चाहे लोक निर्माण विभाग में सड़कों का काम हो, चाहे सेतु निगम द्वारा जो सेतु बनाये जा रहे हैं, सेतु निगम ने गुणवत्ता स्थापित की है ओर जो लाभ में चल रहा है और प्रदेश में नो गेन नो लास के आधार पर काम हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति निर्माण हुई है कि इस समय 100 से ज्यादा सेतु एक साथ बन रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय निर्माण निगम भी काम कर रहा है। राजकीय निर्माण

के द्वारा भी **अपने प्रदेश में भी** काम चल रहा है और पूरे देश में भी काम हो रहा है। जहां काम कर रहे हैं, **वहां अपनी** गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए प्रयास किया गया है कि जो भी धन है, प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए सड़क की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उसको इस लायक बनाये कि चाहे जिस प्रकार का भी ट्रैफिक आए उसको सहन करने में समर्थ हो, ऐसा करने का प्रयास किया है। इस आधार पर हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वह प्रस्तुत बजट का समर्थन करें।

(अम्बेडकर गांव के सम्बन्ध में किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

मान्यवर, एक अच्छा याद दिलाया। इन अम्बेडकर गांवों के माध्यम से भी सड़कों को बनाने का एक कार्य चल रहा है। लगभग 15 हजार अम्बेडकर गांव योजना के जरिए उसके कम्पोनेन्ट प्लान के जरिए 15 हजार गावों में सड़कों को बनाया है, लगभग 138 करोड़ के आसपास धनराशि लगायी है। इस प्रकार जहां से भी आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे, चाहे बाहर से हो, चाहे कर्जा लेकर हो जो अवस्थापना सुविधा है उसमें लगातार प्रयास हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा जो आज का वर्तमान बजट है यद्यपि पहले से ज्यादा नहीं है, पहले ही के बराबर है तो भी इसमें अनुरक्षण पर जो प्राथमिकता दी है यह पहली बार अनुरक्षण के लिए 216 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये सड़क निधि का, कुल 316 करोड़ रुपया है जो मरम्मत की दृष्टि से बड़ा उपयोगी होगा। मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों को और हमारे विभाग की उस नीयत को समझते हुए कि विकास के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी सम्मानित सदस्य हमें समर्थन प्रदान करें। इस अपेक्षा के साथ मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 55- लोक निर्माण विभाग (भवन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 59- लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी अपने बजट प्रस्ताव रख रहे थे। जहां तक मार्गों का संबंध है यह हमारी सभ्यता और विकास नाम की दो नदियों का संगम स्थल है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सारी योजनाओं की जानकारी दी। एक बड़ा सुन्दर चित्रण शब्दों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के सामने, सदन के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी के वाक् चातुर्य, भाषा शैली की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। जहां तक आपके द्वारा कही गयी बातों को यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रश्न है उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करुंगा और आंकड़े देने का प्रयास करुंगा। लेकिन मैं यह जरुर कहना चाहूँगा कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, लोक तांत्रिक मर्यादाओं का सदैव पालन करते आये हैं लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि परफारमेंस बजट, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक 4 दिन पहले सदस्यों को मिल जाना चाहिये था जिस पर वह

मनन और चिंतन करते और अपनी बातों को और सार्थक ढंग से रख सकते थे। मंत्री जी के होते हुये भी यह आज सुबह 10 बजे जब हम लोग यहां आये, तब मिला।

श्री कलराज मिश्र-

4 तारीख को यह हमारे यहां से आ गया था कैसे नहीं मिला यह आश्चर्य है।

श्री अम्बरीष कुमार-

तो यह आज 9 तारीख को हम लोगों को क्यों मिला यह वास्तव में गंभीर प्रश्न है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको आप जरुर दिखवा लें। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि आप पटल कार्यालय गये नहीं होगे)

आप लोगों के लिए माफी हो सकती है लेकिन हम लोग तो सुबह और शाम रोज जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि हम सबको आज ही मिला है। अभी माननीय मंत्री जी ने ट्रांसपेरेन्सी की बात कही। यह कहा कि जो कार्य होते हैं वहां पर हम बोर्ड लगाते हैं और पूरे कार्य का विवरण लिखते हैं, स्पेसीफिकेशन लिखते हैं, टेलीफोन नम्बर लिखते हैं और उसके माध्यम से यह कोशिश करते हैं कि कोई आदमी शिकायत करता है तो उसकी जांच कराते हैं और इस प्रकार से ट्रांसपेरेन्सी लाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज भी लोक निर्माण विभाग में इनके जो अभियन्ता हैं चाहे अधिशासी अभियन्ता हो, अधीक्षण अभियन्ता हों सहायक अभियन्ता हो या अवर अभियन्ता हों, कितने ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध जांचें प्रचलित हैं और कितने-कितने वर्षों से प्रचलित हैं। इसके बारे में शासनादेश क्या है कि कितने समय में जांचें पूरी हो जानी चाहिए थी। माननीय मंत्री जी तीन-साढे तीन साल से इस विभाग में हैं, इससे पहले ही तमाम जांचें हो सकती हैं लेकिन जबसे माननीय मंत्री जी कार्यभार संभाला है तो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांचे लम्बित हैं उन जांचों में क्या प्रगति हुई। कितने मामले ऐसे हैं जो इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के पाये गये और नियमानुसार जो शासनादेश नियुक्ति विभाग से जारी है उसके अनुरुप समयबद्ध रुप से कितनी जांचे हो पायी हैं इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह बात साफ होगी कि पारदर्शिता किस सीमा तक लाना चाहते हैं। हमारी सारी अच्छी योजनायें, इरादे और इच्छायें धूल धूसरित हो जाती है अगर भ्रष्टाचार से बचाकर उनको क्रियान्वित नहीं कर पाते। मैं क्षमा मांगते हुये माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आज लोक निर्माण विभाग की स्थिति यही है। दूसरा सबसे बड़ा बिन्दु यह रखना चाहता हूं कि योजनायें आज बनती हैं, आज की कीमत पर बनती हैं और कार्यान्वयन में कितना समय लगता है। उसका कास्ट एसकेलेशन हो जाता हे और गरीब प्रदेश को उसका कितना भार सहना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए प्लानिंग प्रोसेस कैसा हो इस पर क्या विचार किया है? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी राज्य योजना की बात कर रहे थे कि जो मार्ग हैं, हमारे ग्रामीण मार्ग, अन्य जिला मार्ग और राज्य मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग वह श्रेणियां हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत से राज्य मार्ग राष्ट्रीय राज्य मार्ग हो गये, ग्रामीण मार्ग से अन्य जिला मार्ग हो गये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने विवरण में लिखा है कि यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गों को उच्चीकरण और वर्गीकरण करते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से बार-बार कहा है, स्थायी समिति की बैठक में भी कहा है, यह मेरे समझ के बाहर है कि बार-बार कहने के बावजूद और ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी आज भी माननीय मंत्री जी और इनके विभाग के पास यातायात गणना के किसी वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो बजट में इसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। यह विभाग न तो यातायात गणना करवाता है और न इसके पास आज भी कोई आंकड़े उपलब्ध हैं। माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे कि सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह बहुत सुदृढ हो गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज

हम हिन्दुस्तान में कहां खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? एक लाख की आबादी पर सड़कों को देखें तो 62 किलोमीटर उत्तर 1997-98 में है।

एक लाख लोगों की आबादी पर मात्र 62 कि0मी0 सड़क हैं। इसके विपरीत 1991-92 में देखने का काम करें तो पंजाब में 177.4 कि0मी0 एक लाख व्यक्तियों पर, हरियाणा में 131.9 कि0मी0 एक लाख व्यक्तियों पर, राजस्थान जैसे प्रान्त में भी 111.3 कि0मी0, मध्य प्रदेश में 108.2 कि0मी0 एक लाख व्यक्तियों पर सड़क हैं यह इनके आंकड़ें हैं 1991-92 के जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो बताएं हैं वह 1997-98 के हैं। इसी प्रकार प्रति 100 वर्ग कि0मी0 में सड़कों की लम्बाई आप देखें उत्तर प्रदेश में 32.8 कि0मी0 पंजाब में 76.6 कि0मी0, हरियाणा में 50 से ऊपर केरल जैसे राज्य में भी 47.50 कि0मी0 के ऊपर सड़क हैं। यह आज उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रान्तों के संदर्भ में है। मंत्री जी ने बताया कि एक लाख 26 हजार 743 कि0मी0 सड़क आज उत्तर प्रदेश में हैं। लखनऊ प्लान जो बना था 81 से दो हजार मार्ग विकास योजना का जो लक्ष्य था उनके अंतर्गत 3 लाख 55 हजार 160 कि0मी0 का लक्ष्य 2000 तक प्राप्त करना था उसके सापेक्ष मंत्री जी ने अभी बताया कि 31-3-99 तक (पुस्तिका में दिया है) अद्यतन स्थिति 1 लाख 26 हजार 743 कि0मी0 इसके संदर्भ में यह देखें कि हमने कितनी प्रगति की है, हम कहां खड़े हैं। यह आत्म संतोष का विषय नहीं है आज आत्म संतोष हमने कर लिया तो जो प्रगति होनी चाहिए उस लक्ष्य तक हम कदापि नहीं पहुंच सकते हैं। मार्ग विकास नीति जिसका उल्लेख मंत्री जी कर रहे थे कि यातायात के दबाव के आधार पर मार्गों की श्रेणी चयनित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार रखे। बी0ओ0टी0 की बात की गई पिछले वर्ष देखने को मिला इस वर्ष भी देखने को मिला एवं मंत्री जी से सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ हम जैसे रोज अपने ग्रंथों का पाठ करते हैं, भगवान का नाम, खुदा का नाम ईश्वर का नाम लेते हैं उसी प्रकार बी0ओ0टी0 को रटते रहना ही कार्य रह गया है या इसके आधार पर एक भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ हो तो मंत्री जी उससे सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे। दूसरी बात यह लिखी हुई पढ़ने को मिली एक साल पहले कम्प्यूटरीकरण डाटा बैंक की स्थापना की जाएगी यह एक वर्ष पूर्व लिखा था इस बार लिखा है कि पैसा स्वीकृत हो गया अगर एक साल में केवल धन स्वीकृत होगा तो विश्व जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसके संदर्भ मे हम केवल एक साल पैसा स्वीकृत कर पाएंगे तो किस तरह से प्रगति कर सकेंगे। एक साल में डाटा बैंक की स्थापना नहीं कर सके अत: जिस तेजी से हमें आगे बढ़ना चाहिए था हम उसी तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। इस पुस्तिका में लिखा है कि मार्ग निर्माण कार्य केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी कोई एजेंसी मार्ग निर्माण कार्य नहीं करेगी मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यह बातें केवल कागजों पर ही हे। गन्ना विभाग मंडी परिषद और दूसरे विभागों द्वारा बनाई गई सड़कें हैं जिनके अनुरक्षण का कार्य न तो वह विभाग कर रहे हैं न लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इसी प्रकार इन दोनों विभागों के अतिरिक्त और भी विभाग ऐसे हैं जो मार्ग निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय मार्ग के संदर्भ में मंत्री जी ने और जो साहित्य प्राप्त हुआ है उसमे लिखा है कि 1999-2000 में लोक निर्माण के अधीन राष्ट्रीय मार्गों पर 553 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

मान्यवर, अभी फरवरी में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित स्थायी समिति की बैठक में टिप्पणी विभाग से प्रसारित की गयी थी जिसकी अन्तिम तालिका को देखें तो वर्ष 1999-2000 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य 830 कि0मी0 लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी बात सही है टिप्पणी की अथवा बजट भाषण में जो कहा है वह सही है? इसमें मंत्री जी उत्तर देते समय प्रकाश डाल देंगे। मान्यवर, मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग, स्टेट हाईवेज जो हैं इन सभी का वर्गीकरण है, मैं जानना चाहता हूं कि किसका नवीनीकरण कितने वर्ष में करते हैं इस सम्बन्ध में उसी

तालिका में लिखा है वर्ष 1999-2000 में जो नवीनीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है ग्रामीण मार्गों का वह 3078 कि0मी0 है। अभी सदन में बताया गया कि 72 हजार कि0मी0 से अधिक ग्रामीण मार्ग है। यदि 3078 कि0मी0 एक साल में पूरा करते हैं तो आठ वर्षों में यह काम होना है तो हम केवल 24 हजार कि0मी0 का काम कर पायेंगे और 72 हजार कि0मी0 नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह धोखा है। मान्यवर, इस प्रकार कहना कुछ और करना कुछ है। इसलिए मंत्री जी इस सम्बन्ध में उत्तर देते समय बतायेंगे।

मान्यवर, मंत्री जी अभी नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में बता रहे थे कि सड़कों का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वित्त विभाग कहता है साढ़े बारह प्रतिशत पर नाबार्ड ऋण देता हे तो इतने ब्याज पर आप रकम वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए वित्त विभाग जानना चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनाते हैं उनका रिटर्न आय क्या है? यदि आप यह नहीं बता सकते तो वित्त विभाग उनका प्रस्ताव क्लियर करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो आज स्थिति है और जो मंत्री जी कह रहे हैं कि सैकड़ों पुल बनायेंगे, पिछले वर्ष 80 पुल बनाने का लक्ष्य था और टिप्पणी में 48 पुलों के अगेन्सट जनवरी तक केवल 12 पुल पूरे हो पाये हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या मकड़जाल है? मंत्री जी अपने उत्तर में इसको भी स्पष्ट कर देंगे?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग का और माननीय मंत्री जी का विवाद ब्याज कम और ज्यादा का है पहले वह तो हल हो तब तो नाबार्ड की बात आयेगी। कहीं ऐसा न हो कि कागज पर ही सारी की सारी योजनायें धरी रह जाय। मंत्री जी कह रहे थे कि 1999-2000 में 73 करोड़ 22 लाख का बजट प्राविधानित है जिसके विरुद्ध दिसम्बर 1999 तक 60 करोड़ 36 लाख और 363 के विरुद्ध 12.99 तक 299 खर्च हुआ। मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले नवम्बर-दिसम्बर तक जो धनराशि अवमुक्त होनी चाहिए थी कब हुई और मार्च 31 तक सम्पूर्ण धनराशि सी0सी0एल0 से जारी हुई या नहीं। मेरी स्पष्ट सूचना है कि 31 मार्च तक मात्र 85 प्रतिशत ही निकल पाया। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पी0डब्लू0डी0 के सारे भुगतान रोक दिये गये थे। और इन परिस्थितियों में मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं इतने सुन्दर तरीके से कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मात्र प्रबंचना ही है। इसी संदर्भ में अभी जो खड़जा योजना के लिए 10 करोड़ का प्राविधान था उसमें जनवरी 2000 तक मात्र दो करोड़ 39 लाख रुपये ही रिलीज हो पाये हैं इसके बारे में मंत्री जी कुछ जानकारी देने का कष्ट करेंगे। डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय सुधार योजना के लिए जितनी राशि पिछले वर्ष थी उससे कम राशि इस वर्ष है। अनुरक्षण के मद में एशियन डेवलपमेंट बैंक से शक्ति नगर वाराणसी योजना के लिए इरकान (IRCON) से 150 करोड़ रुपये के बॉण्ड भराये गये थे और जब एक कम्पनी जो रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी है उसको 150 करोड़ का ठेका हो गया तो फिर क्यों इसको रिवाइज करके 189 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो वास्तविक रिडम्बर्समेन्ट है ऐशियन डेवलपमेन्ट ने कितना पैसा दिया और कितना खर्च हुआ है इसमें अंतर क्या है और उस बढ़े पैसे का खर्च करने के लिए किसी की जिम्मेदारी फिक्स की है आपने। इसी प्रकार स्टेट रोड प्रोजेक्ट फेज वन के रिडम्बर्समेन्ट में 178 करोड़ खर्च हुये हैं। क्या जापान से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ था? अगर हुआ था तो उस पर जाँच कर क्या कार्यवाही हुई। राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपये का रिइम्बर्समेन्ट हुआ। जिसकी शर्त यह था कि 33 करोड़ अधिष्ठान रहित था इससे 33 करोड़ से अधिष्ठान का खर्च भी निकाला गया क्या इन सब सारी बिन्दुओं पर मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? यदि मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

अब सेतु के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेतु निगम लाभ में है और पुल बना रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सेतु निगम द्वारा जो पुल बनाये जाते हैं, उसमें पथकर वसूला जाता है और इस सार्वजनिक नीलामी में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व भिन्न भिन्न नाम से आ जाते हैं,

जिनके कारण ,जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अब मैं हरिद्वार का ही उदाहरण देना चाहता हूं। जो वेहिकिल अन्दर आ जाते हैं, पूरे दिन के लिये जो दर है, उसका डेढ़ गुना देकर पास बनाया जाता है परन्तु वह लोग किसी को इसका लाभ नहीं उठाने देना चाहत हैं। बोर्ड पर से उसको मिटा देते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि इसे रोड टैक्स में समाहित करने का प्रयास करें और जो आप है वह रोड टैक्स में से मिलती रहे और प्रति वर्ष आप उसमें एक निश्चित दर से वृद्धि करते रहें, इससे जो असामाजिक तत्व पुल पर रहते हैं उनसे बचा जा सकता है और इन निविदाओं के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता है, उसे भी दूर किया जा सकता है।

मान्यवर, अब निर्माण निगम की बात है। यह घाटे में चल रहा है। जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, उनका कार्य निर्माण निगम से लिया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो सेतु निगम है और निर्माण निगम है, उनका कार्य प्राइवेट ठेकेदारों से कहीं बेहतर है। सुझाव के रुप में एक बात और कहना चाहता हूं कि जूनियर इन्जीनियर के पद पर लोक सेवा आयोग से एक परीक्षा हुई थी। सिविल इन्जीनियर के अवर अभियन्ताओं को छोड़कर सभी के परिणाम आ गये। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर भी कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे कि सिविल इन्जीनियर्स का परीक्षा परिणाम भी आ सके। प्रदेश में प्रतिवर्ष 16 हजार से अधिक आदमी दुर्घटना मे काल कवलित हो जाते हैं और शासन को मुआवजा भी देना पड़ता है। जिनकी मृत्यु होती है उनके परिवार जनों को बहुत बड़ा कष्ट होता है, हम जो संवेदनशील लोग है इसका अदाजा लगा सकते हैं। सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो युग चल रहा है और वाहनों की संख्या बढ़ रही है। जो आपके मुख्य मार्ग हैं, उन पर सर्विस रोड बनाने का काम करें। दोनों तरफ आप इसे बनाये, जिन पर धीमें चलने वाले वाहन चलें और मुख्य मार्ग पर तेज चलने वाले वाहन चलें, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी हो जायेगी। आप किसी एक मार्ग को चुन लें और उस पर आप यह व्यवस्था करें प्रयोग के तौर पर तो आपको मालुम हो जायेगा। अभी केन्द्र सरकार के मा0 रेलवे मंत्री बालावाली पुल पर पधारे थे और उन्होंने कहा था कि इस पुल को हम बिना किसी कीमत के उत्तर प्रदेश को हस्तानान्तरित करने को तैयार हैं और बिजनौर के जो सांसद हैं उन्होंने घोषणा की थी कि जो इसकी एप्रोच रोड है, उसे वह अपने खर्चे से बनाने को तैयार हैं हरिद्वार के जो सांसद, विधायक हैं वे भी यह आश्वासन अपने अधिकारियों को दे चुके हैं कि जिला योजना से, अपने अनुदानों से किसी भी प्रकार से हम अप्रोच रोड को पूरा करने के लिये तैयार हैं। वह पूल ऐसा है जो हरिद्वार बिजनौर का सर्व ऋतु पुल होगा जो राष्ट्रीय मार्ग है उसमें 18 रपटे पड़ते हैं। बरसात में वह मार्ग ऐसा है जिस पर यातायात सम्भव नहीं रहता। बसें बह जाती हैं। बरसात का पानी नदिया में बहुत वेग से आता है। यदि इस पुल को बनाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। दोनों जिलों के विधायक और सांसद जिला योजना से और अपनी निधियों से इसके लिये पैसा देने को तैयार हैं। यह 800 मीटर लम्बा है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग इसको बनाना चाहे तो इस पर 20 करोड़ रुपये लगेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के रेल मंत्री का जो उदारतापूर्ण आफर है, उसको स्वीकार कर इसको बनाने की घोषणा करेंगे तो मैं आभारी रहूँगा1 अभी मा0 मंत्री जी ने इलाहाबाद के कुम्भ मेले की चर्चा की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इलाहाबाद के कुम्भ मेले की चर्चा की। 1998 में हरिद्वार में जो कुम्भ मेला सम्पन्न हो चुका था जिसके भ्रष्टाचार की जांच लोक निर्माण विभाग के स्तर पर चल रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसकी जांच रुड़की यूनिवर्सिटी कर रहा है और विभागीय जांच भी हो रही है। आज ढाई वर्ष हो गये हैं। अगर माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग से इसकी जांच कराते और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखते कि यह जांच हुई तो हम उसका स्वागत करते और कहते कि माननीय मंत्री जी जो कहते हैं वह कर के दिखाते हैं। जिस पारदर्शिता की बात करते हैं उसमें आज ढाई साल बीत गये हैं और जॉच

नहीं हुई है। रुड़की यूनिवर्सिटी द्वारा भी इसकी जांच नहीं हुई हे। यह कहते हैं कि उसमें नोडल एजेन्सी नगर विकास विभाग था। नोडल एजेन्सी नगर विकास विभाग हो सकता है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसकी जांच रुड़की यूनिवर्सिटी और विभागीय स्तर से भी होगी। नगर विकास विभाग का नाम लेकर जांच से बचने की कोशिश की जा रही है। आप योजना कितनी अच्छी बना लें, बुलन्द इरादे हो लेकिन जब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे, उस पर अंकुश नहीं लगायेंगे विकास नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अंजय कुमार पोइया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूँ। श्रीमन्, आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अपने मथुरा जनपद में लोक निर्माण विभाग में कोई स्थाई अधिकारी न होने के कारण वहां भ्रष्टाचार बड़े चरण सीमा पर है। जो कार्य होने थे वह गुणवत्ता के आधार पर, मानकों के आधार पर नहीं कराये जा रहे हैं। इसकी सूचना भी शासन को दी गई। जिलाधिकारी मथुरा ने एक समिति भी बनाई उसकी रिपोर्ट भी शासन को आई लेकिन अधिकारियों के विरुद्ध आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमन्, बम्बे की पटरी हो. नहर की पटरी हो 5-5 कि0मी0 की बनाने का प्राविधान किया गया था लेकिन वह भी नहीं बनाई गई। आन जाने का कोई साधन नहीं था। उसको भी नहीं जोड़ा गया। माननीय मंत्री जी गोवर्धन ग्राम गए विकास की नीति को देखने, वहां पांच सड़कों की भ्रष्टाचार की शिकायत की गई मुझे दुख है उन्होंने अपने तथ्य में यह स्वीकार किया कि डी0डी0 मिश्रा प्रधानाचार्य डी0ए0वी0 कालेज में नहीं मिले गोवर्धन, जिला मथुरा, पता शिकायत पत्र में लिखा होने के बाद भी यह शासन द्वारा मुझे बतलाया गया, मैं जानना चाहता हूं कालज नहीं मिला या प्रधानाचार्य नहीं मिला या पता नहीं मिला यह आश्चर्य की बात है। प्रान्तीय खंड पी0डब्लू0डी0 निर्माण खंड में भ्रष्टाचार का खुला आलम वहां है मैं कहना चाहता हूं सेतू की स्थापना को नई ग्राम पर आपके द्वारा की गई है पुल का निर्माण हो रहा है वहां मानकों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। अन्य स्थानीय समस्याओं के बारे में जिक्र करुँगा, 24 सड़कें वर्तमान वित्तीय वर्ष में बनी हैं उनका पूरा न होना दुखदायी है। शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उन पर कार्यवाही की जाए उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री दद्दू प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दद्दू प्रसाद-

चिकित्सा, शिक्षा पर हम बोलना चाहते थे उसमें बोलने का मौका नहीं दिया। अब मुझे नहीं बोलना है।

श्री राम विशुन प्रसाद-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास ऐसे नहीं हो सकता है हमारे माननीय अम्बरीष जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मान्यवर, जनपद गोंडा पिछड़ा हुआ जनपद है, क्लर्क से लेकर अधिशाँसी अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के न होने के कारण 1996-1997-1998-99-2000 की जिला योजनायें राज्य योजनायें, पूर्वांचल की सारी सड़कें अधूरी पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, निवेदन करुँगा कि तत्काल उन सड़कों को पूरा कराया जाए! ताकि लेपन स्तर पर कार्य हो सके। मान्यवर, दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग बहुत ही जर्जर अवस्था में है, गड्ढा युक्त सड़कों पर कोई काम नहीं कराया गया है जिससे आवागमन सुचारु रुप से चल सके, माननीय मंत्री जी उस

मार्ग को ठीक करवायें। मनकापुर कस्बा के सम्बन्ध में सदन में 103 के अन्तर्गत चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने अपने क्षेत्र की सड़क बभमनान मार्ग का नवीनीकरण के लिए कहा था, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्य नहीं कराया गया जो पी0डब्लू0डी0 की सड़कें हैं पटरियॉ हैं पटरियों पर अवैध निर्माण हो रहा हैं जिसके सम्बन्ध में नगर पंचायत मनकापुर में नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा पटरी की भूमि पर अवैध कब्जा करके दुकान का निर्माण कराया गया हैं इस तरह से सड़कें सिकुड़ रही हैं, आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। मनकापुर कस्बा, बभनान कस्बा, मसकनवा कस्बा, वजीरगंज कस्बा में जल भराव से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है वहां पत्थर ईंट सोलिंग लगवा दें, जिससे जल भराव न हो, श्रवण पाकर तीर्थ स्थल है वहां पर सम्पर्क मार्ग बनवा दें ताकि वहां पर तीर्थ यात्रियों को पहुंचने में सुविधा हो। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मान्यवर, बहुत से ऐसे गॉव हैं जो एक हजार आबादी से अधिक हैं उनको सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। उतरौला मनकापुर इलाहाबाद मार्ग को बौद्ध परिपथ योजना में सम्मिलित कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अम्बरीष जी के द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सड़क किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ऐसी धुरी है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो सबके विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो सड़क के विकास के संबंध में आपने बाते बतायी, आंकड़ों के माध्यम से जो बातें रखी, निश्चित रुप से आप बधाई के पात्र हैं। आपमे इच्छा शक्ति है जो किसी भी प्रदेश को विकास की गति दे सकती है। मैं भाई अम्बरीष जी को जब वे कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने 30 मिनट केवल आलोचना में निकाल दिया और जो विकास की बातें थी, जो सुझाव थे वह चन्द मिनटों में कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। मैं यह सोच रहा था कि वह प्रदेश में जो विकास हुआ है उसके सम्बन्ध मे कहेंगे। मान्यवर, 50 साल इस देश की आजादी को हो गये हैं। इस प्रदेश में जो विकास की गति मिलनी चाहिए थी वह बड़ी धीमी गति से चली। सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन आज प्रदेश में जो स्थिति है, ग्रामीण अंचलों से लेकर नगरीय क्षेत्रों को देखा जाय, तो जो माननीय मंत्री ने इच्छा शक्ति दिखायी है वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चाहे जो भी योजना हो, जिस मार्ग को ले लीजिये जिस तरह से विकास हुआ है, मार्गों की लम्बाई बढ़ाई गयी है और धन की व्यवस्था की गयी है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मार्ग विकास की नीति बनाई, अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए धन दिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जिस तरह से ग्रामीण अंचलों के धूल से भरे मार्ग को लेपन करने का काम किया उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय अम्बरीष जी से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में आपका आना जाना होगा, क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, अगर उसकी तुलना करेंगे तो आज कटौती के प्रस्ताव से हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, प्रदेश के उन पचास वर्षों से तुलना की जाय तो जो विकास के कार्य हुए हैं आज की स्थिति में क्या परिवर्तन हुये हैं इस पर ध्यान दें। कुछ बातें मैं सुझाव के रुप में देखना चाहता हूँ। आज गॉवों मे जो सड़क का निर्माण हो रहा है वह लेपन स्तर तक होना चाहिए। कच्ची सड़कें न बनायी जायें। मान्यवर, जो भी सड़कें ग्रामीण अंचलों में बनायी जायें वह मोटी परत की बनायी जाय। क्योंकि अब वहां पर भी ट्रकों का आवागमन शुरु हो गया है और सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। मान्यवर, एक हजार की आबादी तक गॉव को जोड़ने की योजना माननीय मंत्री जी ने रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण के जो पुरबें हैं, जो मजरे हैं उसमें एक हजार से कम वाली आबादी को लिये जायें ताकि वे लाभान्वित हो सकें। आर0ई0एस0 की ऐसी सड़कें जो अन्य विभागों द्वारा बनायी गयी सड़कें हैं जो ग्रामीण अंचलों और

बाजारों को जोड़ने वाली सड़कें हैं उनका रख रखाव नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत उनका पुर्ननिर्माण और रख रखाव की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, इसी तरह से गाँवों में सड़कों के साथ पटरियों के पुर्ननिर्माण की व्यवस्था होनी चाहिये। पटरियां न होने से सड़कें ऊँची हो जाती है वाहनों के आवागमन में असुविधा होने लगती है। मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। गंगा नदी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं वहां गंगा नदी पर एक पीपे का पुल बनवाया जाय। इसी तरह से वहां सीतामढ़ी पौराणिक स्थल हैं वहां जो घाट है वहां एक पीपे का पुल बना दिया जाय तो यू0पी0 और एम0पी0 की दूरी समाप्त हो जायेगी इसी तरह से अनेक जनपदों की दूरी भी कम हो जायेगी। इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस सरकार में गढ्ढा मुक्त सड़क और भयमुक्त समाज का नारा दिया गया। भयमुक्त समाज की चर्चा रोज हाउस में हम सब देख रहे हैं। जो गढ्ढा मुक्त सड़कों की बात है लोक निर्माण के तमाम अभियंतागण हैं उनके गड्ढे जरुर पूरे हो गये हैं। सड़कों की दशा में ज्यों का त्यों बनी हुई है। एक सड़क निधि की घोषणा हुई। मान्यवर, बुंदेलखण्ड में चित्रकूट और झांसी मण्डल में अरबों रुपये की लागत के खनिजों का काम होता है। वहां बेतवा नदी पर कई घाट बने हुए हैं वहां एक हजार, तीन हजार पांच हजार ट्रक कालपी क्षेत्र के इन घाटों पर आते जाते हैं बुंदेलखण्ड के समस्त जिलों में सड़कें ध्वस्त हो गयी हैं। मान्यवर, जहां अरबों रु0 की आय हो रही है सरकार को वहीं अगर 25 प्रतिशत धन बुंदेलखंड की सड़कों की मरम्मत के लिए उस निधि में डाला जाय तो काफी अच्छा होगा। मान्यवर, बुंदेलखंड के जिलों में डाकू समस्या बनी हुई है, वहां दस्यु उन्मूलन के नाम पर सड़कें बनी हुई है। सोलिंग स्तर तक उनमें कहीं भी डामरीकरण और पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ है वह सड़कें जर्जर हो गयी हैं। जो परफारमेंस बजट है इसमें डाकूग्रस्त क्षेत्र की बाबत योजनाओं की संख्या है। और लक्ष्यों का सापेक्ष (0) जीरो है। यानि 1999 दिसम्बर में इनके लक्ष्य में जीरो की स्थिति है और 2000-2001 में एक हैं और 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है केवल एक सेतु के लिए प्राविधान किया गया है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की उपेक्षा होने के कारण आज बुन्देलखण्ड की मांग पूरे जोर शोर से उठायी जा रही है। लोक निर्माण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड का विकास न होने के कारण और उसके उपेक्षित रहने के कारण, सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण मेरी मांग की अधिक से अधिक धन वहाँ की सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, वर्ष 1997 में जिले की पहुंज नदी पर एक पुल बनाये जाने का प्रस्ताव था और उसका बजट भी प्राविधानित किया गया था लेकिन इस सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त पुल के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी क्योंकि सभी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, एक लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। गिट्टी सरिया, सीमेन्ट बालू से क्या बनता, जनता एक स्वर से बोली अभियन्ता अभियन्ता। इस लोक निर्माण विभाग के पूरे बजट को

इंजीनियर वगैरह खा रहे हैं न कहीं गड्ढा मुक्त हो रहा है, न मरम्मत हो रही है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा आग्रह है कि घड़ी देख लें, समय इतना हो जाने के बावजूद दोबारा घड़ी न देख लीजिएगा, थोड़े से सदस्य रह गये हैं, लोक निर्माण विभाग का बजट है समय सीमा चाहे छोटी कर लें लेकिन सूची छोटी न करियगा। माननीय मंत्री सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे, कृपया उनके विचार अवश्य सुन लीजिएगा।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सारा समय तो मुजफ्फरनगर पर लगा दिया अब बजट पर बोलने की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। मैं विशेष रुप से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण सम्मति योजना 2005-10 के लिए बनाई है यह पहली सरकार है जिसने शहरों को गॉवों से जोड़ने का एक तैरीका निकाला है। जब हम आजाद हुए थे यह योजना उस समय बनी होती तो आज सड़कों का जाल बिछ गया होता। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अपने उत्तरांचल क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्रीमन् उत्तराचंल क्षेत्र में प्लान का कार्य उत्तरांचल विकास विभाग देखता है। अनुरक्षण का जो कार्य है, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग देखता है। उत्तरांचल क्षेत्र में बरसात के सीजन में सड़कों का नुकसान तो होता ही है। आज कल भी यदि 2 घन्टे बरसात हो जायेगी तो सड़क बंद हो जायेगी। मैं विशेष रुप से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहां 2 वर्ष पहले से सड़क बंद हो गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़-चम्पावत में अनेक सड़कें बंद पड़ी हैं, जहां राशन की व्यवस्था घोड़ों द्वारा की जा रही है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि मात्र 10 प्रतिशत पैसा अनुरक्षण के लिए मिलता है, जो नाकाफी है, हल्की सी बरसात में सड़कें बंद हो जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुरक्षण मद में जो डिमांड आती है, बंद सड़कों की सूची आती है, उसके हिसाब से धनराशि बढ़ाने की माननीय मंत्री जी कृपा करें। मेरे बगल ही अजय भट्ट जी का क्षेत्र है, रानीखेत, उनके यहां एक सड़क हैं जो 37 जगहों से टूटी है, और दो साल से टूटी है, वहां भी राशन की व्यवस्था, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, आवागमन, घोड़ों द्वारा किया जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के बारे में बताया है और नये कार्य शुरु किये गये हैं, मेरे ही क्षेत्र से लगी हुई एक सड़क है, जिसका पहले नाम लासा रोड था, बाद में भिंड-लीपू लिंक मार्ग हो गया, इसी प्रकार टनकपुर तवाघाट मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। बरेली से टनकपुर मार्ग है, इसी मार्ग पर पूर्णागिरि व कैलाश मानसरोवर यात्रा रुट है। बरेली टनकपुर राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया, इसके भी चौड़ीकरण किये जाने की आवश्यकता है, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत बजट के लिये बधाई देते हुये, बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

डा0 कौशल किशोर-

माननीय अधिष्ठाता जी, अनुदान संख्या 54,55,58 व 59 पर रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग उत्तर प्रदेश में 4232 हैं लेकिन मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे

जनपद में राष्ट्रीय मार्ग बिल्कुल शून्य है। जब चीनी आक्रमण हुआ था, उस समय दिल्ली कलकत्ता से असम तक राष्ट्रीय मार्ग बनना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन बाद में सड़क नहीं बनी। इसी प्रकार हमारे यहां पीलीभीत से बस्ती राजमार्ग बना, अगर यह सड़क राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो जाय तो कम से कम जनपद खीरी में एक राष्ट्रीय मार्ग हो जाय। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ राजमार्ग भी बहुत कम है। मान्यवर, हमारे यहां पनवारी से बेलवाया राज मार्ग है, इस पर शारदा नदी बहती है, लेकिन इस पर पचपेड़ी घाट का पुल नहीं है, देश को आजाद हुए इतने साल हो गये, लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका, इस पर पुल बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

मान्यवर, हमारे जनपद में दुधवा नेशनल पार्क बहुत मशहूर पर्यटन केन्द्र हैं। वहां जाने के लिए जो सड़क है, वह बिल्कुल खस्ताहाल है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि वहां चलें परन्तु वहां जाने से सबकी रीढ़ में दर्द होने लगेगा, क्योंकि सड़क बहुत खराब है, गढ्ढा मुक्त, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की बात बहुत कही जाती है, लेकिन की नहीं गई।

मान्यवर, सीतापुर से लखीमपुर ऐसा मार्ग है, जिस पर यदि आप सोते हुए जा रहे हों तो जैसे ही लखीमपुर आयेगा, आप जग जायेंगे। इसी तरह बहराइच से लखीमपुर जा रहे हों तो लखीमपुर आते ही जग जायेंगे आप हरदोई से आयें, शाहजहाँपुर से आयें लखीमपुर की सड़कों की हालत मान्यवर, बहुत ही खस्ता है। इसी प्रकार जिला मार्ग जो हमारे जिले के हैं उन जिला मार्गों की दशा भी बहुत ही जीर्ण-शीर्ण है। जिला मार्गों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है अन्य जिला मार्गों का भी अनुरक्षण नहीं किया गया है। मान्यवर, यह एक अजीब बात है, एक कस्बा वैल है, और एक खीरी है, 8 किलोमीटर की दूरी है, कोई सीधा रास्ता न होने से 18 किलोमीटर दूरी तय करके लखनऊ जाना पड़ता है। वैल की आबादी 25 हजार है और खीरी की 50 हजार है यदि सीधा मार्ग हो जाये तो लखनऊ जाने के लिए आवागमन की दूरी कम हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपसे लखीमपुर के बारे में और कहना चाहता हूँ कि लखीमपुर से बहराइच जिले को जाने के लिए एक मार्ग है, लेकिन सीधा मार्ग जो अमृतागंज होकर जाता है, कच्चा है यह बहराइच जिले को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग है परन्तु बना नहीं है। मान्यवर, बन जाये तो लखीमपुर से बहराइच सीधा जुड़ जायेगा यह मैं अपने जिले की बात कह रहा हूँ मान्यवर, दीनदयाल योजना फेज फाइव में तमाम जिलों को पैसा सरकार दे रही है, परन्तु हमारे जिले में पैसा ही नहीं गया, क्या वहां इंसान नहीं रहते हैं....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इन्हें तो बजट की सराहना करनी है, इन्हें सिवाय तारीफ के और कुछ कहना ही नहीं, यह तो हमारा दर्द है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री बाबू राम यादव का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बाबू राम यादव-

मायवर, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि यह बजट है, अब लेट हो गया है लेकिन बात तो सुन लें, इस तरह से करेंगे तो हम भी नहीं रखने देंगे। आपकी बात सुन रहे हैं तो आप हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनें।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांन्त रहें। मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन सब को विचार व्यक्त करने का समय मिल जाये इसलिए स्वयं अनुशासन का पालन सबको करना पड़ेगा क्योंकि

स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रुप से जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें कुछ लोग वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूॅ कि हमें संचालन में सहयोग करें।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूॅ। मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल योजना सम्पर्क मार्ग के तहत जो सड़कों का निर्माण कराया गया और पुलों के निर्माण का जो कार्य किया गया है, वह प्रशंसनीय है, सराहनीय और बेजोड़ है। मान्यवर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आता हूॅ। सन् 83 से मैं ब्लाक प्रमुख सहजनवां रहा हूॅ। पहले 500 मीटर खड़ंजे के लिए सतत प्रयास किया जाता था लेकिन खड़ंजा स्वीकृत नहीं हो पाता था। इस सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजकर सड़कों के निर्माण की योजना है। एक हजार की आबादी के गांवों को 2005 तथा सभी गांवों को 2010 तक सम्पर्क मार्गों द्वारा पक्की सड़क से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। यह प्रशंसनीय है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। पंडित दीनदयाल योजना कें अन्तर्गत सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ-साथ विपक्ष के विधायकों के भी प्रस्तावों को मंत्री जी ने उदारता के साथ स्वीकार किया है और उनके क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। आई0आर0डी0एफ0 फेज-1 के अन्तर्गत 96-97 में 71 सेतुओं का लक्ष्य रखा गया था। इसी तरह से आई0आर0डी0एफ0 फेज- 11 के अन्तर्गत 97-98 में 25 सेतुओं के निर्माण लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 14 का कार्य पूरा हो चुका है। आई0आर0डी0एफ0-4 के अन्तर्गत 98-99 में 42 सेतु स्वीकृत किये गये थे। इसी तरह से आई0आर0डी0एफ0-5 में 99-2000 में 67 सेतुओं के निर्माण के लिये योजना तैयार की गयी है और नाबार्ड को भेजी गयी है। साढ़े तीन साल के अन्तर्गत 234 पुलों के निर्माण का संकल्प मंत्री जी द्वारा लिया गया है। अगर इसी गति से पूर्व की सरकार द्वारा और पूर्व के लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा तरक्की के लिए इच्छाशक्ति दिखायी गयी होती तो मैं समझता हूॅ कि आज विपक्ष के माननीय सदस्यों को पुल मांगने की आवश्यकता न पड़ती और प्रदेश में सारे पुल बन गये होते। ग्रामीण अंचलों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों के अन्दर डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग योजना के अन्तर्गत महानगरों और टाउन एरियाज में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करने, सड़कों के किनारे नाली बनाने का संकल्प मंत्री जी ने लिया है जो एक प्रशंसनीय कार्य है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूॅ। हमारे क्षेत्र में सोनबरसा मोलनापुर मैनसिर मार्ग है जो गोरखपुर और संत कबीर नगर को जोड़ता है यह बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग को बनवाया जाय ताकि आवागमन की सुविधा मिल सके। इसी तरह से राप्ती नदी पर सिसई घाट पर आई0आर0डी0 एफ0-5 के अन्तर्गत एक पक्के पुल के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। इस पुल का निर्माण हो जाने पर संत कबीर नगर से नेपाल और निचनौल के लिए बाईपास मिल जायगा और जो भारी वाहन गोरखपुर महानगर से होकर आते हैं वह संतकबीर नगर, पीपीगंज, नेपाल और सोनौली को आसानी से जा सकेंगे। मेरे यहां सहजनवां टाउन एरिया, नयी टाउन एरिया है उसकी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और सड़कों के किनारे नाली की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन प्राप्त करके सहजनवां नगर परिषद में सड़कों को ठीक कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। इसके साथ ही आई0आर0डी0पी0 फेज-4 के अन्तर्गत हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कोदरी, नेवास, डोमहर, रानाडीह, मुन्डा व कोडरा गाँव जो एक हजार की आबादी का है. उसके दो किलोमीटर सड़क पिच करने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन धनाभाव के कारण डेढ़ कि0मी0 सड़क ही पिच हो पायी हैं, अभी 500 मीटर सड़क छूटी हुई हैं, उसे धन देकर पूरा करके लेपन कराने का कष्ट करें। इसके अलावा राप्ती नदी के सिसई घाट पर 1992 म

पान्टून पुल बना था, 6 साल हो गया, अभी तक प्रान्तीकरण नहीं हुआ है। जिसकी वजह से पान्टून के एसेम्बुल और डिस्मेटेल करने में धनाभाव रहता है। प्रान्तीकरण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सहजनवां, बखिरा, बाँसी मार्ग जो जनपदों को जोड़ता है वह सिंगल लेन की है उसको चौड़ीकरण कराके गढ्ढा मुक्त कराया जाये। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आपके माध्यम से सबसे पहले अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण समस्याओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। जनपद बाँदा, जो कानपुर-सागर नेशनल हाई-वे है, झाँसी-मिर्जापुर नेशनल हाइवे है, दोनों के बीच में है। दोनों को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग है। बांदा से सुमेरपुर सम्पर्क मार्ग जो दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है, वह क्षतिग्रस्त है एवं इकहरा मार्ग है। जो बांदा कमिश्नरी है उसको मुख्यालय से जोड़ने वाला एक मात्र सम्पर्क मार्ग टूटा हुआ है इसको अगर ठीक करा दिया जाये और चौड़ा करा दिया जाये तो आवागमन की सुविधा ठीक हो जाये और खासतौर से जो मध्य प्रदेश के औद्योगिक व्यवसायी कानपुर आते हैं उनको आवागमन की कठिनाईयों के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बांदा का यह महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के लोगों को फतेहपुर-बिन्दकी होते हुए जसपुरा, जहानाबाद हमीरपुर को लोग जाते हैं। बिन्दौर घाट फतेहपुर जनपद में पान्टून पुल है उसका शिलान्यास चुनाव से पहले माननीय मंत्री जी ने किया था अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। दूसरी समस्या विकास खण्ड जसपुरा में ही तुर्रा नाले पर पुल का शिलान्यास 1989 में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

मान्यवर, तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, उसका पत्थर ढेर हो गया लेकिन पुल का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें। अब आप बैठें।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय योजना, बुन्देलखंड विकास निधि एवं सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1997-98....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें।

कृपया स्वयं से अनुशासन बनाये रखें जिससे नये सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

हमारे यहां जसपुरा में एक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 20 लाख रुपये बुन्देलखंड विकास निधि से स्वीकृत थे उसका निर्माण कराया जाये। पचुआ सम्पर्क मार्ग, कोबिल नाला सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दें। मंत्री जी को।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार कन्नौज जनपद में 5 बड़े पुल निर्माणाधीन चल रहे हैं। यह हमारे जनपद का सौभाग्य है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग एवं अन्य योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मार्गों का निर्माण हुआ है। जिससे जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि और भी गांव सम्पर्क मार्गों से जोड़े जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पांडु नदी पर औसेर घाट का पुल निर्माणाधीन चल रहा है उसकी एक कि0मी0 पुल के दोनों तरफ सम्पर्क रोड बनाई जाये जिससे वह रोड से जुड़ सके। इसी प्रकार ईसन नदी पर नेरा घाट का पुल बन रहा है जो सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, रसूलाबाद को जोड़ता है वहां पर नेरा घाट से ठठिया तक लगभग 4 कि0मी0 पक्का करने की कृपा करें। इसी प्रकार धोबी घाट पर पुल से तिर्वा तक 4 कि0मी0 कच्ची मिट्टी का कार्य हो गया है उसको पक्का करने का कार्य किया जाये। इसी प्रकार काली नदी पर हमीरपुर घाट पुल निर्माणाधीन है वहां पर एप्रोच रोड बनना है सुकराता पुल का एप्रोच रोड बनना है। आप भी इसी जनपद से आते हैं। लोक निर्माण सचिव भी कन्नौज जनपद से आते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर सदन में व्यवस्था दी जा चुकी है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है यहां पर बार-बार सेल फोन बज रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सदन के अन्दर जब आप आएं तो सेल फोन बंद कर दें। अन्यथा विवश होकर मुझे जब्त करने का निर्देश देना पड़ेगा।

श्री अरविन्द कुमार जैन-

मान्यवर, इस बजट को कल तक के लिए टाल दें। कल इस पर चर्चा हो जाएगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सरकार के प्रत्येक मंत्री का जो सामूहिक उत्तरदायित्व का संविधान में अधिकार है उसके आधार पर यदि एक मंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं कि आज सम्भव नहीं है तो बजट को कल के लिए टाल दिया जाय जिससे मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि बजट को आज टाल दें और कल इस पर विस्तृत चर्चा हो जाय। सरकार का दृष्टिकोण आ गया है इसलिए इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी बजट पर गम्भीर चर्चा हो रही है इसलिए बीच में बार-बार टिप्पणी न करें तो उचित होगा।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, इन्दरगढ से सौरिख तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु भू0पू0 मुख्यमंत्री, श्री कल्याण सिंह जी ने एक करोड़ रुपये की घोषणा किया था लेकिन आज तक वह धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है इसलिए इस धनराशि को अवमुक्त कराकर मार्ग की मरम्मत करायी जाय। मान्यवर, इसी तरह से तिर्वा से नौसेर, ठठिया से वाया जनखत नौसेर, हटिया सम्बरनगर हसैरन, हसैरन से उमरदा नहर की पटरी और हसैरन से सकतपुर होते हुए सी0एस0बी0 रोड तक और हसैरन से खड़नी एवं हसैरन से सुखसेनपुर

व उर्मदा से सरसई तक के मार्गों पर प्राइवेट और रोडवेज की बसें चलती हैं लेकिन यह सड़कें खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं इसलिएं मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सड़कों का सर्वे कराकर उनकी मरम्मत करायी जाय। इसी तरह से सौरिख-तिर्वा-ठठिया सुरती जिला मुख्य मार्ग घोषित है, मैं चाहता हूँ कि इस मार्ग की मरम्मत करायी जाय।

मान्यवर, नादेमऊ से ताल ग्राम के बीच ईशन नदी पर छतनेपुर के पास विभाग द्वारा सर्वे कराकर स्टीमेट शासन के पास पड़ा है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी उसको स्वीकृत करने की कृपा करें जिससे यह पुल बन सके।

मान्यवर, कन्नौज नया जिला है यहां पी0डब्लू0डी0 का कार्यालय बनाने की मैं मांग करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, आपने बजट पर मुझे बोलने का जो समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राम सिंह सैनी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अम्बरीष जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जहॉ राष्ट्रीय स्तर पर मार्गों की लम्बाई 292 कि0मी0 एक लाख की आबादी पर है वहीं उत्तर प्रदेश में 183 कि0मी0 लम्बाई एक लाख की आबादी पर है। मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कम से कम 3 लाख कि0मी0 हमारी लम्बाई उत्तर प्रदेश की सड़कों की जब होगी तभी हमारी आवश्यकताओं के अनुरुप हमारी सड़कों की लम्बाई हो सकती है। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि आप तीव्र गति से सड़कों की लम्बाई बढ़ायें जो जनहित में होगा। चूँकि किसी भी क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र के विकास के लिए सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है।

मान्यवर, हम पिछले वर्ष मांग कर रहे थे कि ग्रामीण अंचलों के सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है लेकिन इस वर्ष आपने बजट में मरम्मत हेतु जो प्राविधान किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जहाँ उत्तर प्रदेश में गांवों के लिए 98 करोड़ का जो प्राविधान किया है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि इस धनराशि से आप किस तरह से ग्रामीण अंचलों की सड़कों की मरम्मत का कार्य करेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मान्यवर, दीनदयाल योजना के अंतर्गत 1000 की आबादी के गांव को जोड़ने का संकल्प किया गया है। जिसमें दो किलोमीटर की दूरी का प्राविधान है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मंत्री जी से, कई गांव ऐसे हैं जिनकी दूरी दो कि0मी0 से ज्यादा ढाई और तीन किलोमीटर है। इस दूरी को बढ़ाया जाय और जिन गांवों की आबादी दो हजार से ज्यादा है वे निर्धारित मानक के अनुरुप नहीं हैं वे बच जायेंगे। जो गड्ढा मुक्ति की बात कही गई है उसमें आशा के अनुरुप कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत 98-99 में 878 लाख और 99-2000 में केवल 500 लाख रुपये रखे गये हैं आप प्रगति की ओर जा रहे हैं या फिर वादे से हट रहे हैं। हमारे क्षेत्र में घनौरी से 8 किलोमीटर रोड बनाई जाय जो रुड़की की दूरी को जिला मुख्यालय से कम करेगी। सोनाली पुल का शिलान्यास करते समय कहा गया था कि दिसम्बर 99 तक पूरा हो जायगा और मैं ही उद्घाटन करनें आऊँगा लेकिन जिस तरह से कार्य हो रहा है वैसे तो जनवरी 2001 तक पूरा होने की आशा नहीं है। माच्छर हेडी के पास भी एक पुल बनाया जाय।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक-

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका

आभारी हूँ। इस विभाग के जिम्मे सड़क, पुल का निर्माण, पुनर्निर्माण एवं रखरखाव है राज्य सरकार के कतिपय विभागों का निर्माण, अनुरक्षण का दायित्व है, राष्ट्रीय मार्गों का रखरखाव का उत्तरदायित्व है। मंत्री जी ने कई योजनायें बनाकर प्रदेश का अभूतपूर्व विकास किया है जैसे नहर सेवा मार्गों को पक्का बनाने की योजना सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, योजनायें नाबार्ड वित्त पोषित योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मार्ग एवं सेतुओं का अनुरक्षण का कार्य, सेतुओं की मरम्मत का कार्य किया है। मेरे क्षेत्र बदायूँ में रेलवे स्टेशन अलापुर रोड पर रेलवे समपार पर उपरगामी सेतु का निर्माण आवश्यक है। मथुरा आगरा रोड पर रुझानी से कछला की जो रोड है उसे चौड़ा कर दिया गया है। कझला गंगा पर एक सेतु की आवश्यकता है जो पहले पुल बना था वह बहुत संकरा है। पुरऊ डोल पर रपटा पुल बनवाया जाय। भैसार नदी पर पुल बनाया जाय। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। दोनों पुलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है इसके लिये मैं माननीय श्री कलराज मिश्र तथा भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राम शंकर पाल-

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव में समर्थन बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। बल्लापुर-मुरादाबाद सड़क 1993 में स्वीकृत हुई थी और जिस पर 43 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, 1997-98 में इसमें कई अनियमिततायें पाई गई, जिसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए, इसका कार्य अधूरा पड़ा है इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि शेष धनराशि को अवमुक्त कर इस कार्य को पूरा करा दिया जाय। क्योंकि कई लोगों की इसमें अकाल मौत हो गई है। दूसरा उन्नाव से हरदोई मार्ग सिंगल लेन है, इसे डबल कर दिया जाय। हमारे जनपद में सहजनवां से जगतनगर को एक कटरी सड़क जाती है, इसमें गरीब लोग रहते हैं इसलिये इसे राज्य सैक्टर में शामिल करने का प्रयास करें और भ्रष्टाचार के संबंध में जो जाँचें चल रही हैं, उन्हें पूरा करके दोषी लोगों को सजा देने की कृपा करें।

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय श्री कलराज जी के नेतृत्व में हमारे देश की दूरी अन्य प्रदेशों से कम हुई है, जिलों की नगरों से और नगरों की ग्रामों से दूरी कम करने का काम किया गया है। अब महानगरों में बढ़ते यातायात को गति देने हेतु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरठ सहित महानगरों में रिंग रोड शीघ्रातिशीघ्र बनवाये जायं और हापुड़ रेलवे लाईन के ऊपर मेरठ दिल्ली मार्ग में उपरिगामि सेतु बनाया जाय और जो मेरठ करनाल मार्ग हैं वह राज्य मार्ग हैं उसके ऊपर भी फाटक, 30-एयर उपरिगामी सेतु बनाया जाय। गढ़ सोनीपत-मेरठ मार्ग को नेशनल हाइवे में केन्द्र सरकार से परिवर्तित कराया जाय। नगरों में जो सरकारी कालोनियां हैं, उन में अनुरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, इसके लिये बजट का प्राविधान किया जाय। उपरिगामी सेतुओं के नीचे दिल्ली की तर्ज पर व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दिलीप कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे बहराइच जिले में महसी पिछड़ा क्षेत्र है। कई बार माननीय मंत्री जी भी वहां गये हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर रमपुरवा-वेहड़ा मार्ग है जिससे आप कई बार गुजरे होंगे। गड्ढा मुक्ति का बोर्ड तो जरूर लगा है लेकिन रोड की हालत बहुत खराब है जिससे वहां पर आने जाने में बड़ा कष्ट होता है। बहराइच बाई पास से महसी तहसील की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है लेकिन घूम के जाने के कारण

वह 28 किलोमीटर पड़ती है यदि बरुआघाट उमरपुर घाट पर दोनों स्थलों पर पुल व पक्का रास्ता बन जाय तो आसानी हो जायेगी। इसी तरह से लखनऊ बहराइच मार्ग पर सफेदाबाद के पास रेलवे लाइन के ऊपर पुल का बनाया जाना आवश्यक है। प्राय: सभी ने देखा होगा कि वहां पर अक्सर जाम लग जाता है जिसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। इस पर पुल बनाने की कृपा करें। इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ।

श्री शेर बहादुर-

मान्यवर, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। इसकी संस्तुति करते हुए मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तक आजादी के बाद कितनी सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी इस तरह की प्लानिंग नहीं की। विकास कार्य के लिये अनियोजित नियोजन किया सुनियोजित नियोजन नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने इस तरह के विकास कार्य प्रारम्भ किये, एक नियोजित नियोजन के तहत गांव में विकास के कार्य किये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री शेर बहादुर-

हर जगह विकास के कार्य द्रुत गति से हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी के प्रति इस बात का भी आभार प्रकट करता हूँ कि हर गांव में विकास के कार्य, सड़कों पर कार्य द्रुतगति से हो रहा है। हर जगह पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा कराये जा रहे कार्य दिखाई दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपयां समाप्त करें।

श्री शेर बहादुर-

माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह से सेतुओं का निर्माण हुआ है। तीन वर्ष में 234 पुलों का पूरे प्रदेश के अन्दर निर्माण हुआ है। इस बात के लिये भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इस शासन काल में माननीय मंत्री जी के कार्य काल में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों तरफ के लोगों को बराबर सहूलियत, सुविधाएं मिली हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। माननीय सदस्य जो बैठे हैं कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं इनसे पूंछ-पूंछ कर कार्य लिये गये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैं अम्बेडकरनगर से विधायक हूँ। अकबरपुर अहरौला मार्ग आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर दोनों के लिये सिंगल रोड है इसको चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। जवाहरपुर....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री शेर बहादुर-

सड़क निर्माण कराया जाना आवश्यक है। टाण्डा कलवारी पुल का निर्माण होना आवश्यक है। इससे वाराणसी गोरखपुर सीधे जुड़ जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया बैठ जायं।

श्री मोतीलाल-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। लखीमपुर गोला गोरन नाथ पलिया मार्ग है। धीरा नदी पर 9 किलोमीटर का पक्का मार्ग बना है लेकिन यह भी काफी समय से अधूरा पड़ा है।

करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ है उसके बन जाने से लोगों को सुविधा हो जायेगी। करोड़ों रुपया बीसों साल से बेकार पड़ा है। जंगल में यह रोड बेकार पड़ी है। कई बार एसेम्बली क्वैश्चयन किया लेकिन उत्तर यही मिला कि धनाभाव के कारण नहीं बन पाया। गोला तहसील हमारे क्षेत्र से कुल 35 किमी0 रह जायेगी। पुल न बनने की वजह से 70 किमी0 का चक्कर लगाना पड़ता हैं। गोला अलीगंज बिजवा मार्ग पूर्णतया ध्वस्त हो गया है इसको बनाया जाना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करं।

श्री मोतीलाल-

मेरे क्षेत्र में विजुआ मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए यहं मेरा सुझाव है। पी0डब्लू0डी0 मृतक के आश्रित जो हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री मोतीलाल-

सड़कों का मेंटीनेंस नहीं होता है, इस पर ध्यान दिया जाए जम्बारी नदी पर पुल बनाया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

17 माननीय सदस्य बोल चुके हैं जितने नाम मेरे पास हैं उन सबको यदि बुलाया जाएगा तो दो ढाई घंटा लगेगा।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र मिश्र-

यह प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग का बजट है इसमें जहां इतना समय हुआ हैं वहीं कुछ सुझाव और आ जाएं। इसमें धैर्य के साथ थोड़ा समय और दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस पर करीब 17 माननीय सदस्य बोल चुके हैं मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सबको समय मिले लेकिन कितने लोग कब तक बोलेंगे। कृपा करके एक-एक मिनट में लोग बात कह लें एक मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण के सन् 2000-2001 के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। श्रीमन् मैंने इसलिए निवेदन किया कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग का बजट है क्योंकि व्यक्ति और समाज की गति और प्रगति से सीधा जुड़ा है। सृष्टि जब शुरू हुई तो सड़कों का पता नही था। जब लोगों का समूह में विचरण शुरू हुआ तो तब सड़कों की कल्पना शुरू हुई। जब मोहनजोदड़ों की खुदाई हुई तो पता लगा कि पांच हजार वर्ष पहले भी सड़कों का हिन्दुस्तान में जाल था।

(व्यवधान)

दो सौ वर्ष पहले फ्रांस के फ्रेसा गुएं के इंजीनियर और स्काटलैण्ड के दो इंजीनियर और मेक एडम एवं थामस टेलफोर्ड का पक्की और चिकनी सड़क में योगदान है धीरे-धीरे काफी ट्रैफिक शुरू हुआ तब इस तरह से सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। डामर सड़कों की शुरुआत जान एडम ने की। इन्हीं के नाम से डामरीकरण का तरीका मैकाडिमाइजेशन कहलाता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

वास्तव में सड़कें किसी भी राष्ट्र के जीवन की दिशा, समृद्धि की सूचक और विकास की पैमाना होती हैं। गमनागमन, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, देश की सुरक्षा; राष्ट्रीय एकता के लिए सड़कें अनिवार्य है। प्राचीन समय में भारत में मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की खुदाई से सड़कों का पता लगा। मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। विश्व का सबसे पुराना मील का पत्थर ब्रिटेन के नाम्बिरलैण्ड के वेसटरहोम में गढ़ा माना जाता है। यह पत्थर सन् 150 में लगाया गया। विश्व का सबसे लम्बा चौराहा चीन का आनमेन चौराहा 98 एकड़ में है। चौराहों पर यातायात का संदेश की शुरुआत 1868 में हुई थी। विश्व का संबसे लम्बा ट्रैफिक जाम 16 फरवरी, 80 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से लियान तक हुआ। माननीय मंत्री जी विदेश भ्रमण कर चुके हैं और उन्होंने वहां की सड़कें भी देखी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विदेशों की सड़कें हैं, जो उन्होंने क्वालिटी देखी है इसका लाभ यहां पर भी मिले। आज भारत को राष्ट्रीय राज मार्ग की नहीं एक्सप्रेस मार्ग की जरुरत है। जापानी विशेषज्ञ ने भी यह कहा था कि राष्ट्रीय राज मार्ग की बजाए एक्सप्रेस मार्ग की जरुरत है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में रिंग रोड की कल्पना की है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल पहले कानपुर आऊटर रिंग रोड (बहिरंग मुद्रिका मार्ग) तथा 10 ओरव हैंड ब्रिज का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग में आया हुआ है यह मामला अभी लम्बित पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको भारत सरकार को भेजें तो उसका लाभ हो सकता है और कानपुर वाले भी इससे लाभान्वित होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैं श्री जगदीश सिंह राणा को बुला रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट की कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं अधिक समय न लेकर क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में 80 में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग - कुछ सड़कों का निर्माण कराया था जो गिट्टी स्तर तक की थी उसमें लेपन कार्य नहीं हो सका है। नम्बर-1 फतेहपुर कलसिया से कोठड़ी बहलोलपुर मार्ग यह 6 किलोमीटर लम्बा है इसमें लेपन कार्य नहीं हुआ है। नम्बर-2 बेहट साकुमरी मार्ग से मिर्जापुर मार्ग यह 14 किलोमीटर लम्बा है। 1980 लेपन कार्य नहीं हो पाया है। नम्बर-3 भगवानपुर से शाहमनशेर मार्ग इसमें 80 में गिट्टी का कार्य हुआ था यह 9 किलोमीटर लम्बा मार्ग है इसमें भी लेपन का कार्य नहीं हो पाया है। नम्बर-4 सलारपुर में देहरादून रोड से तकीपुर इसकी लम्बाई 6 किलोमीटर है और 80 में इसमें गिट्टी कार्य शुरु हुआ था आज तक लेपन कार्य नहीं हो पाया है।

मान्यवर, पूलों के निर्माण की मंत्री जी ने काफी चर्चा की सहारनपुर मण्डल में मुजफ्फराबाद निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें करीब 60 नदियां हैं जिसके पश्चिम में जमुना नदी और पूरब में गंगा नदी है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जनता रोड से बरौली जहानपुर मार्ग पर नाला देव नदी पर पुल निर्माण कराया जाय। जिसका फायदा 50-60 गांवों को होगा। जिनकी आबादी करीब 5 लाख है। छुटमलपुर बेड़ा

संदलसिंह मार्ग पर हिन्डन नदी पर पुल बनाया जाय। जसमौर से मिर्जापुर मार्ग पर मस्करा नदी पर नगावा के पास पुल बनाया जाय। नगांवा में 6 ग्राम सभायें पड़ती है जिनकी आबादी 30 हजार है। मिर्जापुर और सेरपुर पीलो पड़ते हैं जिनकी आबादी भी 10 और 15 हजार से ज्यादा है। एक छोटा पुल है जो बहुत जरुरी है यह देहरादून सहारनपुर रोड पर ब्राम हसनावाला है जिसके बीच में एक नाला जाता हैं जिसमें 10 मीटर की पुलिया काम कर सकती है वह भी बनाना आवश्यक है। टेलपुरा से बुकावाला रोड पर पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेंट द्वारा नदियों पर रपटे बने हुए थे जो आधे से ज्यादा टूट चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि मरम्मत कराके निर्माण कार्य कराया जाय। जिससे जनता की कठिनाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। सहारनपुर से देहरादून राज मार्ग है दूसरा राज्य मार्ग देहली से चकरौता का है इनके बीच में फतेहपुर से कलसिया मार्ग है जिसकी दूरी 20 कि0मी0 है उसी मार्ग से मातासा कुम्बरी देवी का मंदिर पर रास्ता जाता है जिस पर साल करीब 50 लाख से ऊपर आदमी दर्शन के लिए जाता है और करीब 1 हजार ट्रक प्रति दिन रेत और पत्थर पंजाब हरियाणा जम्मू-कश्मीर इन सब राज्यों को जोड़ता है यातायात ज्यादा होने की वजह से रोज दुर्घटनायें होती हैं महीने में कम से कम 10 आदमी की मृत्यु व लाखों रुपये के वाहनों की क्षति होती है मेरा अनुरोध है कि जिला सड़क को चौड़ी करवाकर राज्य सड़क घोषित करने का कष्ट करें जिससे वहां की समस्या का समाधान हो सके। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जब आप अपना उत्तर भाषण दें तो मेरे द्वारा उठायी गयी मांगों पर भी विचार कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अम्बरीष कुमार द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री केशो मेहरा-

मान्यवर, मैं लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, आजादी के 53 वर्ष हो गये लेकिन अपने ग्राम नगरों से नहीं जुड़ पाये हैं। नगरीय मार्गों की स्थिति भी बहुत खराब है। मान्यवर, सड़कों के निर्माण की अच्छी योजनायें ली गयी है जिसके लिये मंत्री जी को बधाई दूँगा। मान्यवर, लो0नि0वि0 के जो मुख्य मार्ग हैं इस पर गेंगों द्वारा स्थानीय नागरिकों के दबाव में गति अवरोधक मनमाने ढंग से बना लिये जाते हैं जो दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। यदि बनना आवश्यक हो तो गति अवरोधक पट्टियां मानक के अनुसार होनी चाहिये दोनों ओर सावधानी के रुप में इसका उल्लेख होना चाहिए। मान्यवर, जो भी सड़क निर्माण हों, एक विशाल पट्ट अंकित होना चाहिए उसका मूल्य क्या है कौन ठेकेदार है, लम्बाई चौड़ाई आदि।

जो नगर निगम नगर पालिका परिषद्, छावनी परिषद्, [illegible] स्टेट के जो मार्ग आ जाते हैं वहां इन विभिन्न मार्गों के आ जाने के कारण, चूँकि लोक निर्माण विभाग [illegible] की सड़कों का रखरखाव करता है इसलिए उनके रखरखाव की स्थिति खराब हो जाती है। मैं चाहूँगा कि जहां ऐसी स्थिति है वह उनको अधिग्रहण करें चाहे भारत सरकार से बात करनी हो तो करें वह समस्त विभाग लोक निर्माण विभाग में आने चाहिए। विशेष रुप से लोक निर्माण विभाग की [illegible] जहां नगरों में नगरपालिका परिषद् की व्यवस्था में आती है और जल निकासी की स्थिति [illegible] कंक्रीट की सड़क बनाई जाय इसके आदेश दे दीजिये। मान्यवर, हमारे [illegible] एक शमसाबाद [illegible] राजेश्वर मंदिर है [illegible] सीमेन्ट कंक्रीट की [illegible] जाय इसी के साथ [illegible] प्रस्तुत बजट का समर्थन [illegible] हूँ।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग और राज्य सम्पत्ति के [illegible] पर जो अम्बरीष जी के द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके [illegible] में बोलने के लिए [illegible] हूँ। काफी सदस्यों ने विस्तार से काफी बात कह दी। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं कुछ विचार रख [illegible]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केशो मेहरा जी कह रहे थे कि दीनदयाल योजना और श्यामा प्रसाद योजना से बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है और इससे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में और गुणवत्ता के सम्बन्ध में अच्छे कार्य होंगे। शायद इनकी जानकारी में नहीं है कि आज लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी की कितनी सदाशयता हो. उनकी समर्पित और अहर्निश भावना भी हो, सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में दीनदयाल योजना और श्यामाप्रसाद योजना या अन्य योजनाओं से सड़कों का निर्माण करें लेकिन कदाचित वह कर नहीं सकते। जिस नाबार्ड की बात उन्होंने कही है कि हम नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश की 3200 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। लेकिन, प्रमुख सचिव वित्त ने नाबार्ड को सीधा एक पत्र लिख दिया कि लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को ऋण देने की आवश्यकता नहीं है, कदाचित यह आपके संज्ञान में है कि नहीं, मंत्रिपरिषद् के संज्ञान में है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि यह विभाग प्रमुख सचिव वित्त चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। आप तो उस नाबार्ड के माध्यम से चला रहे थे और आपको कुछ सफलता भी मिली थी। उस पत्र के बाद 4 माह से आपने दीनदयाल योजना का कोई भी प्रस्ताव नाबार्ड को नहीं भेजा है। 2000-2001 के लिए आपने 3200 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है तो उसको कैसे करेंगे क्योंकि ऋण से उस कार्य को कर रहे थे। प्रमुख सचिव वित्त ने लिखा है कि उस सड़कों से हम लोगों को क्या प्राफिट होगा। मान्यवर. आज विश्व बैंक से 500-500 करोड़ रुपये प्रदेश के दूसरे विभागों के लिए और दूसरे योजनाओं के लिए लान दे रहे हैं और उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं और आज आपका लोक निर्माण विभाग स्पष्टीकरण दे प्रमुख सचिव वित्त को अगर इन सड़कों को बनायेंगे तो नाबार्ड से जो पैसा देंगे तो उस पैसे से सड़क बनाने से फायदा क्या होगा।

इस समय सरकार के वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उनका हस्तक्षेप हो जाय तो अच्छी बात होगी। किसी भी समाज के लिए आवागमन महत्वपूर्ण साधन है। आप नाबार्ड से पैसा पा रहे थे, वह ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार भी थे परन्तु जिस तरह पत्र चला गया, उससे पैसा मिलना बंद हो गया। सरकार की तरफ से फिर नाबार्ड से ऋण लेने का मामला शुरु करना चाहिए, अन्यथा आप उत्तर प्रदेश की जनता को सड़क नहीं दे पायेंगे। आप पिछले 4 महीने से नाबार्ड को सड़क का एक भी प्रस्ताव नहीं भेज पाये हैं। आपने अपने विभाग में 67 खंडों को तोड़ा है, 3 सर्किलों को तोड़ा है, क्यों तोड़ा है; आप कह देंगे, काम नहीं होगा, हमारे पास बजट नहीं होगा। आखिर इन निर्माण खण्डों को बनाने के पीछे कोई आवश्यकता रही होगी, तब भी इन निर्माण खण्डों का गठन हुआ होगा, मेरा निवेदन है कि इन खण्डों और सर्किलों को न तोड़ा जाय।

एक चीज और कहना चाहूँगा, आज आप क्यों नहीं ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन डिवीजन से सड़क बनना बंद करवा देते, क्यों केन विभाग से बंद नहीं करवा देते, किस तरह के निर्माण हो रहे हैं, यह हम आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, आखिर इन संस्थाओं से करायें जाने का औचित्य क्या है? आज ऐसे विभाग सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। इन्द्राणी सेन ने इस डिवीजन को अपने समय में ब्लैकलिस्टेड किया था, हम चाहते हैं कि आप घोषणा करें कि 67 डिवीजन को नहीं तोड़ेंगे और 3 सर्किलों को नहीं तोड़ेंगे। मान्यवर, आज दूसरे विभाग सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं, निर्माण निगम, ब्रिज कारपोरेशन ब्लोवल टेन्डर में कम्पीट करती थी, आज लेवर मैनेजमेंट में नुकसान हो रहा है। मैंने अपने यहां सेन्ट्रल स्कूल, बस्ती का काम निर्माण निगम करे, कहा था, इसको समाज कल्याण विभाग की कोई कार्यवाही संस्था कर रही है। आप सड़क नीति बनाने का काम करते हैं और कार्यदायी संस्था दूसरी क्यों हो। इसमें होता क्या है, कि वह कमीशन लेकर इंजीनियर और कार्यदाई संस्था चली जाती है और लोग यह समझते हैं कि यह पी0डब्लू0डी0 की सड़क है। ऐसी सड़कों के लिए अनुरक्षण का कोई पैसा नहीं होता। आपने 216 और 100 करोड़ सड़क निधि में रखा है। जो कार्यदाई संस्थायें सड़क निर्माण करा रही हैं, उनका अनुरक्षण कौन करेगा, आपको उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों की चिन्ता होनी चाहिए। आप केवल 316 करोड़ की चिन्ता कर

रहे हैं। आज इन कार्यदाई, संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हजारों कि0मी0 सड़कें बनाई गई हैं, जिनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, इसी प्रकार डी0ओ0टी0 के प्रस्ताव आप भेज रहे हैं और कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हो रहा है।

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहूँगा, कलवारी-टांडा मार्ग है जो नेपाल काठमांडू से शुरु होकर दुद्धी को जोड़ता है। पिछली बार भी आपने कहा था और भारत सरकार को नेशनल हाईवे के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं हुआ है। यह ऐसी सड़क है जो दूसरे राष्ट्र से शुरु होकर दूसरे राज्य को जोड़ती है, 500 कि0मी0 से ज्यादा इसका मानक क्या होता है और उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर...

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब संक्षेप करें।

(श्री जगदम्बिका पाल के बैठ जाने पर)

श्री अधिष्ठात

मैंने संक्षेप करने को कहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री जगदम्बिका पाल जी अपनी पार्टी के एक मात्र सदस्य हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, कम से कम उनकी बात आ जाती। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने केवल संक्षेप करने के लिए कहा है, मेरी मजबूरी समझ सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब कृपया पूरी बात कह लें।

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)-

मान्यवर, ये ऐसे लोग हैं रात में सब बोलने लगे हैं, दिन में दिखायी नहीं देता।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, आप तो सीपीए की कान्फ्रेंस में बाहर जा चुके हैं और अच्छा हमारे मणि जी ने सुझाव दिया है। और भविष्य में हम लोगों का सुझाव होगा कि 11 से 5 बजे तक क्वीशचन आवर, जीरो आवर हो और 5 से 8 बजे तक हाउस बन्द कर दिया जाय और 8 बजे पुन: हम लोग असेम्बुल हों, जैसा हाउस ऑफ कामेन्स में होता है।

मान्यवर, माननीय लालजी वर्मा जी कह रहे हैं, हम लोग दो वर्षों से कलराज मिश्र, जो आपसे भी जुड़ा हुआ है पूर्वांचल की माटी से पैदा होकर आपको उत्तर प्रदेश की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जो आवश्यकता है, वह सब चीजें आपके संज्ञान में हैं और उसकी चिन्ता होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि यह तीसरा इस लोक निर्माण का, चौथा हो गया है और कलवारी टांडा के लिए हमने और लालजी वर्मा दोनों ने कहा और आपने हमेशा वायदा किया कि हम उसको बनायेंगे, आज क्या कठिनाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में आपने शहरी क्षेत्रों की तरफ जैसे आपने कार्य स्वीकार किए हैं, फतेहपुर में उसमें पैसा बच रहा है, आप चाहते थे कि बस्ती भेज दें लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने अनुमति नहीं दी। वित्त विभाग आपके ऊपर राइडर लगा रहा है। आज जो पैसा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में था, 31 मार्च को वह समायोजित होकर वस्ती का कार्य रुका पड़ा हुआ है और कहीं भी जो चौड़ीकरण का कार्य

शुरु किया है, उस पैसे की अनुमति वित्त विभाग नहीं दे रहा है। इस महत्ता को देखते हुए जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है जिस कारण जिस उत्साह से आप काम करना चाहते हैं, उस काम को करने में सक्षम हो सकें, यह मेरी शुभ कामनाएं हैं।

श्री मोहन सिंह रावत गाँववासी-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोक निर्माण मंत्री माननीय कलराज मिश्र जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने की इजाजत दी। जबसे मंत्री जी ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है तब से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल सा बिछ गया है और विकास के अवसर उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहे हें। आपने ग्रामीण संपर्क मार्गों का अनुरक्षण, पर्यटन मार्गों का सुदृढ़ीकरण और सड़कों के किनारे नाली तथा नदियों पर पुल और बाईपास की योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय संपर्क मार्गों के अन्तर्गत अनेक मार्गों का निर्माण प्रारम्भ कराया है। इसी तरह से आपने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की जो योजना चलायी है उससे सड़कें अच्छी हो गयी हैं जिसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार मेरठ राजमार्ग हैं परन्तु जिस तरह से अन्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और हाटमिक्स प्लांट से सड़कें बनायी जा रही है उस तरह से इस सड़क का डामरीकरण किया जाय। उत्तराखंड में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग योजना नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तरांचल में इन दोनों योजनाओं को लागू किया जाय। मान्यवर, पौड़ी नगर पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नगर है वहां पर हाटमिक्स प्लांट से सड़कों पर डामरीकरण का कार्य शुरु कर दिया गया था परन्तु 12 कि0मी0 सड़क छूट गयी है जिसका डामरीकरण करवाने के आदेश देने का कष्ट करें। इसी तरह से कोटद्वार-नजीबाबाद मार्ग बहुत खराब है उसका सुदृढ़ीकरण किया जाय। मान्यवर, उत्तरांचल में दैवी आपदा और वर्षा से सड़कें बंद हो जाती है वहां पर एस0आर0एम0डी0 का कोई प्राविधान नहीं है, दो-तीन वर्षों से सड़कें बंद पड़ी हैं इसलिये वहां एस0आर0एम0डी0 का बजट दिया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल क्षेत्र में सीमाओं पर पैदल मार्ग और सड़क मार्ग है, वहां के कर्मचारियों के बात और कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल को विशेष सुविधा दी जाय जिस प्रकार से मिलिटरी को दी जाती है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दीनदयाल संपर्क मार्ग योजना के अंतर्गत 1000 की आबादी का प्राविधान है लेकिन पहाड़ पर गांवों की आबादी ज्यादा नहीं होती है इसलिये वहां के लिये 500 की जनसंख्या का मानक रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी को बाकी सुझाव लिखकर दे दीजियेगा।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के बजट पर जो माननीय अम्बरीष कुमार जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में आपने जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये जो योजनायें बतायी हैं चाहे वह राज्य योजना हो या दीनदयाल उपाध्याय योजना हो या अम्बेडकर योजना हो इन तमाम योजनाओं का जिक्र-माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया है। लेकिन मान्यवर, वास्तव में अगर देखा जाये तो इन योजनाओं द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहे हैं क्या वास्तव में उन सड़कों का निर्माण हो रहा है? इससे पहले भी मैंने स्थायी समिति की बैठक में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र के कई मार्गों की तरफ दिलाने का काम किया था लेकिन आज तक जो स्टेट सेक्टर की सड़कें थी जो 7-8 साल पहले से स्वीकृत हैं आज तक उन कार्यों को पूरा कराने का काम नहीं किया गया है। यहां पर माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त सड़क स्वीकृत होती है उस समय 10 से 15 प्रतिशत पैसा देने का काम किया जाता है उसके

बाद 1999-2000 में वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण स्टेट सेक्टर की सड़कों को कोई धन देने का काम नहीं किया जाता है यह सोचने का विषय है। सड़कें स्वीकृत कर दी जाती हैं जब उनमें धन आवंटित नहीं किया जायेगा। तो चाहे जिस योजना के तहत कार्य हो रहे हों उस योजना के तहत कार्य पूरा नहीं हो सकता है। यही स्थिति दीन दयाल उपाध्याय योजना की है। अभी हमारे सत्ता के साथी बड़े अच्छे ढग से बजट की तारीफ कर रहे थे कि बहूत तेजी से प्रदेश का विकास हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1998-99 में....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, दो मिनट का समय तो आप कम से कम दें। जिससे पूरी बात तो आ जाये। मान्यवर, जितने भी दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें हैं सारी सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। इसके साथ ही माननीय मंत्री को सुझाव देते हुये अपनी बात समाप्त करुंगा और मैं उम्मीद करुंगा कि माननीय मंत्री जी इस सुझाव को बड़े ध्यान से सुनकर के कार्यवाई करने का काम करेंगे। जिस तरीके से इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने का काम भी माननीय मंत्री जी को करना होगा। 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के मध्य चाहे स्टेट सेक्टर की सड़कों के लिए धन देने का काम किया जाता रहा हो, चाहे दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत धन दिया जाता हो जब धन 25 मार्च से 31 मार्च के मध्य दिया जायेगा तो मेरा कहना है कि वह पैसा जो भी दिया जाता है वह सही मायनों में विकास कार्यों में खर्च न करके उक्त पैसे का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार का काम किया जायेगा। ज्यादा कुछ न कहते हुये मैं अम्बरीष कुमार जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

(श्री बाबू राम यादव द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कुल मिलाकर दो दर्जन से ज्यादा लोग बोल चुके हैं।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, अगर अनुज्ञा न हो तो बैठ जायं।

श्री अधिष्ठाता-

लेकिन संक्षेप में अपनी बात रखें, अनुज्ञा दे रहा हूँ।

श्री बाबू राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया, आभार। इस बजट की स्थिति देखें कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका जो बहुत मोटी छपती थी यह मात्र 12 पन्ने की है इसको मैंने देखा है इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे माननीय अम्बरीष जी ने बहुत अच्छी समालोचना की है लेकिन न समय है न साहित्य उपलब्ध हुआ है, बजट जो कायदे से होता था यह 12 पन्ने की किताब है, पहले 100 पेज की किताब छपती थी। जहां तक पूरे बजट का प्रश्न है 14 अरब, 20 करोड़, 98 लाख 31 हजार का बजट तीनों का प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष का बजट और पुनरीक्षित बजट, बाद में कम कर दिया, उसके आंकड़े इसलिए नहीं दिये जा सकते क्योंकि पूरा साहित्य उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह है कि समय भी नहीं है। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। 72 हजार किलोमीटर ग्रामीण अचल के मार्ग हैं शहरी और राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर। उसके अनुरक्षण के लिए सरकार की जो योजना है उस योजना के तहत यह मार्ग कभी अनुरक्षित हो ही नहीं सकते। जो मंत्री जी ने अपना प्लान रखा है। 10 वर्ष तक अगर कोई अनुरक्षण का कार्य नहीं

होगा 9 वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य नहीं होगा तो सड़क बरबाद हो जाएगी। पिछली सरकारों के समय ग्रामीण अंचलों में जो सड़कें बनी थी उनकी मरम्मत न होने से वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। हमारे यहां किरथुआ मुहब्बतपुर मार्ग के लिए पॉच लाख रुपए दिए गए लेकिन एक पैसा नहीं लगा जब शिकायत की तो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हमारे साथ गए उन्होंने स्वयं देखा यह पिछले वर्ष की बात है और उन्होंने यह कहा कि गजब हो गया इतना रुपया मिला और एक गिट्टी तक नहीं पड़ी वह हमारे साथ पैदल घूमे उन्होंने कहा कि इसकी जॉच करवाऊँगा और उसके बाद कार्यवाही करुँगा लेकिन न तो उसकी जॉच हुई और न ही उसके बारे में मुझे बताया गया। करहल कस्बा जहां से मैं चुनकर आता हूं उस करबे के लिए मैंने 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी एवं 26 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए, वह वहां पत्थर लगा रहे थे जिसको मैंने मना किया और कहा कि सड़कें बनाएं बाद में न सड़कें बनीं न ही उस पैसे का पता नहीं चला क्या हुआ। दूसरे प्रकरण में सहनधुरपुर मार्ग की लम्बाई 800 मीटर कम बनाई गई पूरा भुगतान इस सम्बन्ध में हो गया जब प्रमुख सचिव से कहा तो उन्होंने कहा कि हम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जॉच कराएंगे और दोषी लोगों को सजा देंगे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास 14 पत्र ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मंत्री जी को लिखे गए हैं इसमें एक पत्र मंत्री परिषद् के एक सदस्य का ही चार पत्र सत्ता पक्ष के विधायकों के हैं बाकी अन्य पत्र हैं लेकिन उनके एक पत्र की भी जॉच नहीं हुई। यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है इसमें जो रुपया बरबाद हो रहा है उसकी जॉच नहीं हो रही है अगर जॉच हो जाए तो सारी बात जनता के सामने आ जाएगी एवं यह तथ्य आ जाएगा कि यह शिकायतें झूठी हैं और इसमें यह लोग दोषी पाए गए। मंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले आप, मुख्यमंत्री होते होते बच गए, फिर शायद मुख्यमंत्री हो रहे हैं। जो चीजें उठाई जाएं उनकी जॉच कराने में क्या दिक्कत है। जो जॉच एजेन्सी हो वह पारदर्शी हों जिससे लोगों के दिमाग में यह बात पता आ जाए कि यह जॉच सही हुई है। बहरहाल कस्बे का 26 लाख रुपए जो सड़कों के लिए था पता नहीं क्या हुआ उसका कहां चला गया है। जो पत्र लिखे गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उसकी जॉच नहीं हुई। आप आज मंत्री है इस विभाग के, कल हो सकता है मुख्यमंत्री हो जाएं और विभाग चला जाए इसके पहले ही घोषणा करें कि इन इन बिन्दुओं पर जॉच कराकर, 15 दिन के अन्दर कराकर, आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं भी श्री अम्बरीष कुमार जी के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

इस बजट पर दो दर्जन से अधिक माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि अब पर्याप्त बात आ गई है। अम्बरीष जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि 2-3 माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का समय आप दे दें।

(संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मेरा एक आग्रह है जो कार्य सूची है वह 9 मई, 2000 की है और अब 12 बजने में 20 मिनट शेष रह गये हैं। इसके बाद भी कार्य सूची में एक पर्यटन विभाग का बजट भी है। इसलिए कम से कम लोक निर्माण विभाग के बजट को तो, आज के लिए जो निर्धारित है वह पास हो जाने दें जिसमें आप सभी का हमें सहयोग चाहिए और 12 बजे (रात्रि) के पहले वह अनुदान पास हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 3-4 माननीय सदस्यों को आप बोलने के लिए समय दे दें।

(वित्त मंत्री) श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीशजी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा है उसमें आप सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। आज

इस परिस्थिति में, जब कि अभी एक बजट बाकी है, मैं समझता हूँ कि अब इस बजट को आप लोग पास होने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा एक अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पाये हैं और वे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित जो बातें लिखकर दे देते हैं उनका आप शमिल करवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी लोक निर्माण विभाग की इस चर्चा में श्री अजय कुमार पोइया, श्री राम विशुन आजाद, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, डा0 कौशल किशोर, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री केशो मेहरा, श्री राम सिंह सैनी, श्री उदय राज यादव, श्री बाबू राम यादव आदि अनेक जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया मैं उन सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, मैं माननीय मत्री जी से जानना करना चाहता हूँ कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो जानकारी दें कि अभी जो लोक निर्माण विभाग के खण्ड हैं या मण्डल हैं वहां पर टेलीफोन के लिए, गाड़ियों के लिए बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि टेलीफोन और गाड़ियों का खर्चा निर्माण कार्य डिवीजन करता है जो योजनाओं की लागत से ही कटौती होती है और योजना का पैसा कम पड़ता है। इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें। दूसरी बात यह है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहरों की पटरी की योजना पूरी हो गई है सभी पटरियां पक्की हो गई हैं यह सही नहीं है। इस बारे में स्पष्ट बात करें कि क्यां सारी पटरियां पक्की नहीं हुई है धनाभाव के कारण? यदि धनाभाव के कारण नहीं तो मंत्री जी दिखवा लें कि क्यों वे योजना पूरी नहीं हुई। शासन की ओर से एक शासनादेश जारी हुआ था कि किसी भी सड़क का उदघाटन राज्य सरकार की अनुमति से होगा। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा शासनादेश जारी किया जाय जिसके तहत जिस विधायक के प्रस्ताव पर कोई सड़क बनती है तो वहां लिखवा दिया जाय कि अमुक विधायक के प्रस्ताव पर अमुक सड़क बनी। यह एक शिकायत लोगों की आती है कि यदि कोई विधायक कोई पत्र किसी अभियन्ता या शासन को लिखता है तो उसका उत्तर नहीं आता है। इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी देख लें और एक व्यवस्था सुनिश्चित करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपन मुझे लोक निर्माण के कटौती के प्रस्ताव समर्थन में बोलने का समय न दिया है उसका भी मैं आभारी हूँ तथा लिख कर देने को कहा गया है।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा पेश किया गया बजट इसमें ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के बनाने के लिए भारी धनराशि नहीं खर्च की गई है हजारों गांव अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। माननीय मंत्री जी ने पत्र द्वारा सूचित किया था कि ९८-99 वित्तीय वर्ष में 2500 आबादी के गांव मुख्य सड़क से जोड़ दिये जायेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी को, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूँ कि अभी भी 2500 की आबादी वाले हमारे क्षेत्र में 7-8 ग्राम छूटे हुए हैं और दो गाँव हथौड़ा व मटियामऊ से गंगापुल तक पहुंचा दिया गया है व हथौड़ा से बिलग्राम जुड़ा दिखाया गया है। जबकि माधोगंज कृषि उत्पादन मण्डी से काफी दूर है, हमारे क्षेत्र में 10 अम्बेडकर योजना मे ग्राम चयनित हैं उन्हें अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। हमारे क्षेत्र की नहर की पटरियों को भी नहीं जोड़ा गया, ऐचामऊ से कटिया भिखारीपुर नहर पुल तक

बनायी जाय तथा उन्नाव रोड से पुलई तक नहर माइनर गया है उसे पक्का किया जाय तथा बिलग्राम रजवहा ग्राम से तरौली ग्राम होते हुए सांडी रोड तक सड़क का निर्माण कराया जाय। बिलग्राम रोड से उन्नाव रोड तक कुतुआपुर तक रोड बनायी जाय। हमारे क्षेत्र में 20 वर्षों से रोड बनी है जिनकी हालत जीर्णशीर्ण हो चुकी है जिनकी मरम्मत करायी जाय। जैसे- माधोगंज से मेंहदीघाट रोड, इस्लामपुर तक राधौपुर से मेंहदीपुर रोड राधौपुर से मटियामऊ जाने वाली सड़क, छिपरामऊ से मेउरा तक और रुदामऊ से गौरा रोड से इकसइया शाहपुर गंगा जाने वाली रोड, सदरपुर से बिरौरी मार्ग, माधोगंज से परचलरसूलपुर जाने वाली सड़क कटिया भिखारीपुर से सुल्तानपुर कोट, संडीला से मल्लावां मेंहदीघाट पुल तक, हरदोई उन्नाव से गंज जलालाबाद होते हुए कटिया भिखारीपुर नहर पुल तक, बिलग्राम रहुला होते हुए गंगा पुल पहुँच मार्ग तक, मल्लावां मेहदी घाट रोड से सुनाथी नाथ मंदिर तक, मल्लावां मेंहदी घाट से बेरिया नजीरपुर तक। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में कल्याणी नदी पर ग्राम पूरनमऊ के पास एक पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार तेजीपुर का मजरा सतोइया नदी के पास कल्याणी नदी पर पुलिया बनाना अति आवश्यक है। मान्यवर, जहां तक अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में जो ग्राम चयनित किये गये उन्हें आज तक संतप्त नहीं किया गया ऐसी स्थिति में ग्राम कंथरी, मझिया जाकरपुर, शहाबुद्दीनपुर, इस्लामपुर जगाई खचेरिया खजानपुर, कुरसठ बुजुर्ग, मिनीगंज, कुतुआपार पसनामऊ, करवा, इन अम्बेडकर ग्रामों में आवागमन की सुविधा प्रदान की जाय। मान्यवर हमारे क्षेत्र में जो मुख्य सड़क है हरदोई-उन्नाव रोड पर हैबतपुर के पास दो गति रोधक बनवाये जाये। माधौगंज, मल्लावां, भगवन्तनगर ब्लाक के सामने दो-दो गति रोधक बनवाकर जनता के जीवन की रक्षा की जाय। मान्यवर बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर 80 प्रतिशत धन खर्च करने की व्यवस्था नहीं की गई इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री कलराज मिश्र-

मान्यवर, माननीय अम्बरीष जी और सभी सम्मानित सदस्यों ने जो विचार और सुझाव व्यक्त किये हैं हम उन पर निश्चित रुप से विचार करेंगे तद्नुरुप कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं श्री अम्बरीष जी से आग्रह करता हूँ कि जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसे वापस लें और बजट को स्वीकार करें। यही प्रदेश के विकास में उनका सहयोग होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अम्बरीष जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरुप मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54- लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,00,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55- लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55- लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,57,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58- लोक निर्माण विभाग (संचार भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,81,41,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59- लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59- लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,64,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग

(संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर व स्टाम्प तथा न्यायालय मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवम् श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति, के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,62,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

मान्यवर, माननीय राज्यमंत्री जी, श्री अशोक यादव जी जिनके ऊपर पर्यटन का भार है, वह इसे प्रस्तुत करने वाले थे लेकिन अस्वस्थ, होने के कारण, मैंने इसे प्रस्तुत कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, विपक्ष की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,62,40,000 रुपये के अनधिक स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 11 बजकर 55 मिनट)

प्रदेश में मध्यांचल के पूर्व विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर तथा डा0 अशोक वाजपेयी द्वारा नियम- 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इस मद को स्थगित किया जाता है।

नियम- 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 9-5-2000 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:

(1) श्री शिवपाल सिंह यादव — सरकार द्वारा विधान सभा में घोषणा करने के बाद भी प्रत्येक सदस्य विधान सभा के प्रस्ताव पर पांच पांच ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी — प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों की विभाजन योजना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री उदयराज यादव — लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित रुप से की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अजय कुमार पोइया — उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा प्रदेश में विशेषत: जनपद मथुरा में घोषित मानकों के अनुरुप गुणवत्ता के भवनों का

निर्माण व आवंटन न किय जान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राम विशुन आजाद — प्रदेश में राहकारी गन्ना समितियों को गन्ना मिलों से मिलने वाले गन्ना आपूर्ति कमीशन की दर कम किये जाने तथा मिल मालिकों के दबाव म सहकारी समितियों को समाप्त करने की स्थिति के सम्बन्ध म।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:-

(1) श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में शासनादेश के बावजूद जिला पंचायतों को डी0आर0डी0ए0 का तीस प्रतिशत धन आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीम प्रसाद सोनकर — अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ को उनके मूल विभाग में भेजे जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नवाब सिंह नागर — जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत नोयडा प्राधिकरण में तैनात कतिपय अधिकारियों को भारी अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये जाने तथा उनकी बहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री इन्द्रजीत सरोज — इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुलेम-सराय आवास योजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु निर्मित ओवर हेड टैंक का जनसामान्य हेतु उपयोग न किये जाने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में।

(5) श्री कृपा शंकर सिंह — जनपद उन्नाव के थाना बिहार कतिपय ग्रामों में पुलिस के सहयोग से शराब की अवैध भट्ठियों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारीपुर एवं तिलंगा में पेयजल समूह का ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

(1) डा0 धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई की नगर पंचायत माधोगंज व नगर पालिका परिषद् मल्लावां में पुराने विद्युत तारों के बदले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — जनपद गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में विकास कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(3) श्री श्रीराम पाल — ग्राम व विकास खण्ड बहादराबाद, जिला-हरिद्वार में पुलिस द्वारा महिलाओं व पुरुषों पर किये गये निर्मम लाठीचार्ज व फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कृष्णाराज — जनण्द लखीमपुर खीरी क विकास खण्ड पसगवां के ग्राम औरंगाबाद से विकास खण्ड फि ौली केता, ककारहा मममौतीपुर

मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरपाल सिंह

जनपद बुलन्दशहर में काली नदी पर रामपुर- मानपुर ग्राम के निकट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कमलेश कुमार सिंह

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की जर्जर लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री उमाकान्त यादव, श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री लाल मणि प्रसाद, श्री हरपाल सिंह, श्री प्रदीप कुमार, श्री वीरेन्द्र कुमार सोलंकी, श्री बिन्दु लाल, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री तेजभान सिंह, श्री लाल जी वर्मा, श्री शिव सिंह चक, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रूप चौधरी, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री दद्दू प्रसाद, श्री अब्दुल कलाम, श्री लाल मणि प्रसाद।

प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रबंध तंत्रों को अवैधानिक ढंग से भंग करने तथा खाते का एकल संचालन किये जाने से शिक्षा जगत में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें स्थगन प्राप्त हुआ है यह स्थगित की जाती है।

जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर द्वारा मनमाने ढंग से विद्युत शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री) श्री हुकुम सिंह-

[अम्बेडकर नगर जनपद के इफ्तखारगंज भोलेपुर हंसवर तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्र के 10 हजार आबादी से कम वाले कस्बों के पावर लूम उपभोक्ताओं के लिए अलग विद्युत दर का प्राविधान नहीं है। पूर्व में 4 किलोवाट सिंगिल फेज भार वाले पावर लूम उपभोक्ताओं के लिए दर सूची एल0एम0बी0-2 लागू थी तथा तीन फैज वाले पावरलूम उपभोक्ताओं पर एल0एम0वी0-6 दर सूची लागू थी पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 286 एच0सी0/यू0पी0पी0सी0एल/गाँच- 1974-2204 सी/2000 दिनांक 25-3-2000 द्वारा अब 4 किलोवाट तक के सभी पावरलूम (सिंगल एवं तीन फेज) उपभोक्ताओं पर एल0एम0वी0-2 दर सूची लागू कर दी गयी है। तदनुसार शेष जिलों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद संत रविदास नगर, भदोही, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत, इनारगांव, रजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

(सिंचाई राज्य मंत्री) श्री शिव शंकर-

[मा0 सदस्य ने अपनी सूचना में जनपद संत रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इनारगांव राजवहा दो सौ मीटर न खुदने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं होने का उल्लेख किया है।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इनारगांव रजबहा ज्ञानपुर मुख्य नहर के कि0मी0 8.350 के दाये तल से निकली है। इसकी प्रस्तावित लम्बाई 11,00 कि0मी0 है तथा कृषि योग्य क्षेत्रफल 1440

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेक्टेयर है। इस नहर के कि0मी0 4,800 से 6,00 तक गैप है। वर्तमान में इस नहर से 4,800 कि0मी0 तक ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कि0मी0 4,800 से कि0मी0 11,00 तक सिंचाई बाधित हैं। अध्यापि न होने तथा सम्बन्धित कास्तकारों के अनुरोध के कारण गैप की खुदाई नहीं हो पायी है। सम्बन्धित कास्तकारों के आपसी समझौते के द्वारा भूमि लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जाती है, गैप की पूर्ण कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।]

जनपद आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स द्वारा पड़ोसी स्टाफ नर्स की पुत्री को धर्म परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

[सुश्री आइनिस इन्द्रयास स्टाफ नर्स लेडी लायल महिला चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत हैं तथा वे श्रीमती अम्मू पी0जी0 स्टाफ नर्स के पड़ोस में निवास नहीं करती है। सुश्री आइनिस इन्द्रयास के द्वारा श्रीमती अम्मू पी0जी0 स्टाफ नर्स की पुत्री का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोई शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका लेडी लायल महिला चिकित्सालय, आगरा के कार्यालय को नहीं है तथा विगत माह स्टाफ नर्सों द्वारा चिकित्सालय का काम काज भी बन्द नहीं किया गया है तथा वहां काम सुचारु रुप से चल रहा है।]

प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक-एक आवास आवंटित किये जाने तथा उनके परिजनों द्वारा उन आवासों के समितियां/न्यास बनाकर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री फरदीन महफूज किदवई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

[भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निवास हेतु आवासों का आवंटन भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली, 1997 प्रख्यापित की गयी है। अभी तक 07 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में निवास हेतु भवन आवंटित किये गये हैं:-

(1) श्री राम नरेश यादव	1- माल एवेन्यू
(2) श्री नारायण दत्त तिवारी	1- ए, माल एवेन्यू
(3) श्री कल्याण सिंह	2- माल एवेन्यू
(4) श्रीयुत श्रीपति मिश्र	12- ए, माल एवेन्यू
(5) सुश्री मायावती	13- ए, माल एवेन्यू
(6) श्री मुलायम सिंह यादव	5- विक्रमादित्य मार्ग
(7) श्री वी0पी0 सिंह	7- राजभवन कालोनी

इसके अतिरिक्त स्व0 श्री कमला पति त्रिपाठी को उनके जीवन पर्यन्त आवंटित आवास संख्या-7, ओल्ड आई0टी0डी0 में उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके परिजन निवास कर रहे हैं, जिनका अध्यासन अप्राधिकृत है, और जिसे रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को आवास संख्या-7, एनेक्सी, त्रिलोकनाथ रोड अ्वंटित किया गया था, जिसे मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती कमला बहुगुणा को आवंटित किया गया था, की शासन को आवश्यकता होने के कारण रिक्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह को उनके जीवन पर्यन्त आवंटित आवास संख्या-3, माल एवेन्यू को उनकी मृत्यु के उपरान्त वीर बहादुर जनसेवा संस्थान के पक्ष में आवंटित किया

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है।

वर्तमान में भूतपूर्व, मुख्यमंत्रियों को आवंटन नियमावली के नियम- 5 व 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये किराये (जलकर, सीवरकर एवं विद्युत कनेक्शन का पृथक भुगतान) के आधार पर उनके जीवनकाल तक आवंटित किये जाने का प्राविधान है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु के ठीक पश्चात् आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा। यदि निवास स्थान में निवासरत व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु के 30 दिन के अन्दर आवास का कब्जा राज्य सरकार को नहीं देते तो निवास स्थान से निष्कासन एवं किराया, क्षतिपूर्ति आदि की वसूली की कार्यवाही उ0प्र0 सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है। इस प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए कोई अलग कालोनी बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना से विगत वर्षों से स्वीकृत अधूरे पड़े मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इसको स्थगित किया जाता है।

प्रदेश के गृह विभाग द्वारा पुलिस पत्रिका के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की धनराशि की फिजूलखर्ची एवं अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)- [उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत श्री राम औतार शाक्य, सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया कि गृह विभाग में पुलिस पत्रिका के प्रकाशन से प्रतिवर्ष लाखों रुपये की धनराशि की फिजूलखर्ची की जाती है। उक्त नोटिस में यह भी कहा गया कि उक्त पत्रिका प्रतिमाह पुलिस विभाग द्वारा छापी जाती है जिस पर लगभग 50 हजार रुपये प्रकाशन पर व्यय आता है। यह पत्रिका विगत कई वर्षों से छपती रही है और अब तक इस पत्रिका के प्रकाशन पर किया जाने वाला करोड़ों रुपया व्यय आ चुका है। इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए बजट में कोई मद निर्धारित नहीं है अपितु बिना शासन की अनुमति के छपती है। उक्त नोटिस में यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी गण अनियमित कार्य कर रहे हैं और जान-बूझकर जो धन कानून व्यवस्था के सुव्यवस्थित करने पर खर्च होना चाहिए उस पर खर्च न करके धन को डाइवर्जन करके अनुत्पादक व्यय में खर्च किया जा रहा है और शासन मूक दर्शक बना हुआ है।

प्राप्त आख्यानुसार उक्त पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम 1970 में उ0प्र0 पुलिस सूचना पत्र के नाम से प्रारम्भ हुआ। उक्त पुस्तिका प्रेस एण्ड बुक्स एक्ट 1867 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.11.70 को पंजीकृत की गयी। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र संख्या 40/34/77-एन0टी0, दिनांक 26.7.77 द्वारा पुलिस पत्रिका का शीर्षक उ0प्र0 पुलिस सूचना पत्र से बदलकर उ0प्र0 पुलिस पत्रिका किया गया है।

दिनांक 28.8.70 से दिनांक 10.5.88 तक उक्त पत्रिका का प्रकाशन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से होता रहा है। दिनांक 10.5.88 से पुलिस पत्रिका का प्रकाशन प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद द्वारा किया गया है। दिनांक 22-4-95 से उक्त पत्रिका पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रकाशित

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करायी जा रही है।

पुलिस पत्रिका के प्रकाशन पर आने वाले व्यय को 2055 पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई के अन्तर्गत किया जाता है।

उक्त पत्रिका को छपवाये जाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अवगत कराया है कि उक्त पत्रिका का प्रकाशन पुलिस शासनादेश संख्या 2930-31-आठ/703 दिनांक 6 दिसम्बर 1922 में प्राप्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत किया जा रहा है।]

प्रदेश में ऊर्जा विभाग विशेषत: लखनऊ महानगर अन्तर्गत मीटर रीडिंग अनुभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा श्री देवनाथ (टी0जी0-II) द्वारा की जा रही मनमानी व उच्च अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे प्रश्रय के सम्बन्ध में श्री रमेश राही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

श्री देवनाथ राम जो वर्ष 1995 तक अधिशासी अभियन्ता मुख्यालय लेसू के अन्तर्गत जे0एम0टी0आर0 के पद पर कार्यरत थे, का स्थानान्तरण तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद के आदेश दिनांक 5.4.95 द्वारा लेसा के अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-मुरादाबाद के अधीनस्थ तैनात किया गया। उपरोक्त स्थानान्तरण के अनुपालन में उन्हें दिनांक 24.4.95 के अपरान्ह से कार्यमुक्त कर दिया। श्री देवनाथ राम, जे0एम0टी0 ने विद्युत परीक्षण शाला मुरादाबाद में दिनांक 1.11.95 को कार्यभार ग्रहण किया। कालान्तर में श्री देवनाथ राम, टी0ग्रेड जो-2 का स्थानान्तरण उनकी स्वेच्छा पर दिनांक 3.1.2000 द्वारा लेसा में किया गया। विद्युत नगर परीक्षण शाला, मुरादाबाद ने श्री देवनाथ राम को दिनांक 7.2.2000 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया तथा श्री देवनाथ राम ने दिनांक 8.2.2000 को ज्वाइन कर लिया। श्री डी0एन0 राम को दिनांक 22.2.2000 द्वारा 33-11 के0वी0 नवनिर्मित विद्युत वितरण खंड, गोमतीनगर सब स्टेशन पर एस0एस0ओ0 का कार्य करने के लिये तैनात कर दिया गया और मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को अवगत भी करा दिया गया कि श्री देवनाथ राम ने दिनांक 8.2.2000 को ज्वाइन कर लिया है। श्री देवननाथ को मीटर रीडिंग कार्य के लिये नहीं लगाया गया है।

2- इसी बीच श्री देवनाथ राम का उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 8.2.2000 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। चूँकि कर्मचारी ने लेसा में ज्वाइन कर लिया, अत: उसकी सब स्टेशन पर तैनाती करना आवश्यक हो गया था ताकि सब स्टेशन पर जो बाहरी एजेन्सी से एस0एस0ओ0 लगाये गये हैं उनकी जगह पर कार्य लिया जा सके तथा कारपोरेशन को क्षति न हो।

3- श्री देवनाथ राम की सर्तकता जांच आख्या अक्टूबर, 99 में प्राप्त हो गई है जिसका यू0पी0 पावर कारपोरेशन के स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। श्री देवनाथ राम को पुन: लेसा से स्थानान्तरण हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

प्रदेश में नोयडा व ग्रेटर नोयडा के प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें न लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदन में मा0 सदस्य श्री नवाब सिंह नागर द्वारा प्रदेश में नोयडा व ग्रेटर नोयडा प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिये पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु रखे गये हैं।

नोयडा व ग्रेटर प्राधिकरणों में अभी तक पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं, जबकि उ0प्र0 सरकार के अधिसंख्य विभागों में ये सिफारिशें लागू कर नये वेतनमान लागू कर दिये गये हैं, नोयडा ब ग्रेटर नोयडा प्राधिकरणों में जो ईमानदार व सही कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नोएडा शहर बहुत मंहगा शहर है, यहां की बच्चों की पढ़ाई, सामान्य आवागमन व अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं अपेक्षाकृत मंहगी हैं, इससे ईमानदार कर्मचारियों में हीनता का भाव पैदा हो रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है।

उपयुक्त के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् हैं:-

वित्त विभाग द्वारा सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं की सूचना संकलित कर एक टिप्पणी मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु तैयार कर ली गयी है, जिसे लगभग एक सप्ताह के भीतर मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ रख दिया जायेगा। मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा का प्रकरण भी सम्मिलित हैं, को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करा दी जायेगी।]

ताज ट्रिपोजियम योजना के अन्तर्गत मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[ताज ट्रेपोजियम योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी निधि से प्रथम चरण में ताज से 20 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत जाने वाले तथा फतेहपुर सीकरी से 15 कि0मी0 की परिधि में जाने वाले ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र के अन्तर्गत जाने वाले फरह मथुरा एवं गोवर्धन ब्लाकों के ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य निधि उपलब्ध होने पर अगले चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। राधाकुंड परिक्रमा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा बसौती ग्राम के राधा कुंड की लाइन जोड़ने पर राधा कुंड की आपूर्ति गम्भीर रुप से प्रभावित हो जायेगी। अतएव बसौती को राधा कुंड लाइन पर जोड़ना संभव नहीं है। ग्राम थिरापली का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। भदार, कोबरा, कुजेरा आदि ग्रामों के मुख्य ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधन समिति के कारण मुख्य ग्रामों का विद्युतीकरण ही संभव हो सकेगा। गोवर्धन परिक्रमा के एक करोड़ के कार्य को वर्तमान, वित्तीय संसाधन में कर पाना संभव नहीं है। ओल एवं फरह ब्लाकों के कुछ क्षेत्र की आपूर्ति गेट नं0 9 रिफाइनरी के उपकेन्द्र से जोड़ने हेतु रेलवे क्रासिंग की अनुमति रेलवे प्रशासन से मिलना प्रतीक्षित है जो प्राप्त होने पर कार्य कर दिया जायेगा।

पाली डूगरा ग्राम का विद्युतीकरण 11/99 में किया गया है परन्तु इससे कोई भी कनेक्शन नहीं लिया गया है। कनेक्शन आने पर परिवर्तन बदल दिया जायेगा। कस्बा सोख में 33/11 केवी उपकेन्द्र निर्माणाधीन है जिसके बनने के बाद कस्बा सोख को शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों को 9 से 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा मथुरा और

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वृन्दावन को 24 घंटे बलदेव को 17 से 18 घन्टे फरह एवं गोबर्धन को 20 से 22 घंटे प्रति दिन विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है।

लखनऊ, आगरा तथा कानपुर में वायु प्रदूषण रोकने हेतु उपाय किये जाने विषयक तारांकित प्रश्न सं0-3 नत्थी (घ) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की फीस बढ़ाये जानेक विषयक दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री नरेन्द्र सिंह, डा0 सरजीत सिंह डंग आदि द्वारा 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-26 तथा 27 स्थगित की जाती हैं। अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन उपवेशन रात्रि 12 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

दिनांक 9 मई, 2000

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी क

(दर्शाये अता0 प्र0 स0 के का उत्तर पीछे पृ0 ------/------ पर)

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच में वर्ष 1998 99 में मार्गों की मरम्मत एवं बनवाने का विवरण

क्र0 सं0	नवीनीकरण		सामान्य मरम्मत एवं गड्ढामुक्त		नयी सड़क बनने हेतु	
	मार्ग का नाम	आवंटन (लाख रु0)	मार्ग का नाम	आवंटन (लाख रु0)	मार्ग का नाम	आवंटन (लाख रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग	7.20	बहराइच बाराबंकी-बांदा मार्ग	0.36	बिराहिमपुर-भिलौरी सम्पर्क मार्ग- 2 कि0मी0	8.20
2	श्रमदान मार्ग	3.20	बहराइच हुजूरपुर मार्ग	0.30	बभौरा सम्पर्क मार्ग	1.47
3	बहराइच हुजूरपुर मार्ग	0.00	पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग	0.20	गोड़हिया सम्पर्क मार्ग	0.01
	योग	11.20	हुजूरपुर-जगदीशपुर मार्ग	0.20	बदरौली सम्पर्क मार्ग	0.01
					गण्डारा सम्पर्क मार्ग	0.01
			कुण्डासर हुजूरपुर मार्ग	8.10	बिराहिमपुर-भिलौरी सम्पर्क मार्ग- 5 कि0मी0	0.01
			योग	9.16	अहाता सम्पर्क मार्ग	0.01
					कुररण्डा सम्पर्क मार्ग	0.01
					बहराइच-हुजूरपुर मार्ग से भगवा	29.95
					बी0बी0बी0 मार्ग से उपथी मार्ग	14.69
					बी0बी0बी0 मार्ग से मरौठी मार्ग	21.31

1	2	3	4	5	6	7
					पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग से बैराकाजी मुरतफाबाद सम्पर्क मार्ग	1.81 2.31
					योग	79.89

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच में वर्ष 1999-2000 में मार्गों की मरम्मत एवं बनवाने की का विवरण

क्रम सं0	नवीनीकरण		सामान्य मरम्मत एवं गड्ढामुक्त		नयी सड़क बनवाने हेतु	
	मार्ग का नाम	आंवटन (लाख रु0)	मार्ग का नाम	आंवटन (लाख रु0)	मार्ग का नाम	आंवटन (लाख रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1-	बहराइच-बाराबंकी बांदा मार्ग	2.00	बहराइच-बाराबंकी-बांदा मार्ग	5.59	गोड़हिया लिंक मार्ग	5.55
2-	कुण्डासर-जैतापुर मार्ग	0.80	पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग	0.64	विराहिमपुर भिलौरा सम्पर्क मार्ग	0.40
	योग	2.80	जरवल-गण्डारा मार्ग	0.28	बभौरा सम्पर्क मार्ग	7.00
			आदमपुर से झुकिया मार्ग	0.11	गोड़हिया सम्पर्क मार्ग	31.49
			कैसरगंज-प्यारेपुर-वृथनाघाट मार्ग	0.10	बदरौली सम्पर्क मार्ग	41.99
			हुजूरपूर-जगदीशपुर-मार्ग	0.24	गण्डारा सम्पर्क मार्ग	26.24
			योग	6.96	विराहिमपुर-भिलौरा सम्पर्क मार्ग	26.24
					अहाता सम्पर्क मार्ग	20.99
					कुरसन्डा सम्पर्क मार्ग	10.49
					बहराइच-हुजूरपुर मार्ग से भगहा	5.00
					बी0बी0बी0 मार्ग से उपथी	5.00
					बी0बी0बी0 मार्ग से मरौठी	6.80
					पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग से बैरीकाजी	8.60

1	2	3	4	5	6	7
					मीरपुर-कोनिया सम्पर्क मार्ग	11.00
					देवलखा सम्पर्क मार्ग	10.00
					आदिलपुर सम्पर्क मार्ग	8.00
					रेवढा सम्पर्क मार्ग	9.00
					रेवलिया सम्पर्क मार्ग	3.00
					विजयपुर सम्पर्क मार्ग	3.50
					मुरतफाबाद सम्पर्क मार्ग	3.49
					नफहरा-अब्बूपुर सम्र्क मार्ग	4.20
					योग	254.98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता0 प्र0स0-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ .40... पर।)

वर्ष 98-99 में तथा वर्ष 99-2000 में जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर अम्बेडकर-ग्राम विकास योजना तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तथा निर्मि मार्गों की सूची

वर्ष 98-99

	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना
1- विकास खण्ड हैदरगढ़-	मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग
2- त्रिवेदीगंज-	1- गंगापुर सम्पर्क मार्ग
	2- खैरा बीरु सम्पर्क मार्ग
	3- जहानपुर सम्पर्क मार्ग
3- सिद्धौर-	1- सराय भांदू सम्पर्क मार्ग
	2- दलीपुर सम्पर्क मार्ग
	3- जरगवां सम्पर्क मार्ग
	4- पडरावां सम्पर्क मार्ग
	5- रैसण्डा सम्पर्क मार्ग
	पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना
1- विकास खण्ड हैदरगढ	भठगवां सम्पर्क मार्ग
2- त्रिवेदीगंज-	दुन्दीपुर सम्पर्क मार्ग
3- सिद्धौर-	पूरब बेलावं सम्पर्क माग

वर्ष 99-2000

	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना
1- विकास खण्ड हैदरगढ़-	ब्रम्ह्रौली सम्पर्क मार्ग
	2- इस्लामपुर सम्पर्क मार्ग
2- त्रिवेदीगंज-	मंझपुर सम्पर्क मार्ग
3- सिद्धौर-	हाजीपुर श्यामनगर सम्पर्क मार्ग
	पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना
1- विकास खण्ड हैदरगढ़-	सराय रावत सम्पर्क मार्ग

नत्थी (ग)

(देखिये अता0 प्र0स0-84 का उत्तर पीछे पृष्ठ .47... पर।)

विधान सभा प्रथम सत्र 2000 के पांचवे मंगल के लिए निर्धारित श्री अजय कुमार पोइय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-84 के उत्तर 'क' संलग्नक

वर्ष 1997-98 में विभिन्न मार्गों पर ली गयी सामग्री के सम्बन्ध में।

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग पर ली गई सामग्री	(घन मी0) गिट्टी	अन्य विवरण विवरण
			पत्थर	
1-	रिंग मार्ग। फैजाबाद मार्ग से गोमती बैराज मार्ग।	460.34	485.75	
2-	महानगर फरीदनगर मार्ग-	118.40	33.30	
3-	मीनाबाजार-घोसी परवा मार्ग	66.00	37.00	ली गयी
	लखनऊ बिजनौर मार्ग	208.00	208.00	सामग्री
4-	मिल्ला एरिया चौकी से आलमनगर मार्ग	175.00	290.32	की खपत
5-	सीतापुर भृडपुरवा-टिकवानाल मार्ग	935.15		इन्हीं मार्गों पर
6-	कालीदास मार्ग	141.11	93.28	की गई
7-	कनौसी गंगाखेड़ा	3.00	47.90	है।
8-	रिंगमार्ग-कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग	47.90	162.30	
9-	सीतापुर भृडरवा मार्ग	680.12	197.15	
10-	मोलाना कल्येसायदिंग मार्ग -सब्जीमंडी चौक लखनऊ	62.30	214.06	
11-	सीतापुर सिटी ब्रान्च रोड-डिपाजिट वर्क	1822.42	371.28	
12-	महानगर फरीदनगर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य	537.35	14.95	
13-	बटलर रोड के डिपाजिट का कार्य	35.00	77.00	
14-	एस0आर0 के अन्तर्गत लखनऊ- कुर्सी मार्ग का कार्य	50.00	70.00	
15-	डिपाजिट के अन्तर्गत-लखनऊ कुर्सी मार्ग के- कि0मी0 1,2, 5,6 एवं 7 के मरम्मत का कार्य	1597.00	321.00	

1	2	3	4	5
15-	डिपाजिट के अन्तर्गत-लखनऊ कुर्सी मार्ग के- कि0मी0 1,2, 5,6 एवं 7 के मरम्मत का कार्य	1597.00	321.00	
16-	सीतापुर मार्ग से दुर्गा मंदिर ब्रहमनगर होते हुए	1129.95	90.32	
17-	सीतापुर मार्ग से त्रिवेणीपुर-III मौसम बाग होते हुए लखनऊ	635.89	108.45	
18-	वाराणसी मार्ग	1455.84	1129.62	
19-	सरोजनी नायडू मार्ग	571.61	19.00	
20-	कपूर मार्ग	146.54	11.40	
21-	लाटूस मार्ग	529.58	44.30	
22-	हरदोई मार्ग	10,524.50	230.11	
23-	कैम्पवेल मार्ग	4283.02	25.03	
24-	मिल रोड	427.23	35.00	
25-	फैजाबाद मार्ग से हिवेटपाली टेक्निक मार्ग	416.00	36.00	
26-	काकोरी मार्ग	162.00	-	ली गयी
27-	चांदगंज सुग्गामऊ मार्ग	240.00	-	सामग्री
28-	शाहनजफ मार्ग	803.00	-	की खपत
29-	जू मार्ग	90.00	-	इन्हीं
30-	रिंग मार्ग-फैजाबाद मार्ग	1128.00	-	मार्गों पर
31-	गोमती बैराज मार्ग	-	-	ली गई है।
32-	सप्रू मार्ग	-	-	
33-	तुलसीदास मार्ग	-	-	
34-	मोहानरोड आलमबाग	-	-	
35-	आरिफ बहादुर मार्ग	30.00	-	
36-	मीराबाई मार्ग	20.00	-	
37-	डण्डहिया मार्ग	-	-	

वर्ष 1998-99 में विभिन्न मार्गों पर ली गयी सामग्री के सम्बन्ध में।

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग पर ली गई सामग्री पत्थर	(घन मी0) गिट्टी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1-	मालएवेन्यु मार्ग	-	74.00	ली गयी
2-	चन्दन नगर गुरुद्वारा से गीतापल्ली	54,957	-	सामग्री की खपत
3-	डालीगंज इन्दिराब्रिज मार्ग	-	498.65	इन्हीं
4-	राणा प्रताप मार्ग	-	11.00	मार्गों पर
5-	राणा प्रताप मार्ग	-	21.00	ली गई है।
6-	शावमीना मार्ग	40.00	34.75	
7-	ऐशबाग वार्ड	328.86	39.88	
8-	गीतापल्ली मजार चौराहा मार्ग	519.55	-	
9-	लखनऊ बिजनौर मार्ग	43.00	26.50	
10-	मीनाबाजार घोसीपुरवा मार्ग	49.26	17.36	
11-	सर्वोदय नगर	8.00	8.83	
12-	जेल रोड	-	41.50	
13-	कैसरबाग बारादरी मार्ग	-	64.03	
14-	के0के0 मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य निकट दीन दयाल उपाध्याय पार्क	223.65	142.95	
15-	महानगर फरीदपुर का कार्य विशेष मरम्मत के अन्तर्गत	-	103.23	
16-	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सीतापुर सिटी ब्रान्च का कार्य	-	80.58	
17-	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सुभाष मार्ग के मरम्मत का कार्य	63.30	-	
18-	डिपाजिट बर्क के अन्तर्गत सीतापुर सिटी ब्रांच का कार्य	35 00	12.00	
19-	जेलरोड चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य	57.50	19.00	
20-	बटलर रोड के सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत चौड़ीकरण का कार्य	231.00	34.00	

1	2	3	4	5
21-	डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत मीना-बेकारी रोड से आलम-नगर तक के मार्ग का कार्य	58.00	19.50	
22-	ए0आर0 के अन्तर्गत शक्ति-नगर के मार्ग का कार्य	25.00	-	
23-	ए0आर0 के अन्तर्गत के0टी0 रोड का कार्य	43.50	25.00	
24-	कृष्णापल्ली से गीतापल्ली वाया पवनकुमारी मार्ग	1060.11	99.00	
25-	पटेलनगर इन्द्रा नगर में एम0पी0 कोटे के मार्ग के निर्माण का कार्य (नया कार्य)	751.00	138.33	
26-	नरायननगर-II गोमतीनगर वार्ड	646.65	196.80	ली गई सामग्री की
27-	मिल मार्ग	46.00	597.60	खपत इन्हीं
28-	लखनऊ वाराणसी मार्ग	275.61	487.75	मार्गों पर
29-	कूपर मार्ग (गुलिस्तातिराया)	308.49	136.98	ली गई है।
30-	कैम्पवेल मार्ग	506.13	544.83	
31-	जू रोड (अन्दर का भाग)	-	315.34	
32-	भूसामंडी मार्ग	22.00	-	
33-	गांधीसेतु से कालीदास मार्ग	190.00	23.90	
34-	लखनऊ वाराणसी (डी0एफ0 ओ0) चौराहा	348.40	89.21	
35-	काकोरी मार्ग	45.00	-	
36-	चांदगंज सुग्गामऊ मार्ग	95.50	-	
37-	शाहनजफ मार्ग	-	-	
38-	जू मार्ग	30.00	-	
39-	रिंग फ़ैजाबाद मार्ग से गोमतीबैराज मार्ग	927.00	-	
40-	सप्रू मार्ग	510.00	-	
41-	तुलसीदास मार्ग	742.50		
42-	मोहानरोड से आलमबाग	32.00	-	
43-	आरिफ बहादुर मार्ग	-	-	
44-	मीराबाई मार्ग	-	-	
45-	डण्डिया मार्ग	-	300.00	

पी0एस0यू0पी0-एल0 303 विधान सभा (684)-19-11-2003-813 (डी0 टी0 पी0) ।